खण्ड-472, अंक-10
मंगलवार, 20 माघ, शक संवत् 1931
(9 फरवरी, 2010 ई0)

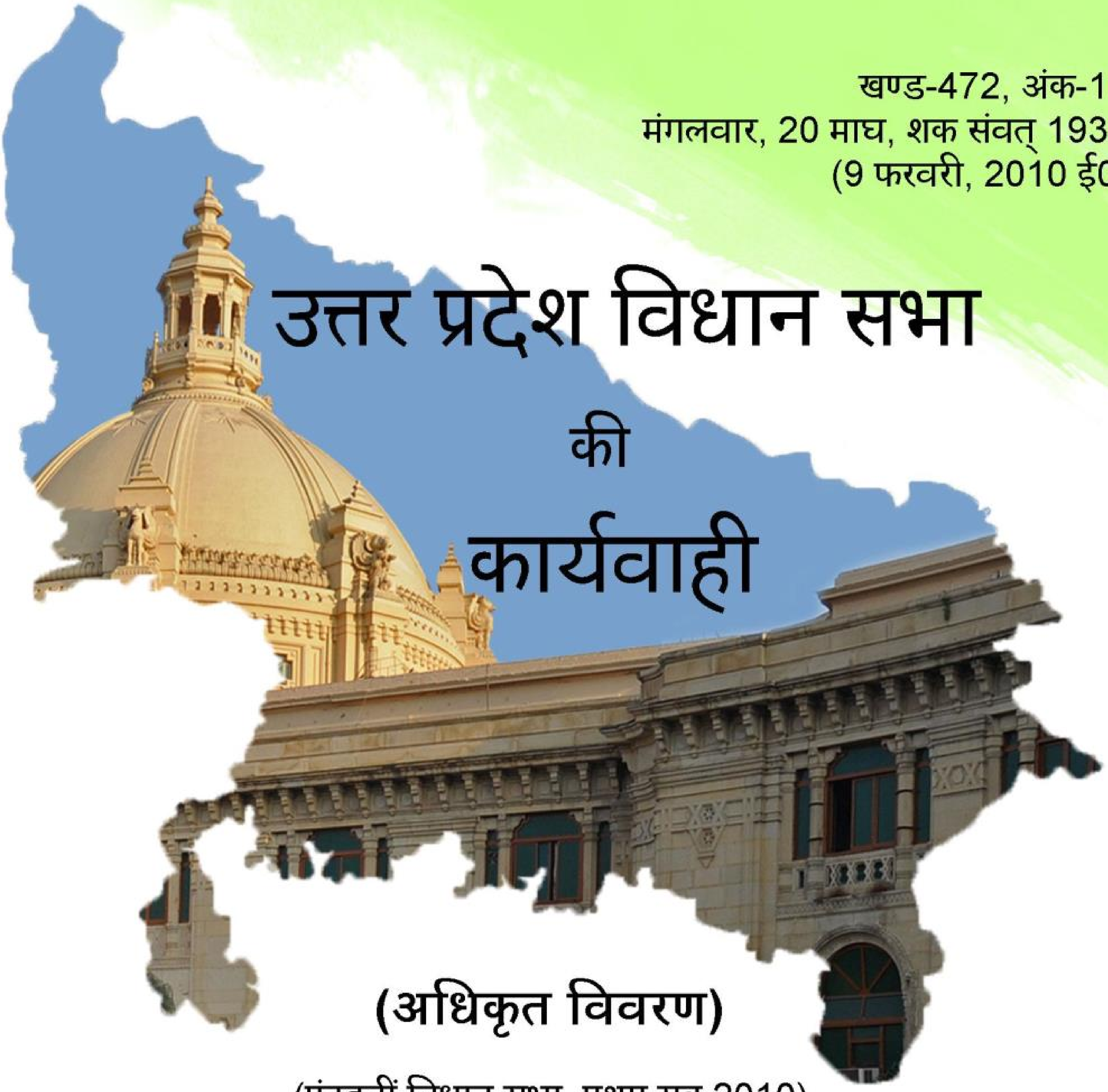

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(पंद्रहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 2010)

खण्ड 472 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2010

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1-6
प्रदेश में नक्सली गतिविधियों से सम्बन्धित नियम 311 की सूचना को सर्वप्रथम लिये जाने की मांग	7
प्रश्नोत्तर	7-87
अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या-1 के उत्तर के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ...	87-88
वर्तमान सत्र में एक भी शुक्रवार न आने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ...	88
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें	88-89
जनपद बांदा में वर्ष 2007 में विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षार्थी श्री कौशल किशोर, तहसील मौदहा हमीरपुर के विरुद्ध फर्जी अंक पत्र तैयार करके विशिष्ट बी0टी0सी0 ट्रेनिंग का दोषी मानते हुए मुकदमा करके जेल भेजने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	89-90
राष्ट्रीय राजमार्ग-93 आगरा से अलीगढ़ के मध्य चार लेन का मार्ग कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	90
जनपद रामपुर की टाउन एरिया केमरी में उपमण्डी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	91
वाराणसी में पवित्र गंगा नदी में लगातार बढ़ते प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना...	91-92
रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र सरैनी में वर्ष 1996-2000 के बीच क्षेत्र विकास निधि से आवंटित धन को जल निगम के अधिकारियों द्वारा खर्च न किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	92
रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र सतांव में दो विद्युत उपकेन्द्रों गुरूबख्शगंज व खीरों का उच्चीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	92
भोजपुरी फिल्मों की उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घोर उपेक्षा किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना...	93
जनपद बुलन्दशहर के अगौता विधान सभा क्षेत्र के रजवाना आदि कतिपय ग्रामों का विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	94
जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद में बाढ़ के कारण ताजपुर-रपटा सहित टूटे पुल और पुलियों के पुनः निर्माण एवं दुरुस्तीकरण के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	94

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद अलीगढ़ के पलवल-टप्पल अलीगढ़ राजमार्ग पर गड्ढों के दुरुस्तीकरण एवं डामरीकरण में की जा रही लापरवाही के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	94-95
जनपद आजमगढ़ की सगड़ी तहसील में चकबन्दी में विलम्ब किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	95
जनपद एटा के विधान सभा क्षेत्र जलेसर में कस्बा आवागढ़ मुख्य बाजार में पी0डब्ल्यू0डी0 की सड़क पर धूल उड़ने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	95
जनपद सुल्तानपुर में पुलिस द्वारा सत्तारूढ़ दल के नेताओं के दबाव में एक अल्पसंख्यक सैन्य कर्मी का उत्पीड़न किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	96
जनपद प्रतापगढ़ के मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय के पंचायत अनुभाग तथा समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में वर्षों से जमे कर्मियों को स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना... ...	96
जनपद सहारनपुर के कस्बा गागलैहड़ी से मुजफ्फरनगर तक बनी सड़क टूट जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	97
औचित्य के प्रश्न की सूचनायें	97
नियम-51 व नियम-56 के अन्तर्गत स्वीकृत सूचनाओं पर प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश संख्या-16 (1) के अधीन शासन द्वारा कृत कार्यवाही की सूचना एक माह के अन्दर न दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	98-99
उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2010 (पुरःस्थापित)	99
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2010 (पुरःस्थापित) ...	99-100
नियम 311 की नियम 56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें	100-130
वित्तीय वर्ष 2010-2011 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा (जारी) ...	130-195
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं	195-197
प्रदेश के विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का जनवरी, 2006 से बकाये वेतन का भुगतान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा0 अजय तोमर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर उच्च शिक्षा मंत्री के वक्तव्य का स्थगन...	197

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के अन्तर्गत मण्डी परिषद् द्वारा बनाये गये क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत/नवीनीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृषि विपणन मंत्री का वक्तव्य	198-201
जनपद कुशीनगर के थाना कप्तानगंज के ग्राम वोदखार निवासी आशीष मद्वेशिया की पुलिस द्वारा किये गये उत्पीड़न की जांच एवं उसके इलाज की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जसवन्त सिंह उर्फ अतुल सिंह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य... ...	201-202
प्रदेश की सहकारी समितियों में कार्यरत पैक्स कैडर सचिवों का वेतन भुगतान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री प्रमोद तिवारी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सहकारिता मंत्री का केवल वक्तव्य ...	203
जनपद गाजीपुर स्थित शारदा सहायक खण्ड-23 के अन्तर्गत स्वीकृत नहर की खुदाई एवं सफाई तथा टेल तक पानी न पहुंचने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री विजय कुमार द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी सूचना पर सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य	204
प्रदेश के 9 अनुदानित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों/कर्मचारियों के वेतन का भुगतान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री दुर्गा प्रसाद यादव द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर बेसिक शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य	204-206
इलाहाबाद स्थित मेंहदौरी ग्राम समाज की भूमि पर बसे अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को उजाड़ने वालों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने और उन्हें पुनः बसाने एवं मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में श्री अनुग्रह नारायण सिंह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य ...	206-207
नत्थियां	208-212

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पन्द्रहवीं विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 09 फरवरी, 2010 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री सुखदेव राजभर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

उपस्थित सदस्य-319

1. अंगद यादव, श्री — आजमगढ़
2. अकबर हुसैन, श्री — मुरादाबाद
3. अकीलुर्रहमान खां, श्री — मुरादाबाद
4. अजय तोमर, डा0 — बागपत
5. अजय यादव, श्री — एटा
6. अजय सिंह, श्री — जालौन
7. अनन्त मिश्रा, श्री — फर्रुखाबाद
8. अनिल कुमार, श्री — मुजफ्फरनगर
9. अनिल कुमार अहिरवार, श्री — महोबा
10. अनिल कुमार दोहरे, श्री — कन्नौज
11. अनिल कुमार मौर्य, श्री — मिर्जापुर
12. अनिल कुमार सिंह यादव, श्री — एटा
13. अनिल चौधरी, डा0 — हाथरस (महामायानगर)
14. अनीस अहमद खाँ उर्फ फूलबाबू, श्री — पीलीभीत
15. अनूप कुमार गुप्ता, श्री — सीतापुर
16. अनूप सण्डा, श्री — सुल्तानपुर
17. अब्दुल मन्नान, श्री — हरदोई
18. अब्दुल वारिस खाँ, श्री — मुजफ्फरनगर
19. अब्बास अली जैदी उर्फ रूश्दी मियां, श्री — फैजाबाद
20. अमरमणि त्रिपाठी, श्री — महराजगंज
21. अमरेश कुमार शुक्ल, श्री — बाराबंकी
22. अमेरिका प्रधान, श्री — गाजीपुर
23. अम्बिका चौधरी, श्री — बलिया
24. अम्बिका सिंह, श्री — गोरखपुर
25. अयोध्या प्रसाद पाल, श्री — फतेहपुर
26. अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री — बाराबंकी
27. अरविन्द सिंह यादव, श्री — कन्नौज
28. अरशद खान, श्री — पीलीभीत
29. अरूणा तोमर, श्रीमती — कानपुर नगर
30. अलाउद्दीन, श्री — बलरामपुर
31. अलीम हाजी, श्री — बुलन्दशहर
32. अवधपाल सिंह यादव, श्री — एटा
33. अवधेश प्रसाद, श्री — फैजाबाद
34. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री — लखीमपुर खीरी
35. अशोक कंसल, श्री — मुजफ्फरनगर
36. अशोक कुमार दोहरे, श्री — औरैया
37. अशोक कुमार सिंह, श्री — रायबरेली
38. अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्री — हमीरपुर
39. अशोक सिंह चौहान, श्री — मैनपुरी
40. आदित्य पाण्डेय, श्री — फतेहपुर
41. आनन्द कुमार उर्फ कलेक्टर पाण्डेय, श्री — इलाहाबाद
42. आर0 ए0 उस्मानी डा0, — लखीमपुर खीरी
43. आर0 के0 शर्मा, पंडित — बरेली
44. आरिफ अनवर हाशमी, श्री — गोण्डा
45. आलोक कुमार शाक्य, श्री — मैनपुरी
46. आसिफ, श्री — हरदोई
47. इकबाल महमूद, श्री — मुरादाबाद
48. ईश्वर चन्द्र शुक्ल, श्री — सिद्धार्थनगर

49. उदयराज, श्री — उन्नाव
50. उमेश पाण्डेय, श्री — मऊ
51. ओम प्रकाश सिंह, श्री — मिर्जापुर
52. ओम प्रकाश सिंह (ओ0पी0सिंह), श्री — सुल्तानपुर
53. ओमवती देवी, श्रीमती — बिजनौर
54. कमलेश चन्द दिवाकर, श्री — कानपुर देहात
55. काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, नवाब — रामपुर
56. कालीचरन राजभर, श्री — गाजीपुर
57. काशीराम, श्री — रामपुर
58. कुवेर सिंह, श्री — एटा
59. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री — उन्नाव
60. कृपा शंकर सिंह, श्री — उन्नाव
61. कृष्ण कुमार, श्री — बहराइच
62. कृष्ण गोपाल पटेल, श्री — लखीमपुर खीरी
63. कृष्णाराज, श्रीमती — लखीमपुर खीरी
64. के0 के0 सचान, डा0 — जौनपुर
65. केदारनाथ वर्मा, श्री — बलिया
66. कैलाश साहू, श्री — झांसी
67. कैलाश सिंह राजपूत, श्री — कन्नौज
68. कौशल किशोर, डा0 — लखीमपुर खीरी
69. गजेन्द्र सिंह, श्री — बुलन्दशहर
70. गिरीश चन्द्र, श्री — मुरादाबाद
71. गुटियारी लाल दुबेश, श्री — आगरा
72. गुरू प्रसाद मौर्य, श्री — इलाहाबाद
73. गुलाम मोहम्मद खान, श्री — बहराइच
74. गेंदा लाल चौधरी, श्री — हाथरस (महामायानगर)
75. घूराराम, श्री — बलिया
76. चन्द्र प्रकाश मिश्र "मटियारी", श्री — सुल्तानपुर
77. चन्द्रवीर सिंह, श्री — मेरठ
78. छत्रपाल सिंह, श्री — बरेली
79. जगदीश नारायण, श्री — जौनपुर
80. जगदीश सोनकर, श्री — जौनपुर
81. जगन प्रसाद गर्ग, श्री — आगरा
82. जगपाल, श्री — सहारनपुर
83. जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री — महराजगंज
84. जमीरउल्ला, श्री — अलीगढ़
85. जयवीर सिंह, श्री — मैनपुरी
86. जयवीर सिंह, ठाकुर — अलीगढ़
87. जावेद अंसारी एडवोकेट, श्री — जौनपुर
88. जितेन्द्र कुमार एडवोकेट, श्री — चन्दौली
89. जितेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री — बस्ती
90. जितेन्द्र कुमार बब्लू भइया, श्री — फैजाबाद
91. जुल्फिकार अहमद भुट्टो, श्री — आगरा
92. जोखू लाल यादव, श्री — इलाहाबाद
93. ज्योत्सना श्रीवास्तव, डा0 — वाराणसी
94. ताहिर हुसैन सिद्दीकी, श्री — फर्रूखाबाद
95. त्रिभुवन दत्त, श्री — अम्बेडकरनगर
96. दद्दू प्रसाद, श्री — चित्रकूट
97. दयाराम, श्री — कौशाम्बी
98. दाउद अहमद, श्री — हरदोई
99. दिनेश प्रसाद, श्री — चित्रकूट
100. दीनानाथ कुशवाहा, श्री — देवरिया
101. दीनानाथ पण्डेय, श्री — वाराणसी
102. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री — आजमगढ़
103. दूधराम, श्री — बस्ती
104. धर्मपाल, श्री — गाजियाबाद
105. धर्मपाल सिंह, डा0 — आगरा
106. धर्मराज निषाद, श्री — अम्बेडकरनगर
107. धर्म सिंह सैनी, डा0 — सहारनपुर
108. धर्मी रावत, श्रीमती — बाराबंकी
109. धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, श्री — बरेली
110. धीरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री — बलरामपुर
111. धीरेन्द्र प्रसाद, श्री — शाहजहांपुर
112. धू राम लोधी, चौधरी, श्री — हमीरपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

113. नकुल दूबे, श्री लखनऊ
114. नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी', श्री इलाहाबाद
115. नरेन्द्र सिंह, श्री सीतापुर
116. नारायण सिंह, श्री आगरा
117. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
118. निर्मल वर्मा, श्री सीतापुर
119. नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्री शाहजहाँपुर
120. पंकज कुमार, श्री मुजफ्फरनगर
121. पशुपति, श्री गाजीपुर
122. पी0 के0 राय, डा0 कुशीनगर
123. पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी, श्री बाँदा
124. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
125. प्रजापालन, श्री एटा
126. प्रदीप कुमार उर्फ गुड्डू, श्री बदायूं
127. प्रदीप माथुर, श्री मथुरा
128. प्रमोद तिवारी, श्री प्रतापगढ़
129. प्रमोद सिंह, श्री देवरिया
130. प्रवीण पटेल, श्री इलाहाबाद
131. प्रेमलता कटियार, श्रीमती कानपुर नगर
132. फतेह बहादुर, श्री महराजगंज
133. फरहत हसन, श्री ज्योतिबाफूलेनगर
134. फरीद महफूज किदवई, श्री बाराबंकी
135. फसीहा बशीर चौधरी (गजाला लारी), श्रीमती देवरिया
136. फागू, श्री मऊ
137. बलबीर, श्री मुजफ्फरनगर
138. बलराम सिंह सैनी, श्री मुरादाबाद
139. बादशाह सिंह, श्री हमीरपुर
140. बिरजू राम, श्री जौनपुर
141. बृजेश सौरभ, श्री प्रतापगढ़
142. बैजनाथ दूबे, श्री गोण्डा
143. ब्रम्हाशंकर त्रिपाठी, श्री देवरिया
144. भगवती प्रसाद सागर, श्री झाँसी
145. भगवान दास, श्री सन्तकबीरनगर
146. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
147. भगेलू राम, श्री सुल्तानपुर
148. भीमराव अम्बेडकर एडवोकेट, श्री इटावा
149. भोला पासवान, श्री आजमगढ़
150. मंजू, श्रीमती बलिया
151. मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
152. मदन भैया उर्फ मदन गोपाल, श्री बागपत
153. मधुबाला, श्रीमती संत रविदासनगर (भदोही)
154. मनोज चौधरी, श्री सहारनपुर
155. ममतेश शाक्य, श्री एटा
156. मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री रायबरेली
157. महबूब अली, श्री ज्योतिबाफूलेनगर
158. महिपाल सिंह, श्री सहारनपुर
159. महेन्द्र सिंह, श्री अलीगढ़
160. महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री इटावा
161. महेश चन्द्र गुप्ता, श्री बदायूं
162. महेश त्रिवेदी, श्री कानपुर देहात
163. माधव पासवान, श्री गोरखपुर
164. मिथलेश कटियार, श्रीमती कानपुर देहात
165. मिथिलेश पाल, श्रीमती मुजफ्फरनगर
166. मीता गौतम, कु0 बाराबंकी
167. मुख्तार असारी, श्री मऊ
168. मुरलीधर, श्री फतेहपुर
169. मुस्लिम खाँ, श्री बदायूँ
170. मोहम्मद इकबाल, श्री बिजनौर
171. मोहम्मद इरशाद खान, श्री लखनऊ
172. मोहम्मद गाजी, श्री बिजनौर
173. मोहम्मद जलील खान, श्री गोण्डा
174. मोहम्मद जासमीर अंसारी, श्री सीतापुर
175. मोहम्मद ताबिश खां, श्री सन्तकबीरनगर
176. मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री इलाहाबाद

177. यशपाल सिंह, श्री बिजनौर
178. यशपाल सिंह चौहान, श्री अलीगढ़
179. यशवन्त सिंह, डा0 मुजफ्फरनगर
180. योगराज सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
181. योगेन्द्र सागर, श्री बदायूँ
182. योगेश वर्मा, श्री मेरठ
183. रंगनाथ मिश्र, श्री सन्त रविदासनगर (भदोही)
184. रघुनाथ प्रसाद संखवार, डा0 कानपुर देहात
185. रघुराज प्रताप सिंह 'राजा भइया', श्री प्रतापगढ़
186. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
187. रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भइया, श्री फतेहपुर
188. रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री कुशीनगर
189. रमेश गौतम, श्री गोण्डा
190. रमेश चन्द्र विन्द, डा0 मिर्जापुर
191. रविन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री जौनपुर
192. रवीन्द्र कुमार (मोल्हू), श्री सहारनपुर
193. राकेश कुमार गोस्वामी, श्री महोबा
194. राकेश धर त्रिपाठी, डा0 इलाहाबाद
195. राकेश बाबू, श्री फिरोजाबाद
196. राघव लखन पाल शर्मा, श्री सहारनपुर
197. राजकुमार रावत, श्री मथुरा
198. राजकुमार सिंह गौतम, डा0 गाजीपुर
199. राजदेव सिंह, श्री जौनपुर
200. राजाराम त्यागी, श्री रायबरेली
201. राजबली जैसल, श्री इलाहाबाद
202. राजीव कुमार सिंह, श्री बाराबंकी
203. राजेन्द्र कुमार, श्री मऊ
204. राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री प्रतापगढ़
205. राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
206. राजेन्द्र सिंह, डा0 आगरा
207. राजेन्द्र सिंह उर्फ पहलवान सिंह, श्री गोरखपुर
208. राजेश कुमार, श्री लखीमपुर खीरी
209. राजेश यादव, श्री शाहजहांपुर
210. राजेश्वरी, श्रीमती हरदोई
211. राधामोहन दास अग्रवाल, डा0 गोरखपुर
212. राधेलाल रावत, श्री उन्नाव
213. राधेश्याम गुप्ता, श्री फतेहपुर
214. राधेश्याम जायसवाल, डा0 सीतापुर
215. राम अचल राजभर, श्री अम्बेडकरनगर
216. राम कुमार तिवारी, पंडित ललितपुर
217. रामपाल राजवंशी, श्री सीतापुर
218. रामपाल वर्मा, श्री हरदोई
219. राम प्रकाश कुशवाहा, पी0एच0डी0, डा0 कानपुर नगर
220. राम प्रकाश यादव, श्री फिरोजाबाद
221. राम प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
222. राम प्रसाद जायसवाल, श्री देवरिया
223. राम बिशुन आजाद, श्री गोण्डा
224. रामवीर उपाध्याय, श्री हाथरस
225. राम शिरोमणि शुक्ल, श्री प्रतापगढ़
226. राम सागर अकेला, श्री श्रावस्ती
227. राम सिंह, डा0 अलीगढ़
228. रामसेवक, श्री सुल्तानपुर
229. राम सेवक सिंह पटेल, श्री बदायूं
230. राम स्वरूप सिंह, श्री कानपुर देहात
231. रामहेत भारती, श्री सीतापुर
232. रिजवान अहमद खां, श्री ज्योतिबाफूलेनगर
233. रियाज अहमद, श्री पीलीभीत
234. लक्ष्मी नारायण, श्री मथुरा
235. लखीराम नागर, श्री मेरठ
236. लल्लू सिंह, श्री फैजाबाद
237. लालजी यादव, श्री सिद्धार्थनगर
238. लालजी वर्मा, श्री अम्बेडकरनगर
239. वकार अहमद शाह, डा0 बहराइच

240. वाचस्पति, श्री — कौशाम्बी
241. वारिस अली, श्री — बहराइच
242. वासुदेव सिंह "बाबा", श्री — बुलन्दशहर
243. विजय कुमार, श्री — गाजीपुर
244. विजय कुमार उर्फ विजय यादव, श्री — मुरादाबाद
245. विजय पाल सिंह, श्री — बरेली
246. विद्या चौधरी, श्रीमती — आजमगढ़
247. विद्यासागर गुप्त, श्री — लखनऊ
248. विनोद कुमार, श्री — प्रतापगढ़
249. बिनोद चतुर्वेदी, श्री — जालौन
250. विनोद सिंह, श्री — सुल्तानपुर
251. विवेक कुमार सिंह, श्री — बांदा
252. विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री — बांदा
253. विशम्भर सिंह यादव, श्री — बांदा
254. विश्वनाथ, श्री — कुशीनगर
255. वीरेन्द्र कुमार, श्री — हरदोई
256. वीरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री — बुलन्दशहर
257. बृज सिंह उर्फ बृज कुंवरि, श्रीमती — गोण्डा
258. वेदराम भाटी, श्री — बुलन्दशहर
259. शम्भू चौधरी, श्री — कुशीनगर
260. शहजिल इस्लाम अंसारी, श्री — बरेली
261. शहनवाज, श्री — बिजनौर
262. शारदा प्रसाद, श्री — चन्दौली
263. शाहिद मंजूर, श्री — मेरठ
264. शिव गणेश "लोधी", श्री — रायबरेली
265. शिव प्रसाद यादव, श्री — इटावा
266. शिवबालक पासी, श्री — रायबरेली
267. शीशराम, श्री — बिजनौर
268. शेख नसीरुद्दीन सिद्दीकी, श्री — फिरोजाबाद
269. शेर बहादुर, श्री — अम्बेडकर नगर
270. श्याम किशोर शुक्ला, श्री — लखनऊ
271. श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्री — वाराणसी
272. श्याम नरायण यादव, श्री — आजमगढ़
273. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री — मथुरा
274. श्रीपति आजाद, श्री — महराजगंज
275. श्रीभगवान पाठक, श्री — बलिया
276. संजय कपूर, श्री — रामपुर
277. संजय कुमार त्रिपाठी, श्री — प्रतापगढ़
278. संजीव दरियाबादी "बन्टी", श्री — कानपुर नगर
279. संदीप अग्रवाल, श्री — मुरादाबाद
280. संध्या, कुमारी — मैनपुरी
281. सत्य नारायण जैसल, श्री — सोनभद्र
282. सत्यपाल सिंह, चौ0 — अलीगढ़
283. सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री — मेरठ
284. सत्यवीर सिंह गुर्जर, श्री — गौतमबुद्धनगर
285. सत्येन्द्र सोलंकी, चौ0 — बागपत
286. सनातन पाण्डेय, श्री — बलिया
287. सर्वेश कुमार सीपू, श्री — आजमगढ़
288. सिद्धार्थ शंकर, डा0 — लखनऊ
289. सिनोद कुमार शाक्य, श्री — बदायूँ
290. सिक्गतुल्लाह अंसारी, श्री — गाजीपुर
291. सी0 एम0 प्रसाद, श्री — सोनभद्र
292. सीमा द्विवेदी, श्रीमती — जौनपुर
293. सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री — फतेहपुर
294. सुखदेव राजभर, श्री — आजमगढ़
295. सुखलाल, श्री — पीलीभीत
296. सुधीर कुमार, श्री — उन्नाव
297. सुन्दर लाल लोधी, श्री — उन्नाव
298. सुभाष, श्री — बलिया
299. सुमन देवी कुशवाहा, श्रीमती — ललितपुर
300. सुभाष पाण्डेय, श्री — जौनपुर
301. सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री — आजमगढ़
302. सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री — वाराणसी

उत्तर प्रदेश विधान सभा

303.	सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर
304.	सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री	लखनऊ
305.	सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री	लखनऊ
306.	सुरेश तिवारी, श्री	देवरिया
307.	सुरेश्वर सिंह, श्री	बहराइच
308.	सुल्तान बेग, श्री	बरेली
309.	सुशील कुमार, श्री	चन्दौली
310.	सूरजपाल सिंह ठाकुर, श्री	आगरा
311.	सूरज सिंह शाक्य, श्री	एटा
312.	सूर्यभान, श्री	मिर्जापुर
313.	सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमती	गाजीपुर
314.	सोबरन सिंह, श्री	मैनपुरी
315.	स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री	कुशीनगर
316.	हरपाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
317.	हसरत उल्ला, श्री	एटा
318.	हुकुम सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
319.	होराम सिंह, श्री	गौतमबुद्धनगर

नोट :- लोक निर्माण, सिंचाई, आबकारी, आवास तथा गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी) एवं भूंतत्व एवं खनिकर्म, सहकारिता तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री बाबू सिंह कुशवाहा) भी सदन में उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रदेश में नक्सली गतिविधियों से सम्बन्धित नियम-311 की सूचना को सर्वप्रथम लिये जाने की मांग

डॉ0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, प्रदेश में नक्सली गतिविधियों के सम्बन्ध में नियम-311 पर हम लोगों ने एक नोटिस दी है, आपसे आग्रह है कि उसको पहले सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

चलिये ठीक है।

प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष-

नत्थी-'क' का प्रश्न सं0-1 डॉ0 अजय तोमर साहब।

(दो मंत्रियों के साथ खड़े होकर उत्तर देने पर)

श्री अम्बिका चौधरी-

वैसे तो उत्तर देने के लिये तैयार नहीं हैं और एक सवाल पर दो-दो लोग उत्तर देने के लिये तैयार हैं। इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है ?

श्री अध्यक्ष-

धीरे-धीरे प्रोग्रेस हो रहा है। माननीय मंत्री जी एक मिनट, विपक्ष के माननीय सदस्यगण, सत्तापक्ष के माननीय मंत्रीगण सब लोगों से अनुरोध है कि अनुपूरक में थोड़ा सा आप लोग मदद करें, ज्यादा भूमिकायें न हों और सीधे अनुपूरक करें ताकि ज्यादा से ज्यादा माननीय सदस्यों के प्रश्न आ जायें। हम केवल दो तीन प्रश्नों तक रह जा रहे हैं, इस पर आप लोग सहयोग करें।

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

बढ़ती बेरोजगारी के समाधान हेतु कार्य योजना

**1-डॉ0 अजय तोमर-

क्या सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बढ़ती हुई बेरोजगारी की समस्या के समाधान हेतु सरकार द्वारा कोई कार्य योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सेवायोजन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री भगवती प्रसाद सागर)-

जी हां।

सेवायोजन कार्यालयों द्वारा नियोजकों से प्राप्त रिक्तियों में बेरोजगारों के नाम का सम्प्रेषण कर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाते हैं।

समाज के निर्बल वर्ग के बेरोजगारों की रोजगारपरकता में वृद्धि करने के उद्देश्य से प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय के अधीन सेवायोजन प्रखण्ड के अन्तर्गत प्रदेश में 52 शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्र स्थापित हैं जहां आशुलिपि सचिवों पद्धति सामान्य गणित, सामान्य ज्ञान तथा कम्प्यूटर में प्रशिक्षण दिया जाता है।

इसके अतिरिक्त प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों द्वारा रोजगार मेले का आयोजन कर निजी नियोजकों को आमंत्रित कर बेरोजगारों का रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाते हैं।

प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय के अधीन स्थापित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा विभिन्न व्यवसायी में प्रशिक्षण देकर बेरोजगारों की रोजगारपरकता में वृद्धि की जाती है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा संचालित दक्षता/विकास पहल योजना के अन्तर्गत माड्यूल्स एम्पलाईबिल स्किल्स में प्रशिक्षण देने की योजना भी चल रही है। उक्त के अतिरिक्त सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा स्वतः रोजगार की अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं जिसका नोडल विभाग ग्राम विकास विभाग है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

डॉ0 अजय तोमर-

आज प्रदेश का युवा जिस तरह से बेरोजगार होता जा रहा है और युवा का बेरोजगार होना, अकेला उसे रोजगार देना ही नहीं है मान्यवर, उसके परिवार का लालन-पोषण करना ही नहीं है। मान्यवर, उस प्रदेश का जिसका युवा बेरोजगार हो रहा है, उसकी आर्थिक व्यवस्था, अर्थ-व्यवस्था की रीढ़ जिस प्रकार टूट रही है, ये बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा कारण है और माननीय मंत्री जी ने कुछ चीजें कहकर इस बेरोजगारी जैसे ज्वलन्त विषय पर जिस तरह से पहले सवालों का जवाब दिया जाता रहा, इसे भी उसी तरह घुमाने का काम किया है। इतने संवेदनशील विषय पर, ऐसा संवेदनहीन जवाब।

श्री अध्यक्ष-

चलिये, अनुपूरक करिये।

डॉ0 अजय तोमर-

मान्यवर, इसका अनुपूरक है, मैं जानना चाहता हूं कि वर्तमान में प्रदेश में सेवायोजन कार्यालयों में 2007-08 और 2009-10 में बेरोजगारों के अब तक कितने पंजीकरण किये गये हैं ? दूसरा माननीय मंत्री जी ने जवाब में कहा है कि हम रोजगार मेले लगाकर रोजगार देने का काम कर रहे हैं तो इस वर्ष कितने रोजगार मेले प्रदेश में लगाये गये हैं, उनमें कितने बेरोजगारों ने हिस्सा लिया है और उसमें कितने बेरोजगारों को रोजगार देने का काम सरकार द्वारा किया गया है ? तीसरा मान्यवर मैं अपने अनुपूरक एक ही बार में खत्म करूंगा।

श्री अध्यक्ष-

इतना लोड मत दीजिए।

डॉ0 अजय तोमर-

चलिये ठीक है, इन दो के बाद के अगला, पहले इन दो का बताइये।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, यह प्रश्न पूछा है इन्होंने कि वर्षवार फलां-फलां वर्षों में कितना पंजीकरण हुआ है ?

श्री भगवती प्रसाद सागर-

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं माननीय तोमर साहब के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि वर्ष 2006 में 31 लाख 28 हजार 433, 2007 में 33 लाख 47 हजार 145, 2008 में 31 लाख 88 हजार 648 और 2009 में 21 लाख 26 हजार 392 लोगों का, बेरोजगारों का पंजीकरण हमारे यहां कार्यालयों में किया गया है, यह सजीव पंजीकरण संख्या है। तोमर साहब ने दूसरा अनुपूरक प्रश्न किया है रोजगार मेले से सम्बन्धित वह मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि हमारे विभाग द्वारा बिना किसी शासकीय खर्च के अपने विभाग के प्रयास से जनवरी, 2010 तक 146 रोजगार मेलों का आयोजन किया गया है, जिसमें 196 निवेशकों ने भाग लिया, जिसके अन्तर्गत 6771 लोगों को सवेतन रोजगार मिला है।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि मुझे ऐसी जानकारी हुई है कि भविष्य में जो बेरोजगार नौजवान हैं, नवयुवक हैं वह जब सेवायोजन कार्यालय के माध्यम से अपना पंजीकरण कराना चाहेंगे तो उसके लिए उन्हें कुछ शुल्क देना पड़ेगा तो क्या ऐसी कोई योजना सरकार बना रही है कि उनसे पंजीकरण शुल्क लिया जायेगा और क्या यह उचित है और अगर ऐसा है तो क्या बेकार, बेरोजगार लोगों को जो रोजगार विहीन है उनके पास आर्थिक रूप से वह संसाधन नहीं है उनके ऊपर जो लगाये जाने वाला शुल्क है उसको वापस लेने पर विचार करेगी या ऐसी योजना को क्रियान्वित करने से स्थगित करने पर विचार करेगी, सरकार ?

श्री भगवती प्रसाद सागर-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सम्मानित विधायक जी को अवगत करवाना चाहता हूं कि यह गरीबों की हितैषी बहुजन समाज पार्टी की सरकार है, बहन मायावती जी के नेतृत्व में चल रही है और इसमें अनेक गरीब लोगों को रोजगार के लिए तमाम योजनाएं चलाई जा रही है। हम लोग कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो बेरोजगारों के ऊपर कोई बोझ पड़े। हम लोग ज्यादा से ज्यादा रोजगार दिलाने का प्रयास करेंगे, बिना पैसे के।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से सीधा सा सवाल पूछ रहा हूं, बहुत छोटा सा सवाल है कि बेरोजगारों की संख्या करोड़ों के ऊपर पहुंच गई है, जब तक आप उन्हें रोजगार नहीं दे सकते हैं, तब तक क्या उन्हें बेरोजगारी भत्ता देने का कोई प्रस्ताव है, बेरोजगारी भत्ता देंगे ?

श्री भगवती प्रसाद सागर-

मान्यवर, आप इस सदन के बहुत ही सम्मानित बहुत ही प्रभावशाली सदस्य हैं हमारे बड़े भाई है। आदरणीय तिवारी जी ने अभी बेरोजगारों के लिए चिन्ता जताई कि बेरोजगारों को क्या बेरोजगारी भत्ता दे कर के उनको अपंग बनाने का प्रयास करने के लिए अभी जो हमारे साथी ने प्रश्न उठाया है, मैं बताना चाहता हूं कि पिछली सरकार ने पिछले शासन में सर्व विदित है कि सिर्फ स्नातक लोगों को और स्नातकोत्तर लोगों को ही बेरोजगारी भत्ता देकर के उनको आश्रित

बनाने का काम किया गया था और उसमें सिर्फ पांच लाख लोगों को ही उसका लाभ देने का काम किया गया था जिसमें 25 करोड़ रुपये का दुरुपयोग हुआ था। मान्यवर, मैं आपको बताना चाहता हूं।

श्री प्रमोद तिवारी-

आप सीधे-सीधे यह बतायें कि बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा या नहीं मिलेगा ?

श्री भगवती प्रसाद सागर-

मैं उसी पर आ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी यह कहना चाहते हैं कि बेरोजगारी भत्ता में सीमित न करें, उनके लिए और हमारी अच्छी योजनाएं हैं।

श्री भगवती प्रसाद सागर-

मा0 तिवारी जी, हम उसी पर आ रहे हैं। हमारी लोकप्रिय सरकार और लोकप्रिय मुख्य मंत्री जी ने जो ग़रीब, निरीह जिनकी कोई आवाज नहीं थी,

श्री प्रमोद तिवारी-

उन सबको मंत्री बना दिया।

श्री भगवती प्रसाद सागर-

उनको उत्तर प्रदेश महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना के अन्तर्गत 30 लाख लोगों को 300 रुपये प्रति महीने उनको अनुदान दे करके अपने पैरों पर खड़े करने का प्रयास चल रहा है। जिसको आगे बढ़ा करके एक करोड़ लोगों को यह अवसर उपलब्ध कराने का मा0 मुख्य मंत्री जी का विचार है और हम लोगों का 30 लाख लोगों को आर्थिक मदद देने का प्रयास है और सरकारी नौकरियों में भी हमारी सरकार द्वारा अनेक लोगों को नौकरियां दी गई हैं।

चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

माननीय अध्यक्ष जी, आपके आदेश का पालन करते हुये कोई भूमिका न बनाते हुए मेरे दो अनुपूरक हैं। पहला तो बेरोजगारी से सम्बन्धित है। इस समय प्राथमिक विद्यालयों में टीचर्स की बहुत कमी है और आज की तारीख में सरकारी आंकड़े के अनुसार 4 लाख से ऊपर रिक्तियां हैं। माननीया मुख्य मंत्री जी ने भी सदन में घोषणा की थी कि 88 हजार प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्तियां की जायेंगी। जिनमें से कुछ नियुक्तियां हो भी गयी हैं। इस समय करीब 66 हजार बाकी है तो जो नियुक्तियां बाकी हैं, उनको विशिष्ट बी0टी0सी0 के तहत सरकार पूरा करने का काम करेगी ?

श्री अध्यक्ष-

यह सेवायोजन मंत्री जी हैं, यह बेसिक शिक्षा विभाग या शिक्षा विभाग के मंत्री नहीं हैं। प्रश्न आपका विषय से हटकर है। यह ये बता सकते हैं कि बेरोजगारों के लिये क्या योजना बना रहे हैं। विशिष्ट बी0टी0सी0 के सम्बन्ध में इनको जानकारी कहां होगी ? शिक्षा विभाग के बारे में इनको क्या मालूम है ? आप जो जानना चाहते हैं उसके लिये अलग से प्रश्न पूछ लें।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रश्न पूछने से पहले एक अनुरोध कर लूं। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। आपने कहा कि सीधे अनुपूरक प्रश्न पूछे जायें। माननीय मंत्री जी ने अभी इससे पहले प्रश्न के जवाब में बताया कि प्रदेश की मुख्य मंत्री माननीया मायावती जी हैं यह तो पूरा प्रदेश जानता है, इसको बताने की क्या आवश्यकता है ? इसलिये मेरा अनुरोध है कि माननीया मंत्री गण भी कृपया इस बात का ध्यान रखें तो बड़ी कृपा होगी और समय बचेगा। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न यह है कि माननीय मंत्री जी ने इससे पूर्व प्रश्न के अनुपूरक के उत्तर में वर्ष 2006, 2007, 2008 और 2009 के आंकड़े दिये और यह बताया कि 2006, 2007 और 2008 में 30 लाख से ज्यादा पंजीकरण हुये। किसी वर्ष 33 लाख, किसी वर्ष 31 लाख और किसी वर्ष 32 लाख पंजीकरण हुये। लेकिन 2009 का आंकड़ा 21 लाख दिया जबकि पूरे देश में और प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ी है। जबकि आंकड़े के हिसाब से 10 लाख की कमी आई है। तो मेरा सीधा सा प्रश्न यही है कि इस कमी के पीछे कारण क्या है, सबसे पहले तो वह कारण स्पष्ट होना चाहिये। एक नई बात उन्होंने और बता दी कि महामाया योजना के अन्तर्गत 300 रुपया प्रतिमाह लोगों को मिलेगा। इसमें बेरोजगार होने की गारण्टी नहीं होगी। यह योजना बेरोजगारों की मदद के लिये है, यह बात माननीया मुख्य मंत्री जी ने भी नहीं बताई और न ही वित्त मंत्री जी ने बताई। मैं जानना चाहता हूं कि देहात में रहने वाले जो गरीब लोग हैं, जिनके पास गरीबी रेखा के नीचे का सर्टीफिकेट नहीं है क्या उनके लिये यह योजना है या बेरोजगारों के लिये यह योजना है, जो भी हो उसको आप स्पष्ट कर दें ?

श्री भगवती प्रसाद सागर-

मान्यवर, मैं इस सम्मानित सदन को बताना चाहता हूं। अभी चौधरी साहब ने अनुपूरक प्रश्न किया वह इस मूल प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

श्री अम्बिका चौधरी-

यदि यह प्रश्न सम्बन्धित नहीं है तो माननीय अध्यक्ष जी, इस प्रश्नकाल का कोई औचित्य नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी, चौधरी साहब यह कह रहे हैं कि जो पंजीकरण हुये हैं, उसमें इस वर्ष 10 लाख की कमी आई है तो इस कमी का आप कारण बता दें।

श्री भगवती प्रसाद सागर-

मान्यवर, लगभग 10 लाख लोगों का आंकड़ा घटा है। हमारा रोजगार छतरी योजना के तहत उत्तर प्रदेश में जो 28 लाख का लक्ष्य निर्धारित था उसमें से 21 लाख हमें प्राप्त हो चुका है तो 10 लाख से ज्यादा उसी में रोजगार के अवसर उपलब्ध हो चुके हैं।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मैं अपना प्रश्न स्पष्ट कर दूं। मान्यवर, प्रश्न यह है कि प्रतिवर्ष जो नये लोगों का रजिस्ट्रेशन होता है वह संख्या है पंजीकरण की। यह रजिस्ट्रेशन की संख्या क्यों घट गयी यह

मैंने पूछा है पिछले साल कितनों को रोजगार दिया यह मैंने नहीं पूछा है। मैंने यह पूछा है कि जब बेरोजगारी बढ़ी है और उसमें पंजीकरण घट गया तो क्या सेवायोजन कार्यालय की या सरकार की नीतियों के खिलाफ ऐसा हो गया ?

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी ने बताया है कि लोगों को रोजगार मिला है इसलिए संख्या कुछ घट गयी है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, पंजीकरण तो बढ़ेगा, जब बेरोजगारों को नौकरी मिलेगी तो पंजीकरण बढ़ेगा।

श्री अध्यक्ष-

जब रोजगार मिल जायेगा तो फिर क्यों वह रजिस्ट्रेशन कराने जायेगा।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, आप जैसा भी कहेंगे उसे हम लोग मानेंगे, आप कहेंगे तो हम बैठ जायेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, आप कृपया संरक्षण दें अगर इस प्रकार से प्रश्नों के उत्तर आयेंगे तो हम लोग कहां जायेंगे ? मान्यवर, सीधे प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से आ रहा है, मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर मा0 मंत्री जी तैयार नहीं हैं तो इस प्रश्न को प्रश्न एवं संदर्भ समिति को भेज दें। मेरा दूसरा प्रश्न था उसका उत्तर दिलवा दीजिए कि महामाया योजना बेरोजगारों के लिए है या नहीं ?

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, महामाया योजना जो है वह प्रदेश के गरीब लोगों के लिए है, जो निराश्रित हों, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करते हैं और किसी अन्य योजना का लाभ नहीं पा रहे हैं, उनके लिए यह महामाया योजना है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, गलत उत्तर देने के लिए क्या मा0 मंत्री जी खेद प्रकट करेंगे ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मा0 मंत्री जी ने कोई गलत उत्तर नहीं दिया है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मर्यादा तो अपने से ही रखी जाती है।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

गिरते हुए जल स्तर के निराकरण हेतु कार्य योजना

*1-डॉ0 अजय तोमर-

क्या लघु सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गिरते जल स्तर की समस्या के निराकरण हेतु क्या सरकार द्वारा कोई ठोस कार्य योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लघु सिंचाई राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री लखीराम नागर)-

जी हां, प्रदेश में गिरते हुये भूजल स्तर की रोकथाम के उद्देश्य से सरकार द्वारा बहुआयामी रणनीति अपनायी जा रही है। इसके अन्तर्गत विभिन्न विभागों द्वारा अपनी-अपनी योजनाओं के अधीन भूजल संवर्धन हेतु विभिन्न कार्य कराये जाते हैं।

(अ) प्रदेश के 40 जनपदों के 37 अतिदोहित, 13 क्रिटिकल एवं 88 सेमी क्रिटिकल श्रेणी के विकास खण्डों में वर्षा जल संचयन का उपयोग करते हुये उन्हें सुरक्षित श्रेणी में लाये जाने के उद्देश्य से परियोजना तैयार कर सम्बन्धित जिलाधिकारियों को उपलब्ध करा दी गयी है, जिन्हें जनपद स्तरीय तकनीकी समन्वय समिति से अनुमोदनोपरान्त नरेगा के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि से क्रियान्वित किया जाना प्रस्तावित है।

(ब) सरकार द्वारा विभिन्न रिचार्ज पद्धतियों के माध्यम से अधिक से अधिक वर्षा जल संचयन किये जाने हेतु निम्न व्यवस्थायें की गयी हैं :-

(1) नगरीय क्षेत्रों की महायोजना/जोनल प्लान में प्राकृतिक जलाशयों/तालाबों का संरक्षण अनिवार्य कर दिया गया है।

(2) नगरीय क्षेत्रों में 20 एकड़ अथवा अधिक क्षेत्रफल की आवासीय योजनाओं के लेआउट प्लान्स में 5 प्रतिशत भूमि पर भूजल की रिचार्जिंग हेतु तालाब/जलाशय निर्मित किये जाने की व्यवस्था की गयी है।

(3) पार्कों में पक्का निर्माण 5 प्रतिशत तक ही सीमित रखने का अनिवार्य कर दिया गया है।

(4) 300 वर्ग मी0 अथवा अधिक क्षेत्रफल में निर्मित होने वाले समस्त प्रकृति के भवनों में रूफ टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग पद्धति की स्थापना को अनिवार्य कर दिया गया है।

(5) पूर्व में निर्मित शासकीय/अर्द्धशासकीय भवनों तथा भविष्य में निर्मित होने वाले शासकीय/अर्द्धशासकीय भवनों में रूफ टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग पद्धति स्थापित किये जाने को अनिवार्य कर दिया गया है।

(6) आवास एवं शहरी नियोजन विभाग एवं उ0 प्र0 जल निगम द्वारा शासकीय/अर्द्धशासकीय भवनों पर रूफ टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग पद्धति की स्थापना की जा रही है। भू-गर्भ जल विभाग द्वारा उक्त पद्धति की स्थापना माडल के रूप में की जा रही है।

(7) यह भी निर्देश दिये गये हैं कि प्रत्येक जनपद में ऐसे तालाब/जल स्रोत जिन पर अवैध कब्जा/अतिक्रमण हुआ है, उनसे अतिक्रमण हटाया जाय। साथ ही प्रत्येक जनपद में अवस्थित तालाबों/पोखरों एवं अन्य परम्परागत जल स्रोतों की सफाई करने के निर्देश दिये गये हैं।

(8) ग्राम्य विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत तालाबों का जीर्णोद्धार/निर्माण बंधी एवं चेकडैम निर्माण का कार्य किया जा रहा है।

(9) ग्राम्य विकास विभाग द्वारा ग्रामीण पेयजल योजना के अन्तर्गत वाटर रिचार्जिंग कार्यों के अन्तर्गत प्रत्येक जनपद में ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी भवनों पर रूफ टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग पद्धति की स्थापना की जा रही है।

(10) कृषि विभाग द्वारा अपनी विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत बन्धी इनसीटू (आन फार्म) रेन वाटर हार्वेस्टिंग, पर कोलेशन वेल, तालाब एवं रिचार्ज पिट का कार्य किया जा रहा है।

(11) लघु सिंचाई विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत तालाबों का जीर्णोद्धार/निर्माण तथा चेकडैम के निर्माण का कार्य किया जा रहा है।

(12) उ0 प्र0 जल निगम द्वारा ग्रामीण पेयजल योजना के अन्तर्गत चेकडैम का निर्माण किया जा रहा है।

(13) भू-गर्भ जल के प्रबन्धन, संतुलित उपयोग तथा संरक्षण के प्रति जनमानस में जागरूकता लाने हेतु प्रत्येक वर्ष 10 जून को सम्पूर्ण प्रदेश में 'भू-गर्भ जल दिवस' शासकीय दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

डॉ0 अजय तोमर-

मान्यवर, आज प्रदेश में गिरता जल स्तर गम्भीर चिन्ता का विषय है। मैं लम्बा न करते हुए आपके आदेश का पालन करते हुए सीधे प्रश्न पर जाना चाहूंगा। मान्यवर, क्या गिरते हुए जल स्तर को दृष्टिगत रखते हुए सरकार नहरों की टेल तक लाइनिंग करने का काम करेगी जिससे पानी नहरों से टेल तक जाये और वाटर लेविल ठीक हो और रिचार्ज होने का काम हो जिससे वाटर लेविल गिरने का काम रुक सके ? मेरा दूसरा प्रश्न है कि सूबे में ट्रिप इरीगेशन और स्प्रिंकलर इरीगेशन को क्या अनुदानित कर फ्री दिलाने की व्यवस्था गिरते जल स्तर से निजात दिलाने के लिए की जायेगी ? ताप और अतिदोहित में जो जल स्तर गिर रहा है इनके संचय के लिए मा0 मंत्री जी ने कहा है कि हम प्रदेश में जो 300 वर्गमीटर से ऊपर के मकान है उनमें ओवर हेड टैंक वगैरह बनाकर, बरसात के पानी को रिजर्व करके उसे भू-जल तक पहुंचाने का काम करेंगे ? यह योजना कहां-कहां है, क्या किसी विकास प्राधिकरण में इसका कोई उदाहरण मा0 मंत्री जी देने का काम करेंगे कि इस तरह की योजना वहां क्रियान्वित हो चुकी है ?

श्री लखीराम नागर-

यह हर जगह हो रही है। हमारे जो शहरी विकास है उनमें हर जगह 300 मीटर के जहां भी हैं।

डॉ0 अजय तोमर-

मान्यवर, गंगा नगर, मेरठ में आपका मकान है, आप वहां रहते हैं आप वहां का बता दें। क्या वहां पर किसी आपके अड़ोस-पड़ोस में हो किसी एक मकान का नाम बता दें। आपकी योजना आफिसों में तो है लेकिन वह ....

श्री अध्यक्ष-

आप जल स्तर का तो पूछ रहे हैं, आप अनुपूरक का स्तर भी अच्छा बनाइये ताकि मा0 मंत्री भी समझ लें और सही ढंग से उत्तर दें तो आप थोड़ा अनुपूरक स्तर अच्छा बनाइये, जल स्तर पर ही मत जाइये।

डॉ0 अजय तोमर-

माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर के बिन्दु-4 पर कहा है कि '300 वर्ग मीटर अथवा अधिक क्षेत्रफल में निर्मित होने वाले समस्त प्रकृति के भवनों में रूफ टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग पद्धति की स्थापना को अनिवार्य कर दिया गया है।' मैं यह जानना चाहता हूं कि इस तरह के प्रदेश में कहीं 10-5 उदाहरण हों, वह देने का काम कर दें ? यह केवल कागजों में है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी आपने प्रश्न के उत्तर भाग-4 में दिया है कि इस तरह की हार्वेस्टिंग पद्धति की स्थापना अनिवार्य कर दिया गया है। वह यह पूछ रहे हैं कि इस तरह का कहीं स्थापित किया गया हो तो मा0 सदस्य को आप बता दें।

आबकारी, लोक निर्माण, सिंचाई, आवास एवं शहरी नियोजन तथा गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी)-

मान्यवर, अब जो भी नये मकान बन रहे हैं उन सभी के लिए यह व्यवस्था लागू कर दी गयी है। 200 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर यह अलग-अलग हैं अगर मा0 सदस्य चाहते हैं तो जो सूचना मेरे पास है, मैं बता दूं।

डॉ0 अजय तोमर-

मान्यवर, मा0 सिंचाई मंत्री जी बीच में है, मेरे सामने हैं।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मैं सिंचाई मंत्री नहीं, सिंचाई भी हूं, आवास भी हूं और जो भी नक्शा पास होते हैं। फिर आप कहेंगे कि नक्शेबाजी की बात कर रहे हैं तो मैं नक्शे की बात कर रहा हूं, नक्शेबाजी की बात नहीं कर रहा हूं। यह आपके पड़ोस का मामला है इसलिए मैं बीच में आ गया। मेरठ में मैं भी पढ़ा लिखा हूं। माननीय सदस्य जी, वह मेरे बड़े भाई, आप मेरे बड़े भाई इसलिए मैं बीच में आ गया।

डॉ0 अजय तोमर-

मान्यवर, मैंने निवेदन किया है ...

श्री अध्यक्ष-

तोमर साहब मैंने डॉ0 अग्रवाल को बुला लिया है।

डॉ0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या भारत सरकार ने भू-गर्भ के विनियमन और नियंत्रण के लिए कोई माडल बिल बना करके उत्तर प्रदेश सरकार को दिया था ? हम लोगों की जानकारी में है कि दिया है। 8-10 प्रान्तों में इसके आधार पर प्रादेशिक भू-जल विनियमन और कंट्रोल अधिनियम बना दिये गये। क्या सरकार उत्तर प्रदेश में भी भू-जल के गिरते हुए स्तर को देखते हुए क्रिटिकली एण्ड ओवर एक्सप्लायटेड ब्लाक्स की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए उत्तर प्रदेश में जो माडल बिल केन्द्र सरकार द्वारा भेजा गया है उसके आधार पर भू-जल कण्ट्रोल और विनियम अधिनियम बनाने पर सरकार विचार करेगी ?

दूसरे, सेण्ट्रल ग्राउण्ड वाटर अथारिटी ने उत्तर प्रदेश सरकार को पत्र लिखकर के ओवर एक्सप्लायटेड एण्ड क्रिटिकल ब्लाक्स में औद्योगिक जल संचय रोकने का आदेश 45 ऐसे ब्लाक्स जहां क्रिटिकली हो चुके हैं, वहां कण्ट्रोल और रेगुलेशन का आदेश और 65 ऐसे एरिया जहां होने की संभावना है वहां त्वरित एक्शन का आदेश, यह सेण्ट्रल ग्राउण्ड वाटर अथॉरिटी ने दिया था। मा0 मंत्री जी से इन दोनों प्रश्नों के बारे में जानना चाहूंगा कि क्या वह ऐसा माडल बिल बनायेंगे और जो सेण्ट्रल वाटर अथॉरिटी का पत्र आया था उसके आधार पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है ?

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी माननीय सदस्य ने दो प्रश्न पूछे हैं एक विनियमन के बारे में दूसरा कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार ने कोई निर्देश दिये हैं।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

सदस्य को मैं बताना चाहूंगा कि प्रदेश के समस्याग्रस्त 40 जनपदों के 138 विकास खण्डों में वर्षा जल संचय एवं संवर्धन परियोजना जनपद स्तर पर तैयार कर ली गई है और उनमें से 106 ब्लाकों में जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में तकनीकी समन्वय समिति की बैठक हो चुकी है। बैठक के उपरान्त रुपये 1725 करोड़ की परियोजनाएं तैयार की गई है जिसका व्यय भार नरेगा से वहन किया जायेगा।

डॉ0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, मेरा प्रश्न दूसरा है आप जनपदों की बात कर रहे हैं। मेरा प्रश्न है कि क्या भारत सरकार ने माडल बिल बनाकर उत्तर प्रदेश सरकार को भेजा है क्या यह बिल उत्तर प्रदेश सरकार को मिला है ? जिसे 8 प्रान्तों में लागू किया गया है। क्या सरकार उसको संज्ञान में रखते हुए ऐसा कोई विधेयक लायेगी क्या सेन्ट्रल ग्राउन्ड वाटर अथॉरिटी द्वारा उत्तर प्रदेश के 45 ऐसे ब्लाक्स जो क्रिटिकल हो चुके हैं वहां के लिए कण्ट्रोल और रेगुलेशन का आदेश दिया गया है ?

श्री अध्यक्ष-

क्या सेन्ट्रल वाटर अथॉरिटी के द्वारा इस तरह का कोई पत्र आया है जो क्रिटिकल ब्लाक चिन्हित किये गये हैं उनमें जल स्तर को रोकने के लिए कार्रवाई करने की बात है। क्या इस तरह का पत्र आया है और सरकार को मिला है ? दूसरा उन्होंने प्रश्न किया है कि भारत सरकार द्वारा माडल बिल बनाने के लिए निर्देश दिया गया इस तरह का माडल बिल आप भी बनायेंगे जल स्तर को रोकने के लिए ?

श्री लखीराम नागर-

इस तरह का पत्र नहीं मिला है।

श्री अध्यक्ष-

कोई पत्र नहीं मिला तो क्या किया जाये ?

श्री मदन चौहान-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि भूगर्भ जल स्तर प्रदेश में कितने से0मी0 प्रतिवर्ष गिर रहा है ?

डॉ0 राधामोहन दास अग्रवाल-

भारत सरकार कहती है कि हमने भेजा है।

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी ने कह दिया है कि इस तरह का पत्र नहीं मिला है।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, सदस्य ने अपनी सुनिश्चित जानकारी के आधार पर यह कहा है कि हमें यह सुनिश्चित जानकारी है कि माडल बिल मिला हुआ है और सत्तापक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि नहीं मिला है।

श्री अध्यक्ष-

पत्र के बारे में बता रहे हैं कि नहीं मिला दूसरा अनुपूरक हमने स्पेसीफाई किया था कि सेन्ट्रल ग्राउन्ड अथॉरिटी के द्वारा कोई पत्र आया है कि इन ब्लाकों को चिन्हित किया गया है उसके आधार पर नियंत्रित करने की बात है मंत्री जी विधेयक के बारे में बता दें। माडल बिल बनाना है इस तरह का कोई निर्देश भारत सरकार का है ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

माननीय अग्रवाल जी विद्वान हैं और अपनी विद्वता का इस्तेमाल कई जगह कर लेते हैं। मान्यवर, सवाल का जवाब सूचनाओं के आधार पर दिया जाता है और सूचनाएं प्राप्त करने के लिये प्रश्न किया जाता है। जो सूचना माननीय मंत्री जी के पास है उसके आधार पर उन्होंने जवाब दे दिया है। अब जवाब इनके आधार पर दिया जाय, आप जो चाह रहे हैं वह किया जाय तो यह तो संभव नहीं है। जहां तक पत्र का सवाल है माननीय मंत्री जी ने उत्तर दे दिया। मैंने माननीय ओम प्रकाश जी की बात आपकी बात और अन्य सदस्यों की बात सुनी है, विधेयक के बारे में इस समय हमारे पास कोई सूचना नहीं है। सूचना प्राप्त करके माननीय सदस्य को अवगत करा दिया जायेगा।

श्री मदन चौहान-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि भू-जल स्तर बराबर गिरता जा रहा है और उसके लिये बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, अतः इसके बाद प्रतिवर्ष कितना जल स्तर गिर रहा है या उसमें कमी आई है यह बताने का कष्ट करें। मैं बहुत ही सरल सवाल के माध्यम से जानकारी करना चाहता हूं ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, मदन चौहान जी से यह जानना चाहता हूं कि आपके इन प्रयासों के आधार पर जल स्तर कितना गिरा है या कम हुआ है, यह सूचना बता दें।

श्री लखीराम नागर-

मान्यवर, जल स्तर 1 से 10 सेमी0 गिरा है।

(श्री विशम्भर प्रसाद निषाद का नाम पुकारे जाने व अन्य सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोर)

श्री अध्यक्ष-

चलिये, उत्तर आ गया है। अब नत्थी ग का तारांकित प्रश्न संख्या-1 लेते हैं।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

मान्यवर, आपने हमको बुला लिया था।

श्री अध्यक्ष-

नहीं, अब नहीं, प्रश्न का उत्तर आ गया है। अब मैंने दूसरा प्रश्न पुकार लिया है। आप चाहें तो इसमें अनुपूरक कर लीजियेगा।

तारांकित प्रश्न

सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों के तदर्थ शिक्षकों को विनिमित करने की मांग

*1-श्री श्याम देव राय चौधरी (दादा)-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत तदर्थ शिक्षकों व प्रधानाचार्यों को विनियमित करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

माध्यमिक शिक्षा मंत्री (श्री रंगनाथ मिश्र)-

प्रधानाचार्यों के विनियमितीकरण के सम्बन्ध में मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित एस0एल0पी0 संख्या-19335-19336/2003 में दिनांक 16-5-2008 को पारित मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश में विनियमितीकरण किये जाने का विधिक औचित्य नहीं पाया गया है।

उपरोक्तानुसार।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा जो प्रश्न है उसके दो पार्ट हैं एक है कार्यरत तदर्थ शिक्षकों एवं प्रधानाचार्यों को विनियमित करने के सम्बन्ध में है और माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि प्रधानाचार्यों को विनियमितीकरण के सम्बन्ध में एस0एल0पी0 माननीय उच्चतम न्यायालय में योजित है और उसमें औचित्य नहीं पाया गया, ऐसा कोर्ट का निर्देश होगा। प्रश्न का जो दूसरा पार्ट है उसका उत्तर नहीं आया है। मैंने कार्यरत तदर्थ शिक्षकों के सम्बन्ध में भी किया था। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि अशासकीय विद्यालयों में जो सहायता प्राप्त हैं, उनमें तदर्थ शिक्षकों की संख्या क्या है और उसके सम्बन्ध में शासन की नीति क्या है और क्या उनको विनियमित करने पर कोई अदालती प्रतिबंध नहीं है आपके उत्तरानुसार तो उस पर विचार करेंगे ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

मान्यवर, तदर्थ शिक्षकों की संख्या तीन प्रकार की है। टोटल मिलाकर लगभग 3800 टीचर हैं जो तदर्थ शिक्षक हैं और इसके सम्बन्ध में परीक्षण चल रहा है अभी निर्णय नहीं हो सका है कि इनको हम नियमित करेंगे या नहीं करेंगे, अभी परीक्षण चल रहा है। जहां तक सवाल है, चौधरी साहब ने कहा है कि इसमें उत्तर सिर्फ प्रधानाचार्यों के मामले में आया है क्योंकि मान्यवर,

एक एस0एल0पी0 इस प्रकार की थी कि जो शिक्षकों और प्रधानाचार्यों दोनों से सम्बन्धित है, प्रकरण एक जैसा है इसलिए बात रखी गई। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रधानाचार्यों के बारे में कहा, विधिक रूप से आपकी नियुक्ति नहीं हुई है और बहुत दिनों से आप कार्यरत हैं इस आधार पर आपको रेगुलर किया जाए यह कोई जरूरी नहीं है इसलिए उनकी एस0एल0पी0 खारिज कर दी गई। इसलिए यह उत्तर दे दिया गया था।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा, यह जो उत्तर उन्होंने लिखित में दिया है उसको जस्टीफाइड करने के लिए उन्होंने कहा कि यह दोनों एक ही प्रकार के हैं जो तदर्थ शिक्षक हैं और जो तदर्थ प्रधानाचार्य हैं तो एस0एल0पी0 जो दायर हुई मान्यवर, वह उत्तर से स्पष्ट है कि प्रधानाचार्यों के विनियमितीकरण के अगेंस्ट में एस0एल0पी0 दायर हुई और जो प्रधानाचार्य हैं उनको विनियमित करने का औचित्य माननीय उच्चतम न्यायालय ने नहीं पाया। उसमें यह कहां से आ गया, यह मेरी समझ से बाहर है, आप कृपया इसको स्पष्ट करने की कृपा करें कि एस0एल0पी0 का जो विषय है वह प्रधानाचार्यों को जो तदर्थ है उनको विनियमित करने के सम्बन्ध में है, लेकिन उसका जो दूसरा पार्ट है जो कार्यरत तदर्थ शिक्षकों से सम्बन्धित है, शिक्षक और प्रधानाचार्य दोनों अलग हैं विषय अलग-अलग है तो एक के विषय में तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने आदेश दे दिया कि इसमें औचित्य नहीं पाया गया। दूसरे जो तदर्थ शिक्षक हैं आपने कहा कि 3800 के करीब हैं इसमें मैं बताना चाहता हूं।

श्री रंगनाथ मिश्र-

उसमें मैं बताना चाहता हूं छूट गया था लगभग 6,800 है।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

तो एक कैटेगिरी में आपने 6800 बताया।

श्री रंगनाथ मिश्र-

तीनों मिलाकर।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

कुल जो तदर्थ शिक्षक हैं जो तदर्थ रूप में कार्य कर रहे हैं अशासकीय महाविद्यालयों में, उनकी कुल संख्या-6800 है। उनके सम्बन्ध में आपने बताया कि परीक्षण चल रहा है विनियमित करने के सम्बन्ध में, तो क्या आप यह बताने की कृपा करेंगे कि यह परीक्षण का कार्य कब तक पूरा हो जाएगा ? कब तक आप निर्णय ले लेंगे कि उनको विनियमित किया जाएगा या नहीं किया जाएगा।

श्री रंगनाथ मिश्र-

यह 6,800 शिक्षकों से सम्बन्धित मामला है और इसमें परीक्षण करने के सम्बन्ध में समय लगेगा इसलिए इसकी कोई समय सीमा हम नहीं बता सकते हैं ऐसा नहीं है कि हम कह दें कि फलां तारीख तक कर दिया जाएगा।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

अगर परीक्षण हो रहा है तो आप यह कहिए कि यह अभी शुरू किया है इसमें समय बताना मुश्किल है लेकिन अगर यह प्रगति पर है तो आप एक निश्चित समय बता सकते हैं कि इतना कार्य प्रगति है और बाकी जो शेष है उसमें इतना समय लगने की संभावना है।

श्री रंगनाथ मिश्र-

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने पहले ही बताया कि इसमें तीन प्रकार के तदर्थ शिक्षक हैं जिसमें एक तो वह शिक्षक हैं जो 1993 से 2000 के बीच में डी0आई0ओ0एस0 और बाद में जे0डी0 की अध्यक्षता में कमेटी बनी और 30 दिसम्बर, 2000 तक 1800 टीचर रखे गये। दूसरा मान्यवर, कठिनाई निवारण अधिनियम अध्यादेश 1981 से 25 जनवरी, 1999 तक, इसके तहत 2000 शिक्षक रखे गये थे। तीसरी कैटेगरी टीचर की वह है जिनको प्रबन्ध तंत्र ने अनियमित रूप से नियुक्त किया और माननीय उच्च न्यायालय ने इनके वेतन देने के आदेश दे दिये, वेतन दिया जा रहा है और उनके खिलाफ विभाग ने अपील नहीं की। तीन प्रकार की अलग-अलग समस्याओं से ग्रसित यह मामला है इसलिए मान्यवर, इसमें देर होना स्वाभाविक है, इसलिए मैं कोई सीमा नहीं बता सकता कि कब तक इस बारे में निर्णय हो जायेगा लेकिन यह परीक्षणाधीन है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, एक बात तो स्पष्ट है कि सभी अध्यापक कार्यरत है, अपना काम कर रहे हैं और काम करते-करते 2 साल, 4 साल, 6 साल नहीं हुए, किसी को 15 साल हो गये, किसी को 12 साल हो गये, किसी को 10 साल हो गये। मान्यवर, मानवीय आधार पर ही दे दें, जब हम उनसे पूरा काम ले रहे हैं और उच्च न्यायालय के आदेशानुसार उन्हें वेतन भी दे रहे हैं तो सरकार को मानवीय आधार पर उनके विनियमितीकरण की बात करनी चाहिए। आपने कहा कि परीक्षण हो रहा है, लेकिन आपने उसको थोड़ा सा घुमाने की कोशिश की, बजाय घुमाने के आप कहें कि परीक्षण हो रहा है, मानवीय आधार पर आप उनका विनियमितीकरण करेंगे। मानवीय आधार पर तो कुछ होगा ? उनके भी बाल-बच्चे होंगे, उनके भी परिवार होंगे। 10 साल, 15 साल से वह सेवा कर रहे हैं, पढ़ाई का काम कर रहे हैं। अनुशासनहीनता कर रहे होते तो दूसरी बात है, जब हर मानक पर वह लोग खरे उतर रहे हैं, उसके बावजूद सरकार उनका विनियमितीकरण न करें तो यह ज्यादती की बात है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि मंत्री जी स्पष्ट रूप से बताने की कृपा करें कि कब तक इनके विनियमितीकरण का मामला निस्तारित कर दिया जायेगा ?

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी ने कहा है कि कोई निश्चित समय तो नहीं है।

श्री रंगनाथ मिश्र-

मा0 अध्यक्ष जी, मैंने पहले ही बताया, मा0 हुकुम सिंह जी ने कोई नई बात नहीं पूछी है, मैंने इनके प्रश्न का जवाब पहले ही दे दिया है लेकिन मानवीय आधार की बात कही है, इसमें

दो राय नहीं कि हमारी सरकार ने इस बात को बिल्कुल नकारा नहीं है, इसका परीक्षण हो रहा है। मान्यवर, जहां तीन प्रकार की अलग-अलग कठिनाइयां हैं, वहीं एक कठिनाई और विभाग के सामने हैं, मान्यवर, इसीलिए परीक्षणाधीन होने की बात कही जा रही है। बहुत सारे तदर्थ शिक्षक थे, जिनके स्थान पर चयन बोर्ड ने चयनित अभ्यर्थी भेज दिया और वह वहां कार्यरत हो गए तो एक कठिनाई है कि उनके बारे में क्या किया जायेगा तो इस प्रकार से अनेक कठिनाइयां हैं और इसीलिए हमारी सरकार ने उसे नकारा नहीं है, इनकी समस्या पर विचार के लिए परीक्षणाधीन है, विचार के लिए भेजा गया है, विभाग में, लॉ विभाग में और अन्य स्थान पर और परीक्षण होकर आ जायेगा तो निर्णय लिया जायेगा।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

अध्यक्ष जी, मा0 मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार ऐसे तदर्थ शिक्षकों को वेतन भी दिया जा रहा है। मेरे मन में एक जिज्ञासा है कि मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार जो ऐसे शिक्षकों को वेतन दिया जा रहा है, वह क्या मानदेय के रूप में दिया जा रहा है या जो विनियमित हुए शिक्षक हैं, परमानेण्ट हुए शिक्षक हैं, उनको जो ग्रेड उनको जो स्केल मिल रहा है, उसके अनुसार वेतन दिया जा रहा है, यह मेरा एक छोटा सा अनुपूरक है ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

मान्यवर, जो स्केल दिया जा रहा है, जो नियमित टीचर हैं, उनके बराबर सैलरी दी जा रही है, उनको मानदेय नहीं दिया जा रहा है बल्कि उनके बराबर सैलरी दी जा रही है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

श्री कुवेर सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, आपकी कृपा के लिए धन्यवाद विषय यह है कि वेतन की, ग्रेड की और यह समस्त कठिनाइयों की बात सदन में आ गई तो इसके साथ समस्त टीचरों पर कठिनाई और भार है कि नीचे प्राइमरी वालों का ग्रेड बहुत अच्छा है और ऊपर हायर, इण्टर वालों का ग्रेड बहुत अच्छा है, अब बीच वालों के लिए क्या कोई नीति तय करेंगे, मा0 मंत्री जी, जिससे उनको ग्रेड ठीक हो जाए ?

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, लेकिन बीच वाले कौन लोग हैं, बताइये ?

श्री कुवेर सिंह-

मान्यवर, यह जो माध्यमिक शिक्षा वाले हैं।

श्री अध्यक्ष-

अच्छा माध्यमिक शिक्षा वाले। मा0 मंत्री जी इनकी भावनाओं का आदर करिएगा। अब नत्थी (ग) का प्रश्न संख्या-2।

प्रदेश के समस्त चिकित्सालयों में रात्रिकालीन चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराये जाने की मांग

*2-श्री जोखू लाल यादव-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ग्रामीण अंचल की जनता की कठिनाइयों को देखते हुये प्रदेश के समस्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर रात्रि में चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (श्री अनन्त कुमार मिश्रा)-

समस्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर रात्रि में चिकित्सकों की उपलब्धता के निर्देश पूर्व से ही है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री जोखू लाल यादव-

मान्यवर, मैंने माननीय मंत्री जी से सवाल किया था कि क्या सरकार ग्रामीण अंचल की जनता की कठिनाइयों को देखते हुए प्रदेश के समस्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर रात्रि में चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी ? माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है कि समस्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/सामुदायिक स्वास्थ्य केंन्द्रों पर रात्रि में चिकित्सकों की उपलब्धता के निर्देश पूर्व से ही हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, चाहे सत्ता पक्ष के हों चाहें विपक्ष के हों, 80 फीसदी जनप्रतिनिधि गांव से चुनकर आते हैं। हमारी पीड़ा यह है कि जब ग्रामीण अंचल में रात्रि में किसी गरीब आदमी की तबीयत खराब हो जाती है और जिला हेडक्वार्टर दूर रहता है तो उन परिस्थितियों में रात्रि में उसका प्राथमिक उपचार हो सके इसके लिए हमारी जिज्ञासा रही कि रात्रि में डाक्टरों की उपस्थिति अनिवार्य है। लेकिन मान्यवर, यह प्रायः देखा गया है कि ऐसा निर्देश आपने जारी किया है जवाब आ ही गया है लिखा-पढ़ी में। लेकिन यह धरातल पर सच्चाई नहीं है जो भी डाक्टर हैं वह ग्रामीण अंचल में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर कभी भी रात्रि में नहीं रुकते हैं। मैंने कई बार इस तरह से कहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह सवाल करना चाहता हूं कि क्या ऐसे डाक्टर जो ग्रामीण अंचल में रात्रि में रुकना नहीं पसंद करते हैं उनको शहरों में रखकर जो लोग ग्रामीण अंचल में चाहते हों उन्हें तैनात करें जिनसे कि उनकी उपलब्धता हो सके, तो क्या इस पर विचार करेंगे ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

मान्यवर, यह पहले भी कई बार सदन में आ चुका है, मैं कई बार जवाब दे चुका हूं कि डाक्टरों की कमी है। लेकिन यह बात जो इन्होंने कही है यह दोनों पक्षों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी सरकार ने 10-09-2009 से एक प्रक्रिया प्रारम्भ की है जिससे मैं सदन को अवगत करा देना चाहता हूं कि हमारे निदेशालय में जो ज्वाइंट डायरेक्टर लेवल के लोग बैठे रहते थे, उन ज्वाइंट डायरेक्टर्स की 4-4 की टीम बना दी गयी है वह महीने में एक बार जिले में जाकर स्टे करते हैं, वह सुनिश्चित करते हैं कि दवा की उपलब्धता है कि नहीं, डाक्टरों की उपलब्धता है कि नहीं, वह रात्रि में विश्राम कर रहे हैं कि नहीं। उन्हीं के हिसाब से अगस्त माह में जो अनुपस्थित

चिकित्सक पाये गये थे वह 340 थे उसमें 3 को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गयी, 325 का वेतन काटा गया और 7 को निलम्बित किया गया। सितम्बर में 437 अनुपस्थित, 6 को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गयी, 427 का वेतन काटा गया, एक का निलम्बन किया गया। अक्टूबर में, 330 अनुपस्थित पाये गये उनमें 12 को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गयी, 307 का वेतन काटा गया, 5 का निलम्बन किया गया। नवम्बर में 367 में, 17 को प्रतिकूल प्रविष्टि, वेतन काटा गया 347 का, निलम्बन 4 का किया गया, दिसम्बर माह में 319 का, 11 को प्रतिकूल प्रविष्टि, वेतन काटा गया 298 का और तीन का निलम्बन किया गया। मान्यवर, सरकार इसमें कार्रवाई बहुत सख्ती से कर रही है। हमने डी0एम0 को भी लिखा है कि औचक निरीक्षण करके यह सुनिश्चित करायें। हम सी0एम0ओ0 से जो फीडबैक लेते हैं उसकी पुष्टि करने के लिए हमने यह वैकल्पिक व्यवस्था भी की है ताकि हमको सत्यता का ज्ञान हो सके और हम उस पर कार्रवाई कर सकें।

डॉ0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी का जवाब है कि समस्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर रात्रि में चिकित्सकों की उपलब्धता के निर्देश पूर्व से ही है। मान्यवर, 1095 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र होने चाहिए थे, 515 हैं, उन 515 में सिर्फ 131 महिला डाक्टरों की पोस्टिंग है और ऐसे ही 133 पिडिटीशियन की पोस्टिंग है और 138 फिजीशियन्स की पोस्टिंग है। अब प्रश्न यह है कि जिन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में महिला डाक्टर हैं ही नहीं, पिडिटीशियन हैं ही नहीं उनको आपने रात्रि में पोस्टिंग करने का आदेश दिया कहां से है। कम से कम आदेश देने से पहले वहां डाक्टरों की पोस्टिंग तो कर लीजिये, इसलिये मेरा आग्रह आपसे है कि क्या आप यह बतायेंगे कि समस्त प्रदेश के सामुदायिक केन्द्रों में महिला डाक्टरों की पोस्टिंग है क्योंकि 50 प्रतिशत जनसंख्या है। हम उसके प्रति अवज्ञा नहीं प्रदर्शित कर सकते, सीधा सवाल। दूसरी चीज जब आपके प्रदेश में कुल मिलाकर के 1286 महिला डाक्टर हैं और उसके बावजूद सी0एच0सी0 में डाक्टर नहीं हैं, यह कहीं न कहीं डाक्टरों को पदस्थापित करने की प्रक्रिया की गलती के नाते हैं। 1286 महिला डाक्टरों के होने के बावजूद अगर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में महिला डाक्टर नहीं हैं यानी वो सब जिला अस्पतालों में हैं। यह जो आपकी पदस्थापित करने की नियुक्ति करने की जो प्रक्रिया है, क्या आप उस पर फिर से विचार करेंगे ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

माननीय अध्यक्ष जी, इसको मैं स्वीकार कर लेता हूं कि इनसे ज्यादा हमारे विभाग में कोई विद्वान नहीं है क्योंकि आंकड़ों के खेल में इनसे कोई जीत नहीं सकता है लेकिन निश्चित रूप से जो इन्होंने यह बात कही है, हमारे पास डाक्टरों की कमी है, रही बात वहां पर पोस्टिंग्स की तो जहां तक भी हम पोस्टिंग्स कर पाते हैं वहां हम पोस्टिंग्स कर देते हैं, हमने ये दिखवाया है, हमारे पास आंकड़े हैं, और हम कोशिश यह करते हैं कि जैसे अभी तक यह था कि हार्ट स्पेशलिस्ट होता था और वहां पर एनेस्थेटिस्ट नहीं होता था तो हमने यह देखा है कि इसको किसी तरह से कर दें कि ताकि जहां पर हार्ट स्पेशलिस्ट हो, हमारे पास कार्डियोलॉजिस्ट की अगर कमी है तो जहां पर हो कम से कम वहां एनेस्थेटिस्ट हो तो वहां पर इलाज हो सके। जहां पर हम देखते हैं कि संख्या बहुत कम है तो सबसे पहले हम स्ट्रेन्थेन करते हैं जिला चिकित्सालय, अगर

उसके बाद बचते हैं हमारे पास तो सी0एच0सीज पर जाते हैं उसके बाद पी0एच0सीज पर जाते हैं। हम यह पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जननी सुरक्षा योजना की वजह से ये मैं बताना चाहता हूं आपको कि जननी सुरक्षा योजना की वजह से जो प्रसव की प्रक्रिया अब तक सरकारी अस्पतालों में नहीं होती थी वो अब सरकारी अस्पतालों में होने लगी हैं और वह प्रमाणित कर सकते हैं कि यह सदन भी अवगत हैं और सारे समाचार-पत्र आलोचना के साथ-साथ यह भी लिखते हैं कि जिला महिला चिकित्सालय में जो पहले बेड आक्युपेंसी पहले बिल्कुल निल होती थी, हमारी सरकार में उसमें एब्सोल्यूटली कई जगह पर फुल है और कई जगह पर जितनी बेड आक्युपेंसी है उससे ज्यादा है तो वहां पर भी बहुत ज्यादा भार है। अब हमारा प्रयास यह रहता है कि जहां पर ज्यादा मरीज पहुंचे कम से कम उनका उपचार तो कर सके। मान लीजिये कि जिला चिकित्सालय में जहां पर 100 मरीज आता है, वहां 1 डाक्टर रख देते हैं और पी0एच0सी0 में, सी0एच0सी0 में मान लीजिये कि 4 मरीज पहुंचते हैं, वहां पर भी 1 डाक्टर रख देते हैं तो यह न्याय संगत नहीं होगा। जहां पर ज्यादा मरीज आते हैं हम कोशिश करते हैं कि वहां का हर मरीज अटेण्ड हो जाये इसलिये यह दिक्कत आ रही है। वैसे जहां पर सुझाव है हम कर देंगे।

डॉ0 पी0के0 राय-

माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न का जवाब तो जो माननीय मंत्री जी ने दिया है, यह सही बात है कि आदेश पहले से ही निर्गत हैं ये और सेवा शर्तों में है कि चिकित्सक की जहां तैनाती होगी, वह चिकित्सक वहीं पर रहेगा और रात्रि में विश्राम भी वहीं पर करेगा। लेकिन व्यवहारिक कठिनाइयों से आप भी अवगत हैं, भले यहां पर आपकी मजबूरी है कि आप उसका इजहार नहीं कर सकते, उससे इन्कार ही करना है आपको, हम उसका अहसास करते हैं। लेकिन मान्यवर, यह हकीकत है कि रात के वक्त पर डाक्टर वहां पर नहीं रह रहे हैं, कुछ जगहों पर आवास नहीं थे, अब तो खैर कुछ आवास भी हो गये हैं। उसके बावजूद भी यह समस्या बनी हुयी है। इसलिये आपने क्या कोई विशेष योजना बनायी है जिसमें कि रात के वक्त वहां पर डाक्टरों की आपके 4 डाक्टरों में से कम से कम 1 डाक्टर की भी उपस्थिति वहां पर सुनिश्चित कर लें, इस तरह की कोई योजना आपके पास है और नम्बर दो-950 डाक्टरों की पब्लिक सर्विस कमीशन से जो स्वीकृतियां प्राप्त हुयी हैं, उसमें अपाइण्टमेन्ट लेटर्स आपने जो जारी किये हैं, उसमें कितने लोगों ने आदेश का कम्प्लाएंस किया है और क्या आप की प्रक्रिया है, नीति है और योजना है कि पब्लिक सर्विस कमीशन से जो डाक्टर सेलेक्ट होते हैं, वह सेलेक्शन से ज्यादा आपकी पी0एम0एस0 सर्विस को ज्वाइन कर सकें, तभी रात्रि में उनकी उपस्थिति सुनिश्चित कर पायेंगे। इन दो प्रश्नों के जवाब छोटा सा दे दीजिये ? यह सुझावात्मक है।

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माननीय सदस्य की बात इसलिये सही है क्योंकि यह प्रैक्टिकली ये डाक्टर हैं पेशे से। इनको काफी ज्ञान हैं। व्यवहारिक दिक्कत मेरी यह है कि सदन में ये पूछते हैं और एक इनके बहुत ही निकट के रिश्तेदार हैं तो बाहर उन्हें जवाब देना पड़ता है, एक तो यह व्यवहारिक कठिनाई है, दूसरा जो आपने सबसे पहले मैं बता दूं जो नये चिकित्सक जो आये हैं, यह ऐसा होता था कि प्रायः मैंने जब अनुभव किया था कि फाइलों में जो नये चिकित्सक

वहां से आते थे, वह ज्वाइन नहीं करते थे और हमारा विभाग मजबूर होकर उनको छः महीने का टाईम फिर छः महीने का टाईम तो हमने वह पूछा तो हमें यह पता चला कि जब नया चिकित्सक आता है अगर बहुत दूर उसकी पोस्टिंग हो जाती है तो वह नहीं जाता है, वह अपने आप को असहज महसूस करता है, तो हमने एक कमेटी बनाकर जो नये चिकित्सक आये थे, उनको हमने ऐसी कमेटी बना दिया और उनको हमने निर्देश दे दिया कि जो जिस मण्डल का रहने वाला है, अब होम टाउन आपने गलत लिखा है तो अलग बात है, होम टाउन अगर आपने सही लिखा है तो उसी मण्डल में उसकी पोस्टिंग कर दी जाए, नम्बर एक, उसके बावजूद जैसे कहीं ज्यादा हो जाय तो 100 कि0मी0 या 150 कि0मी0 दूर पर उसकी पोस्टिंग कर दी जाये ताकि वह असहज न हो चूंकि नई-नई नौकरी होती है। फिर उसके बाद हमने गन्ना संस्थान में एक सम्मेलन बुलाया, जितने भी नये चिकित्सक आये थे, उनके हमने नाम छांटे थे जिन-जिन जिलों के थे, वहां सी0एम0ओ0 और सी0एम0एस0 दोनों को निर्देशित किया था कि अपने-अपने जिले के जो नये डाक्टर चयनित हुए हैं उन सबको लेकर के आइये। उन सबके सम्मेलन में मैंने स्पष्ट रूप से कहा था, सी0एम0ओ0 को निर्देशित किया था उन डाक्टरों के सामने कि चूंकि यह नये डाक्टर हैं और यह ज्वाइन नहीं करते हैं तो हमको इनकी कठिनाइयों को देखना चाहिए क्योंकि यह वह पेड़ है जो उगने जा रहे हैं हमारे विभाग में और अगर इनको हम पहले ही निप कर देंगे बड में तो फिर हम एक डाक्टर खो देंगे जिसकी हमें वृहत दिक्कत है तो हमने सी0एम0ओ0 को निर्देश दिया था कि इनको आपको कम्फरटेबल करके इनको आपको संरक्षण देना है, इनको आपको उत्साहवर्धन करना है, ताकि चार साल में इस विभाग में रहकर सेवा कर के और यह जैसे भी चाहें इनकी ट्रेनिंग भी हो और इनको कम्फर्ट फील हो। यह किया था, उसका नतीजा यह हुआ कि करीब साढ़े छः सौ चिकित्सकों ने ज्वाइन कर लिया, इतने चिकित्सक कभी ज्वाइन नहीं किये थे, यह सरकारी आंकड़े हैं, उनकी उपस्थिति दर्ज हो रही है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, बहुत छोटा सा प्रश्न है। मैं यह बात मान कर चलता हूं कि जो आंकड़े माननीय मंत्री जी ने दिये कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में मरीजों की संख्या बढ़ी है, यह बात सही है। मान्यवर, मेरा सुझावात्मक प्रश्न है, सुझाव भी है, प्रश्न भी है चूंकि जब कभी भी बजट आता है तो निश्चित रूप से हर बजट में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या बढ़ाई जाती है बनाये जाते हैं, प्रस्ताव आते हैं उनके बनाने के, परन्तु पद सृजन का काम बहुत बाद में शुरू होता है और जब हम जायेंगे लोकार्पण करने के लिए तो आस-प्रास से डाक्टरों को वहां पर उपस्थित कर दिये जाते हैं जैसे समाप्त होगा वह अपने मूल पद पर चले जाते हैं। ती क्या यह संभव है कि जैसे ही किसी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र या चिकित्सालय की स्थापना की बात हो, साथ-साथ पद सृजन की कार्रवाईऔर नियुक्ति की कार्रवाईभी चले ताकि जैसे ही काम पूरा हो जाय वहां पर रेग्युलर डाक्टर, नियमित डाक्टर नियुक्त कर दिये जाएं।

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

आपका कहना बिल्कुल ठीक है, इसी तरह किया है।

प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में फीस नियंत्रण की शासन की नीति

*3-श्री मदन चौहान-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निजी कालेजों एवं उच्च शिक्षा संस्थानों में फीस तय करने का आधार क्या है ? क्या फीस नियंत्रण हेतु सरकार द्वारा कोई नीति बनाई गई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उच्च शिक्षा मंत्री (डॉ0 राकेश धर त्रिपाठी)-

राज्य विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध/सहयुक्त अनानुदानित शिक्षण संस्थाओं एवं स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों के शुल्क निर्धारण का आधार मा0 उच्चतम न्यायालय की 11 सदस्यीय संविधान पीठ द्वारा रिट याचिका संख्या-317/1993 टी0एम0ए0 पाई फाउण्डेशन एवं अन्य बनाम स्टेट आफ कर्नाटक व अन्य में दिनांक 31-10-2002 एवं याचिका संख्या-350/1993 इस्लामिक एकेडमी आफ एजूकेशन एवं अन्य बनाम कर्नाटक राज्य व अन्य में दिनांक 14-8-2003 को पारित निर्णय में दिये गये व्यापक दिशा-निर्देश हैं।

जी हां।

मा0 उच्चतम न्यायालय के उपरिसंदर्भित आदेश के परिप्रेक्ष्य में शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16 (92)/2003, दिनांक 02 जुलाई, 2003 द्वारा शासन द्वारा निर्गत सभी पूर्वादेशों को अवक्रमित करते हुए प्रत्येक पाठ्यक्रम में प्रवेशित सभी छात्रों से समान रूप से एक शुल्क लिये जाने के आदेश प्रसारित किये गये तथा बी0एड0 पाठ्यक्रम सत्र, 2008-2009 हेतु शासनादेश संख्या-3536/सत्तर-2-2008-16 (70)/2005 टी0सी0, दिनांक 10 अक्टूबर, 2008 द्वारा बी0एड0 पाठ्यक्रम में औपबन्धिक फीस निर्धारित की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री मदन चौहान-

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने माननीय मंत्री जी से जानकारी चाही थी कि क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निजी कालेजों एवं उच्च शिक्षा संस्थानों पर फीस तय करने का आधार क्या है ? मान्यवर, मा0 मंत्री जी ने एक रिट याचिका के माध्यम से संविधान पीठ का जिक्र कर दिया और इसमें इसका उत्तर कहीं नहीं आया कि किन मानकों के आधार पर फीस तय करने का कोई तरीका है तो मान्यवर, यह गोल-मोल सा जवाब इसमें लिख दिया तो इससे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। दूसरा प्रश्न यह था कि क्या फीस नियंत्रण हेतु सरकार द्वारा कोई नीति बनाई गई है ? मान्यवर, सरकार द्वारा नीति जाननी चाही थी कि क्या फीस नियंत्रण पर कोई नीति ऐसी बनाई गई जिससे जो फीस वृद्धि हो रही है उस पर नियंत्रण हो सके तो वह भी कोई जवाब नहीं आया, उसका ऊपर का ही जवाब नीचे आ गया और दूसरा अनुपूरक मैं यह जानना चाहूंगा कि अभी राज्य विश्वविद्यालयों की फीस बढ़ी है छात्रों के लिए क्या मा0 मंत्री जी को जानकारी है, अगर वह फीस बढ़ी है तो किस आधार पर, कितने प्रतिशत बढ़ी है, कितने वर्षों के बाद बढ़ी है मान्यवर ?

डॉ0 राकेश धर त्रिपाठी-

माननीय अध्यक्ष जी, यह उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ का निर्णय है और दूसरा समय-समय पर फीस निर्धारण के लिये कमेटी बनी हैं। वर्ष 2004 में एक सरीन कमेटी बनी थी, जिससे उच्च शिक्षा और प्राविधिक शिक्षा दोनों इससे गाइड होते थे फिर उसके बाद 27 जून, 2008 को एक दूसरी कमेटी बनाई गयी, जिसने फीस निर्धारण का काम किया। दूसरा प्रश्न जो माननीय सदस्य का है, उसके सम्बन्ध में बताना चाहूंगा कि बीच में एक हाईपावर समिति, कुलपतियों की बनाई गयी थीं जो फीस निर्धारण का काम करेगी। अन्तिम जवाब, कोई भी बढ़ी फीस अगले सत्र से ही ली जायेगी।

श्री मदन चौहान-

मान्यवर, मैंने जानकारी चाही थी कि फीस बढ़ाने का आधार क्या है। जो व्यापक निर्देश संविधान पीठ ने दिये हैं, वह कुछ आधार बतायें होंगे। आज मनमाने ढंग से फीस बढ़ रही है और जिसके कारण गरीब लोग दाखिला नहीं ले पा रहे हैं, फीस पर कन्ट्रोल नहीं हो पा रहा है। सरकार को इसको नियंत्रित करने हेतु कोई नीति बनानी चाहिये, लेकिन वह नीति नहीं बनी। कितनी फीस बढ़ी, वह भी आप नहीं बता पा रहे हैं, बढ़ाने का आधार क्या था और जो कुलपतियों की समिति ने मानक तय किये होंगे, उसकी जानकारी उत्तर में मिल जाय, यही मैं चाहता हूं ?

डॉ0 राकेश धर त्रिपाठी-

माननीय अध्यक्ष जी, कुलपतियों की समिति है, उसकी अभी पूरी रिपोर्ट आनी बाकी है, दूसरा जो सरीन कमेटी बनी थी उसने जितने प्रोफेशनल कोर्सेस थे हमने कहा टेक्निकल का भी और बी0एड0 का भी 5-5 प्रतिशत बढ़ाने का था। एक प्रोफेसनल कोर्सेस का और दूसरा जो नियमित कोर्स हैं बी0एस0सी0, बी0काम0 है, इसकी फीस तो बढ़ी ही नहीं है, इसकी 132 रुपये और एम0ए0 में 180 रुपये रही है 27,500 रुपया बी0एड0 का लिया जाता था जिसका कड़ाई से पालन करने के लिये जिलाधिकारियों को अधिकृत किया गया और कई महाविद्यालयों के खिलाफ कार्रवाई भी की गयी है।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

माननीय अध्यक्ष जी, अभी श्री मदन चौहान जी ने एक प्रश्न रखा कि निजी कालेजों एवं उच्च शिक्षा संस्थानों में फीस तय करने का आधार क्या है ? इस पर माननीय मंत्री जी ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे दिया और कहा कि जो गाइडलाइन उसकी है उसके अनुसार फीस तय होगी। मेरे दो अनुपूरक प्रश्न हैं। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि लखनऊ में जितने भी डिग्री कालेजेज हैं और उनमें स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम चल रहे हैं। मेरी जानकारी में है कि वहां पर मनमाने ढंग से फीस ली जा रही है। जो फीस मैनेजमेन्ट तय करता है, वह फीस बच्चों से वसूल की जाती है। बच्चों की दिक्कत यह है कि वह जायें कहां ? जब उन्हें कहीं एडमीशन नहीं मिलता तो उन्हें मजबूर होकर विद्यालय में प्रवेश लेना पड़ता है और मनमाने ढंग से जो उनसे फीस मांगी जाती है वह उन्हें देना पड़ता है। मेरा अनुपूरक प्रश्न यह है कि ऐसे डिग्री कालेज, जहां पर स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम चल रहे हैं और मैनेजमेन्ट मनमाने ढंग से सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के

विरुद्ध अधिक फीस ले रहा है बच्चों से तो क्या उनके खिलाफ कार्रवाई करने का कष्ट आप करेंगे ? दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि सरकार की नीति है कि जिन गार्जियन की आय एक लाख के नीचे तक है उनके बच्चों को फ्री एजूकेशन दी जायेगी और उसका पैसा विद्यालय को भेज दिया जायेगा और फीस एडजस्ट हो जायेगी। लखनऊ में मैं दो-एक विद्यालय का नाम लेना चाहूंगा। राम स्वरूप विद्यालय, ऐसे कई विद्यालय हैं, जहां पर लखनऊ विश्वविद्यालय से बच्चों को एम0बी0ए0 के बच्चों को उच्च शिक्षा में पढ़ रहे बच्चों को नोटिस जारी की गयी है अभी परसों कि आपकी फीस जमा नहीं है। जब सरकार पैसा देगी तो वह फीस आपको वापस हो जायेगी किन्तु अभी आप फीस दीजिये वरना आपका नाम काट दिया जायेगा। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यह जो नोटिस दी गयी है उसको विद्ड्रा कराने का और वहां पर जो फीस सरकार को देनी है, उस फीस को एडजस्ट कराकर इन बालकों के जीवन की रक्षा करेंगे ?

डॉ0 राकेश धर त्रिपाठी-

मा0 अध्यक्ष जी, स्ववित्त पोषित महविद्यालयों की फीस निर्धारित है, बी0ए0 तक 5 हजार रुपये लेते हैं और स्नातकोत्तर तक 6 हजार रुपये लेते हैं। दूसरा जो प्रश्न मा0 श्रीवास्तव जी का है, सभी विद्यालयों को, महाविद्यालयों को, विश्वविद्यालयों को, जितना सूची के अन्तर्गत आरक्षित लड़कों को छात्रवृत्ति दी जाती है उनकी प्रतिपूर्ति सरकार करती रहती है और अगर कहीं किसी महाविद्यालय में ज्यादा वसूली की जानकारी आप दे देंगे तो बिल्कुल उनके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी।

श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर)-

मान्यवर, मा0 मंत्री जी से हम जानना चाहते हैं कि ग्रेजुएशन और पोस्ट-ग्रेजुएशन में जिन बच्चों की फीस विद्यालय वाले ले करके छात्रवृत्ति मिलने के बाद वापस करते हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि उन बच्चों की फीस न ले करके सरकार खुद उनको फीस की भरपाई करे। दूसरे जो निर्धारित शुल्क विद्यालय लेते हैं, देखने में यह आता है कि अक्सर हर विद्यालय में निर्धारित शुल्क से ज्यादा शुल्क लिया जाता है इसलिए मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या निर्धारित शुल्क बैंक या ट्रेजरी में जमा कराया जायेगा ताकि प्राइवेट विद्यालय वाले जो शोषण कर रहे हैं इस शोषण से बच्चों और अभिभावकों को मुक्ति मिल सके ?

डॉ0 राकेश धर त्रिपाठी-

मा0 अध्यक्ष जी, पिछले वर्ष ही मा0 मुख्य मंत्री जी के निर्देश पर और इसी लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्रवृत्ति का मामला उठने के कारण अब सारा पैसा सीधे समाज कल्याण विभाग से उन बैंकों में छात्रों के नाम से जमा हो जाता है और यदि पर्टिकुलर किसी विद्यालय की आपको शिकायत है तो उसे हमें बतायें, निश्चित रूप से जांच कराते हुए कार्रवाई की जायेगी क्योंकि प्रतिपूर्ति तो सरकार करती ही है।

प्रदेश में साक्षरता प्रतिशत बढ़ाये जाने की मांग

*4-डॉ0 अजय तोमर-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश की सकल साक्षरता 56.3% है जबकि जनपद श्रावस्ती की साक्षरता 33.8% जनपद बलरामपुर की 34.6% जनपद बहराइच की 35.2% जनपद सिद्धार्थनगर की 42.3% जनपद गोण्डा की 42.5% जनपद मुरादाबाद की 44.8%

एवं जनपद रामपुर की 38.8% है ? यदि हां, तो क्या इन जनपदों की साक्षरता प्रतिशत को बढ़ाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

बेसिक शिक्षा मंत्री (डॉ0 धर्म सिंह सैनी)-

जी हां। वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर प्रदेश का कुल साक्षरता प्रतिशत 56.3 है। उक्त जनपदों की साक्षरता क्रमशः जनपद श्रावस्ती की 33.8 प्रतिशत, जनपद बलरामपुर की 34.6 प्रतिशत, जनपद बहराइच की 35.2 प्रतिशत, जनपद सिद्धार्थनगर की 42.3 प्रतिशत, जनपद गोण्डा की 42.6 प्रतिशत, जनपद मुरादाबाद की 44.7 प्रतिशत एवं जनपद रामपुर की 38.8 प्रतिशत है।

जी हां। भारत सरकार द्वारा 15 से अधिक वर्ष वर्ग के निरक्षर महिला/पुरुषों को साक्षर करने के लिए "साक्षर भारत मिशन-2012" योजना तैयार की गई है। उ0 प्र0 के प्रश्नगत जनपदों सहित कुल 66 जनपदों को चयनित किया गया है जिनमें से 26 जनपदों की स्वीकृति अभी प्राप्त हुई है इनमें अभी प्रश्नगत 07 जनपद सम्मिलित नहीं है।

भारत सरकार द्वारा प्रदेश के उन 26 जनपदों को चयन किया गया है जिनमें पूर्व में सतत् शिक्षा योजना लागू थीं।

डॉ0 अजय तोमर-

मा0 मंत्री जी कह रहे हैं कि पढ़ लेने दो क्योंकि मा0 मंत्री जी ने पहली बार किसी सवाल में गोलमाल भाषा का इस्तेमाल नहीं किया है। इसलिए मैं धन्यवाद देते हुए केवल सुझाव के रूप में एक बात कहना चाहूंगा कि जो आपके यह 7 जनपद हैं मैं नहीं कहता कि यह सरकार पांच वर्ष में उत्तर प्रदेश को केरल बना देगी और न ही यह कल्पना ही की जा सकती है। लेकिन इन सात जनपदों को जिनका ब्यौरा हमने दिया है, श्रावस्ती में केवल 33 प्रतिशत साक्षर लोग हैं, रामपुर में 38.8 प्रतिशत हैं, गोण्डा में 42.5 प्रतिशत हैं।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य, आप अनुपूरक प्रश्न करें यह तो लिखा हुआ है।

डॉ0 अजय तोमर-

मान्यवर, क्या इन जनपदों को भी साक्षर भारत मिशन 2012 में सम्मिलित कराने का काम किया जायेगा ?

डॉ0 धर्म सिंह सैनी-

मा0 अध्यक्ष जी, भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के 66 जनपद इस योजना में लिये गये हैं। 26 इसी वित्तीय वर्ष में लिये गये हैं और बाकी दो चरणों में लिये जायेंगे।

छठवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर सेवानिवृत्त शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को पेंशन लाभ दिलाये जाने सम्बन्धी शासनादेश बेसिक शिक्षा अधिकारियों को उपलब्ध कराने सम्बन्धी जानकारी

*5-डॉ0 अनिल चौधरी-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि छठवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर बेसिक शिक्षा परिषद् के प्रधानाचार्य, शिक्षक, शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के पश्चात् पेंशन निर्धारण में लाभ दिलाने सम्बन्धी शासनादेश प्रदेश के समस्त जनपदों के बेसिक शिक्षा

अधिकारियों को निर्गत कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या पेंशन निर्धारण छठवां वेतनमान आयोग की संस्तुतियों के आधार पर किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 धर्म सिंह सैनी-

जी हां।

छठवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर दिनांक 01-01-2006 के पूर्व सेवानिवृत्त शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों हेतु शासनादेश संख्या-1440/79-5-2009-2/09, दिनांक 16-9-09 तथा दिनांक 01-01-2006 एवं इसके पश्चात् सेवानिवृत्त शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों हेतु शासनादेश संख्या-1754/79-5-2009-2/09 दिनांक 16-9-09 द्वारा सेवानिवृत्त शिक्षकों के पेंशन सम्बन्धी शासनादेश प्रदेश के समस्त बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्गत कर दिये गये हैं।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

डॉ0 अनिल चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं मा0 मंत्री जी द्वारा दिये गये उत्तर से पूर्ण रूप से संतुष्ट हूं और बेसिक शिक्षा विभाग के प्रधानाचार्य, सेवानिवृत्त शिक्षक, शिक्षणेत्तर कर्मचारियों और शिक्षकों की ओर से मा0 मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं।

(श्री अध्यक्ष द्वारा तारांकित प्रश्न संख्या-6 पुकारे जाने पर)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, केवल एक जानकारी चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

जब डॉ0 अनिल चौधरी जी संतुष्ट है तो आप असन्तुष्ट कैसे हो गये ? अब अगला प्रश्न ले लिया है। मा0 बेसिक शिक्षा मंत्री जी, खन्ना जी एक जानकारी चाहते हैं वह दे दीजिए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मा0 मंत्री जी केवल एक जानकारी दे दें कि जो अशासकीय वित्त पोषित विद्यालय हैं उनके जो अवकाश प्राप्त कर्मचारी, टीचर्स व प्रिन्सिपल्स हैं यह शासनादेश क्या उन पर भी लागू होगा ?

श्री अध्यक्ष-

यह जानकारी है या महाभारत।

डॉ0 धर्म सिंह सैनी-

मान्यवर, उस पर लागू नहीं होगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, उसकी व्यवस्था कब तक करेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

जब लागू ही नहीं होगा तो व्यवस्था की बात कहां आती है ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, जब सरकार की पालिसी है कि छठे वेतन आयोग का लाभ कर्मचारियों/शिक्षकों को दे दिया गया तो वह इस शासनादेश से कब कवर होंगे उसके लिए व्यवस्था कब तक करेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

जब लागू ही नहीं होगा तो कवर करने का कहां सवाल पैदा होता है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, आगे उस पर कब तक विचार करेंगे ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, यह प्रश्न दूसरे से सम्बन्धित है। जो प्रश्न पूछा उसका सम्पूर्ण उत्तर आ गया।

श्री अध्यक्ष-

खन्ना साहब, आपने एक जानकारी के लिए कहा, मैंने एक सरल तौर पर जानकारी करा दी, अब आप अनुपूरक पर अनुपूरक शुरू कर दिये हैं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, जरा प्रश्न देख लें।

श्री अध्यक्ष-

हो गया, उस प्रश्न पर नहीं जाना है। जानकारी चाहते थे तो मैंने सोचा कि कोई जानकारी चाहते हैं वह ले लिया जाए। अब हो गया, प्रश्न संख्या-6

प्रदेश के प्राथमिक एवं परिषदीय विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों को भरे जाने की मांग

*6-श्री अरिफ अनवर हाशमी-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों एवं बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित परिषदीय विद्यालयों में अध्यापकों के कितने पद रिक्त हैं ? क्या सरकार रिक्त पदों पर भर्ती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 धर्म सिंह सैनी-

उत्तर प्रदेश, बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में वर्तमान में लगभग 110533 पद रिक्त हैं।

जी हां।

रिक्तियां भरा जाना एक निरन्तर प्रक्रिया है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री आरिफ अनवर हाशमी-

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब प्रदेश में 110533 पद शिक्षकों के रिक्त हैं तो उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा की पढ़ाई का स्तर किस स्तर तक चल रही है, इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या परिषदीय विद्यालय में पढ़ रहे बच्चों को कुर्सी और डेस्क की व्यवस्था सरकार करायेगी ? दूसरा, अनुपूरक यह है कि क्या ग्रामीण क्षेत्र के प्राइमरी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों को, क्योंकि वह बीमारी से ग्रसित रहते हैं, समय-समय पर उनका स्वास्थ्य परीक्षण करायेगी ?

श्री अध्यक्ष-

आपका प्रश्न तो शिक्षकों के बारे में था, अब कुर्सी और डेस्क के बारे में जानना चाहते हैं।

श्री आरिफ अनवर हाशमी-

मान्यवर, इसी से जुड़ा हुआ है।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, प्रश्न बिल्कुल अलग है, कहां इससे जुड़ा है ? एक प्रश्न के माध्यम से अगर सम्पूर्ण उत्तर चाहेंगे तो कैसे मिल पायेगा, उसके बारे में प्रश्न पूछें ?

श्री अध्यक्ष-

अध्यापकों के जो पद रिक्त हैं उसको भरने की प्रक्रिया के बारे में आपने जानने की कोशिश की। फिर डेस्क, बेंच की बात आ गयी। आगे फिर कहा कि जो बच्चे बीमार होते हैं उसकी जांच आप करायेंगी की नहीं ? यह कहां का प्रश्न बनता है ? आप जानकार आदमी हैं, आप अनुपूरक करिये।

श्री आरिफ अनवर हाशमी-

मान्यवर, जितने भी माण्टेसरी स्कूल चल रहे हैं उनके बच्चे कुर्सी और डेस्क पर बैठते हैं...

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, प्रश्न पूछें। अभी यहां सामान्य बजट पर चर्चा चल रही है उसमें अपनी बात रख लेंगे। वहां जो प्रश्न है, उस पर प्रश्न पूछें।

श्री आरिफ अनवर हाशमी-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 शिक्षा मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो लाखों की संख्या में शिक्षकों की कमी है प्रदेश में, इन पदों को कब तक भर करके सुचारु रूप से पढ़ाई प्रारम्भ करा दी जायेगी ?

डॉ0 धर्म सिंह सैनी-

मैं हाशमी साहब को बताना चाहता हूं कि सरकार बनते ही बहन जी ने सबसे पहला ऐतिहासिक काम यही किया था कि शिक्षकों की बड़े पैमाने पर नियुक्ति करके 88 हजार अध्यापकों की नियुक्ति करके उस कमी को पूरा करने का काम किया था आज यह मुश्किल बताई गई है इसको भी हम लोग अपने डायट्स और प्राइवेट कालेजों के माध्यम से रेगुलर बी0टी0सी0 कोर्स चालू करके पूरा करने का प्रयास करेंगे।

चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

मंत्री जी ने जवाब दिया है कि शिक्षकों की कमी है उसके लिए जवाब आया कि डायट के माध्यम से या बी0टी0सी0 के जो इनके स्कूल है उनके माध्यम से ट्रेनिंग देने के बाद शिक्षकों की भर्ती करने का काम करेंगे। मंत्री जी ने बताया कि अभी तक एक लाख 10 हजार शिक्षकों के

पद रिक्त है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो बी0टी0सी0 लिए प्राइवेट स्कूलों के ट्रेनिंग देंगे वह कोर्स अभी शुरू हुआ है यह दो साल का कोर्स है। यानी जो बच्चा आज ट्रेनिंग लेने का काम करेगा वह तीन साल बाद कोर्स पूरा करके नौकरी के लिए आएगा। प्रतिवर्ष 14 हजार से ज्यादा शिक्षक रिटायर हो जाते हैं। इस तरह से तीन साल बाद 42 हजार शिक्षक रिटायर हो जाएंगे यह संख्या डेढ़ लाख हो जाएगी। इसी के सम्बन्ध में डॉ0 अजय तोमर का आज प्रश्न लगा था क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में लाखों बेरोजगार बी0एड0 डिग्री धारकों को विशिष्ट बी0टी0सी0 द्वारा बेसिक शिक्षा विभाग में दिए जा रहे रोजगार पर क्या सरकार रोक लगाने का विचार कर रही है। मंत्री जी का जवाब आया कि सम्प्रति प्रश्नगत प्रकरण सरकार के विचाराधीन नहीं है। यानी कि सरकार इस पर कोई विचार नहीं कर रही है ? जब सरकार रोक लगाने पर विचार नहीं कर रही है तो क्या जो विशिष्ट बी0टी0सी0 के तहत जो 88 हजार नियुक्तियों की बात मंत्री जी बताई ?

श्री अध्यक्ष-

सीधे अनुपूरक प्रश्न करिए।

चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

मेरा प्रश्न यह है कि जब तक तीन वर्ष बाद बी0टी0सी0 की ट्रेनिंग करके छात्र आएगा तब तक विशिष्ट बी0टी0सी0 के छात्र उपलब्ध है उनकी नियुक्ति करने पर सरकार विचार करेगी ?

डॉ0 धर्म सिंह सैनी-

हमारे यहां शिक्षकों की योग्यता बी0ए0, बी0टी0सी0 है। उसके लिए हमें राष्ट्रीय अध्यापक परिषद से अनुमति लेकर नियुक्ति करनी पड़ती है जब सरकार बनी थी तो 88 हजार अध्यापकों की नियुक्ति के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की तो राष्ट्रीय अध्यापक परिषद से अनुमति लेकर यह नियुक्तियां की थी, उसके बाद हमने 66 हजार अध्यापकों की नियुक्ति के लिए फिर वहां पर आवेदन दिया लेकिन राष्ट्रीय अध्यापक परिषद ने इसके लिए असहमति जताई, उन्होंने कहा कि रेगुलर बी0टी0सी0 के माध्यम से आप नियुक्ति करें।

श्री आरिफ अनवर हाशमी-

आज यह सर्वविदित है प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल शिक्षामित्रों के द्वारा संचालित होते हैं। अध्यापक हैं नहीं क्या शिक्षामित्रों को वरीयता के आधार पर अध्यापक बनाने की कोई योजना बनाई गई है ? क्या उनको अध्यापक का दर्जा दिया जाएगा ?

डॉ0 धर्म सिंह सैनी-

मैं पहले ही कह चुका हूं कि हमारे शिक्षक की योग्यता बी0ए0, बी0टी0सी0 है और शिक्षा मित्र की योग्यता कक्षा 12 है। तो कक्षा 12 को कैसे अध्यपाक बना दिया जाएगा ? वह क्वालिफिकेशन पूरी करे तब।

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी ने कह दिया कि क्वालीफिकेशन पूरी करें।

श्री आरिफ अनवर हाशमी-

जो शिक्षा मित्र ग्रेजुएट हैं और मानक को पूरा करते हैं जैसा कि मंत्री जी का जवाब आया है क्या उनको अध्यापक का दर्जा दिया जाएगा ?

डॉ0 धर्म सिंह सैनी-

विचार कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

*7-श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

[दूसरे शुक्रवार के तारांकित प्रश्न सं0-9 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

प्रदेश के विद्यालयों में अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण कराये जाने की मांग

*8-डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सभी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों के अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण कराये जाने की नीति निर्धारित की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 धर्म सिंह सैनी-

बेसिक शिक्षा विभाग के कार्यक्रमों/विद्यमान योजनाओं में प्रश्नगत नीति निर्धारित नहीं है।

प्रदेश के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाना अनिवार्य नहीं है परन्तु स्वास्थ्य विभाग के द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत इन प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण समय-समय पर किया जाता है।

प्रदेश में निर्धन व्यक्तियों को गम्भीर बीमारियों के इलाज हेतु राज्य आरोग्य निधि की स्थापना

*9-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले निर्धन व्यक्तियों के गम्भीर रोगों, कैंसर/हृदय रोग/किडनी आदि का निःशुल्क इलाज कराने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो प्रारूप क्या होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

प्रदेश में इस प्रयोजन हेतु राज्य आरोग्य निधि की स्थापना की जा चुकी है।

राज्य आरोग्य निधि के लिये मार्ग दर्शक बिन्दु एवं प्रारूप निर्धारित हैं। इसके सम्बन्ध में संक्षिप्त स्थिति निम्नवत् है :-

प्रदेश के मेडिकल कालेजों एवं विशिष्ट चिकित्सा संस्थानों क्रमशः एस0जी0पी0जी0 आई0, लखनऊ छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ, बी0एच0यू0 वाराणसी,

---

नोट-नत्थी (ग) के तारांकित प्रश्न सं0-6 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

वी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर, एम0 एल0 बी0 मेडिकल कालेज झांसी, एम0 एल0 एन0 मेडिकल कालेज इलाहाबाद, जी0 एस0 बी0 एम0, मेडिकल कालेज कानपुर, एस0 एम0 मेडिकल कालेज, आगरा व जे0 एल0 एन0 मेडिकल कालेज, अलीगढ़ को 50-50 लाख रु0 की धनराशि राज्य आरोग्य निधि के अन्तर्गत प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों एवं उनके आश्रितों को असाध्य, जटिल तथा जानलेवा बीमारियों के निःशुल्क उपचार हेतु उपलब्ध करा दी गयी है। इसके अन्तर्गत हृदय रोग व हृदय शल्य चिकित्सा, कैंसर, गुर्दा व मूत्र रोग, अस्थि रोग, थैलीसीमिया, हीमोफीलिया इण्ट्रा आक्यूलर लेंस इम्प्लान्ट, श्रवण यंत्र, हाइड्रोसिफेलस हेतु शण्ट्स व अन्य बीमारियां, जिनको सम्बन्धित चिकित्सक द्वारा गम्भीर व असाध्य रोग प्रमाणित किया जाय का उपचार तथा इनसे सम्बन्धित जांचों यथा-अल्ट्रासाउण्ड, रेडियो न्यूक्लोपोलाइड स्केन्स, विभिन्न आर्गन्स की एन्जियोग्राफी, ई0ई0जी0, यूरोडायनमिक स्टडीज, डापलर राइडर्स, सी0टी0 स्कैन, एम0आर0आई0 व ई0 एम0 जी0 की सुविधा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में भू-गर्भ जल संकट के निराकरण हेतु कार्य योजना

*10-श्री अनूप सण्डा-

क्या लघु सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में शीतल पेय एवं मिनरल वाटर निर्माता कम्पनियों द्वारा प्रतिदिन लाखों लीटर भू-गर्भ जल का दोहन किया जा रहा है ? क्या इस भू-गर्भ जल दोहन से भू-गर्भ जल संकट पैदा होने की आशंका है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसके निराकरण हेतु कोई कदम उठाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लखीराम नागर-

प्राप्त सूचना के आधार पर प्रदेश में शीतल पेय एवं मिनरल वाटर निर्माता कम्पनियों द्वारा प्रतिदिन भारी मात्रा में भूगर्भ जल का दोहन किया जा रहा है।

प्रदेश के भूजल के दोहन एवं भूजल स्तर में गिरावट की दृष्टि से अतिदोहित एवं क्रिटिकल श्रेणी के विकास खण्डों में स्थापित इकाइयों द्वारा भूजल दोहन के फलस्वरूप भूजल स्तर के गिरारवट में वृद्धि सम्भावित होगी।

प्रदेश में गिरते हुये भूजल स्तर की रोकथाम के उद्देश्य से सरकार द्वारा बहुआयामी रणनीति अपनायी जा रही है। इसके अन्तर्गत विभिन्न विभागों द्वारा अपनी-अपनी योजनाओं के अधीन भूजल संवर्धन हेतु विभिन्न कार्य कराये जाते हैं।

(अ) प्रदेश के 40 जनपदों के 37 अतिदोहित, 13 क्रिटिकल एवं 88 सेमी क्रिटिकल श्रेणी के विकास खण्डों में वर्षा जल संचयन का उपयोग करते हुये उन्हें सुरक्षित श्रेणी में लाये जाने के उद्देश्य से परियोजना तैयार कर सम्बन्धित जिलाधिकारियों को उपलब्ध करा दी गयी है, जिन्हें जनपद स्तरीय तकनीकी समन्वय समिति से अनुमोदनोपरान्त नरेगा के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि से क्रियान्वित किया जाना प्रस्तावित है।

(ब) सरकार द्वारा विभिन्न रिचार्ज पद्धतियों के माध्यम से अधिक से अधिक वर्षा जल संचयन किये जाने हेतु निम्न व्यवस्थायें की गयी हैं :-

(1) नगरीय क्षेत्रों की महायोजना/जोनल प्लान में प्राकृतिक जलाशयों/तालाबों का संरक्षण अनिवार्य कर दिया गया है।

(2) नगरीय क्षेत्रों में 20 एकड़ अथवा अधिक क्षेत्रफल की आवासीय योजनाओं के लेआउट प्लान्स में 5 प्रतिशत भूमि पर भूजल की रिचार्जिंग हेतु तालाब/जलाशय निर्मित किये जाने की व्यवस्था की गयी है।

(3) पार्कों में पक्का निर्माण 5 प्रतिशत तक ही सीमित रखने का अनिवार्य कर दिया गया है।

(4) 300 वर्ग मी0 अथवा अधिक क्षेत्रफल में निर्मित होने वाले समस्त प्रकृति के भवनों में रूफ टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग पद्धति की स्थापना को अनिवार्य कर दिया गया है।

(5) पूर्व में निर्मित शासकीय/अर्द्धशासकीय भवनों तथा भविष्य में निर्मित होने वाले शासकीय/अर्द्धशासकीय भवनों में रूफ टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग पद्धति स्थापित किये जाने को अनिवार्य कर दिया गया है।

(6) आवास एवं शहरी नियोजन विभाग एवं उ0 प्र0 जल निगम द्वारा शासकीय/अर्द्धशासकीय भवनों पर रूफ टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग पद्धति की स्थापना की जा रही है। भू-गर्भ जल विभाग द्वारा उक्त पद्धति की स्थापना माडल के रूप में की जा रही है।

(7) यह भी निर्देश दिये गये हैं कि प्रत्येक जनपद में ऐसे तालाब/जल स्रोत जिन पर अवैध कब्जा/अतिक्रमण हुआ है, उनसे अतिक्रमण हटाया जाय। साथ ही प्रत्येक जनपद में अवस्थित तालाबों/पोखरों एवं अन्य परम्परागत जल स्रोतों की सफाई करने के निर्देश दिये गये हैं।

(8) ग्राम्य विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत तालाबों का जीर्णोद्धार/निर्माण बंधी एवं चेकडैम निर्माण का कार्य किया जा रहा है।

(9) ग्राम्य विकास विभाग द्वारा ग्रामीण पेयजल योजना के अन्तर्गत वाटर रिचार्जिंग कार्यों के अन्तर्गत प्रत्येक जनपद में ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी भवनों पर रूफ टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग पद्धति की स्थापना की जा रही है।

(10) कृषि विभाग द्वारा अपनी विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत बन्धी इनसीटू (आन फार्म) रेन वाटर हार्वेस्टिंग, परकोलेशन वेल, तालाब एवं रिचार्ज पिट का कार्य किया जा रहा है।

(11) लघु सिंचाई विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत तालाबों का जीर्णोद्धार/निर्माण तथा चेकडैम के निर्माण का कार्य किया जा रहा है।

(12) उ0 प्र0 जल निगम द्वारा ग्रामीण पेयजल योजना के अन्तर्गत चेकडैम का निर्माण किया जा रहा है।

(13) भू-गर्भ जल के प्रबन्धन, संतुलित उपयोग तथा संरक्षण के प्रति जनमानस में जागरूकता लाने हेतु प्रत्येक वर्ष 10 जून को सम्पूर्ण प्रदेश में 'भू-गर्भ जल दिवस' शासकीय दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में मृतकों के शवों के पोस्टमार्टम की नीति

*11-श्री पूरन प्रकाश-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन द्वारा मृतकों के शवों के पोस्टमार्टम की क्या कोई नीति निर्धारित की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सत्य है कि पोस्टमार्टम में देरी न हो समयबद्ध रूप से प्रक्रिया पूर्ण कर शवों को परिजनों को सौंप दिया जाय ऐसी व्यवस्था सरकार सुनिश्चित करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

निलगू निशान के रंग को त्वचा के रंग से भली प्रकार पहचानने के लिए दिन के प्रकाश में पोस्टमार्टम किये जाने की व्यवस्था है। विशेष परिस्थितियों में जिला मैजिस्ट्रेट की अनुमति से सूर्यास्त के पश्चात कृत्रिम प्रकाश में पोस्टमार्टम किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

पोस्टमार्टम का मुख्य उद्देश्य मृत्यु के कारणों की जानकारी करना होता है। पोस्टमार्टम गृह में जिस क्रम में शव प्राप्त होता है उसी क्रम में उनका पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौप दिया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में शिक्षा मित्रों का मानदेय निजी खाते में स्थानान्तरित किये जाने के निर्देश

*12-श्री संजय कपूर-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कार्यरत शिक्षा मित्रों की सेवा का स्थाईकरण, मानदेय में महंगाई के दृष्टिगत वृद्धि करने एवं इनके मानदेय को इनके स्वयं के खाते में प्रेषित किये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 धर्म सिंह सैनी-

- प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षामित्रों के स्थानीय स्तर पर नियुक्ति की व्यवस्था ग्राम शिक्षा समितियों द्वारा नियत मानदेय पर 11 माह की संविदा पर की जाती है। शिक्षामित्रों की शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट निर्धारित है जबकि शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता स्नातक एवं बी0टी0सी0 है। शिक्षामित्रों की नियुक्ति शिक्षकों के रिक्त पदों के प्रति नहीं की जाती है बल्कि शिक्षक छात्र अनुपात को सुधारने हेतु यह अतिरिक्त रूप में की जाती है। अतः कार्यरत शिक्षामित्रों की सेवाओं के स्थायीकरण का प्रश्न नहीं उठता है।
- शासनादेश संख्या-1077/79-5-2007-282/98 दिनांक 15 जून, 2007 द्वारा शिक्षामित्रों का मानदेय रु0 2400/-प्रतिमाह से बढ़ाकर रु0 3000/-प्रतिमाह तथा शासनादेश संख्या-422/79-5-2009-282/98, दिनांक 09-2-2009 द्वारा शिक्षामित्रों का मानदेय रु0 3000/-प्रतिमाह से बढ़ाकर रु0 3500/-प्रतिमाह किया जा चुका है।
- शिक्षामित्रों का मानदेय ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से उनके निजी खाते में प्रेषित किये जाने हेतु शासनादेश संख्या-2677/79-5-2008-282/98, दिनांक 12-11-2008 निर्गत

किया गया है जिसमें शिक्षामित्रों का मानदेय निजी खाते में स्थानान्तरित किये जाने के स्पष्ट निर्देश हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के सिविल अस्पताल में निष्प्रयोज्य आटो एनोलाइजर को ठीक कराये जाने की मांग

*13-श्री सुखलाल-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी (सिविल) अस्पताल, जनपद-लखनऊ में विगत 2 वर्षों से आटो एनोलाइजर आर0 ए0-1000 मशीन खराब पड़ी है ? यदि हां, तो इसे कब तक ठीक करा दिया जायेगा ? उक्त के लिये दोषी कौन है तथा उसके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी हां। प्रश्नगत आटो एनालाइजर आर0ए0-1000 मशीन निष्प्रयोज्य एवं अनुपयोगी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

1-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

[मा0 सदस्य द्वारा वापस लिया गया]

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में बढ़ती हृदय रोगियों की संख्या की रोकथाम के उपाय

2-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में हृदय रोगियों की संख्या लगातार बढ़ रही है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा इसकी रोकथाम हेतु अब तक क्या उपाय किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी नहीं।

हृदय रोगियों के उपचार हेतु विधान सभा पट्टी, अमरगढ़ व कोहडौर में हृदय रोगियों की जांच हेतु ई0सी0जी0 मशीन उपलब्ध है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के प्राथमिक विद्यालयों के जर्जर भवन की मरम्मत की मांग

3-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों के कितने भवन जर्जर हालत में हैं ? सरकार द्वारा इनका निर्माण/मरम्मत कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 धर्म सिंह सैनी-

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में 05 प्राथमिक विद्यालय तथा 01 उच्च प्राथमिक विद्यालय जर्जर है।

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत जर्जर भवनों के पुनर्निर्माण हेतु भारत सरकार द्वारा कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है। वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में उक्त जर्जर भवनों के स्थान पर तीन-तीन अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण कराकर विद्यालय का संचालन किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के राजकीय माध्यमिक कन्या विद्यालयों की मरम्मत कराये जाने की मांग

4-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में कितने राजकीय माध्यमिक कन्या विद्यालय के भवन मरम्मत योग्य हो चुके हैं ? क्या सरकार विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुये उनका जीर्णोद्धार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

कोई नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के असेवित बस्तियों में विद्यालयों की स्थापना की मांग

5-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के कौन-कौन से ग्राम निर्धारित मानक के अनुसार प्राथमिक विद्यालय से असेवित रह गये हैं ? क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र की असेवित बस्तियों का सर्वे कराकर सर्वशिक्षा अभियान में प्राथमिकता पर संतृप्त करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 धर्म सिंह सैनी-

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के 35 ग्राम, प्राथमिक विद्यालय से असेवित रह गये हैं। (सूची 15 प्रतियों में संलग्न है)

सर्वशिक्षा अभियान की वर्ष 2010-11 की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट में भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त होने पर शेष असेवित ग्रामों में विद्यालय की स्थापना की जा सकेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद के विकास खण्ड-उरूवा के ग्राम अमिलिया कला में शिक्षा मित्र के चयन में धांधली सम्बन्धी शिकायती-पत्र

6-श्री सुरेश चन्द्र तिवारी-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री सुखलाल, सदस्य, विधान सभा का शिकायती-पत्र दिनांक 3 अगस्त, 2009 जो ग्राम अमिलिया कला विकास खण्ड उरूवा मेजा, जनपद इलाहाबाद में शिक्षा मित्र के चयन में बरती गयी धांधली की शिकायत पर जांच कराने विषयक था मा0 मंत्री जी तथा जिलाधिकारी, इलाहाबाद को संलग्नक सहित प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्रवाईकी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 धर्म सिंह सैनी-

जी हां।

प्रकरण की जांच करायी गयी, प्राप्त जांच आख्या के अनुसार वर्ष 2003-04 में प्राथमिक विद्यालय मनु का पुरवा में शिक्षा मित्र के चयन हेतु प्राप्त आवेदन-पत्रों में श्री संजय कुमार मिश्रा को जनपदीय समिति द्वारा शासनादेश दिनांक 1-7-2000 के अनुसार बी0एड0/एल0टी0 उत्तीर्ण को अधिमान्यता प्रदान करते हुए चयनित किया गया जो प्रशिक्षण प्राप्त कर विद्यालय में कार्यरत हैं। उक्त चयन के विरुद्ध श्री सुरेन्द्र कुमार द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में याचिका संख्या-21521/05 योजित की गयी। प्रकरण में एक अन्य अभ्यर्थी श्री अनिल कुमार शुक्ला द्वारा भी मा0 उच्च न्यायालय में एक याचिका संख्या-21652/05 योजित की गयी है। सम्प्रति दोनों ही याचिकायें मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के असेवित बस्तियों में विद्यालय की स्थापना कराये जाने की मांग

7-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के कौन-कौन से ग्राम निर्धारित मानक के अनुसार प्राथमिक विद्यालय व उच्च प्राथमिक विद्यालय से असेवित रह गये हैं ? क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र की असेवित बस्तियों का सर्वे कराकर सर्वशिक्षा अभियान में प्राथमिकता पर संतृप्त करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 धर्म सिंह सैनी-

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के 35 ग्राम, प्राथमिक विद्यालय तथा 16 ग्राम, उच्च प्राथमिक विद्यालय से असेवित रह गये हैं। (सूची 15 प्रतियों में संलग्न† है)

वर्ष 2010-11 की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट में भारत सरकार का अनुमोदन प्राप्त होने पर इन असेवित ग्रामों में विद्यालय की स्थापना की जा सकेगी।

---

† (देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 208-209 पर।)

उपरोक्तानुसार भारत सरकार से अनुदान प्राप्त होने पर।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत स्थापित कराये गये विद्यालयों का विवरण

8-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2009-2010 में कितने उच्च प्राथमिक व कितने प्राथमिक विद्यालय चयनित किये जाने का लक्ष्य है और प्रत्येक ब्लाक में कहां-कहां स्थापित किये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 धर्म सिंह सैनी-

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2009-10 में 31 प्राथमिक तथा 50 उच्च प्राथमिक विद्यालय स्वीकृत हुए है। जिला बेसिक शिक्षा समिति के निर्णयानुसार विधान सभा क्षेत्र पट्टी में 05 प्राथमिक तथा 05 उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थापित कराये गये हैं, जिनका विवरण निम्नवत् है :-

विकास खण्ड का नाम	प्राथमिक विद्यालय का नाम
मंगरौरा	प्रा0 वि0 रामचन्द्रपुर
	प्रा0 वि0 भैदपुर
पट्टी	प्रा0 वि0 चौरसिया बस्ती
	प्रा0 वि0 लकड़हवा
आसपुर देवसरा	प्रा0 वि0 भुसहर

विकास खण्ड का नाम	उच्च प्राथमिक विद्यालय का नाम
मंगरौरा	उ0 प्रा0 वि0 बरहा
	उ0 प्रा0 वि0 नादी
पट्टी	उ0 प्रा0 वि0 मेंहदिया
आसपुर देवसरा	उ0 प्रा0 वि0 आहोपुर
	उ0 प्रा0 वि0 भाऊपुर

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरे जाने की मांग

9-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में प्राथमिक व जूनियर स्तर पर कितने शिक्षकों की कमी है ? सरकार द्वारा उक्त रिक्त पदों पर कब तक की नियुक्तियां कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 धर्म सिंह सैनी-

प्राथमिक विद्यालयों में 153 एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 114 पद रिक्त हैं।

नियुक्ति की कार्रवाई गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बरेली के थाना मीरगंज स्थित चौहान मेडिकल स्टोर के संचालन का कथित प्रकरण

10-श्री सुल्तान बेग-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली तहसील, ब्लाक तथा थाना मीरगंज स्थित चौहान मेडिकल स्टोर तथा न्यू चौहान मेडिकल स्टोर एक ही प्रमाण-पत्र पर संचालित किये जा रहे हैं ? क्या इन दोनों मेडिकल स्टोरों पर बिना डाक्टरी डिग्री के मरीज भी देखे जाते हैं और दवायें भी दी जाती हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (सुश्री मायावती)-

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र महमूदाबाद के अन्तर्गत कतिपय सी0एच0सी0 व पी0एच0सी0 के निर्माण में धांधली की जांच

11-श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर)-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र महमूदाबाद के अन्तर्गत रामपुर-मथुरा सी0एच0सी0 व गौडैचा (धुरिया) पी0एच0सी0 तथा पैतेपुर में पी0एच0सी0 का निर्माण कार्य मानक/गुणवत्ता के अनुरूप न कराये जाने तथा बालू सरिया व सीमेंट विभागीय कर्मचारियों/ठेकेदारों द्वारा बेचे जाने विषयक मुख्य मंत्री को प्रेषित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 12.11.09 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी हां।

प्रकरण की जांच टी0ए0सी0 से कराने हेतु लोक निर्माण विभाग से अनुरोध किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत के विभिन्न ब्लाकों के गिरते जल स्तर व मानक के अनुसार स्थापित हैण्ड पम्प के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देश की जानकारी

12-डॉ0 अजय तोमर-

क्या लघु सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत के विभिन्न ब्लाकों का जल स्तर क्या है ? पिछले तीन वर्षों में किस-किस ब्लाक में प्रति वर्ष कितना-कितना जल स्तर कम हुआ है ? वर्तमान में इन ब्लाकों में हैण्डपम्प लगाने के मानकानुसार कितने फीट के कितने-कितने पाइप लगाये जा रहे हैं ? क्या ये हैण्डपम्प गिरते जल स्तर के सापेक्ष अगले दस वर्ष तक संचालित रह सकते हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई दिशा-निर्देश जारी करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लखीराम नागर-

जनपद-बागपत में विकास खण्ड-बागपत में 8.00 से 22.80 मी0, बड़ौत में 6.55 से 22.64 मी0, बिनौली में 14.38 से 31.00 मी0, छपरौली में 8.00 से 22.40 मी0, खेकरा में 11.70 से 21.30 मी0 एवं पिलाना में 9.00 से 25.10 मी0 के मध्य आंका गया है।

पिछले तीन वर्षों में जनपद-बागपत के विकास खण्ड-बागपत में 0.85 मीटर, बड़ौत में 0.52 मीटर, बिनौली में 0.76 मीटर, छपरौली में 0.74 मीटर, खेकरा में 0.98 मीटर तथा पिलाना में 1.21 मीटर प्रतिवर्ष जल स्तर कम हुआ है।

वर्तमान में इन ब्लाकों में पी0वी0सी0 110 मिमी0 व्यास की 100-150 फीट पाइप, पी0वी0सी0 63 मिमी0 व्यास की 20-47 फीट, स्ट्रेनर (ब्लाइन्ड पाइप के साथ) 13 फीट तथा 32 मिमी0 व्यास की जी0आई0 पाइप 90-120 फीट तक लगाये जाते हैं।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में गिरते जल स्तर को रोकने हेतु नीति निर्धारण सम्बन्धी जानकारी

13-श्री मदन चौहान-

क्या लघु सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में भू-जल स्तर तेजी से गिर रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने भू-जल स्तर रोकने हेतु कोई नीति निर्धारित की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लखीराम नागर-

प्रदेश के 820 विकास खण्डों में से 461 विकास खण्डों में भू-गर्भ जल स्तर में 01 से0मी0 से 70 से0मी0 प्रतिवर्ष तक की गिरावट परिलक्षित हो रही है।

प्रदेश में गिरते हुये भू-जल स्तर की रोकथाम के उद्देश्य से सरकार द्वारा बहुआयामी रणनीति अपनायी जा रही है। इसके अन्तर्गत विभिन्न विभागों द्वारा अपनी-अपनी योजनाओं के अधीन भू-जल संवर्धन हेतु विभिन्न कार्य कराये जाते हैं।

(अ) सरकार द्वारा विभिन्न रिचार्ज पद्धतियों के माध्यम से अधिक से अधिक वर्षा जल संचयन/भूजल संवर्धन किये जाने हेतु निम्न व्यवस्थायें की गयी हैं :-

(1) नगरीय क्षेत्रों की महायोजना/जोनल प्लान में प्राकृतिक जलाशयों/तालाबों का संरक्षण अनिवार्य कर दिया गया है।

(2) नगरीय क्षेत्रों में 20 एकड़ अथवा अधिक क्षेत्रफल की आवासीय योजनाओं के लेआउट प्लान्स में 5 प्रतिशत भूमि पर भूजल की रिचार्जिंग हेतु तालाब/जलाशय निर्मित किये जाने की व्यवस्था की गयी है।

(3) पार्कों में पक्का निर्माण 5 प्रतिशत तक ही सीमित रखने का अनिवार्य कर दिया गया है।

(4) 300 वर्ग मी0 अथवा अधिक क्षेत्रफल में निर्मित होने वाले समस्त प्रकृति के भवनों में रूफ टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग पद्धति की स्थापना को अनिवार्य कर दिया गया है।

(5) पूर्व में निर्मित शासकीय/अर्द्धशासकीय भवनों तथा भविष्य में निर्मित होने वाले शासकीय/अर्द्धशासकीय भवनों में रूफ टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग पद्धति स्थापित किये जाने को अनिवार्य कर दिया गया है।

(6) आवास एवं शहरी नियोजन विभाग एवं उ0 प्र0 जल निगम द्वारा शासकीय/अर्द्धशासकीय भवनों पर रूफ टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग पद्धति की स्थापना की जा रही है। भू-गर्भ जल विभाग द्वारा उक्त पद्धति की स्थापना माडल के रूप में की जा रही है।

(7) यह भी निर्देश दिये गये हैं कि प्रत्येक जनपद में ऐसे तालाब/जल स्रोत जिन पर अवैध कब्जा/अतिक्रमण हुआ है, उनसे अतिक्रमण हटाया जाय। साथ ही प्रत्येक जनपद में अवस्थित तालाबों/पोखरों एवं अन्य परम्परागत जल स्रोतों की सफाई करने के निर्देश दिये गये हैं।

(8) ग्राम्य विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत तालाबों का जीर्णोद्धार/निर्माण बंधी एवं चेकडैम निर्माण का कार्य किया जा रहा है।

(9) ग्राम्य विकास विभाग द्वारा ग्रामीण पेयजल योजना के अन्तर्गत वाटर रिचार्जिंग कार्यों के अन्तर्गत प्रत्येक जनपद में ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी भवनों पर रूफ टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग पद्धति की स्थापना की जा रही है।

(10) कृषि विभाग द्वारा अपनी विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत बन्धी इनसीटू (आन फार्म) रेन वाटर हार्वेस्टिंग, परकोलेशन वेल, तालाब एवं रिचार्ज पिट का कार्य किया जा रहा है।

(11) लघु सिंचाई विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत तालाबों का जीर्णोद्धार/निर्माण तथा चेकडैम के निर्माण का कार्य किया जा रहा है।

(12) उ0 प्र0 जल निगम द्वारा ग्रामीण पेयजल योजना के अन्तर्गत चेकडैम का निर्माण किया जा रहा है।

(13) भू-गर्भ जल के प्रबन्धन, संतुलित उपयोग तथा संरक्षण के प्रति जनमानस में जागरूकता लाने हेतु प्रत्येक वर्ष 10 जून को सम्पूर्ण प्रदेश में 'भू-गर्भ जल दिवस' शासकीय दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है।

(ब) प्रदेश के 40 जनपदों के 37 अतिदोहित, 13 क्रिटिकल एवं 88 सेमी क्रिटिकल श्रेणी के विकास खण्डों में वर्षा जल संचयन का उपयोग करते हुये उन्हें सुरक्षित श्रेणी में लाये जाने के उद्देश्य से परियोजना तैयार कर सम्बन्धित जिलाधिकारियों को उपलब्ध करा दी गयी है, जिन्हें जनपद स्तरीय तकनीकी समन्वय समिति से अनुमोदनोपरान्त नरेगा के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि से क्रियान्वित किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जे0पी0 नगर के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण बुढ़नपुर में विशिष्ट बी0टी0सी0 के नवनियुक्त शिक्षकों की अंक तालिका प्रमाण-पत्रों के सत्यापन की मांग

14-श्री हरपाल सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण बुढ़नपुर जिला जे0पी0 नगर में वर्ष 2007 में विशिष्ट बी0टी0सी0 (प्रथम बैच) के अन्तर्गत नवनियुक्त शिक्षकों के अंक तालिका प्रमाण पत्रों के सत्यापन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है ? उक्त अंक तालिका सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/ विश्वविद्यालय कार्यालयों द्वारा सत्यापन में विलम्ब करने के लिये कौन-कौन से कर्मचारी/अधिकारी दोषी हैं ? क्या सरकार द्वारा उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 धर्म सिंह सैनी-

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण बुढ़नपुर जिला जे0पी0 नगर में विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षण 2007 (प्रथम बैच) के कुल 293 अभ्यर्थियों में से 286 अभ्यर्थियों का सत्यापन पूर्ण हो चुका है तथा मात्र 07 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनकी एक परीक्षा का अथवा किसी भी परीक्षा का सत्यापन प्राप्त नहीं हुआ है। 07 अभ्यर्थियों में से मात्र 05 अभ्यर्थियों का एक परीक्षा का सत्यापन पूर्ण हो चुका है तथा मात्र 02 अभ्यर्थियों का किसी भी परीक्षा का सत्यापन प्राप्त नहीं हुआ है।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण बुढ़नपुर जे0पी0 नगर के स्तर से उपरोक्त 07 अभ्यर्थियों की अंक तालिकाएं सत्यापन हेतु सम्बन्धित संस्था को ससमय प्रेषित की गयी थी, परन्तु इन अभ्यर्थियों का सत्यापन अद्यतन प्राप्त नहीं हुआ है। उल्लेखनीय है कि इन अभ्यर्थियों द्वारा अन्य राज्यों से परीक्षा उत्तीर्ण की गयी है, इसलिए अंक तालिकाओं के सत्यापन में विलम्ब है। इसके लिए कोई कर्मचारी/अधिकारी दोषी नहीं हैं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

तदैव।

उ0 प्र0 सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों की भांति पति-पत्नी को एक ही जनपद में रखने की नीति अनुदानित अशासकीय महाविद्यालयों के अध्यापकों हेतु लागू करने की मांग

15-श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि उ0प्र0 सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति/स्थानान्तरण में पति-पत्नी को यथासम्भव एक ही जनपद में रखे जाने की व्यवस्था है ?

क्या सरकार के अनुदानित अशासकीय महाविद्यालय के अध्यापकों की नियुक्ति/स्थानान्तरण में भी उक्त व्यवस्था लागू है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार सरकारी कर्मचारियों की भांति उच्च शिक्षा विभाग में भी उक्त व्यवस्था लागू करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 राकेशधर त्रिपाठी-

जी हां।

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

पति-पत्नी को यथासंभव एक ही जनपद में रखे जाने की नीति सरकारी सेवकों पर ही लागू है। अनुदानित अशासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षक सरकारी सेवकों की परिधि में नहीं आते हैं।

अनुदानित अशासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत ऐसे शिक्षकों, जिनके वेतन का भुगतान वेतन संदाय खाते से किया जा रहा हो, को 05 वर्ष की सेवा के उपरान्त सम्बन्धित दोनों महाविद्यालयों के प्रबन्धतंत्र की सहमति/अनापत्ति की दशा में उनके सम्पूर्ण सेवाकाल में केवल एक बार ही स्थानान्तरण किये जाने की नीति है।

जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र महमूदाबाद के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के निर्माण में मजदूरों की मजदूरी का भुगतान कराये जाने की मांग

16-श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर)-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र महमूदाबाद के अन्तर्गत कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय ग्राम कलुआपुर में निर्माणाधीन विद्यालय में मजदूरों की मजदूरी, ठेकेदार/अधिशासी अभियन्ता द्वारा न दिये जाने विषयक मा0 मुख्य मंत्री को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 12-11-2009 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 धर्म सिंह सैनी-

जी हां।

प्रकरण की जांच जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सीतापुर से करायी गयी। प्राप्त जांच आख्या के अनुसार कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, महमूदाबाद के निर्माण कार्य में सम्बन्धित कार्यदायी संस्था सी0 एण्ड डी0एस0, उ0 प्र0 जल निगम द्वारा मजदूरों की मजदूरी का भुगतान न्यूनतम मजदूरी दर से किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के अनेकों जिलों में गिरते भू-गर्भ जल स्तर के सुधार हेतु कार्य योजना सम्बन्धी जानकारी

17-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या लघु सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के 40 जिलों में गिरते हुये भू-गर्भ जलस्तर के दृष्टिगत अति संवेदनशील 138 ब्लाकों में भू-जल संरक्षण के लिये कोई कार्य योजना बनाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो वह कार्य योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लखीराम नागर-

जी हां, प्रदेश के 40 जिलों में गिरते हुए भू-गर्भ जल स्तर के दृष्टिगत अति संवेदनशील 138 ब्लाकों में भू-जल संरक्षण के लिए कार्य योजना तैयार कर सभी 40 जिलों के जिलाधिकारियों को प्रेषित कर दी गयी है।

प्रदेश के 40 जनपदों के सभी 138 अति संवेदनशील ब्लाकों में भू-जल संरक्षण हेतु नये तालाबों का निर्माण, पुराने तालाबों का जीर्णद्वार, चेकडैम का निर्माण, मेढ़ बन्धी द्वारा वर्षा जल संचयन आदि कार्य योजना में सम्मिलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर नगर के उर्सला हासमैन मेमोरियल जिला अस्पताल में चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरे जाने की मांग

18-श्री संजीव दरियाबादी-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर के उर्सला हासमैन मेमोरियल जिला अस्पताल में कितने चिकित्सकों के पद रिक्त हैं ? रिक्त चिकित्सकों के पद पर कब तक नियुक्ति कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

उर्सला हार्समैन मेमोरियल जिला अस्पताल में चिकित्साधिकारियों के 34 पद रिक्त हैं।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयन/संस्तुतियां प्राप्त होने एवं प्रोन्नति के उपरान्त चिकित्सकों की तैनाती की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त कर्मियों को ग्रेच्युटी का भुगतान कराये जाने की मांग

19-डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त कर्मियों को 20 जून, 2002 से 18 नवम्बर, 2004 के बीच का ग्रेच्युटी भुगतान किये जाने से सम्बन्धित पत्रांक क-3 नं0 104573, दिनांक 7-10-2009 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाईकी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 राकेशधर त्रिपाठी-

जी हां।

विश्वविद्यालय के स्वायत्तशासी संस्था होने तथा विश्वविद्यालय के कार्मिक राज्य कर्मचारियों की श्रेणी के अन्तर्गत नहीं आने के कारण समानता का औचित्य स्थापित न होने से शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को दिनांक 20-6-2002 से ग्रेच्युटी का लाभ दिया जाना संभव नहीं है। शासन के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-सी0एम0-70/सत्तर-4-2009-46 (13) 2004 दिनांक 4-12-2009 के माध्यम से प्रश्नकर्ता मा0 सदस्य को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र महमूदाबाद के श्री बिन्द्रा प्रसाद मातादीन बालिका इण्टर कालेज डफरा के फर्जी संस्था के संचालन की जांच

20-श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर)-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र, महमूदाबाद के अन्तर्गत श्री बिन्द्रा प्रसाद माता दीन बालिका इण्टर कालेज डफरा, जो एक फर्जी संस्था के सचिव द्वारा संचालित किये जाने विषयक मुख्य मंत्री को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 30-8-09 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

प्रश्नगत विषय के सम्बन्ध में श्री राम खेलवान वर्मा, प्रबन्धक का पत्र दिनांक 30-8-09 एवं मा0 विधायक श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा का दिनांक रहित पत्र प्राप्त हुआ है।

मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, लखनऊ से जांच करायी जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में माध्यमिक शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की अधिवर्षता आयु बढ़ाने एवं उस पर ग्रेच्युटी दिलाये जाने सम्बन्धी जानकारी

21-डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या माध्यमिक शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को 62 वर्ष की आयु पर अधिवर्षता तथा 60 वर्ष की आयु पर ग्रेच्युटी देने की कोई कार्य योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो इस विषय में क्या निर्णय लिया गया है ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

जी नहीं।

माध्यमिक शिक्षणेत्तर कर्मियों की अधिवर्षता आयु 62 वर्ष किये जाने की मांग औचित्यपूर्ण नहीं पायी गयी।

60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पर ग्रेच्युटी एवं सेवानिवृत्तिक लाभ की व्यवस्था शासनादेश दिनांक 19-4-2006 द्वारा लागू है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र महमूदाबाद में माडल स्कूल निर्मित कराये जाने की मांग

22-श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर)-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र महमूदाबाद के विकास खण्ड महमूदाबाद व पहला में माडल स्कूल निर्मित कराने हेतु जून, 2009 में जिला विद्यालय निरीक्षक सीतापुर द्वारा राजस्व अधिकारियों से प्रस्ताव मांगे जाने विषयक मुख्य मंत्री को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 12-11-09 उन्हें प्राप्त हुआ है ? क्या यह सही है कि उक्त निर्माण हेतु ग्राम पंचायत गोड़ौरा, ब्लाक महमूदाबाद तथा ग्राम पंचायत सुल्तानपुर, ब्लाक

पहला के ग्राम प्रधानों ने 5-5 एकड़ भूमि दिये जाने का प्रस्ताव पारित करके तहसील भेजा है ? यदि हां, तो उक्त ग्राम पंचायतों में कब तक माडल स्कूल का निर्माण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

जी हां।

संदर्भित पत्र में ग्राम प्रधानों द्वारा 5-5 एकड़ भूमि दिये जाने हेतु उप जिलाधिकारी, महमूदाबाद को प्रस्ताव भेजे जाने का उल्लेख है, किन्तु जिला विद्यालय निरीक्षक, सीतापुर को प्रश्नगत प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रस्ताव प्राप्त होने पर भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर के राजकीय महिला चिकित्सालय महमूदाबाद में महिला डाक्टर की नियुक्ति किये जाने की मांग

23-श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर)-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर के राजकीय महिला चिकित्सालय, महमूदाबाद में महिला डाक्टर की नियुक्ति किये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र, दिनांक 28-10-2009 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी हां।

राजकीय महिला चिकित्सालय, महमूदाबाद (सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, महमूदाबाद) में संविदा पर महिला चिकित्सक (गायनिकोलॉजिस्ट) की नियुक्ति कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर के राजकीय पुरुष चिकित्सालय में हड्डी रोग विशेषज्ञ सर्जन की नियुक्ति कराये जाने की मांग

श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर)-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर के राजकीय पुरुष चिकित्सालय में हड्डी रोग विशेषज्ञ/सर्जन के स्थानान्तरण के पश्चात् उक्त रिक्त पद पर अभी तक तैनाती न किये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र, दिनांक 28-10-2009 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त चिकित्सालय में हड्डी रोग विशेषज्ञ/सर्जन की नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी हां।

प्रश्नगत चिकित्सालय में उक्त रिक्त पद पर डॉ0 अरुण लाल, हड्डी रोग विशेषज्ञ/सर्जन की तैनाती कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

25-श्री जोखू लाल यादव-

[दिनांक 08-2-2010 के अतारांकित प्रश्न सं0-163 के द्वारा उत्तरित]

जनपद बागपत के सी0एच0सी0 तथा पी0एच0सी0 में मानक के अनुसार पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती की मांग

26-डॉ0 अजय तोमर-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत के कितने सी0एच0सी0 तथा पी0एच0सी0 में मानक के अनुसार चिकित्सक व पैरा मेडिकल स्टाफ की तैनाती नहीं है ? क्या मानक के अनुसार चिकित्सकों व अन्य स्टाफ की तैनाती की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जनपद बागपत के 03 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 03 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं 21 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर मानक के अनुसार चिकित्सक व अन्य पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती नहीं है।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयन/संस्तुतियां प्राप्त होने पर चिकित्सकों एवं प्रशिक्षित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती कर दी जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महामायानगर के प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में मानक के अनुसार अध्यापकों की तैनाती की मांग

27-श्री यशपाल सिंह चौहान-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ब्लाक सिकन्दराराव हसायन जनपद महामायानगर के कितने प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में छात्र संख्या के आधार पर मानकों के अनुरूप अध्यापकों की तैनाती नहीं है ? क्या उक्त विद्यालयों में मानक के अनुसार अध्यापकों की तैनाती की जायेगी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 धर्म सिंह सैनी-

जनपद महामायानगर के विकास क्षेत्र सिकन्दराराऊ के 57 प्राथमिक विद्यालय एवं 28 पूर्व माध्यमिक विद्यालयों तथा विकास क्षेत्र हसायन के 47 प्राथमिक विद्यालयों एवं 36 पूर्व मा0 विद्यालयों में छात्र संख्या के आधार पर मानक के अनुरूप अध्यापकों की तैनाती नहीं है।

जी हां।

यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

बहेड़ी विधान सभा क्षेत्र के अनेकों ब्लाकों में कस्तूरबा गांधी बालिका उ0मा0 विद्यालयों के निर्माण में धांधली की जांच

28-श्री छत्रपाल सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बहेड़ी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत दमखोदा ब्लाक के मुडिया नवी बक्स, बहेड़ी ब्लाक के उतरसिया सुमुखिया (मुडिया कालोनी) तथा बहेड़ी नगर के ग्राम झाजूनागर के कस्तूरबा गांधी बालिका उ0मा0 विद्यालयों में निर्माण कार्य प्रगति पर है ? क्या सरकार को पता है कि इन विद्यालयों के निर्माण में बहुत ही घटिया सामग्री, स्थानीय नदियों की बालू तथा घटिया ईटों का उपयोग किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन विद्यालयों के भवनों के निर्माण की उच्चस्तरीय तकनीकी जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 धर्म सिंह सैनी-

जी हां।

उक्त कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के भवन का निर्माण कार्यदायी शासकीय संस्था ग्रामीण अभियंत्रण सेवा प्रखण्ड-बरेली द्वारा कराया जा रहा है। सम्प्रति घटिया निर्माण के सम्बन्ध में कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बरेली की तहसील बहेड़ी के विकास खण्डों के विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति कराये जाने की मांग

29-श्री छत्रपाल सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली की बहेड़ी तहसील के तीनों विकास खण्डों में प्राथमिक तथा जूनियर हाई स्कूलों में तैनात शिक्षकों की संख्या कितनी है ? कितने विद्यालय अभी तक शिक्षकविहीन, एकल शिक्षक तथा शिक्षा मित्रों के सहारे चल रहे हैं ? क्या सरकार सरकारी स्कूलों में मानक के अनुरूप शिक्षकों की नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 धर्म सिंह सैनी-

प्राथमिक विद्यालय में 569 एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में 121 शिक्षक तैनात हैं।

12 प्राथमिक विद्यालय 36 उच्च प्राथमिक विद्यालय शिक्षक विहीन, 274 प्राथमिक विद्यालय एवं 40 उच्च प्राथमिक विद्यालय एकल अध्यापकीय एवं उपरोक्त 12 प्राथमिक विद्यालय शिक्षा मित्रों द्वारा संचालित है।

जी हां।

प्राइमरी विद्यालयों में प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के उपलब्ध होने पर तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पदोन्नति की प्रक्रिया से पदस्थापन किया जायेगा। वर्तमान में विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षण तथा पदोन्नति की कार्रवाई गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर विश्वविद्यालय में कार्यरत मानदेय शिक्षकों के विनियमितीकरण की मांग

30-डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में कार्यरत मानदेय शिक्षकों के विनियमितिकरण की कोई नीति निर्धारित की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 राकेश धर त्रिपाठी-

जी नहीं।

प्रश्नगत विश्वविद्यालय के कार्यरत मानदेय शिक्षकों के प्रकरण में आरक्षण के नियमों का पालन नहीं हुआ है। ऐसे शिक्षकों के पदों पर बैक डोर इन्ट्री को मान्यता देना उचित नहीं है।

प्रदेश में खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग

31-श्री जोखू लाल यादव-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में खाद्य पदार्थों में बड़े पैमाने पर मिलावट के कारण जन-जीवन को खतरा उत्पन्न हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार दोषियों के विरुद्ध कठोर दण्डात्मक कार्रवाई करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

खाद्य पदार्थों में मिलावट के कतिपय मामले जांच से प्रकाश में आये हैं।

जांच से खाद्य पदार्थों में मिलावट की पुष्टि होने पर खाद्य अपमिश्रण अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत अपेक्षित कार्रवाई की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में विशुद्ध खाद्य सामग्री की बिक्री सुनिश्चित करने तथा मिलावटी/प्रदूषित खाद्य सामग्री के निर्माण एवं विक्रय पर नियंत्रण का समन्वित सघन अभियान चलाये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश दिनांक 31-7-2007, 17-10-2008 एवं 24-10-2009 द्वारा समस्त मण्डलायुक्तों जिलाधिकारियों/मुख्य चिकित्साधिकारियों तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारियों को प्रभावी कार्रवाई किये जाने के निर्देश निर्गत किये गये हैं। इस सम्बन्ध में मुख्य खाद्य निरीक्षक एवं खाद्य निरीक्षकों की संयुक्त टीम गठित कर विशेष अभियान चलाये जाने तथा संदिग्ध पाये जाने पर पुलिस व प्रशासन की सहायता से नियमित व छापामार तरीके से नमूने संग्रह किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

खाद्य एवं औषधि प्रशासन के गठन के पश्चात् दशहरा, दीपावली तथा ईद के त्योहारों पर जनता को शुद्ध खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए दिनांक 09-24 अक्टूबर, 2009 के मध्य विशेष अभियान चलाकर 1,864 नमूने संग्रहित किये गये लगभग डेढ़ करोड़ रुपये मूल्य के अपमिश्रित खाद्य पदार्थ जब्त किये गये एवं 104 प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराकर मौके से 144 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के 30-7-09 को गठन के पश्चात् मुख्य खाद्य निरीक्षक को जिलाधिकारी तथा खाद्य निरीक्षकों को उप जिला मजिस्ट्रेटों के अधीन तैनात किया गया है। जिला प्रशासन एवं पुलिस के सक्रिय सहयोग से संदेहात्मक इकाईयों पर छापे डाले गये हैं एवं अपमिश्रण पाये जाने पर दोषी गिरफ्तार कर जेल भेजे गये हैं।

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत मिलावट की गम्भीरता के आधार पर 06 माह से लेकर आजीवन कारावास तथा अर्थदण्ड का प्राविधान है।

जनपद इलाहाबाद के जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की नियुक्ति के विचाराधीन प्रस्तावों पर कार्रवाई की मांग

32-श्री सुरेश चन्द्र तिवारी-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद में जिला विद्यालय निरीक्षक प्रथम/द्वितीय के कार्यालय में जनवरी, 2007 से अक्टूबर, 2009 तक सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों (हाई स्कूल, इण्टर) में तृतीय श्रेणी/चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति के कितने प्रस्ताव विचाराधीन हैं ? क्या सरकार विचाराधीन प्रस्तावों पर शीघ्र निर्णय लेकर नियुक्ति की कार्रवाई करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

जनपद इलाहाबाद में जिला विद्यालय निरीक्षक प्रथम/द्वितीय के कार्यालय में अल्पसंख्यक विद्यालयों सहित 04 लिपिक एवं 10 परिचारकों के वेतन अनुमन्यता के प्रकरण विचाराधीन है।

जी हां।

सम्बन्धित संस्थाओं द्वारा मण्डल कार्यालय द्वारा मांगे गये पत्रजातों को प्राप्त करा दिये जाने के उपरान्त कार्रवाई की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के विकास खण्ड फतेहाबाद के विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति की मांग

33-डॉ0 राजेन्द्र सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के विकास खण्ड क्षेत्र, फतेहाबाद में कितने प्राईमरी व जूनियर विद्यालय, अध्यापकों की कमी के कारण बन्द हैं ? इनमें अध्यापकों की नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 धर्म सिंह सैनी-

कोई विद्यालय बन्द नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में खाद्य सामग्री में मिलावट की रोकथाम के उपाय

34-डॉ0 राजेन्द्र सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, 2009 से 30 नवम्बर, 2009 तक देशी घी में जानवरों की चर्बी मिलाने के कितने मामले प्रदेश में पकड़े गये हैं तथा उनमें क्या कार्रवाई की गयी ? मिलावट को रोकने के लिये सरकार ने अब तक क्या उपाय किये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

प्रदेश में दिनांक 01-01-2009 से 31-11-2009 की अवधि में देशी घी के संग्रहित नमूनों के विश्लेषण से किसी भी नमूने में जानवरों की चर्बी मिलाने का कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया।

प्रदेश में विशुद्ध खाद्य सामग्री की बिक्री सुनिश्चित करने तथा मिलावटी/प्रदूषित खाद्य सामग्री के निर्माण एवं विक्रय पर नियंत्रण का समन्वित सघन अभियान चलाये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश दिनांक 31-7-2007, 17-10-2008 एवं 24-10-2009 द्वारा समस्त मण्डलायुक्तों जिलाधिकारियों/मुख्य चिकित्साधिकारियों तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारियों को प्रभावी कार्रवाई किये जाने के निर्देश निर्गत किये गये हैं। इस सम्बन्ध में मुख्य खाद्य निरीक्षक एवं खाद्य निरीक्षकों की संयुक्त टीम गठित कर विशेष अभियान चलाये जाने तथा संदिग्ध पाये जाने पर पुलिस व प्रशासन की सहायता से नियमित व छापामार तरीके से नमूने संग्रह किये जाने के निर्देश दियें गये हैं।

खाद्य एवं औषधि प्रशासन के गठन के पश्चात् दशहरा, दीपावली तथा ईद के त्योहारों पर जनता को शुद्ध खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए दिनांक 09-24 अक्टूबर, 2009 के मध्य विशेष अभियान चलाकर 1,864 नमूने संग्रहित किये गये लगभग डेढ़ करोड़ रुपये मूल्य के अपमिश्रित खाद्य पदार्थ जब्त किये गये एवं 104 प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराकर मौके से 144 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के 30-7-09 को गठन के पश्चात् मुख्य खाद्य निरीक्षक को जिलाधिकारी तथा खाद्य निरीक्षकों को उप जिला मजिस्ट्रेटों के अधीन तैनात किया गया है। जिला प्रशासन एवं पुलिस के सक्रिय सहयोग से संदेहात्मक इकाईयों पर छापे डाले गये हैं एवं अपमिश्रण पाये जाने पर दोषी गिरफ्तार कर जेल भेजे गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर के अयोध्यादास राजकीय इण्टर कालेज में मानक के अनुसार सुविधायें उपलब्ध होने सम्बन्धी जानकारी

35-डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर स्थित अयोध्यादास राजकीय इण्टर कालेज में मानक के अनुरूप शिक्षकों, शिक्षणेत्तर कर्मियों, भवन उपकरणों तथा पुस्तकालयों की सुविधायें उपलब्ध है ? यदि नहीं, तो इन कर्मियों को दूर करने के लिये सरकार द्वारा इसके लिये क्या कार्रवाई की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में छठे वेतन आयोग के एरियर का भुगतान कराने सम्बन्धी जानकारी

36-श्री मदन भैया उर्फ मदन गोपाल-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों में छठे वेतन आयोग के एरियर का चालीस प्रतिशत का भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो उक्त भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ?

डॉ0 धर्म सिंह सैनी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

यथाशीघ्र।

जनपद गोण्डा के विकास खण्डों में निःशुल्क बोरिंग कराने का लक्ष्य

37-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या लघु सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के सभी विकास खण्डों में वर्ष 2007-08, 2008-09 एवं 2009-10 में निःशुल्क बोरिंग कराने का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था ? क्या यह सही है कि घटिया किस्म की सामग्री की आपूर्ति होने के कारण बोरिंग खराब हो रही है ? यदि हां तो क्या सरकार इसकी जांच करवाकर दोषी के विरुद्ध कार्रवाई करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लखीराम नागर-

जी हां। जनपद गोण्डा के सभी विकास खण्डों में वर्ष 2007-08, 2008-09 एवं 2009-10 के लिए क्रमशः 10347, 6044 एवं 2814 निःशुल्क बोरिंग का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।

जी नहीं। ऐसा कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है कि घटिया किस्म की सामग्री होने के कारण बोरिंगें खराब हो रही हैं।

पाइप की गुणवत्ता बनाये रखने हेतु शासनादेश में की गई व्यवस्थानुसार कृषकों के पाइप के सैम्पुल की जांच सीपेट, लखनऊ से कराई गई। सीपेट से प्राप्त जांच रिपोर्ट में वर्ष 2007-08 में मैसर्स आशीष एग्री0 स्टोर, तरबगंज, गोण्डा, मै0 श्री राम मिल स्टोर्स स्टेशन रोड, गोण्डा एवं मै0 सज्जन ट्रेनिंग कम्पनी आजाद नगर, बेलसर, गोण्डा का पाइप अधोमानक होने के कारण इन फर्मों को काली सूची में डाल दिया गया है। वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में सीपेट, लखनऊ को प्रेषित पी0वी0सी0 पाइप के सैम्पुल जांच में मानक के अनुरूप पाये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मेरठ स्थित चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय में शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग

38-डॉ0 अजय तोमर-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मेरठ स्थित चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय में शिक्षकों एवं गैर शिक्षक कर्मचारियों के कितने पद रिक्त हैं ? क्या सरकार रिक्त पदों पर नियुक्तियां करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 राकेश धर त्रिपाठी-

चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ में शिक्षकों के कुल 30 पद तथा गैर शिक्षक कर्मचारियों के कुल 197 पद रिक्त हैं।

जी हां।

शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया था, जिसे मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 04-08-09 को निरस्त कर दिया गया है। मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध मा0 सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुज्ञा याचिका योजित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। गैर शिक्षक कर्मचारियों के 23 पदों पर चयन प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी है, परन्तु परिणाम घोषित करने पर मा0 उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगा दी गयी है। शेष पदों को भरने हेतु शीघ्र विज्ञापन कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्यों के अन्तर्गत कराये गये कार्यों का विवरण

39-डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रदेश में 2009-10 हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये थे तथा 30 नवम्बर, 2009 तक लक्ष्यों के सापेक्ष क्रौन-कौन से कितने कार्य कराये गये हैं ?

डॉ0 धर्म सिंह सैनी-

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत वर्ष 2009-10 में प्रमुख कार्यों के निर्धारित लक्ष्य तथा उनके सापेक्ष 30-11-2009 तक की प्रगति निम्नवत् है :-

नवीन विद्यालयों की स्थापना				के0जी0बी0वी0 का संचालन		प्राथमिक विद्यालयों की बालिकाओं को यूनिफार्म का वितरण		उच्च प्राथमिक विद्यालयों की बालिकाओं को स्कूल बैग का वितरण		समस्त बालिकाओं एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के बच्चों को पाठ्य पुस्तक का वितरण		सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण	
प्रा0वि0		उ0प्रा0वि0											
लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
927	768	1126	1107	464	454	76.29 लाख	68.75 लाख	18.06 लाख	15.94 लाख	156 लाख	151 लाख	3150 लाख मानव दिवस	1792 लाख मानव दिवस

विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिये प्री इंटीग्रेशन कैम्प		विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिये आवासीय ब्रिजकोर्स	
लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
56	52	71	68

निर्माण कार्य

प्राथमिक विद्यालय का निर्माण			उच्च प्राथमिक विद्यालय का निर्माण			अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण		
लक्ष्य	पूर्ण	निर्माणाधीन	लक्ष्य	पूर्ण	निर्माणाधीन	लक्ष्य	पूर्ण	निर्माणाधीन
827	10	712	1126	4	1096	8784	1072	7664

उत्तर प्रदेश विधान सभा

लखनऊ के एम0जी0 मार्ग स्थित वी0आई0पी0 गेस्ट हाउस में आकस्मिक चिकित्सा सुविधाएं युक्त डिस्पेन्सरी की मांग

40-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या वी0आई0पी0 गेस्ट हाऊस एम0जी0 मार्ग लखनऊ में आकस्मिक चिकित्सा सुविधा सहित डिस्पेंसरी कार्य कर रही है ? यदि नहीं, तो उक्त डिस्पेंसरी में आकस्मिक चिकित्सा सुविधायें कब से उपलब्ध हो जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

आकस्मिक चिकित्सा सुविधा को छोड़कर डिस्पेन्सरी कार्य कर रही है।

डिस्पेन्सरी में आकस्मिक चिकित्सा प्रारम्भ करने का संप्रति कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

वी0वी0आई0पी0 गेस्ट हाउस से लगभग 1 किमी0 की दूरी पर विशिष्ट चिकित्सा/उपचार की सुविधाओं से युक्त डॉ0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय में इमरजेन्सी सेवाएं सुलभ है। अतएव, इसके दृष्टिगत डिस्पेन्सरी को उच्चीकृत करके इसमें आकस्मिक सेवाओं को संचालित करने का औचित्य नहीं है।

जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर के प्राथमिक विद्यालयों का उद्घाटन क्षेत्रीय प्रतिनिधियों से कराये जाने की मांग

41-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद गोण्डा के वि0स0 क्षेत्र मनकापुर में प्राथमिक विद्यालयों/जूनियर हाई स्कूलों का उद्घाटन/अध्यक्षता क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों से वर्ष 2008-09, 2009-10 में नहीं करायी गयी है ? क्या शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालयों का उद्घाटन/अध्यक्षता क्षेत्रीय विधायक से कराये जाने का प्राविधान है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 धर्म सिंह सैनी-

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के उद्घाटन कराने हेतु कोई प्राविधान नहीं है।

जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर के कस्तूरबा गांधी विद्यालय बंजरिया में छात्राओं को मानक के अनुसार खाद्य सामग्री उपलब्ध न कराये जाने सम्बन्धी जानकारी

42-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र, मनकापुर के कस्तूरबा गांधी विद्यालय बंजरिया में छात्राओं को ठेकेदारों द्वारा आपूर्ति की जा रही नाश्ता,

भोजन एव अन्य खाद्य सामग्री की गुणवत्ता मानक के अनुसार नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार जांच करवाकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 धर्म सिंह सैनी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

कस्तूरबा गांधी विद्यालय बजरिया में टेण्डर के आधार पर चयनित संस्था द्वारा छात्राओं को मानक के अनुसार गुणवत्तायुक्त खाद्य सामग्री दी जा रही है। खाद्य सामग्री बनाने का कार्य विद्यालय के स्टाफ रसोईया द्वारा किया जाता है तथा बालिकाओं को नाश्ता व भोजन मीनू के अनुसार गुणवत्तायुक्त दिया जाता है।

मुजफ्फरनगर के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा मृतक आश्रित श्री विवेक कुमार की नियुक्ति सम्बन्धी महानिदेशालय को प्रेषित-पत्र पर कार्यवाही

43-श्रीमती मिथिलेश पाल-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य चिकित्साधिकारी, मुजफ्फरनगर द्वारा निदेशक प्रशासन, चिकित्सा एवं सेवायें, अनुभाग-4 क/ए स्वास्थ्य भवन उ0 प्र0 लखनऊ को प्रेषित-पत्र सं0 456, दिनांक 28-01-09 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या श्री विवेक कुमार पुत्र स्व0 श्री निर्दोष कुमार को मृतक आश्रित के रूप में नियुक्ति दे दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी हां।

जी नहीं।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी मुजफ्फरनगर के पत्र दिनांक 28-01-2009 द्वारा भेजे गये अभिलेख अपूर्ण होने के कारण पुनः दिनांक 01-01-2010 को पूर्ण अभिलेख प्राप्त कर लिये गये हैं। भविष्य में महानिदेशालय स्तर पर आयोजित होने वाली टंकण परीक्षा में सफल होने पर श्री विवेक कुमार को नियुक्ति दी जायेगी।

प्रदेश में डाट्स थिरेपी की उपलब्धि का विवरण एवं जनपद गोरखपुर में मल्टी ड्रग रजिस्टेन्ट की संख्या सम्बन्धी जानकारी

44-डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों में क्षय रोग के सन्दर्भ में डाट्स थिरेपी की जनपदवार उपलब्धि का विवरण क्या है ? क्या सरकार यह भी बातएगी कि जनपद गोरखपुर में डाट्स थिरेपी में वर्ष 2007-08 तथा वर्ष 2008-09 में कितने मरीजों का इलाज किया गया तथा उनमें कितने "मल्टी-ड्रग रजिस्टेन्ट" केस हैं ?

श्री अनन्त मिश्रा-

प्रदेश के विभिन्न जनपदों में क्षय रोग के संदर्भ में डाट्स थिरेपी की जनपदवार उपलब्धि के विवरण संलग्न† है।

जनपद-गोरखपुर में डाट्स थिरेपी में वर्ष 2007-08 में 2496 तथा वर्ष 2008-09 में 3330 मरीजों का उपचार किया गया तथा उनमें मल्टी ड्रग रजिस्टेन्ट केस की संख्या शून्य है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 210-212 पर)

जनपद बागपत के राजकीय कन्या इण्टर कालेज में रिक्त पदों पर तैनाती का विवरण

45-डॉ0 अजय तोमर-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत के राजकीय कन्या इण्टर कालेज में प्रवक्ता अध्यापक (एल0टी0ग्रेड) लिपिक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के कितने-कितने पद हैं एवं इन पदों के सापेक्ष अलग-अलग कितने-कितने पद रिक्त हैं ? क्या सरकार रिक्त पदों पर तैनाती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंग नाथ मिश्र-

राजकीय कन्या इण्टर कालेज, बागपत में प्रवक्ता के 09, सहायक अध्यापक के 07, वरिष्ठ लिपिक के 01, कनिष्ठ लिपिक के 01 एवं चतुर्थ श्रेणी के 02 पद सृजित हैं इन पदों के सापेक्ष प्रवक्ता के 05, सहायक अध्यापक के 02, कनिष्ठ लिपिक के 01 चतुर्थ श्रेणी के 02 पद रिक्त हैं।

जी हां।

प्रवक्ता वेतनक्रम के रिक्त पदों को भरने हेतु अधियाचन लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया गया है। आयोग से चयनित सूची प्राप्त होने पर रिक्त पदों को भरा जा सकेगा। मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड के स्थगन आदेश के कारण भर्ती की कार्यवाही अवरुद्ध है। मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड के आदेश के अनुपालन में याचीगणों के प्रत्यावेदन राज्य परामर्शदात्री द्वारा निस्तारित करने के उपरान्त भरा जा सकेगा। कनिष्ठ लिपिक/चतुर्थ श्रेणी के पदों को मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक (मेरठ) द्वारा भरा जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत के सभी विद्यालयों की चहारदीवारी बनवाये जाने की मांग

46-डॉ0 अजय तोमर-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बागपत के प्रा0 पाठशालाओं तथा जूनियर हाई स्कूलों की चहारदीवारी नहीं बनायी गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार आगामी वित्तीय वर्ष में जनपद बागपत के सभी प्राथमिक तथा जूनियर हाई स्कूलों की चहारदीवारी बनवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 धर्म सिंह सैनी-

जनपद बागपत के 150 प्राथमिक तथा 56 उच्च प्राथमिक विद्यालयों की चहारदीवारी नहीं बनी थी। वर्ष 2008-09 में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 70 प्राथमिक विद्यालयों की चहार दीवारी हेतु धनराशि दी गयी है, जिसका निर्माण पूर्ण हो चुका है। वर्ष 2009-10 में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा चहारदीवारी के निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी हैं। इस प्रकार अद्यतन 80 प्राथमिक विद्यालय तथा 56 उच्च प्राथमिक विद्यालय चहारदीवारी विहीन है।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने पर शेष विद्यालयों की चहारदीवारी का निर्माण कार्य कराया जा सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत के राजकीय कन्या इण्टर कालेज तुगाना में रिक्त पदों पर तैनाती विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

47-डॉ0 अजय तोमर-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत के राजकीय कन्या इण्टर कालेज तुगाना में रिक्त पदों पर तैनाती के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या क-4 सं0 040338 दिनांक 12-11-09 को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंग नाथ मिश्र-

जी हां।

प्रवक्ता वेतनक्रम के 02 पद एवं वरिष्ठ लिपिक का एक पद भरा है शेष पद रिक्त हैं। प्रवक्ता वेतनक्रम के रिक्त पदों को भरने हेतु अधियाचन लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया गया है। आयोग से चयनित सूची प्राप्त होने पर रिक्त पदों को भरा जा सकेगा। चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों को मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, मेरठ द्वारा भरा जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर में बी0एड0 डिग्रीधारकों को विशिष्ट बी0टी0सी0 की भर्ती में वर्षवार चयन करने सम्बन्धी योजना की जानकारी

48-श्री राजेश यादव-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में बी0 एड0 डिग्री धारकों को विशिष्ट बी0टी0सी0 की नई भर्ती में वर्षवार चयन करने की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 धर्म सिंह सैनी-

जी नहीं।

प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु प्रशिक्षण अर्हता बी0टी0सी0 है। इन पदों पर नियुक्ति हेतु अर्हता बी0एड0 नहीं है। समय-समय पर आवश्यकतानुसार एन0सी0टी0ई0 से अनुमति प्राप्त कर विशिष्ट बी0टी0सी0 के माध्यम से बी0एड0 प्रशिक्षण अर्हता धारकों को भी इन पदों पर नियुक्ति प्रदान की गयी है। सम्प्रति बी0एड0 योग्यताधारी अभ्यर्थियों से इन पदों पर वर्षवार चयन करने की कोई योजना नहीं है।

लखनऊ के श्री विशुन नारायन इण्टर कालेज में चतुर्थ श्रेणी के सृजित पदों पर अनुसूचित जाति के पदों की संख्या

49-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री विशुन नारायन इण्टर कालेज, लखनऊ में चतुर्थ श्रेणी के कितने पद सृजित हैं ? सृजित पदों के सापेक्ष कितने पद अनुसूचित

जाति के लिये आरक्षित हैं, क्या यह सही है कि अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित पदों पर सामान्य वर्ग की भर्ती की गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंग नाथ मिश्र-

विशुन नारायन इण्टर कालेज, लखनऊ में चतुर्थ श्रेणी के कुल 10 पद सृजित हैं। सृजित कुल 10 पदों के सापेक्ष अनुसूचित जाति के 02 पद आरक्षित बनते हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

कुल सृजित 10 पदों में 02 पद अनुसूचित जाति के बनते हैं। वर्तमान समय में विद्यालय में 02 अनुसूचित जाति के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यरत हैं।

प्रदेश में स्टाफ नर्स के प्रशिक्षण एवं भर्ती के लिए स्वास्थ्य महानिदेशालय प्रशिक्षण प्रकोष्ठ को समाप्त कर मेडिकल फैकल्टी से कराये जाने की मांग

50-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वास्थ्य विभाग के एक्सरे ट्रेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, एल0टी0एल0ए0 पर भर्ती एवं प्रशिक्षण का कार्य उत्तर प्रदेश मेडिकल फैकल्टी द्वारा किया जाता है ? यदि हां, तो मात्र स्टाफ नर्स के प्रशिक्षण एवं भर्ती के लिये स्वास्थ्य महानिदेशालय में अलग से प्रकोष्ठ बनाने का औचित्य क्या है ? क्या सरकार स्वास्थ्य महानिदेशालय से प्रशिक्षण प्रकोष्ठ को समाप्त कर उक्त प्रशिक्षण एवं भर्ती भी मेडिकल फैकल्टी से करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

एक्सरे टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, एल0टी0 की भर्ती (नियुक्ति) स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जाती है तथा प्रशिक्षण स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा किया जाता है। एल0ए0 की भर्ती एवं प्रशिक्षण दोनों स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जाता हैं।

उत्तर प्रदेश उपचारिका प्रशिक्षण विनिमय अनुदेश-1997 शासनादेश संख्या-166/5-13-97-8(1)/78, दिनांक 13-01-1997 द्वारा स्टाफ नर्स के प्रशिक्षण तथा भर्ती की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश अधिनियम नर्सिंग (अराजपत्रित) सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली-1998 के अधीन स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जा रही है तथा एल0ए0 के प्रशिक्षण एवं भर्ती की कार्यवाही भी स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय से सम्पन्न करायी जाती है। इसलिये प्रशिक्षण प्रकोष्ठ को बनाये रखने का पूर्ण औचित्य है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के महाराजा सूरजमल इण्टर कालेज राजामंडी में स्वीकृत पदों से अधिक कर्मचारियों की नियुक्ति का प्रकरण

51-डॉ0 अनिल चौधरी-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महाराजा सूरजमल इण्टर कालेज, राजामंडी आगरा में शिक्षक व शिक्षणेत्तर के स्वीकृत पदों से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं ? यदि हां,

तो क्या विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक आगरा को इन नियुक्तियों में अनियमितता बरते जाने के सन्दर्भ में दिनांक 10-11-2009 को प्रेषित-पत्र उन्हें प्राप्त हुआ हैं ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंग नाथ मिश्र-

जी नहीं।

जी हां।

इसके पूर्व प्रधानाचार्य के पत्र दिनांक 03-08-09 द्वारा अवगत कराया गया था कि चतुर्थ श्रेणी का 01 पद अनु0 जाति श्रेणी में रिक्त है। उक्त के सापेक्ष जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के पत्र दिनांक 06-10-2009 द्वारा मृतक आश्रित के रूप में अनुसूचित जाति श्रेणी के श्री मनोज कुमार की नियुक्ति के निर्देश दिये गये, जिसे दिनांक 12-11-09 को कार्यभार ग्रहण कराया गया। प्रधानाचार्य ने अपने पत्र दिनांक 10-11-2009 द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक, इलाहाबाद को अवगत कराया गया कि विद्यालय में छात्र संख्या कम होने के कारण विद्यालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद न भरे जाय।

उपरोक्तानुसार।

जनपद शाहजहांपुर स्थित कटरा में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनवाने विषयक-पत्र पर कार्यवाही

52-श्री राजेश यादव-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर स्थित कटरा में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनवाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 सी0एम0/वि0को0/एम/1985- 43/2009 दिनांक 9-6-2009 प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी हां।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कटरा जनपद शाहजहांपुर के निर्माण हेतु आयुक्त/जिलाधिकारी/मुख्य चिकित्साधिकारी के स्तर पर भूमि प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है। भूमि प्राप्त होते ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में मिड-डे-मील की गुणवत्ता सुधारने की नीति

53-श्री मदन चौहान-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मिड-डे मील की गुणवत्ता को सुधारने के लिये सरकार द्वारा कोई कारगर नीति बनाई गयी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 धर्म सिंह सैनी-

जी हां।

मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में जनपद के अधिकारियों को समय-समय पर निर्देश दिये गये हैं कि भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से उठान के पूर्व गठित संयुक्त निरीक्षण दल द्वारा निरीक्षण पश्चात् उक्त गोदाम से उठान किया जाय तथा भोजन पकाने में सीलबंद ब्रांडेड घी, तेल, मसाले तथा आयोडीन युक्त नमक का ही प्रयोग किया जाय। मध्यान्ह भोजन गुणवत्ता सुनिश्चित करने के परिप्रेक्ष्य में जनपद एवं ब्लाक स्तर पर टास्क फोर्स गठित की गयी है जिनके द्वारा मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता का निरीक्षण किया जाता है, कमी पाये जाने पर तत्काल निराकरण कर आवश्यकतानुसार दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

अयोध्या दास राजकीय गर्ल्स इण्टर कालेज, गोरखपुर में मानक के अनुसार शिक्षकों/कर्मचारियों को तैनाती की मांग

54-डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर स्थित अयोध्या दास राजकीय गर्ल्स इण्टर कालेज में वर्तमान में कितनी छात्रायें अध्ययन कर रही हैं ? क्या छात्राओं की संख्या के अनुरूप, मानक के अनुसार उक्त कालेज में शिक्षक, शिक्षणेत्तर कर्मचारी तथा अन्य सुविधायें उपलब्ध हैं ? यदि नहीं, तो मानक के अनुसार शिक्षक, शिक्षणेत्तर कर्मचारी तथा अन्य सुविधाएं कब तक उपलब्ध कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंग नाथ मिश्र-

अयोध्या दास राजकीय गर्ल्स इण्टर कालेज, गोरखपुर में वर्तमान में कुल 3900 छात्रायें अध्ययनरत् हैं।

संस्था में प्रवक्ता के 19, सहायक अध्यापिका के 33, वरिष्ठ सहायक के 01, वरिष्ठ लिपिक के 03, कनिष्ठ लिपिक के 01 तथा चतुर्थ श्रेणी के 13 पद सृजित हैं जिसके सापेक्ष एक प्रवक्ता, चार एल0टी0 ग्रेड सहायक अध्यापक, एक वरिष्ठ सहायक एवं एक परिचारक का पद रिक्त हैं।

मानक के अनुसार प्रवक्ता एवं वरिष्ठ सहायक के पदों को भरे जाने की कार्यवाही गतिमान है। एल0टी0 वेतनक्रम के पदों पर मा0 उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण नियुक्तियां बाधित है। परिचारक के रिक्त पद को भरे जाने की कार्यवाही क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के राजकीय बालिका इण्टर कालेजों में रिक्त पदों को भरे जाने की मांग

55-श्री सुल्तान बेग-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के राजकीय बालिका इण्टर कालेजों तथा राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता सहायक अध्यापिकाओं (एल0टी0) वेतनक्रम में कुल कितने पद स्वीकृत हैं, स्वीकृत पदों के विरुद्ध कितनी महिला प्रवक्ता/सहा0 अध्यापक कार्यरत हैं तथा कितने पद रिक्त है ? रिक्त पदों पर कब तक नियुक्ति कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंग नाथ मिश्र-

प्रवक्ता महिला शाखा के 3229 तथा सहायक अध्यापिका (एल0टी0) के 4005 पद स्वीकृत हैं।

प्रवक्ता (महिला शाखा) के पद पर 2197 तथा सहायक अध्यापक (महिला) के पद पर 2684 कार्यरत है।

प्रवक्ता (महिला शाखा) के 1032 तथा सहायक अध्यापिका के 1321 पद रिक्त हैं।

प्रवक्ता (महिला शाखा) के रिक्त पदों को भरने हेतु लोक सेवा आयोग को अधियाचन प्रेषित है। चयनित सूची प्राप्त होने पर रिक्त पदों पर नियुक्ति की जायेगी।

स्नातक वेतनक्रम में मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड के स्थगन आदेश के कारण भर्ती की कार्यवाही अवरुद्ध है। मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड के आदेश के अनुपालन में राज्य परामर्शदात्री द्वारा याचीगणों के प्रत्यावेदन निस्तारण किये जाने पर भर्ती की कार्यवाही की जा सकेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के क्षेत्र पंचायत मनकापुर में कस्तूरबा गांधी विद्यालय बंजरिया में छात्राओं का कोटा पूर्ण किये जाने की मांग

56-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के क्षेत्र पंचायत मनकापुर में कस्तूरबा गांधी विद्यालय बंजरियां में प्रवेश लिये गये छात्राओं में सभी वर्ग का कोटा पूरा किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार द्वारा इसका भौतिक सत्यापन करवाकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 धर्म सिंह सैनी-

जी हां।

जनपद गोण्डा के क्षेत्र पंचायत मनकापुर में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बंजरिया में प्रवेश लिये गये छात्राओं में सभी वर्ग का कोटा उक्त योजना हेतु निर्धारित मानक के अनुसार पूरा है, जो निम्न प्रकार है:--

अनुसूचित जाति एवं 75% जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के लिए सामान्य (बी0पी0एल0) 25%।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में मरम्मत हेतु स्वीकृत धनराशि का विवरण

57-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में वर्ष 2007-08, 2008-09 और 2009-10 में किन-किन प्राथमिक विद्यालयों की

मरम्मत हेतु कितनी-कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि जिन प्राथमिक विद्यालयों का मरम्मत कार्य कराया गया है उनका निर्माण वर्ष क्या था एवं मरम्मत योग्य न होने के बावजूद भी मरम्मत कार्य दिखाया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी उच्चस्तरीय जांच करवाकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 धर्म सिंह सैनी-

जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में वर्ष 2007-08, 2008-09 और 2009-10 में विद्यालयों के मरम्मत हेतु निम्नवत् धनराशि स्वीकृत की गई-

क्र0सं0	वर्ष	विद्यालय संख्या	धनराशि
1	2007-08	165	36,46,000.00
2	2008-09	03	1,27,000.00
3	2009-10	शून्य	शून्य

उक्त विद्यालयों की सूची (15 प्रतियों में) संलग्न हैं।[1]

163 विद्यालयों का निर्माण वर्ष 1950 से लेकर 2000 तक तथा 05 विद्यालयों का निर्माण वर्ष 2002 से 2004 तक के है। मरम्मत योग्य विद्यालयों का ही मरम्मत कार्य कराया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

58-श्री राम बिशुन आजाद-

(दूसरे शुक्रवार के अता0 प्र0 संख्या-143 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

59-श्री राम बिशुन आजाद-

(दूसरे शुक्रवार के अता0 प्र0 संख्या-142 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

जनपद गोरखपुर के स्वावलम्बी इण्टर कालेज बिशुनपुरा में चौकीदार के पद पर साक्षात्कार में हुए भ्रष्टाचार की शिकायत की जांच

60-श्री श्रीपति आजाद-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के स्वावलम्बी इण्टर कालेज, बिशुनपुरा, गोरखपुर में चौकीदार पद हेतु अनुसूचित जाति कोटा में दिनांक 28-9-08 को हुए साक्षात्कार में भ्रष्टाचार के विरुद्ध श्री फिरंगी प्रसाद विशारद पूर्व विधायक व सांसद गोखरपुर व ब0स0प0 के वरिष्ठ कार्यकर्ता श्री जय प्रकाश निषाद के दिनांक 28-10-08 से 30-11-09 तक कितने शिकायती-पत्र संयुक्त शिक्षा निदेशक सप्तम् मण्डल, गोरखपुर, शिक्षा मंत्री उ0 प्र0, मुख्य

[1] छापी नहीं गयी।

मंत्री, उ0 प्र0 को अलग-अलग प्राप्त हुए है ? क्या भ्रष्टाचार से सम्बन्धित सी0 डी0 भी दिनांक 10-09-09 में प्राप्त करायी गयी है ? यदि हां, तो क्या उक्त चयन निरस्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

शासन में कोई संदर्भित पत्र प्राप्त नहीं हुआ हैं कुल तीन पत्र संयुक्त शिक्षा निदेशक, गोरखपुर को प्राप्त हुए हैं।

जिला विद्यालय निरीक्षक गोरखपुर से प्राप्त आख्यानुसार शिकायती-पत्र के साथ बातचीत से सम्बन्धित ऑडियो सी0डी0 भी भेजी गई है।

जी नहीं।

निदेशक स्तर से जांच के आदेश दे दिये गये हैं।

जांचोपरान्त कार्यवाही की जाएगी।

प्रदेश में नकली दवाइयों की बिक्री की रोकथाम के उपाय

61-श्री मदन चौहान-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में नकली दवाईयों की बिक्री जोरो पर है ? यदि हां, तो उस पर रोक लगाने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

प्रदेश में नकली, अधोमानक एवं मिथ्याछाप औषधियों के कतिपय मामले जांच से प्रकाश में आये हैं।

प्रदेश में नकली/अधोमानक एवं मिथ्याछाप औषधियों के निर्माण एवं विक्रय पर रोकथाम हेतु विशेष छापामार अभियान चलाये जाने के निर्देश शासनादेश दिनांक 6-5-2009 एवं 9-6-2009 द्वारा प्रदेश के समस्त मण्डलायुक्तों/जिलाधिकारियों को दिये गये हैं। इस कार्यवाही के अन्तर्गत स्थानीय अभिसूचना इकाई का सक्रिय सहयोग प्राप्त कर नकली दवा के निर्माण/व्यापार को रोकने के लिए कार्यवाही की गयी है।

दिनांक 16 से 30 नवम्बर, 2009 के मध्य टीम गठित कर नकली/अधोमानक एवं मिथ्याछाप औषधियों के निर्माण एवं विक्रय पर रोकथाम के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु विशेष अभियान चलाया गया।

वर्ष 2009-10 (माह दिसम्बर, 2009 तक) में 1,440 छापे डाले गये, 3,862 नमूने लिये गये, जिसमें 27 नमूने नकली पाये गये एवं 108 नमूने अधोमानक पाये गये, 34 मामलों में मुकदमें पंजीकृत किये गये तथा 68 मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराते हुए 94 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में समेकित शिक्षा को बेहतर बनाने की योजना

62-श्री मदन चौहान-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश सरकार ने समेकित शिक्षा को बेहतर बनाने के लिये कोई नीति बनाई है ? यदि हां, तो वह क्या है तथा उसे कब तक लागू किया जायेगा ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत स्पेशल सर्वे के माध्यम से बच्चों को चिन्हित करने, विकलांग बच्चों हेतु न्यूनतम रोधक वातावरण सृजित करने एवं विकास खण्ड स्तर पर गोष्ठियां आयोजित कर उसे जन-जन तक पहुंचाने की योजना है।

उक्त के अतिरिक्त अस्थि विकलांग, श्रवणबाधित, दृष्टिबाधित बच्चों के लिए आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराने, रिसोर्स सेण्टर का निर्माण, रिसोर्स अध्यापक एवं उपकरण की व्यवस्था आदि कराये जाने तथा शिक्षा को मूल धारा से जोड़ने हेतु विकलांग बच्चों एवं उनके अभिभावकों के लिए परामर्श निर्देशन सम्बन्धी योजना विचाराधीन है।

प्रदेश में सावित्रीबाई फूले बालिका शिक्षा मदद योजना में गत वर्षों में प्राप्त आवेदन-पत्र एवं सत्यापन सम्बन्धी जानकारी

63-श्री राजाराम त्यागी-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सावित्री बाई फुले बालिका शिक्षा मदद योजना में सत्यापन का कार्य रायबरेली जनपद में बहुत धीमा है ? वर्ष 2007-08 व 2008-09 में इस योजना में प्राप्त किन-किन के कितने आवेदन-पत्र सत्यापन कर निरस्त किये गये ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि इसकी पात्रता हेतु बी0पी0एल0 सूची ली जाती है या बी0पी0एल0 राशन कार्ड धारक ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

जी नहीं।

वर्ष 2007-08 में योजना लागू नहीं थी। वर्ष 2008-09 में सत्यापन उपरान्त 1976 आवेदन-पत्र पात्र एवं 796 आवेदन-पत्र अपात्र पाये गये। (अपात्र आवेदकों की सूची मा0 माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी के कार्यालय कक्ष में उपलब्ध है।)

बी0पी0एल0 कार्ड।

जनपद गोण्डा में निःशुल्क बोरिंग का लक्ष्य एवं इसकी गुणवत्ता की जांच

64-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या लघु सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा में वर्ष 2007-08, 2008-09 एवं 2009-10 में निःशुल्क बोरिंग के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं सामान्य जाति का कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया था एवं प्रति निःशुल्क बोरिंग की लागत कितनी है ? क्या सरकार को जानकारी है कि पी0वी0सी0 पाइप की गुणवत्ता मानक के अनुसार नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार

इसकी जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लखीराम नागर-

जी हां। वर्ष 2007-08, 2008-09 एवं 2009-10 में जनपद गोण्डा में निःशुल्क बोरिंग योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति हेतु क्रमशः 2924, 2454 व 1049 एवं सामान्य जाति हेतु क्रमशः 7423, 3590 व 1765 निःशुल्क बोरिंग का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।

जनपद गोण्डा में भू-गर्भीय जल स्ट्रेटा की गहराई के अनुसार निःशुल्क बोरिंग की लागत रु0 7000/- से रु0 11,130/- है।

पी0वी0सी0 पाइप की गुणवत्ता बनाये रखने हेतु सरकार कटिबद्ध है। शासनादेश में की गई व्यवस्थानुसार कृषकों के पाइप के सैम्पुल की जांच नियमित रूप से कराई जाती है। प्रश्नगत तीनों वर्षों में जनपद गोण्डा में लिये गये सैम्पुलों की जांच सीपेट, लखनऊ से कराई गई। सीपेट से प्राप्त जांच रिपोर्ट में वर्ष 2007-08 में मैसर्स आशीष एग्री0 स्टोर, तरबगंज, गोण्डा, मै0 श्री राम मिल स्टोर्स स्टेशन रोड, गोण्डा एवं मै0 सज्जन ट्रेनिंग कम्पनी आजाद नगर, बेलसर, गोण्डा का पाइप अधोमानक होने के कारण इन फर्मों को काली सूची में डाल दिया गया है। वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में सीपेट, लखनऊ को प्रेषित पी0वी0सी0 पाइप के सैम्पुल जांच में मानक के अनुरूप पाये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत के उच्चीकृत स्वास्थ्य केन्द्र को मानक के अनुसार क्रियाशील करने के आदेश

65-डॉ0 अजय तोमर-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत के जिला मुख्यालय पर स्थित उच्चीकृत स्वास्थ्य केन्द्र को जिला चिकित्सालय का दर्जा प्राप्त हो चुका है ? यदि हां, तो क्या मानकानुसार जिला मुख्यालय की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी हां।

मानकानुसार उपकरण/साज-सज्जा का आदेश दिनांक 3-2-10 को चिकित्सालय को क्रियाशील करने के उद्देश्य से निर्गत कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा की ग्राम पंचायतों के विद्यालयों में मिड-डे मील के कन्वर्जन कास्ट का प्रकरण

66-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा में वित्तीय वर्ष 2008-09 में मिड-डे मील के अन्तर्गत जिन ग्राम पंचायतों ने लगातार प्राथमिक विद्यालयों/जूनियर हाई स्कूलों में छात्रों को भोजन बनाकर दिया है क्या उन ग्राम पंचायतों को कन्वर्जन कास्ट दे दिया गया है ? यदि

नहीं, तो कन्वर्जन कास्ट की आवंटित धनराशि को किस मद में खर्च किया गया है ? क्या सरकार इसकी जांच करवाकर ग्राम पंचायतों को कन्वर्जन कास्ट आवंटित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 धर्म सिंह सैनी-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

67-डॉ0 अनिल चौधरी-

[दिनांक 08-2-2010 को अतारांकित प्रश्न सं0-162 द्वारा उत्तरित]

प्रदेश के प्राइमरी जूनियर हाई स्कूलों में मानक के अनुसार अध्यापकों की नियुक्ति की मांग

68-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश में प्राइमरी व जूनियर हाई स्कूलों में मानक के अनुरूप अध्यापकों की तैनाती नहीं है ? यदि हां, तो इस कमी को पूरा करने के लिये सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि विधान सभा पट्टी, प्रतापगढ़ के प्राइमरी व जूनियर हाई स्कूलों में कितने अध्यापकों की कमी है ? क्या सरकार विधान सभा पट्टी के सभी ब्लाकों में प्राइमरी व जूनियर हाई स्कूलों में अध्यापकों के रिक्त पदों पर नियुक्तियां करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 धर्म सिंह सैनी-

जी हां।

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् दिल्ली से अनुमति के उपरान्त प्रदेश में विशिष्ट बी0टी0सी0 का विशेष प्रशिक्षण कराया गया। जिसके फलस्वरूप वर्ष 1998-99 में 23000, वर्ष 2004 में 35000 तथा वर्ष 2007-08 में लगभग 88000 पदों के सापेक्ष 58000 विशिष्ट बी0टी0सी0 की भर्ती की गयी एवं यह प्रक्रिया गतिमान है। उक्त के अतिरिक्त उर्दू प्रवीणता धारी अभ्यर्थियों को दो वर्षीय बी0टी0सी0 प्रशिक्षण कराकर नियुक्तियां की गयी हैं तथा वर्ष 2001 के बी0टी0सी0 अभ्यर्थियों को भी जनवरी, 09 के बाद नियुक्तियां की गई। वर्तमान में बी0टी0सी0 प्रशिक्षण पुनः प्रारम्भ किया जा रहा है। जिसकी कार्यवाही गतिमान है।

विधान सभा क्षेत्र पट्टी के प्राथमिक विद्यालयों में स्वीकृत 1052 पदों के सापेक्ष 899 पदों पर अध्यापक कार्यरत हैं एवं 153 पद रिक्त हैं तथा जूनियर हाई स्कूलों में स्वीकृत 353 पदों के सापेक्ष 239 पदों पर अध्यापक कार्यरत हैं एवं 114 पद रिक्त हैं।

जी हां।

कार्यवाही गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के महाविद्यालयों में स्थायी प्राचार्य की नियुक्ति की मांग

69-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ के किन-किन राजकीय सहायता प्राप्त डिग्री कालेजों में स्थायी प्राचार्य नहीं है ? उक्त महाविद्यालयों में स्थायी प्राचार्य की नियुक्ति कब तक हो जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 राकेशधर त्रिपाठी-

जनपद प्रतापगढ़ के निम्नलिखित राजकीय सहायता प्राप्त डिग्री कालेजों में स्थायी प्राचार्य नहीं हैं :-

(1) प्रताप बहादुर पी0जी0 कालेज, प्रतापगढ़।

(2) बजरंग महाविद्यालय, कुण्डा, प्रतापगढ़।

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, इलाहाबाद से चयनोपरान्त संस्तुति प्राप्त होने पर।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ में अध्यापकों से शिक्षण कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्य लिये जाने पर कार्यवाही

70-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों से जनपद-प्रतापगढ़ में शिक्षण कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्य भी लिये जाते हैं जिससे शिक्षण कार्य प्रभावित होता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करेगी ?

डॉ0 धर्म सिंह सैनी-

अध्यापकों से शिक्षण कार्य के अतिरिक्त निम्न कार्य भी लिये जाते हैं :-

1-स्कूल भवन निर्माण कार्य।

2-साक्षरता अभियान।

3-हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट की परीक्षा में केवल अनिवार्य विषयों में केन्द्र पर्यवेक्षण का कार्य।

4-10 वर्षीय जनगणना का कार्य।

5-पल्स पोलियो अभियान।

6-दैवीय आपदा सम्बन्धी कार्य।

7-निर्वाचन सम्बन्धी कार्य।

परन्तु अधिकतर कार्य के लिए बहुत ही कम समय की आवश्यकता होती है अतः शिक्षण कार्य प्रभावित होने की संभावना नगण्य होती है।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर के विकास खण्ड हसवा में उच्च प्राथमिक पाठशाला के क्षतिग्रस्त होने की जांच

71-श्री राधेश्याम गुप्त-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर के ग्राम लक्ष्मी नारायणपुर, मजरे अचिन्तपुर, विकास खण्ड-हसवा में नवनिर्मित उच्च प्राथमिक पाठशाला जो बनने के 6 माह बाद ही क्षतिग्रस्त होने विषयक मा0 मुख्य मंत्री को प्रेषित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 17-7-2009 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 धर्म सिंह सैनी-

जी हां।

प्रकरण में मुख्य विकास अधिकारी, फतेहपुर के द्वारा 02 अवर अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा तथा मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, फतेहपुर से संयुक्त रूप से जांच करायी गयी। जांच में विद्यालय भवन के निर्माण में रु0 96,342.92 की धनराशि का दुरुपयोग बताया गया है, जिसके लिए भवन प्रभारी तथा पर्यवेक्षक अधिकारी को नोटिस जारी की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में मस्तिष्क ज्वर एवं उसके बचाव के उपाय

72-श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के किन-किन जिलों में मस्तिष्क ज्वर का प्रभाव रहता है तथा उन जिलों में वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में मस्तिष्क ज्वर से मरने वाले व विकलांग होने वालों की संख्या जिलेवार क्या है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त ज्वर से बचाव के लिये सरकार द्वारा क्या-क्या सुविधायें जिलेवार प्रदान की गई तथा वह कितनी प्रभावी हुयी ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी हां। मस्तिष्क ज्वर (ए0ई0एस0/जे0ई0) का प्रभाव गोरखपुर, बस्ती मण्डल के जनपद अधिक प्रभावित होते हैं। वर्ष 2008-09 में प्रदेश के 23 जनपद-आजमगढ़, मऊ, बलिया, गोरखपुर, महराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, बस्ती, संतकबीरनगर, सिद्धार्थनगर, फैजाबाद, अम्बेडकरनगर, बहराइच, श्रावस्ती, गोण्डा, बलरामपुर, लखनऊ, सीतापुर, गाजीपुर, बदायूं, पीलीभीत, सहारनपुर एवं मुजफ्फरनगर तथा वर्ष 2009-10 में प्रदेश के 26 जनपद-आजमगढ़, मऊ, बलिया, गोरखपुर, महराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, बस्ती, संतकबीरनगर, सिद्धार्थनगर,

फैजाबाद, अम्बेडकर नगर, बाराबंकी, बहराइच, श्रावस्ती, गोण्डा, बलरामपुर, लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली, हरदोई, गाजीपुर, बिजनौर, सहारनपुर एवं मुजफ्फरनगर प्रभावित हुए, जिनमें मस्तिष्क ज्वर से मरने वाले एवं विकलांग होने वालों की जिलेवार संख्या निम्नवत् है :-

क्र0सं0	जनपद	वर्ष 2008-09		वर्ष 2009-10	
		मृतक	विकलांग	मृतक	विकलांग
1	आजमगढ़	01	00	00	00
2	मऊ	03	00	02	00
3	बलिया	02	00	00	00
4	गोरखपुर	139	98	144	84
5	महराजगंज	48	47	56	52
6	देवरिया	68	04	72	13
7	कुशीनगर	128	00	124	00
8	बस्ती	13	00	25	00
9	संतकबीरनगर	29	00	30	00
10	सिद्धार्थनगर	26	00	43	00
11	फैजाबाद	00	00	01	00
12	अम्बेडकर नगर	00	00	02	00
13	बाराबंकी	00	00	00	00
14	बहराइच	14	00	14	00
15	श्रावस्ती	04	00	08	00
16	गोण्डा	01	00	03	00
17	बलरामपुर	02	00	07	00
18	लखनऊ	00	00	00	00
19	सीतापुर	00	00	00	00
20	उन्नाव	00	00	00	00
21	रायबरेली	00	00	00	00
22	हरदोई	00	00	00	00
23	गाजीपुर	01	00	00	00
24	बिजनौर	00	00	03	00
25	सहारनपुर	06	00	17	00
26	मुजफ्फरनगर	01	00	02	00

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उक्त ज्वर से बचाव के लिए सरकार द्वारा समस्त प्रभावित जनपदों में निःशुल्क उपचार हेतु औषधियां उपलब्ध करायी एवं बचाव के लिए बच्चों का टीकाकरण कराया गया तथा पर्याप्त मात्रा में कीटनाशक उपलब्ध कराया गया। स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए विभिन्न माध्यमों से प्रचार-प्रसार कराया गया, जिसके सम्मिलित प्रभाव से रोग का प्रकोप अन्य जनपदों में नहीं फैला और मृत्यु दर को नियंत्रित रखा गया।

प्रदेश में मस्तिष्क ज्वर से मरने वालों व अपाहिज लोगों के परिवारों को अनुदान दिलाये जाने की मांग

73-श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या मस्तिष्क ज्वर से मरने वालों एवं अपाहिज होने वालों को वर्ष 2005-06 तक अनुदान दिया जाता था ? यदि हां, तो क्या सरकार मस्तिष्क ज्वर से मरने वालों तथा अपाहिज होने वाले परिवारों को पुनः अनुदान देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी नहीं।

केवल वर्ष 2006 में मस्तिष्क ज्वर के भीषण प्रकोप को दृष्टिगत रखते हुए मस्तिष्क ज्वर से मरने वालों एवं अपाहिज होने वालों को अनुदान दिया गया।

जी नहीं। वर्तमान में मस्तिष्क ज्वर से मरने वालों तथा अपाहिज होने वाले परिवारों को अनुदान दिये जाने की योजना नहीं है।

वर्ष 2006 से वर्ष 2009 तक जे0ई0 रोग से प्रभावित होने वाले जनपदों में चरणबद्ध तरीके से टीकाकरण कराये जाने के फलस्वरूप जे0ई0 रोग से ग्रसित/मरने/अपाहिज होने वाले रोगियों की संख्या में अत्यधिक कमी आयी है। अतः रोगियों को अनुदान दिये जाने की कोई योजना वर्तमान में लागू नहीं है।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर मानक के अनुरूप चिकित्सक एवं कर्मचारियों की तैनाती

74-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र पट्टी प्रतापगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर मानक के अनुरूप चिकित्सक एवं कर्मचारी तैनात हैं ? यदि नहीं, तो इन चिकित्सालयों में मानक के अनुसार चिकित्सक और कर्मचारी कब तक तैनात कर दिये जायेंगे ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी नहीं।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयन/संस्तुतियां प्राप्त होने एवं प्रोन्नति के उपरान्त चिकित्सकों की तथा प्रशिक्षित अभ्यर्थी प्राप्त होने पर अन्य कर्मचारियों की नियमानुसार नियुक्ति की जायेगी।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के सभी राजकीय माध्यमिक कन्या विद्यालयों में मानक के अनुरूप सुविधायें/स्टाफ उपलब्ध कराये जाने की मांग

75-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के सभी राजकीय माध्यमिक कन्या विद्यालयों में शिक्षकों, शिक्षणेत्तर कर्मियों, प्रयोगशालाओं एवं प्रयोगशाला सहयोगियों तथा पुस्तकालयों में मानक के अनुरूप सुविधायें/स्टाफ उपलब्ध हैं ? यदि नहीं, तो मानक के अनुरूप सुविधाएं/स्टाफ कब तक उपलब्ध करा दिये जायेंगे ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

जी हां।

आंशिक रूप से।

कार्यवाही की जा रही है।

जनपद प्रतापगढ़ के कतिपय ब्लाकों में बी0पी0एल0 परिवारों को निःशुल्क इलाज हेतु जारी स्मार्ट कार्ड धारकों की संख्या

76-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ के ब्लाक पट्टी, आसपुर, मंगरौरा बेलखर नाथधाम में स्मार्ट कार्ड योजना में बी0पी0एल0 परिवारों (पति/पत्नी एवं तीन बच्चों का परिवार) को 30 रुपये पंजीकरण शुल्क पर साल भर में 30 हजार रुपये तक का इलाज निःशुल्क कराये जाने की व्यवस्था की गई है ? यदि हां, तो उक्त योजना के अन्तर्गत कितने पंजीकरण किये गये और कितने स्मार्ट कार्ड जारी हुए ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी हां।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजनान्तर्गत जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाक-पट्टी में 6087, आसपुर में 9516, मंगरौरा में 8349 एवं बेलखर नाथधाम में 5742 बी0पी0एल0 परिवारों का पंजीकरण किया गया है तथा 04 विकास खण्डों के उक्त समस्त पंजीकृत बी0पी0एल0 परिवारों को स्मार्ट कार्ड उपलब्ध करा दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत में क्षय रोग के पीड़ित रोगियों के उपचार सम्बन्धी जानकारी

77-डॉ0 अजय तोमर-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत के वर्ष 2009-2010 में अभी तक कुल कितने टी0बी0 (क्षय रोग) के रोगी चिन्हित किये गये ? क्या इन रोगियों को डाट कार्यक्रम के अन्तर्गत पूर्ण उपचार दिया गया ? यदि हां, तो इसके वर्तमान में क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जनपद बागपत में वर्ष 2009-10 में अभी तक कुल 1988 टी0बी0 (क्षय रोग) के रोगी चिन्हित किये गये हैं।

चिन्हित क्षय रोगियों को डाट कार्यक्रम के अन्तर्गत पूर्ण उपचार दिया जा रहा है।

डाट कार्यक्रम के अन्तर्गत उपचार ले रहे रोगियों के परिणाम 6-9 माह के उपरान्त ही प्राप्त होते हैं। जिन क्षय रोगियों द्वारा नियमित रूप से डाट प्रणाली द्वारा औषधि ली जाती है वह क्षय रोगी रोग मुक्त हो जाते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा हेतु बनाये गये परीक्षा केन्द्र

78-श्री पूरन प्रकाश-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गत वर्ष कुल कितने हाई स्कूल एवं इण्टर मीडिएट के बोर्ड इम्तहान के सेन्टर बनाये गये थे ? क्या यह सही है कि जनपद मथुरा में वर्तमान वर्ष में मानक पूर्ण न होने पर भी कई सेन्टरों का चयन किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार अनियमितता के लिये दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट की परीक्षाओं हेतु गत वर्ष कुल 9097 परीक्षा केन्द्र बनाये गये थे।

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

उक्तवत्।

जनपद बस्ती के किसान इण्टर कालेज बभनान में तैनात कर्मचारियों में अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति का आरक्षण कोटा पूर्ण करने के सम्बन्ध में जानकारी

79-श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर)-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किसान इण्टर कालेज बभनान जिला बस्ती में तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी के कितने कर्मचारी तैनात हैं एवं उनमें अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति का कोटा पूर्ण है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

किसान इण्टर कालेज, बभनान, बस्ती में तृतीय श्रेणी के कुल 04 एवं चतुर्थ श्रेणी के कुल 13 कर्मचारी कार्यरत हैं। तृतीय श्रेणी में अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति का कोटा पूर्ण नहीं है।

चतुर्थ श्रेणी में पिछड़ी जाति का कोटा पूर्ण है। अनुसूचित जाति का कोटा पूर्ण नहीं है।

तृतीय श्रेणी में वर्ष 1992 से मृतक आश्रित की तैनाती के कारण पिछड़ी जाति का कोटा पूर्ण नहीं है। तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी में अनुसूचित जाति हेतु 01-01 पद उपलब्ध है।

जनपद बस्ती के किसान इण्टर कालेज के श्री राम कुमार सहायक लिपिक के बकाये वेतन भुगतान की मांग

80-श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर)-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किसान इण्टर कालेज बभनान जनपद बस्ती में दिनांक 31-1-91 को जिला विद्यालय निरीक्षक, बस्ती के पत्रांक सं0 8575-76, दिनांक 31-1-91 द्वारा श्री राम कुमार की सहायक लिपिक के पद पर अनुसूचित जाति कोटे के तहत नियुक्ति की गई थी ? क्या यह सही है कि दिसम्बर, 1993 तक उन्हें उक्त पद के वेतनमान का भुगतान कराने के बाद भुगतान रोककर इनका नाम उपस्थिति पंजिका से वर्तमान समय में काट दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त कर्मचारी के बकाये वेतन का भुगतान कराने व पुनः सेवा में लिये जाने का निर्देश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

जी हां।

जी हां। श्री राम कुमार स्वतः विद्यालय छोड़कर चले गये तथा दिसम्बर, 1993 के बाद कभी विद्यालय नहीं आये और कोई प्रार्थना-पत्र भी नहीं प्राप्त हुआ।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध महाविद्यालयों में संचालित विधि कोर्स में अधिक फीस वसूली की शिकायत

81-श्री पूरन प्रकाश-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 के अन्तर्गत कितने विधि विद्यालय पांच वर्षीय विधि कोर्स के संचालित हैं ? क्या यह सही है कि उक्त विद्यालय सिर्फ विश्व विद्यालयों से अनुमोदन के उपरान्त बार काउंसिलिंग की बिना अनुमति के ही चल रहे हैं ? क्या इन विद्यालयों में छात्रों से मानक फीस से अधिक फीस वसूली की जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर कार्यवाही सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 राकेशधर त्रिपाठी-

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध 38 महाविद्यालयों में पांचवर्षीय विधि कोर्स संचालित हैं।

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

अधिक फीस वसूली की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

प्रदेश में बेरोजगार बी0एड0 डिग्री धारकों को विशिष्ट बी0टी0सी0 द्वारा रोजगार पर रोक के सम्बन्ध में जानकारी

82-डॉ0 अजय तोमर-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में लाखों बेरोजगार बी0एड0 डिग्री धारकों को विशिष्ट बी0टी0सी0 द्वारा बेसिक शिक्षा विभाग में दिये जा रहे रोजगार पर क्या सरकार रोक लगाने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

डॉ0 धर्म सिंह सैनी-

सम्प्रति प्रश्नगत प्रकरण सरकार के विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 1999 के आधार पर प्रधानाचार्य, राजकीय इण्टर कालेज (पर्वतीय संवर्ग) हेतु अभ्यर्थियों का चयन

83-श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 2000 से प्रभावित उ0प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 1999 द्वारा चयनित राजकीय इण्टर कालेज के प्रधानाचार्य पद के कितने अभ्यर्थी ऐसे हैं जो पर्वतीय संवर्ग में चयन हेतु प्राथमिकता दिये थे ? क्या सभी अभ्यर्थियों की अब तक नियुक्ति नहीं हो सकी है ? यदि हां, तो क्या सरकार निबन्धन परिवहन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभागों की भांति इन अभ्यर्थियों की भी नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 1999 के आधार पर प्रधानाचार्य रा0इ0का (पर्वतीय संवर्ग) हेतु चयनित कुल 83 अभ्यर्थियों में से 38 अभ्यर्थियों द्वारा पर्वतीय संवर्ग में चयन हेतु अपनी प्रथम वरीयता/अधिमान्यता लोक सेवा आयोग के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी। 31 अभ्यर्थियों द्वारा द्वितीय वरीयता, 13 अभ्यर्थियों द्वारा तृतीय वरीयता तथा 01 अभ्यर्थी द्वारा चतुर्थ वरीयता प्रस्तुत की गयी थी।

पर्वतीय संवर्ग में चयनित किसी भी अभ्यर्थी को सम्प्रति उ0 प्र0 राज्य में नियुक्ति नहीं प्रदान की गयी है।

जी नहीं।

सम्मिलित/राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 1999 के आधार पर प्रधानाचार्य रा0इ0का (पर्वतीय संवर्ग) पद हेतु चयनित कुल 83 अभ्यर्थियों की संस्तुति लोक सेवा आयोग द्वारा शासन को उपलब्ध करायी गयी थी। नवम्बर, 2000 में उ0 प्र0 राज्य का पुनर्गठन होने के पश्चात् पर्वतीय संवर्ग के सभी पद स्वतः नवगठित उत्तराखण्ड राज्य को स्थानान्तरित हो गये। चूंकि पद उत्तराखण्ड राज्य को स्थानान्तरित हो चुके थे, अतः पद के अभाव में इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति उ0 प्र0 राज्य में किया जाना संभव नहीं था। इसके दृष्टिगत पर्वतीय संवर्ग में चयनित उक्त सभी अभ्यर्थियों

की संस्तुतियां उनके मूल आवेदन-पत्र सहित अग्रेतर कार्यवाही हेतु उत्तराखण्ड राज्य को प्रेषित कर दी गयी।

जनपद बागपत के चौ0 चरण सिंह राजकीय महाविद्यालय छपरौली में स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय, वाणिज्य संकाय, विज्ञान संकाय की कक्षायें शुरू करने की मांग

84-डॉ0 अजय तोमर-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत के चौ0 चरण सिंह राजकीय महाविद्यालय छपरौली (बागपत) में स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय, वाणिज्य संकाय, विज्ञान संकाय की कक्षायें शुरू करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 राकेश धर त्रिपाठी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

महाविद्यालय में आधारभूत सुविधाएं यथा पृथक से भवन, प्रयोगशालाएं निर्मित न होने तथा फर्नीचर, पुस्तकें एवं प्रयोगशाला उपकरण उपलब्ध न होने के कारण स्नातकोत्तर कक्षायें संचालित किया जाना संभव नहीं है।

प्रदेश में स्थापित (सी0बी0एस0ई0 एवं आई0सी0एस0सी0 मान्यता प्राप्त) विद्यालयों में शुल्क निर्धारण हेतु समिति का गठन

85-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में स्थापित पब्लिक स्कूल (सी0बी0एस0ई0 एवं आई0सी0एस0सी0 मान्यता प्राप्त) विद्यालयों द्वारा प्रत्येक वर्ष फीस में मनमानी बढ़ोत्तरी करने के कारण अभिभावकों का आर्थिक एवं मानसिक उत्पीड़न हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार फीस निर्धारण/नियंत्रण हेतु प्रदेश एवं जिला स्तर पर कमेटी गठित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

जी नहीं। प्रदेश में स्थापित पब्लिक स्कूल (सी0बी0एस0ई0 एवं आई0सी0एस0ई0 मान्यता प्राप्त) विद्यालयों में फीस निर्धारण एवं नियंत्रण हेतु शासनादेश संख्या-1719/15-7-09-10 (107)/2006, दिनांक 29-6-2009 द्वारा निर्देश निर्गत किये जा चुके हैं।

उक्त शासनादेश द्वारा प्रत्येक जनपद में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में शुल्क निर्धारण/नियमन की व्यवस्था किये जाने हेतु एक समिति का गठन किया गया है।

उक्तवत्।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद में सावित्री बाई फुले बालिका सहायता योजना का संचालन

86-डॉ0 राजेन्द्र सिंह-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सावित्री बाई फुले बालिका सहायता योजना समाज कल्याण के अन्तर्गत जनपद आगरा के फतेहाबाद विधान सभा क्षेत्र में योजनायें आरम्भ होने से अब तक कितने लोग लाभान्वित हुए हैं ? क्या योजना को सर्वसमाज को आच्छादित करने का विचार है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

27 छात्रायें लाभान्वित हुई हैं।

सावित्री बाई फुले बालिका शिक्षा मदद योजना सर्वसमाज की गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली बी0पी0एल0/अन्त्योदय कार्ड धारक अभिभावकों की छात्राओं को शैक्षिक प्रोत्साहन हेतु संचालित है।

प्रश्न नहीं उठता।

87-श्री राम बिशुन आजाद-

[दूसरे गुरुवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-116 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद प्रतापगढ़ में आलू पर आधारित इकाई लगाने की मांग

88-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ में आलू पर आधारित इकाई लगाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी नहीं।

सार्वजनिक क्षेत्र में इकाई/उद्योग स्थापित करने की सरकार की कोई नीति प्रचलित नहीं है।

जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाक आसपुर देवसरा में डिग्री कालेज स्वीकृत करने की मांग

89-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में डिग्री कालेजों की कमी को देखते हुए क्या सरकार जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाक आसपुर देवसरा में डिग्री कालेज स्वीकृत करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 राकेश धर त्रिपाठी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

ऐसे जनपद जहां राजकीय महाविद्यालय स्थापित नहीं है वहां राजकीय महाविद्यालय स्थापित करने की वर्तमान में शासन की नीति है। जनपद प्रतापगढ़ में 04 राजकीय महाविद्यालय

07 सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय तथा 34 अनानुदानित/स्ववित्त पोषित महाविद्यालय पूर्व से ही संचालित है।

प्रदेश में प्राइवेट नर्सिंग होम/अस्पतालों में कतिपय टेस्टों आदि की दर निर्धारण की मांग

90-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार उ0प्र0 के प्राइवेट नर्सिंग होम/अस्पतालों के लिये पैथोलाजिकल टेस्ट, रेडियोलॉजिकल टेस्ट, इको टेस्ट, सी0टी0 स्कैन, एम0आर0आई0 फीस, आपरेशन कमरे का किराया आदि की अधिकतम दर निर्धारित किये जाने की कोई नीति बनाई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

वर्तमान में ऐसी कोई नीति नहीं है।

शासन ने वर्तमान समय तक इस निजी क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं किया है।

रुहेलखण्ड मण्डल के महाविद्यालयों में स्थाई प्राचार्य की मांग

91-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि रुहेलखण्ड मण्डल में कितने महाविद्यालय ऐसे हैं जहां पर स्थाई प्राचार्य नहीं हैं ? क्या सरकार को जानकारी है कि शाहजहांपुर के गांधी फैजाम महाविद्यालय में पिछले 7 वर्षों से अधिक समय से स्थाई प्राचार्य नहीं हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त महाविद्यालय में स्थाई प्राचार्य की व्यवस्था करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 राकेश धर त्रिपाठी-

रुहेलखण्ड मण्डल में निम्नलिखित 02 महाविद्यालय ऐसे हैं, जहां पर स्थाई प्राचार्य नहीं हैं :-

(1) साहू राम स्वरूप महिला महाविद्यालय, बरेली,

(2) गांधी फैज-ए-आम महाविद्यालयय, शाहजहांपुर।

जी हां।

अल्पसंख्यक महाविद्यालय होने के कारण नियुक्ति का अधिकार महाविद्यालय के प्रबन्धतंत्र में निहित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर में राजकीय कन्या डिग्री कालेज खोलने की मांग

92-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में छात्राओं की अधिक संख्या को देखते हुए क्या सरकार राजकीय कन्या डिग्री कालेज खोलने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 राकेश धर त्रिपाठी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

ऐसे जनपद जहां राजकीय महाविद्यालय स्थापित नहीं हैं वहां राजकीय महाविद्यालय स्थापित करने की वर्तमान में शासन की नीति है। जनपद शाहजहांपुर में 02 राजकीय महाविद्यालय, 03 सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय तथा 06 अनानुदानित/स्ववित्त पोषित महाविद्यालय पूर्व से ही संचालित हैं जिसमें 01 महिला महाविद्यालय आर्य महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय शाहजहांपुर विद्यमान है।

जनपद शाहजहांपुर के जिला अस्पताल एवं ट्रामा सेन्टर में मानक के अनुसार चिकित्सक एवं पैरा मेडिकल स्टाफ की तैनाती की मांग

93-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के जिला अस्पताल एवं उसके ट्रामा सेन्टर में चिकित्सकों तथा पैरा मेडिकल स्टाफ मानक के अनुसार नहीं है ? क्या शाहजहांपुर जिला अस्पताल में हृदय रोग विशेषज्ञ भी नहीं है ? यदि हां, तो मानक के अनुसार चिकित्सकों तथा पैरा मेडिकल स्टाफ की तैनाती कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी हां।

जी हां।

उ0प्र0 लोक सेवा आयोग से चयन/संस्तुतियां प्राप्त होने एवं प्रोन्नति के उपरान्त चिकित्सकों तथा प्रशिक्षित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती नियमानुसार की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

शाहजहांपुर नगर में पुराने जिला चिकित्सालय में आपातकालीन सेवाओं को उपलबध कराने की मांग

94-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि शाहजहांपुर नगर में राजकीय स्वास्थ्य सेवाओं की अत्यन्त कमी है ? क्या यह सही है कि जिला अस्पताल नगर से दूर होने के कारण तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनता की मांग को देखते हुए नगर के मध्य स्थित पुराने जिला अस्पताल भवन में 2 चिकित्सक युक्त आपातकालीन चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी नहीं।

जी हां।

नगर के मध्य स्थित पुराने जिला चिकित्सालय में आपात कालीन सेवाओं को उपलब्ध कराने का प्रस्ताव राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की जनपदीय कार्य योजना में सम्मिलित है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाक पट्टी के ग्राम नोही उमरपुर डाही के प्राथमिक विद्यालय के जर्जर भवन का पुनः निर्माण कराने सम्बन्धी कथित प्रकरण

95-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ ब्लाक पट्टी के ग्राम नोही उमरपुर डाही के प्राथमिक विद्यालय का भवन जर्जर होने के कारण बच्चे खुले आसमान के नीचे पढ़ते हैं ? यदि हां, तो उक्त भवन का पुनः निर्माण कब तक कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 धर्म सिंह सैनी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के राजकीय डिग्री कालेज मंगरौरा एवं ढिढुई को उच्चीकृत कर कक्षायें प्रारम्भ कराये जाने की मांग

96-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के राजकीय डिग्री कालेज, मंगरौरा एवं ढिढुयी को उच्चीकृत करते हुए पैरा स्नातक कक्षायें प्रारम्भ करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 राकेश धर त्रिपाठी-

जी नहीं।

महाविद्यालय में आधारभूत सुविधायें, यथा पृथक से भवन, प्रयोगशालाएं निर्मित न होने तथा फर्नीचर पुस्तकें एवं प्रयोगशाला उपकरण उपलब्ध न होने के कारण स्नातकोत्तर कक्षायें संचालित किया जाना सम्भव नहीं है।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के विद्यालयों में मानक के अनुसार शिक्षकों की तैनाती की मांग

97-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में ब्लाकवार कितने जूनियर हाईस्कूल व प्राथमिक विद्यालय है ? क्या सरकार बतायेगी कि इनमें मानक के अनुसार कितने शिक्षकों के पद स्वीकृत हैं तथा वर्तमान में शिक्षकों के कितने पद रिक्त हैं ? क्या सरकार की सभी विद्यालयों में रिक्त पदों पर प्रधानाध्यापकों एवं सहायक अध्यापकों की तैनाती की कोई कार्य योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 धर्म सिंह सैनी-

विधान सभा क्षेत्र पट्टी, प्रतापगढ़ में कुल 373 परिषदीय प्राथमिक एवं 101 जूनियर हाईस्कूल (पूर्व माध्यमिक विद्यालय) हैं।

प्राथमिक विद्यालयों में 1052 एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 353 पद स्वीकृत हैं, प्राथमिक विद्यालयों में 153 तथा जूनियर हाईस्कूलों में 114 अध्यापकों की कमी है।

रिक्त पदों को बी0टी0सी0 एवं विशिष्ट बी0टी0सी0 की नियुक्ति तथा शिक्षकों की पदोन्नति से भरा जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर के जवाहर लाल नेहरू स्मारक इण्टर कालेज नौगढ़ में हिन्दी प्रवक्ता के एक पद के सापेक्ष दो लोगों के भुगतान की जांच

98-श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर के जवाहर लाल नेहरू स्मारक इण्टर कालेज नौगढ़ में प्रवक्ता हिन्दी के एक ही पद के सापेक्ष दो लोगों को वेतन भुगतान दिनांक 07-07-1982 से दिनांक 30-6-2008 तक किया गया है ? क्या सरकार को जानकारी है कि मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने अपने निर्णय दि0 25-3-1994 एवं 10-5-1994 को एक ही पद का वेतन भुगतान का आदेश किया है ? यदि हां, तो क्या दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

सूचना एकत्र की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

99-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

[द्वितीय बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-167 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

गैर सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में एल0टी0 अध्यापकों को अनुमन्य सुविधाओं की जानकारी

100-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गैर सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में एल0टी0 अध्यापकों की नियुक्ति पर एल0टी0 संवर्ग समाप्त करते हुए वर्ष 1989 से प्रतिबन्ध लगा दिया गया है ? यदि हां, तो उक्त प्रतिबन्ध की तिथि के बाद यदि किसी अध्यापक की नियुक्ति एल0टी0 अध्यापक के रूप में की गई है और वह कार्यरत है ? तो क्या उसे भी सहायक अध्यापक को अनुमन्य समस्त सुविधायें प्रदान की जायेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु प्रभारी नियुक्त करने की नीति

101-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्राथमिक विद्यालय एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु प्रभारी नियुक्त करने की कोई नीति निर्धारित है ? यदि हां, तो वह नीति क्या है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि जनपद प्रतापगढ़ में विद्यालय भवन निर्माण हेतु प्रभारी नियुक्त करने में उक्त नीति या मानक का पालन किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 धर्म सिंह सैनी-

जी हां।

प्राथमिक विद्यालयों व उच्च प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण कार्य स्थानीय शिक्षकों से कराया जाये, जिसमें एक शिक्षक एक ही विद्यालय का निर्माण कार्य करवायेंगे।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के राजकीय कन्या महाविद्यालय ढिढुई एवं मंगरौरा में सभी विषयों की शिक्षा दिये जाने की मांग

102-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी स्थित राजकीय कन्या महाविद्यालय ढिढुयी एवं मंगरौरा में स्नातक स्तर पर विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय की स्थापना सहित सभी विषयों की शिक्षा दिये जाने हेतु सरकार स्वीकृति प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 राकेश धर त्रिपाठी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

महाविद्यालय में आधारभूत सुविधायें यथा पृथक से भवन, प्रयोगशालाएं निर्मित न होने तथा फर्नीचर पुस्तकें एवं प्रयोगशाला उपकरण उपलब्ध न होने के कारण स्नातक स्तर पर वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय सहित सभी विषयों की सम्प्रति शिक्षा दिया जाना सम्भव नहीं है।

जनपद उन्नाव के राजकीय चिकित्सालय चमरौली के चिकित्सकों व स्टाफ को आवासों का आवंटन

103-श्री दीपक कुमार-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय चिकित्सालय चमरौली, विकास खण्ड-नवाबगंज जनपद उन्नाव में बने सरकारी आवासों को चिकित्सकों व स्टाफ को कब से आवंटित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्र-

राजकीय चिकित्सालय, चमरौली विकास खण्ड नवाबगंज, जनपद उन्नाव में बने सरकारी आवास चिकित्सकों व स्टाफ को पूर्व से आवंटित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मथुरा में वी0वी0आई0पी0 के आवागमन की दृष्टि से एम्बुलेन्स क्रय कराये जाने की मांग

104-श्री प्रदीप माथुर-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा स्थित महर्षि दयानंद चिकित्सालय को 100 बेड के चिकित्सालय के लिये उच्चीकृत करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इस पर शासन द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या जनपद मथुरा में प्रदेश तथा बाहर के मा0 मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य वी0वी0आई0पी0 के आगमन के दृष्टिगत वी0वी0आई0पी0 एम्बुलेंस उपलब्ध है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार अगले वित्तीय वर्ष में वी0वी0आई0पी0 एम्बुलेंस मथुरा जनपद हेतु क्रय करायेंगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्र-

जी, हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मथुरा में उपलब्ध 11 रोगी वाहनों को आवश्यकतानुसार वी0वी0आई0पी0 ड्यूटी हेतु भी प्रयोग में लाया जाता है।

उक्त के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

उपलब्ध रोगी वाहन वी0वी0आई0पी0 ड्यूटी हेतु पर्याप्त हैं।

प्रदेश में कैंसर तथा असाध्य रोगों के इलाज हेतु राज्य आरोग्य निधि की स्थापना

105-श्री श्याम देव राय चौधरी-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कैंसर तथा अन्य असाध्य रोगों से ग्रस्त मरीजों की बढ़ती संख्या के दृष्टिगत आर्थिक रूप से विभिन्न लोगों को आपरेशन एवं इलाज हेतु एक अलग से सहायता फण्ड बनाने पर विचार करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्र-

प्रदेश में विषयगत प्रकरण के प्रयोजनार्थ राज्य आरोग्य निधि की स्थापना की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर महानगर में गैस्ट्रो से हुई मौतों के सम्बन्ध में कार्यवाही किये जाने संबंधी पत्र

106-डॉ0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर महानगर में अगस्त-सितम्बर, 2009 में गैस्टो से हुयी 10 मौतों के सन्दर्भ में कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में

प्रश्नकर्ता का पत्रांक क-3 एन, 104565 उन्हें प्राप्त हुआ है, यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्र-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा में खाद्य पदार्थों के नमूनों की जांच हेतु प्रयोगशाला में रिक्त पदों को भरे जाने की मांग

107-डॉ0 राजेन्द्र सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद- आगरा स्थित खाद्य पदार्थों के नमूनों की जांच करने वाली प्रयोगशाला में जनवरी, 09 से सितम्बर, 2009 तक कितने नमूनों की जांच की गयी तथा उनमें कितने नमूनों में मिलावट पायी गयी ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि प्रयोगशाला में कितने लोग कार्यरत हैं ? तथा कितने पद रिक्त है ? क्या रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जनवरी, 2009 से सितम्बर, 2009 तक आगरा प्रयोगशाला क्रियाशील नहीं थी। उक्त अवधि में आगरा प्रयोगशाला से संबंधित मण्डलों के कुल 940 नमूनों की जांच की गई, जिसमें से 149 नमूनें मिलावटी पाये गये। समस्त नमूनों की जांच राजकीय जन विश्लेषक प्रयोगशाला, लखनऊ में की गई। वर्तमान में आगरा प्रयोगशाला क्रियाशील है।

आगरा प्रयोगशाला में एक वरिष्ठ विश्लेषक तथा पांच विश्लेषक कुल 06 कार्मिक कार्यरत हैं। आगरा प्रयोगशाला में जन विश्लेषक क्षेत्रीय का 01 पद, साइन्टिफिक अधिकारी ग्रेड-1 का 01 पद, साइन्टिफिक अधिकारी ग्रेड-II का 01 पद वरिष्ठ विश्लेषक एवं कनिष्ठ विश्लेषक के 01-01 पद रिक्त हैं। उक्त के अतिरिक्त लिपिकीय एवं सहायक संवर्ग के कुल 24 पद रिक्त हैं।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

108-श्री राम बिशुन आजाद-

[एक से अधिक विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त]

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या-1 के उत्तर के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा-

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

क्या व्यवस्था है ?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा-

प्रश्नों के उत्तर के संबंध में माननीय सेवा योजन मंत्री जी ने कहा था, बेरोजगारी भत्ता के सम्बन्ध में यह लोगों को अपंग बनाने का प्रयास है, नौजवानों को अपंग बनाने का प्रयास है। मान्यवर, यह बहुत ही चिन्तनीय विषय है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्नों के सम्बन्ध में कोई व्यवस्था हो तो यह तो जो उन्होंने उत्तर दिया है उसके बारे में आप कह रहे हैं। उसके लिये तो नियम है। आप नियमों के तहत कहिये। यह गलत बात है। कोई प्रश्नों में अनियमितता हो गई हो, उत्तर गलत आ गया हो, या कोई इस तरह की बात हो गई हो तो आप को लिखित उत्तर गलत मिला हो तो अलग बात है। आप तो वरिष्ठ सदस्य हैं ओझा साहब, यह कोई मंत्री ने एक जवाब दे दिया, प्रश्न उसका खत्म हो चुका है और अब आप पूछ रहे हैं कि इस तरह का बयान दे दिया है, और आप उस पर डिस्कस करना चाहते हैं तो यह कहां से व्यवस्था का सवाल बनता है। यह व्यवस्था नहीं।

डॉ0 अजय तोमर-

मेरा केवल एक निवेदन है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्नों के सम्बन्ध में कोई व्यवस्था हो तो उठाइये। ओझा साहब आप बैठ जाय।

वर्तमान सत्र में एक भी शुक्रवार न आने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

* डॉ0 अजय तोमर-

हां, मान्यवर, प्रश्नों के सन्दर्भ में। मान्यवर, यह सत्र बहुत लम्बा चला है लेकिन अबकी बार पहली बार ऊर्जा विभाग सबसे मुख्य विभाग है, हर सदस्य की कोई न कोई जिज्ञासा ऊर्जा के विषय में होती है। मान्यवर, प्रथम शुक्रवार नहीं हुआ, दूसरा शुक्रवार नहीं होगा, तीसरा शुक्रवार भी नहीं है और चौथा शुक्रवार इसमें आ नहीं रहा है। अगर पहला, दूसरा और तीसरे शुक्रवार कोई हो जाय तो संभव है अन्यथा जिन माननीय सदस्यों के प्रश्न शुक्रवार के लिये लगे हैं, उन्हें उपलब्ध कराने की व्यवस्था कर दी जाय ताकि सदस्यों की अपने क्षेत्र की व अन्य जिज्ञासायें पूरी हो सकें। क्योंकि सभी वार लगातार लग रहे हैं दो-दो, तीन-तीन बार शुक्रवार कोई नहीं लग पा रहा है।

श्री अध्यक्ष-

चलिये, इसको दिखवाया जायेगा।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 9 फरवरी, 2010 को नियम-301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाने हेतु कुल 19 सूचनायें प्राप्त हुई। प्राप्त सूचनाओं में से निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें स्वीकार की गई :- पहली सूचना श्री विशम्भर प्रसाद निषाद की जनपद बांदा में वर्ष 2007 में विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षार्थी श्री कौशल किशोर पुत्र श्री उमा शंकर तहसील मौदहा जिला हमीरपुर के विरुद्ध फर्जी अंक-पत्र तैयार करने एवं विशिष्ट बी0टी0सी0 ट्रेनिंग का दोषी मानते हुए मुकदमा कायम कर जेल भेजने के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना डॉ0 अनिल चौधरी की राष्ट्रीय राजमार्ग

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

93 आगरा से अलीगढ़ के मध्य चार लेन का मार्ग कराये जाने के सम्बन्ध में है। तीसरी सूचना श्री संजय कपूर की जनपद रामपुर के टाउन एरिया कमेरी में उपमण्डी का निर्माण किये जाने के संबंध में है। चौथी सूचना श्री श्याम देव राय चौधरी की वाराणसी में पवित्र गंगा नदी में लगातार प्रदूषण बढ़ते रहने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। पांचवीं सूचना श्री संजीव दरियाबादी की है। (माननीय सदस्य उपस्थित नहीं है।) छठवीं सूचना श्री अशोक सिंह की जनपद रायबरेली की विधान सभा क्षेत्र सरेनी में वर्ष 1996-2000 के बीच क्षेत्र विकास निधि से आवंटित धन को जल निगम के अधिकारियों द्वारा खर्च न किये जाने के संबंध में है। सातवीं सूचना श्री शिव गणेश लोधी की जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र सतांव में दो विद्युत उपकेन्द्रों क्रमशः गुरुबख्शगंज व खीरो का उच्चीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है। आठवीं सूचना डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल की भोजपुरी फिल्मों की उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घोर अपेक्षा के संबंध में है। नवीं सूचना श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही की जनपद बुलन्दशहर के अकौता विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम रजवाना, फतेहपुर मजरा, सफीपुर, भसरौली में विद्युतीकरण कराये जाने के संबंध में है। दसवीं सूचना श्री नरेन्द्र सिंह की जनपद सीतापुर के तहसील महमूदाबाद में बाढ़ के कारण ताजपुर रपटा, असइया रपटा सहित अनेक पुलिया और पुल जो टूट गये हैं उनके पुनः निर्माण एवं दुरुस्तीकरण के संबंध में है। ग्यारहवीं सूचना श्री राज किशोर सिंह की है। (माननीय सदस्य उपस्थित नहीं है) बारहवीं सूचना चौ0 सत्यपाल सिंह की अलीगढ़ जनपद के पलवल-टप्पल अलीगढ़ राजमार्ग पर गड्ढों का दुरुस्तीकरण, चौड़ीकरण एवं डामरीकरण में की जा रही लापरवाही के संबंध में है। तेरहवीं सूचना श्री सर्वेश कुमार सिंह उर्फ सीपू सिंह की जनपद आजमगढ़ के सगड़ी तहसील में चकबन्दी में विलम्ब किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। चौदहवीं सूचना श्री कुबेर सिंह की जनपद एटा के विधान सभा क्षेत्र जलेसर में कस्बा आवागढ़ मुख्य बाजार में पी0डब्लू0डी0 की सड़क से धूल उड़ने के संबंध में है। पन्द्रहवीं सूचना श्री अनूप सण्डा की सुल्तानपुर जनपद की पुलिस द्वारा सत्तारुढ़ दल के नेताओं के दबाव में एक अल्पसंख्यक सेवानिवृत्त सैन्य कर्मी का उत्पीड़न किये जाने के संबंध में है।

दो माननीय सदस्य अनुपस्थित हैं श्री संजीव दरियावादी जी और श्री राज किशोर सिंह। संजीव दरियाबादी की सूचना के स्थान पर श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह जी की सूचना ले रहा हूं। श्री राज किशोर सिंह जी की सूचना के स्थान पर श्री राघव लखन पाल शर्मा की सूचना ले रहा हूं।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सूचनायें पढ़ी हुई मानी गईं।)

जनपद बांदा में वर्ष 2007 में विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षार्थी श्री कौशल किशोर, तहसील मौदहा हमीरपुर के विरुद्ध फर्जी अंक-पत्र तैयार कर के विशिष्ट बी0टी0सी0 ट्रेनिंग का दोषी मानते हुए मुकदमा करके जेल भेजने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

[मान्यवर, आपका ध्यान लोक महत्व के विषय की तरफ दिलाना चाहता हूं। जनपद बांदा में बी0टी0सी0 प्रशिक्षण, 2007 के प्रशिक्षणार्थी श्री कौशल किशोर पुत्र उमा शंकर ने अतर्रा पोस्ट

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

ग्रेजुएट कालेज अतर्रा बांदा से बी0एस0सी0 प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष व तृतीय वर्ष के अंक-पत्रों में कूट रचित रचना कर फर्जी अंक-पत्र अधिक नम्बर दर्ज बनाई है। बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय झांसी बी0एस0सी0 द्वितीय वर्ष अंक तालिका 1995 अनुक्रमांक 13549 व बी0एस0सी0 द्वितीय वर्ष अंक तालिका 1996 अनुक्रमांक 84019 तथा बी0एस0सी0 तृतीय वर्ष अंकतालिका 1997 अनुक्रमांक 023324 में कूट रचित रचना कर अधिक नम्बर दर्ज कर फर्जी अंक-पत्र उक्त वर्षों से तैयार कर विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षण 2007 प्राप्त कर लिया है। तथा एकलव्य महाविद्यालय बांदा से बी0पी0एड0 परीक्षा वर्ष 2007 अनुक्रमांक 06/21 से उत्तीर्ण की है जो उपरोक्त वर्षों में बी0एस0सी0 प्रथम व द्वितीय व तृतीय वर्ष की अंकतालिका एकलव्य महाविद्यालय बांदा एवं विशिष्ट बी0टी0सी0 मैरिट लिस्ट में तथा प्रशिक्षण के समय प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बांदा में लगाई है, भिन्नता पाई गई है। प्राचार्य जिला एवं प्रशिक्षण संस्थान बांदा ने अपनें पत्रांक-डायट/789/2009-10 दिनांक 6-8-2009 द्वारा एकलव्य महाविद्यालय दुरेड़ी रोड बांदा के प्राचार्य से सूचना चाही थी जिसके क्रम में प्रमाणित छाया प्रतियां प्राचार्य एकलव्य महाविद्यालय बांदा ने अपने पत्रांक एम0वि0/जांच प्रपत्र 905-906 दिनांक 26-10-09 द्वारा प्राचार्य डायट बांदा को उपलब्ध कराई गई जिसमें बी0एस0सी0 प्रथम व द्वितीय व तृतीय के अंक पत्रों में बहुत अन्तर पाया गया जिसके संबंध में मेरे द्वारा डायट बांदा से दिनांक 18-1-10 को सूचना मांगी गई तथा डायट प्राचार्य बांदा द्वारा बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय झांसी के वी0सी0 से व्यक्तिगत मिल कर तथा पत्र देकर दोनों तरह के अंक पत्रों में से सत्यापन करने के लिये दिया गया लेकिन मिली भगत होने के कारण आज तक कार्यवाही नहीं हुई है जबकि सत्यापन जांच कराकर वर्ष 2007 में विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षणार्थी कौशल किशोर पुत्र उमाशंकर निवासी ग्राम व पोस्ट लोदीपुर तहसील मौदहा जिला हमीरपुर के विरुद्ध जालसाजी एवं फर्जी अंक पत्र तैयार कर बी0पी0एड0 प्रशिक्षण एवं विशिष्ट बी0टी0सी0 ट्रेनिंग प्राप्त करने का दोषी जान कर मुकदमा दर्ज कराकर जेल भेजा जाय।

अतः इस लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्यवाही कराने की मांग करता हूं।]

राष्ट्रीय राजमार्ग-93 आगरा से अलीगढ़ के मध्य चार लेन का मार्ग कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अनिल चौधरी-

[मान्यवर, राष्ट्रीय राजमार्ग 93 आगरा से अलीगढ़ के मध्य अधिकांशतः क्षतिग्रस्त है। इस मार्ग के केस्ट की मोटाई मात्र 20 से0मी0 होने से भारी वाहनों के आवागमन के लिये यह असुरक्षित है। जनपद महामायानगर के बढ़ार गांव से हाथरस शहर तक इस मार्ग का अस्तित्व समाप्त होकर यह एक दगड़े का रूप ले चुका है। हाथरस शहर से सासनी का भाग भी अधिकांशतः क्षतिग्रस्त है।

अतः इस राजमार्ग को 60 से0मी0 मोटाई से निर्मित करने के साथ मार्ग पर चलने वाले वाहनों की संख्या को देखते हुए इसको चार लेन का कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः उक्त मार्ग निर्माण की शासन से मांग करता हूं।]

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद रामपुर के टाउन एरिया केमरी में उपमण्डी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संजय कपूर-

[मान्यवर, मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान जनपद रामपुर की टाउन एरिया केमरी में उपमण्डी न होने की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं। टाउन एरिया केमरी जनपद रामपुर की बहुत अधिक आवादी का कस्बा है तथा यहां पर बहुत बड़ी धान की मण्डी है तथा यहां पर लगभग 100 के करीब आढ़त के लाइसेंस होल्डर हैं तथा इस क्षेत्र के आस-पास लगभग 40 राइस मिले हैं। यह उत्तर प्रदेश की धान व गेहूं की अत्यधिक पैदावार करने वाला क्षेत्र है। यहां पर उपमण्डी न होने के कारण किसानों को उनकी पैदावार का समुचित लाभ नहीं मिल पा रहा है। जबकि सरकार कृषकों को उनकी पैदावार का उचित मूल्य दिलवाने के लिये बचनबद्ध है। यहां पर उपमण्डी बनाने की मांग काफी समय से चली आ रही है केमरी में उपमण्डी निर्माण की पत्रावली भी शासन में लम्बित है। जनपद रामपुर की टाउन एरिया केमरी में उपमण्डी का निर्माण होना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः इस लोक महत्व एवं अविलम्बनीय प्रश्न को सदन में उठाये जाने की अनुज्ञा प्रदान करें।]

वाराणसी में पवित्र गंगा नदी में लगातार बढ़ते प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री श्यामदेव राय चौधरी-

[मान्यवर, वाराणसी का महत्व विश्व के मानचित्र पर कई कारणों से जाना जाता है जिनमें बाबा विश्वनाथ का विख्यात स्वर्ण मन्दिर, पवित्र गंगा नदी, काशी के अनूठे मनोरम घाट, सारनाथ, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय तथा सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय आदि। लेकिन अत्यन्त खेद का विषय है कि देश-विदेश से आने वाले तीर्थ यात्रियों को घोर निराशा होती है जब वह देखते हैं कि पवित्र गंगा नदी का जल पहले जैसा अब स्वच्छ नहीं रह गया है। गोमुख से निकली गंगा बनारस आते-आते इतनी मैली और प्रवाह विहीन हो गई है। उसका जल काला-पीला दिखने लगा है। खेद का विषय है प्रदूषण मुक्त करने के नाम पर हजारों करोड़ों रुपया कई वर्षों से खर्च होने के बाद भी आज गंगा नदी में दर्जनों की संख्या में नालों से गन्दा जल-मल युक्त पानी गिर रहा है जिसे आज तक बन्द नहीं किया जा सका। जो ट्रीटमेंट प्लान्ट लगे हुए हैं वह भी बिजली के अभाव में नहीं चलते और डीजल खर्च के नाम पर घोटाला के कारण सारा अशोधित पानी गंगा में ही डाला जा रहा है जिससे वाराणसी में सामान्य दिनों में 30 नेफ्रो डरबिटी यूनिट 55 तक पहुंच गई है जिसे जल संस्थान द्वारा पीने योग्य बनाने के लिये तीन गुना केमिकल और क्लोरीफिकेशन करना पड़ रहा है उसका भी आम जनता के स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ रहा है और लोगों को अनेक प्रकार के पेट के रोग से पीड़ित होना पड़ रहा है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः नियम 301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के ध्यानाकर्षण सूचना द्वारा गंगा नदी में गिर रहे जल-मल युक्त नालों को अविलम्ब बन्द करने एवं प्रदूषण मुक्त करने की दिशा में कार्य करने एवं उसके प्रवाह में बढ़ोत्तरी किये जाने की मांग करता हूं।]

रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र सरैनी में वर्ष 1996-2000 के बीच क्षेत्र विकास निधि से आवंटित धन को जल निगम के अधिकारियों द्वारा खर्च न किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अशोक सिंह-

[मान्यवर, मैं इस सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र सरैनी में वर्ष 1996-2000 के बीच क्षेत्र विकास निधि से जल निगम द्वारा कराये गये अधूरे कार्य को पूर्ण करवाये जाने के संबंध में ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। वर्ष 1996-2000 के बीच में इस विधान सभा का सदस्य था। मेरी विधायक निधि से जल निगम को कार्यों हेतु धन आवंटित हुआ था, किन्तु विभाग के एक सहायक अभियन्ता द्वारा तमाम अनियमिततायें/घपले किये जाने के कारण विकास के सारे कार्य अधूरे रह गये तथा आवंटित धनराशि में 50 प्रतिशत धनराशि का भुगतान भी हो गया। जल निगम द्वारा विकास के कार्य करवाये जाने हेतु अभी भी शेष धनराशि जिला विकास अभिकरण के खाते में पड़ी हुई है। अवशेष पड़ी हुई धनराशि में से कोई भी कार्य नहीं कराये जा रहे हैं। जनहित में शेष धनराशि से नये कार्य करवाया जाना अति आवश्यक है, जिससे क्षेत्रीय जनता को मूलभूत सुविधायें मिल सकें।

अतः मैं इस लोक महत्व के विषय पर सदन के माध्यम से सरकार से कार्यवाही की मांग करता हूं।]

रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र सतांव में दो विद्युत उपकेन्द्रों गुरुबख्शगंज व खीरों का उच्चीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शिव गणेश लोधी-

[महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र सतांव की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। इस क्षेत्र के दो विद्युत उपकेन्द्रों पहला गुरुबक्श गंज तथा दूसरा खीरों का उच्चीकरण काफी समय से कराये जाने की जनता की मांग चली आ रही है। अनेकों पत्र लिखे गये, मगर कोई समुचित कार्यवाही न हो पाने के कारण जनता में रोष व्याप्त है। न तो इन दोनों उपकेन्द्रों का उच्चीकरण किया गया और न तो क्षमता ही बढ़ाई गई जिससे विद्युत आपूर्ति पूरी की जा सके। इन दोनों उपकेन्द्रों की क्षमता न बढ़ाये जाने से छोटे-छोटे कस्बों में तथा गांवों के किसानों को बिजली की सही सप्लाई नहीं हो पा रही है। कहीं-कहीं एक ब्लाक से तीन-तीन घंटे ही बिजली की सप्लाई हो पा रही है जिससे सभी को परेशानी है। किसान व्यापारी वर्ग तथा अन्य संबंधित वर्ग इस प्रक्रिया से आन्दोलित हैं तथा किसी भी समय भयावह स्थिति उत्पन्न हो सकती है। बिजली सप्लाई में भेदभाव किया जा रहा है। यदि विद्युत उपकेन्द्रों का उच्चीकृत कर दिया गया तथा इनकी क्षमता बढ़ा दी गई तो विकास के कार्य आसानी से हो सकेंगे।

अतः इस लोक महत्व के प्रश्न पर सदन के माध्यम से सरकार से कार्यवाही की मांग करता हूं।]

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

भोजपुरी फिल्मों की उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घोर उपेक्षा किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*डॉ0 राधामोहन दास अग्रवाल-

[विगत कुछ वर्षों में भोजपुरी फिल्मों की लोकप्रियता, उनका निर्माण एवं प्रदर्शन उत्तर प्रदेश विहार सहित देश के सभी प्रमुख नगरों के साथ ही दुनिया के 45-46 ऐसे देशों में जहां भोजपुरी बोलने वाले लोग रहते हैं बहुत तेजी से बढा है। लन्दन, मारीशस, सूरीनाम, इन्डोनेशिया और थाईलैण्ड आदि विदेशों में भी वहां की सरकारें भोजपुरी फिल्मों को पर्याप्त अनुदान छूट और सुविधायें उपलब्ध करा रही हैं जिससे अनेक भोजपुरी फिल्मों की शूटिंग विदेशों में हुई है। भोजपुरी फिल्मों का कारोबार बढ़कर 3000 करोड़ तक हुआ है जिससे बालीवुड के अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार, सायराबानो, भाग्यश्री, नगमा, रम्भा, युक्तामुखी जैसे दिग्गज कलाकार भोजपुरी फिल्मों की ओर आकर्षित हुए हैं।

यह अत्यन्त दुख का विषय है कि विदेशों में प्रोत्साहन तथा दिग्गज कलाकारों के सहयोग के बावजूद भी उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद् स्वयं अपने प्राविधानों (यथा, किसी भोजपुरी/हिन्दी फिल्म की 75 प्रतिशत शूटिंग उत्तर प्रदेश में होने पर 10/20 लाख की अधिकतम सीमा तक राशि के 25 प्रतिशत का भुगतान तथा 10 वर्ष के लिये टैक्स फ्री) का स्वयं अनुपालन नहीं कर रही है।

वर्तमान में उ0प्र0 फिल्म विकास परिषद् में संघर्षशील निर्माताओं ने 25000 रु0 प्रति स्क्रिप्ट पंजीकरण राशि के साथ, लगभग 400 से अधिक कथायें/पटकथायें जमा की हुई हैं। लेकिन भोजपुरी भाषा, साहित्य एवं संस्कृति के विकास के प्रति शासन के उपेक्षाकारी आचरण एवं परिषद् की लचर एवं दिशाहीन कार्य प्रणाली के कारण परिषद् इन फिल्मों को अभी तक किसी भी तरह प्रोत्साहित नहीं किया है। शासन-प्रशासन के इस भोजपुरी विरोधी आचरण के कारण स्थितियां कठिन एवं विपरीत हो रही हैं, निर्माता हतोत्साहित हो रहे हैं, भोजपुरी फिल्मों का विकास एवं भविष्य खतरे में पड़ता नजर आ रहा है तथा भोजपुरी भाषा के साथ साथ प्रदेश के तकरीबन 6 करोड़ भोजपुरी भाषी नागरिकों के साथ अन्याय हो रहा है।

बहुतायत में जब निर्माता उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद् का चक्कर काटकर निराश हो जाते हैं तो उन्हें मजबूरन अपनी परियोजना को उत्तर प्रदेश के बजाये महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान आदि में पूरा करना पड़ता है। जिससे उत्तर प्रदेश में फिल्म उद्योग के विकास के साथ ही प्रदेश का आर्थिक विकास एवं हजारों हजार कलाकारों एवं अन्य नौजवानों को मिलने वाला रोजगार भी प्रभावित होता है।

यह दुखद है कि वर्तमान सरकार उर्दू, अरबी, फारसी के विकास के लिये उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन करके अरबी, फारसी विश्वविद्यालय बनाती है लेकिन यह दुखद है कि लिपि, भाषा एवं संस्कृति के संरक्षण का दावा करने वाली सरकार शासन के नियमों एवं प्राविधानों के बावजूद भोजपुरी भाषा और संस्कृति की इतनी घोर उपेक्षा कर रही है।

अतः नियम 301 के तहत इसे सदन में उठाये जाने की अनुमति प्रदान करें।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद बुलन्दशहर के अगौता विधान सभा क्षेत्र के रजवाना आदि कतिपय ग्रामों का विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

[मान्यवर, बुलन्दशहर के अन्तर्गत अगौता विधान सभा क्षेत्र से ग्राम रजवाना में बिजली का कार्य ग्राम विद्युतीकरण के अन्तर्गत अधूरा पड़ा हुआ है उसको शीघ्र पूरा कराया जाना आवश्यक है तथा एक दूसरा गांव फतेहपुर मजरा सरीफपुर भैसरौली में विद्युतीकरण का काम होना था सर्वे कराकर कुछ कार्य कराकर अधूरा छोड़ दिया गया। इस बात को लेकर ग्रामीणों में भारी रोष है। विद्युत विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही के कारण कार्य पूर्ण नहीं हो सका है। प्राथमिकता के आधार पर ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्य शीघ्र कराये जाने की मांग करते हैं।

अतः लोकमहत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए ग्रामीण क्षेत्र के अधूरे विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद में बाढ़ के कारण ताजपुर-रपटा सहित टूटे पुल और पुलियों के पुनः निर्माण एवं दुरुस्तीकरण के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर)-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं जनपद सीतापुर के त0 महमूदाबाद से बाढ़ से नष्ट हो गये ताजपुर रपटा, असइसा रपटा, इसवारा के निकट पुलिया, सटललापुर के निकट पुलिया, मोगलापुर के बगल पुलिया, तमनापुर के निकट सोमली नदी पर पुल टूटा अहेवा बजेहरा पुलिया टूटी मार्ग, रसूलपुर, चरपुरवा, पर सोमली, नदी पर पुल टूटा, चांदपुर से सदरपुर पर 500 मीटर रोड बह गई, महुआ, डाडा से कोडरडी 800 मी0 रोड बह गई, मुबारकपुर में पुलिया बह गई, बकहुआ सुहेला मार्ग पर रपटा टूट गया। तारा बेहड के सामने भरथर मार्ग पर रोड गई। चुल्का देवकलिया मार्ग पर तुलसलपुर के पास दो पुलिया टूट गई। सुल्तानापुर के पश्चिम पुलिया टूट गई। सुल्तानापुर के पुरब दो पुलियां टूट गई। नहर से चमारनपुरवा के बीच में खण्डजा व दो पुलिया टूटी और पड़रिया के पश्चिम दो पुलिया टूट गई। जिससे ग्रामीणों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है और ग्रामीणों में काफी असंतोष व्याप्त है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान मे लाते हुए सरकार से वक्तव्य दिलाये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद अलीगढ़ के पलवल-टप्पल अलीगढ़ राजमार्ग पर गड्ढों के दुरुस्तीकरण एवं डामरीकरण में की जा रही लापरवाही के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

चौधरी सत्यपाल सिंह-

[मान्यवर, अलीगढ़ जनपद के पलवल टप्पल अलीगढ़ राज्य मार्ग पर जगह-जगह गड्ढे होने के कारण जनता को आवागमन करने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यह मार्ग हरियाणा होते हुए देश की राजधानी दिल्ली तक जाता है। इसी कारण इस मार्ग पर गाड़ियों का आवागमन बहुत बड़ी संख्या में दिन रात हो रहा है। जगह-जगह गड्ढे होने के कारण रोजना

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

दुर्घटनायें हो रही हैं। उक्त मार्ग पी0टी0ए0-पलवल-टप्पल अलीगढ़ मार्ग के दुरुस्तीकरण, चौड़ीकरण और डामरीकरण के अधिकारी बहुत ही लापरवाही बरत रहे हैं।

अलीगढ़ महानगर के मोहनलाल गौतम चौराहे से लेकर खेर रोड तक लगभग 2 कि0मी0 मार्ग पूरी तरह टूट चुका है। गड्ढे होने के कारण रोजाना दुर्घटनायें हो रही हैं।

अतः इस अत्यन्त उपयोगी मार्ग के आबादी भागों में सी0सी0 कार्य व नाली निर्माण तथा पूरे मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण (60 से0मी0 मोटाई में) की आवश्यकता है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार से कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद आजमगढ़ की सगड़ी तहसील में चकबन्दी में विलम्ब किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सर्वेश कुमार सिंह उर्फ सीपू सिंह-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं जनपद आजमगढ़ की तहसील सगड़ी में राजस्व गांव आ0डे0 मुबारक व आ0डे0 करखिया में भूमि की चकबन्दी का कार्य अभी तक पूरा नहीं हो सका है जबकि वर्ष 1984 में इसके लिये गजट किये जा चुके हैं यह कार्य पूरा न होने से स्थानीय लोगों में काफी रोष है। किसान परेशान है कृषि भूमि की चकबन्दी की प्रक्रिया में स्थानीय स्तर विलम्बकर किसानों को परेशान किया जा रहा है यह एक गम्भीर विषय है कि लोक महत्व का है, तत्काल चकबन्दी प्रक्रिया पूर्ण किया जाना चाहिये। इस प्रकरण को लेकर कई बार किसान आन्दोलन कर चुके हैं।

अतः इस गम्भीर विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए सरकार का ध्यान आकर्षित करने की मांग करता हूं।]

जनपद एटा के विधान सभा क्षेत्र जलेसर में कस्बा आवागढ़ मुख्य बाजार में पी0 डब्ल्यू0 डी0 की सड़क पर धूल उड़ने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कुबेर सिंह-

[महोदय, कस्बा अवागढ़ विधान सभा क्षेत्र जलेसर जनपद एटा के अन्तर्गत मुख्य बाजार की सड़क पर ऐसे धूल उड़ रही है जैसे गांव की कच्ची सड़कों पर गाड़ी निकाल ले जाने के बाद उड़ती है जिससे बाजार में जीवन यापन करने वाले लोग व व्यापारी के जन जीवन पर प्रदूषण से पर्याप्त प्रभाव पड़ रहा है। इतना ही नहीं मार्केट में समस्त प्रकार की बिकने वाली वस्तुओं पर जो इस धूल का असर होता है इससे खाकर के ग्रामीण खरीददारों के भी शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ता है जिससे तमाम प्रकार की बीमारी जन्म लेती है। यह मार्ग पी0डब्लू0डी0 के अन्तर्गत आता है। इसका निर्माण कराया जाना जनहित में आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उक्त मार्ग का निर्माण कराये जाने हेतु वक्तव्य की मांग करता हूं।]

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद सुल्तानपुर में पुलिस द्वारा सत्तारूढ़ दल के नेताओं के दबाव में एक अल्पसंख्यक सैन्य कर्मी का उत्पीड़न किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अनूप सण्डा-

[मान्यवर, सुल्तानपुर जनपद की पुलिस अपराधों व अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही करने में असफल साबित हो रही है। पुलिस सत्तारूढ़ दल के नेताओं को खुश रहने के लिये कानून को भी अपने हाथ में ले रही है। दिनांक 06 फरवरी, 2010 को गोसाईगंज एवं थाना कोतवाली देहात की पुलिस के ग्राम ओदरा (थाना कोतवाली देहात) निवासी रिटायर्ड फौजी मोहम्मद हसीब के यहां दविश देकर उनकी एक भैंस खोलकर ले जाने लगी कारण पूछने पर हसीब और उनके घर की महिलाओं को मारा पीटा गया। मौके पर चीख पुकार से ग्रामवासी भी एकत्र हो गये। उनके पूछने पर पुलिस ने बताया कि सत्तारूढ़ दल के नेता श्री जिया लाल त्यागी की भैंस चोरी हो गई थी ये भैंस उन्हें देनी है। गांव वालों ने विरोध किया तो पुलिस ने फर्जी मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की धमकी देकर मो0 हबीब को थाने ले गई व भैंस को श्री जिया लाल त्यागी के यहां पहुंचा दिया। इस प्रकरण में श्री त्यागी द्वारा कोई प्राथमिकी या सूचना थाने पर दर्ज नहीं कराई गई थी। मेरे द्वारा पुलिस अधिकारियों से वार्ता की गई परन्तु पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। इस घटना से आस- पास के इलाके की जनता खास कर अल्पसंख्यकों में बहुत रोष है। मोहम्मद हसीब दूध का व्यापार करके अपना जीवन यापन करते हैं। इस प्रकार भैंस छीन लिये जाने से वो काफी आहत हैं व उनके परिवार के सामने रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो गया है।

मान्यवर, इस प्रकरण में अल्पसंख्यकों व आम जनता में शासन की छवि धूमिल हो रही है। इस कारण मो0 हसीब से अवैध रूप से छीनी गई भैंस उन्हें वापस दिलाया जाना एवं दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही आवश्यक है। मैं विलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रकरण पर आवश्यक कार्यवाही की मांग करता हूं। तथा सरकार से वक्तव्य दिलाये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद प्रतापगढ़ के मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय के पंचायत अनुभाग तथा समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में वर्षों से जमें कर्मियों को स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

[मान्यवर, जनपद प्रतापगढ़ के मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय के पंचायत अनुभाग तथा समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में कुछ कर्मचारी विगत 15-20 वर्षों से कार्यरत है जिनके कारण न्याय का कार्य करने में कठिनाई आ रही है साथ ही स्थानीय होने के कारण उनके द्वारा ग्राम पंचायतों के क्रिया कलाप एवं अन्य विकास कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप तथा कार्यालय की गोपनीयता भंग किये जाने की बात बराबर लोगों द्वारा बताई जाती है। ऐसे कर्मचारी, जो निर्धारित स्थानान्तरण नीति के विपरीत उपरोक्त स्थानों पर कार्यरत हैं, के बने रहने से प्रशासनिक ढांचा एवं उसकी कार्यशैली गम्भीर रूप से प्रभावित होती है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद सहारनपुर के कस्बा गागलैहड़ी से मुजफ्फरनगर तक बनी सड़क टूट जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राघव लखन पाल शर्मा-

[महोदय, जनपद सहारनपुर के कस्बा गागलैहड़ी से मुजफ्फरनगर तक विश्व बैंक के अनुदान से लगभग तीन वर्ष पूर्व लगभग 50 करोड़ रुपये की लागत से बनी लगभग 70 कि0मी0 सड़क जर्जर अवस्था में पहुंच गई है। विश्व बैंक के धन का दुरुपयोग हुआ है। इतना अधिक धन व्यय करके बनाई गई सड़क का इतने कम समय में ही टूट जाना, जांच का विषय है। इस सड़क का पुनः निर्माण कराये जाने के साथ-साथ संबंधित ठेकेदारों, अधिकारियों व लोक निर्माण विभाग की जांच कर कार्यवाही की जानी चाहिये।

अतः इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय पर आपके माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

औचित्य के प्रश्न की सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 09 फरवरी, 2010 को नियम-300 के अन्तर्गत निम्नलिखित 5 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। प्राप्त सूचनाओं में पहली सूचना श्री श्यामदेव राय चौधरी की है। यह सूचना सुनी जायेगी। इन्होंने उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-51 एवं नियम-56 के अन्तर्गत स्वीकृत सूचनाओं पर प्रक्रिया संबंधी निदेश संख्या-16(1) तथा 21(1) के अनुसार शासन द्वारा कृत कार्यवाही की सूचना एक माह के अन्तर्गत न दिये जाने के सम्बन्ध में सूचना दी है। दूसरी सूचना श्री आरिफ अनवर हाशमी एवं रियाज अहमद की है. इन्होंने विभिन्न विश्वविद्यालयों की कोर्ट कमेटी में नामित माननीय विधायकों को विश्वविद्यालयों की तत्संबंधी बैठकों में न बुलाये जाने के संबंध में, सूचना दी है। यह सूचना नहीं सुनी जायेगी।

तीसरी सूचना चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी की है। इन्होंने चीन एवं ताइवान में निर्मित खिलौनों के निर्माण में निर्धारित मापदण्ड पूरा न किये जाने एवं उनमें प्रयुक्त होने वाले रासायनिक पदार्थों के कारण बच्चों में अनेक बीमारियां होने के खतरे को देखते हुए ऐसे खिलौनों की बिक्री पर रोक लगाये जाने के संबंध में सूचना दी है। यह नियम 300 में नहीं आती है। यह सुनी नहीं जायेगी। चौथी सूचना श्री अनूप सण्डा जी की है इन्होंने शासन द्वारा कतिपय कार्यदायी संस्थाओं के भुगतानों पर रोक लगाये जाने से विकास कार्यों के बाधित होने के संबंध में सूचना दी है। यह सुनी नहीं जायेगी। पांचवीं सूचना श्री मदन चौहान जी की है इन्होंने लोकायुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा जांचोपरान्त भ्रष्टाचार के मामले में दोषी पाये गये अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही न किये जाने और तत्संबंधी मामलों को कई-कई वर्षों से लम्बित रखे जाने के संबंध में सूचना दी है। यह सुनी नहीं जायेगी।

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नियम-51 व नियम-56 के अन्तर्गत स्वीकृत सूचनाओं पर प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश संख्या-16 (1) के अधीन शासन द्वारा कृत कार्यवाही की सूचना एक माह के अन्दर न दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

मा0 अध्यक्ष जी, प्रक्रिया संबंधी आपके द्वारा जो निदेश जारी किये गये हैं, समय-समय पर, उसके अनुसार नियम-51 के अन्तर्गत जो स्वीकृत सूचनायें होती हैं, जिस पर आपके द्वारा शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है, इसके सम्बन्ध में आपने जो निदेश दे रखे हैं, उससे सुस्पष्ट है, नियम संख्या-16(1) के निदेश संख्या-15 के अधीन शासन का ध्यान आकृष्ट किये जाने के लिये आशयित सूचनाओं के संबंध में शासन द्वारा जो भी कार्यवाही की जाय, उसकी सूचना सम्बन्धित सदस्य एवं विधान सभा सचिवालय को एक माह के अन्दर मिल जानी चाहिये। इसी के नियम संख्या-2 में सुस्पष्ट है कि निदेश संख्या-16(1) में निर्धारित अवधि के भीतर ऐसी सूचनाओं का उत्तर प्राप्त न होने की दशा में विलम्ब के लिये दोषी अधिकारी, कर्मचारी के विरुद्ध संबंधित मंत्री द्वारा यथोचित कार्यवाही की जायेगी और उसकी सूचना यथासम्भव उसी सत्र में और विलम्बतम अगले सत्र में इस सदन को दी जायेगी। इसी प्रकार मा0 अध्यक्ष महोदय, नियम-56 में जिन सूचनाओं पर आप शासन का ध्यान आकर्षित करते हैं, उसके सम्बन्ध में निदेश संख्या-21 में सुस्पष्ट है, 21(1) में कि निदेश संख्या-19(ख) के अधीन शासन का ध्यान आकृष्ट किये जाने के लिये आशयित सूचनाओं के सम्बन्ध में शासन द्वारा जो भी कार्यवाही की जाय, उसकी सूचना संबंधित सदस्य एवं विधान सभा सचिवालय को एक माह के अन्दर भेजी जायेगी। इसी में आपने (2) में निदेश दे रखा है कि निदेश संख्या-21(1) में निर्धारित अवधि के भीतर ऐसी सूचनाओं का उत्तर प्राप्त न होने की दशा में विलम्ब के लिये जो दोषी अधिकारी, कर्मचारी होंगे, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित मा0 मंत्री जी द्वारा यथोचित कार्यवाही की जायेगी और उसकी सूचना यथासम्भव उसी सत्र में अथवा विलम्बतम अगले सत्र के प्रथम सप्ताह में सदन को दी जायेगी। इस सम्बन्ध में मा0 अध्यक्ष जी, मेरा कहना यह है कि इसका खुला उल्लंघन हो रहा है और न नियम-51 में जो ध्यानाकृष्ट होती है, सूचनायें, उसका उत्तर मा0 विधान सभा सदस्य को मिल रहा है, न तो कार्यालय को मिल रहा है और इसी प्रकार नियम-56 के अन्तर्गत जिन सूचनाओं पर आप ध्यान आकृष्ट करते हैं, उसके सम्बन्ध में जो सुस्पष्ट आपका निर्देश है, उसके भी उत्तर नहीं मिल रहे हैं, एक माह क्या, अभी पिछले सत्र का जो आपने ध्यान आकृष्ट किया था, उसके उत्तर आज तक सम्बन्धित मा0 सदस्य को नहीं मिला और न तो यह जो वर्तमान सदन है, ऐसे जो उत्तर नहीं देने के दोनों प्रकरणों में दोषी अधिकारी और कर्मचारी हैं, उनके विरुद्ध आपके निर्देश के अनुसार जो कार्यवाही होनी चाहिये, उसमें किसी भी अधिकारी, कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक, दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने की कोई सूचना सदन के पटल पर नहीं रखी गई है, आपके जो निदेश दिये हुए हैं, उसका पालन आप सुनिश्चित करायें ताकि आपने उसमें संसोधन किया था कि लोग पालन नहीं कर रहे हैं और इसलिये आपने उसमें संशोधन किया कि जो अधिकारी, कर्मचारी दोषी पाये जायेंगे, उनके खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। उसके बाद भी सूचनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा है, न सम्बन्धित विधायक को मिल रहा है, न कार्यालय को प्राप्त हो रहा है और ऐसे

दोषी अधिकारियों, कर्मचारियों के विरुद्ध मा0 मंत्री जी ने क्या कार्यवाही की, उसकी सूचना भी मा0 सदन के पटल पर नहीं रखी जा रही है। तो निश्चित रूप से जो हमारे अधिकार है, उसका हनन है, मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, 2009 के सत्र में नियम-51 के अन्तर्गत 83 ग्राह्य सूचनायें प्राप्त हुई थी, जिसमें से 82 के उत्तर मा0 सदस्यों को सम्बन्धित विभागों द्वारा भेजे जा चुके हैं। नियम-56 के अन्तर्गत 12 सूचनायें प्राप्त हुई, सभी 12 सूचनाओं के उत्तर मा0 सदस्यों को भेजे जा चुके हैं। मान्यवर, फिर भी हम इस बात को देख लेंगे जो मा0 सदस्य की चाहत है, अगर कहीं कोई जानबूझकर अधिकारी दोषी है तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

मैंने मा0 श्यामदेव राय चौधरी जी को सुना, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना, यह सूचना नियम-300 के अन्तर्गत नहीं आती। अतः मैं इसे अग्राह्य करता हूं।

तब भी माननीय मंत्री जी अगर समयबद्ध तरीके से हमारे माननीय सदस्यों को निर्देशों और ध्यानाकर्षण के संबंध में जो सूचना उपलब्ध होनी चाहिये वह समयबद्ध तरीके से निश्चित तौर पर उपलब्ध कराई जाये। इसको आप दिखवा लें।

उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2010

कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान मंत्री (श्री राजपाल त्यागी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वावद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2010 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2010 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री राजपाल त्यागी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2010 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2010[†]

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2010 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

[†] दिनांक 23-2-2010 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2010 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2010 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-10 में कुछ नही है।

नियम-311 की नियम-56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 9-2-2010 को नियम-311 में प्राप्त 1 सूचना को नियम-56 में परिवर्तित कर दिया गया है। इस प्रकार नियम-56 के अन्तर्गत कुल 24 सूचनायें प्राप्त हुई जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनायें चयनित की गई। प्रथम 2 सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है :-

डॉ0 राधामोहन दास अग्रवाल, श्री श्यामदेव राय चौधरी तथा श्री अमरमणि त्रिपाठी की आजमगढ़, देवरिया, गाजीपुर, बलिया सहित पूर्वांचल के जिलों में बढ़ रही नक्सलवादी गतिविधियों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है,

श्री ओम प्रकाश सिंह, श्री हुकुम सिंह तथा श्री सुरेश कुमार खन्ना की प्रदेश में पेट्रोल एवं डीजल में की जा रही मिलावट से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है,

डॉ0 अनिल चौधरी, डॉ0 अजय तोमर तथा चौ0 सत्यपाल सिंह की आगरा में पर्यटन की दृष्टि से अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है।

विशेष उल्लेख के अन्तर्गत

श्री जोखूलाल यादव की इलाहाबाद के ग्राम बसनाखास में दबंगों द्वारा वर्ग विशेष की भूमिधरी जमीन को कब्जा किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है,

श्री सुरेश कुमार खन्ना तथा श्री कुबेर सिंह की प्रदेश में बी0एड0 बेरोजगारों को प्राथमिकता के आधार पर विशिष्ट बी0टी0सी0 में समायोजन किये जाने के सम्बन्ध में है,

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद की प्रदेश में कहार, केवट, मल्लाह, निषाद, राजभर, कुम्हार आदि को अनुसूचित जाति में शामिल किये जाने के सम्बन्ध में है,

श्रीमती मिथिलेश पाल की मुजफ्फरनगर के भोपा रोड पर स्थित फैक्ट्रियों द्वारा भू-गर्भ जल प्रदूषित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है,

श्री अनूप कुमार गुप्ता की सीतापुर स्थित पिसांवा इलाके में हुई दर्दनाक हादसे से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है,

श्री मदन चौहान की गंगा नदी को जल प्रदूषण से बचाने के सम्बन्ध में है,

श्री अब्दुल वारिस खां की मुजफ्फरनगर में हजारों किसानों को नलकूपों हेतु ट्रान्सफार्मर उपलब्ध न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है,

श्री श्याम किशोर शुक्ला की विद्यालयों में छात्रसंघों का चुनाव कराये जाने के सम्बन्ध में है,

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनायें चयनित नहीं हुई हैं। अतः अस्वीकृत हुईं :-

1-श्री अनूप सण्डा,

2-श्री महबूब अली,

3-श्री रियाज अहमद,

4-डॉ0 राधामोहन दास अग्रवाल,

5-श्री पूरन प्रकाश,

6-श्रीमती विमलेश सिंह,

7-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी,

8-श्री बैजनाथ दुबे,

9-महन्त कौशलेन्द्र नाथ योगी तथा

10-डॉ0 पी0के0 राय व श्री विश्वनाथ।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने नियम-56 में सूचना दी थी उसका जिक्र नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सिरोही जी, आपने सूचना सीधे हमको दी थी। आपको पटल में देना चाहिये था। वहां पर आपने नहीं दिया था। जो नियम है उसके अनुसार वहां पर सूचना दीजिये। माननीय सिरोही जी आप वरिष्ठ सदस्य हैं, आपने सूचना नियम के अनुसार नहीं दी, आप वहां सूचना देने के बजाये सीधे हमारे यहां लेकर गये थें, उस सूचना को मैं कैसे सुनूंगा ? आप बतायें, आप वरिष्ठ हैं आप ही हमको व्यवस्था दें। आप कल नियम के आधार पर सूचना दे दीजिये मैं कल आपकी सुन लूंगा।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है, हमारे उप नेता डॉ0 वकार साहब आपके कक्ष में थोड़ी देर तक बैठे रहे और जब अभी आपके कक्ष में बैठे थे तो वहां से आये हैं तो इनकी आंखों में अजीब-अजीब पता नहीं क्या हो रहा है। मान्यवर, आप अपने कक्ष को ठीक से दिखवा लें कि वहां पर सदस्यों की आंख में पता नहीं क्या हो जाता है ?

श्री अध्यक्ष-

वहां पर 15-20 लोग बैठे थे, पता नहीं इनकी आंख कहां लगी है, अब उसकी हम जांच करायेंगे ।

*डॉ0 राधामोहन दास अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आभारी हूं आपका कि आपने प्रदेश की सुरक्षा, देश की व्यापक सुरक्षा और प्रदेश में रह रहे गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के हित के लिये यह जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय है, आज मुझे कार्यस्थगन प्रस्ताव के माध्यम से उसकी ग्राह्यता पर बोलने का मौका दिया। हम सब इस बात को जानते हैं कि पिछले दो दिनों से प्रदेश में जो गिरफ्तारियां हुई, पहले गोरखपुर में गिरफ्तारी हुई, आशा नाम की एक महिला की, जिसे कहा गया कि वह महिला सेल की अध्यक्षा है। उसकी सूचना के आधार पर इलाहाबाद में गिरफ्तारी हुई दो लोगों की मैं नाम उनके नहीं लूंगा, नाम लेना आवश्यक नहीं है, पति-पत्नी हैं। और उनके पास से साहित्य मिला, धन मिला उन्होंने बताया कि कानपुर में बैठक होने वाली है, हम लोग उस बैठक में जाने वाले हैं, उसके पहले उनकी गिरफ्तारी हुई उसके आधार पर कानपुर में गिरफ्तारी हुई। कानपुर में जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई वे छोटे-मोटे लोग नहीं थे, जो इस देश का प्रतिबन्धित संगठन है, उसके राष्ट्रीय स्तर की जो टीमें हैं, वो उसके सदस्य हैं, वे रीजनल कोआर्डिनेशन कमेटी के, यू0पी0 स्टेट कोआर्डिनेशन कमेटी के सदस्य थे, और जो राष्ट्रीय उनकी सम्पर्क टीम है उसके थे। जो 8 लोग गिरफ्तार किये गये, उसमें बिहार के भी लोग थे, उत्तराखण्ड के भी लोग थे और उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के भी लोग थे। जो लोग गिरफ्तार किये गये हैं उनके जो आंकड़े प्रकाशित किये गये हैं, जो जघन्य से जघन्य अपराध हो सकते थे उन अपराधों से संलिप्तता की बात सामने आई है। बंगाल में लालगढ़ में कम्युनिष्टों की हत्या का मामला आया, बिहार के अन्दर लखीसराय में माओवादियों के द्वारा की गई हत्या का मामला सामने आया, झांझा में मुंगेर में जो स्पेशल आर्म्ड फोर्स के सिपाही थे, उनकी हत्या का मामला सामने आया है अर्थात् वह लोग जो पकड़े गये थे, वह लोग बहुत गम्भीर किस्म के, राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पहुंचाने वाले अपराधों से संलग्न थे। जो कुछ दायित्व उन्हें दिये गये थे, साहित्य रचने के, दस्तावेज रखने के, अपनी विचारधारा के प्रचार करने के बल्कि सशस्त्र संघर्ष कैसे किया जाये, इसकी रणनीति और इसके प्रशिक्षण देने के उनके पास अनुभव थे। अध्यक्ष महोदय, पूछने पर पता चला कि वह 2004 से कानपुर को अपना बेस बनाकर के काम कर रहे थे, 2004 से काम कर रहे थे अर्थात् 6 सालों। पिछले एक साल से तो वो जिस मकान में रह रहे थे, वह एक सरकारी कर्मचारी का मकान था, किराये पर रह रहे थे। बार-बार यह सूचनायें दी जाती है कि जो लोग अपने मकानों में किरायेदार रखते है, उनके बारे में सूचना का एक तंत्र बनना चाहिये, प्रशासन को इसकी सूचना होनी चाहिये, जिससे कि प्रशासन जान सके कि महानगर के किन क्षेत्रों में कहां-कहां कौन किराये पर रहता है ? एक सरकारी कर्मचारी किराये पर रखता है और सरकारी प्राविधानों का प्रयोग नहीं करता है, प्रशासन को सूचना नहीं देता है। यह सारी गिरफ्तारियां जो हुई, ये उत्तर प्रदेश की पुलिस ने बहुत गम्भीरता के साथ बहुत बड़ा अभियान चला लिया था, उससे हुई, उत्तर प्रदेश शासन की सूचना इकाई ने बहुत सूचनायें दे दी थीं, इसके आधार पर हो गया ऐसा नहीं था, बल्कि देश के स्तर पर जो आपरेशन ग्रीन हण्ट चलाया जा रहा है, जिसमें एक कोबद गांधी नाम के आदमी की गिरफ्तारी हुई, उनसे जो सूचनायें जो भारत सरकार को मिली थीं और भारत सरकार ने जो पास की थीं, उन सूचनाओं के

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आधार पर गिरफ्तारियां हुईं। अब अध्यक्ष महोदय, कुछ चीजें बड़ी साफ है, इसी सदन में हम लोगों ने तारांकित प्रश्न लगाया था, तारांकित प्रश्न था कि क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि प्रदेश के कितने जनपद नक्सलवाद की हिंसा से प्रभावित है। सरकार का जवाब था उत्तर प्रदेश के जनपद चन्दौली, सोनभद्र, मिर्जापुर नक्सलवाद से प्रभावित है।

यह कल सरकार के द्वारा सदन में दिया गया जवाब था, कल ही सरकार का एक वरिष्ठतम अधिकारी ए0डी0जी0 पुलिस उनका अखबारों में बयान छपा था कि आजमगढ़, देवरिया, गाजीपुर और बलिया यहां भी नक्सलवादी संगठनों की सक्रियता पाई गई। अब प्रश्न बहुत साफ है। सरकार जब इस सदन में आती है, तो तीन जिलों का नाम लेती है जो वर्षों से लिये जा रहे है। सरकार का अधिकारी उसी दिन जब समाज को बताते हैं तो चार नये जिलों का नाम लेते हैं और बताते हैं कि यहां भी सक्रियता है। जो गिरफ्तार किये गये वह गोरखपुर में किये गये, इलाहाबाद में किये गये, कुशीनगर के नागरिक थे। इलाहाबाद, गोरखपुर और कुशीनगर का नाम अभी न तो सरकार ने सदन में लिया और न ही इतने वरिष्ठ अधिकारी ने जो जनता को बताया, समाज के सामने लिया। प्रश्न यह है कि 2004 से लेकर अब तक जो गतिविधियां चल रही थीं, क्या सरकार के संज्ञान में थी, क्या सरकार इसको जान रही थी, क्या सरकार की अभिसूचना इकाई सरकार को बता रही थी, यदि नहीं तो क्या यह सरकार की जो अपनी गुप्तचर अभिसूचना इकाई की सूचनायें हैं या जो तंत्र है या जो पुलिस की व्यवस्था है उनके असफल होने का द्योतक है।

अध्यक्ष महोदय, नक्सलवाद जहां पनपता है मान्यता यह होती है कि जहां आर्थिक विकास नहीं हो पाता वहां नक्सलवाद पनपता है। उदाहरण के लिये महाराष्ट्र का गढ़ चिरौली है, महाराष्ट्र का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इन्डेक्स है, नवीं मुम्बई का सबसे अधिक है, एक और गढ़चिरौली का है, .21 यह जो विकास का अन्तर है, इस विकास के अन्तर के नाते यह माना जाता है कि जहां विकास की किरणें अच्छी नहीं पहुंची होंगी, जहां नागरिकों को सारी सुविधायें नहीं मिली होंगी। जहां हमने उन्हें स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य सुविधायें नहीं दी होंगी या जहां विकास के कार्यों से नागरिकों का विस्थापन या शोषण नहीं होगा, नागरिकों के मन में आक्रोश रहा होगा, वहां इस प्रकार की घटनायें अधिक होती होंगी, लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्यजनक क्या है, सोनभद्र जहां सर्वाधिक नक्सली गतिविधियां होती हैं मैं उत्तर प्रदेश सरकार के अपने आंकड़ों को पढ़ रहा था, आज कल जो प्रथा आ गई है अब उसमें हम सिर्फ स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट नहीं निकालते हैं, डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का भी कान्सेप्ट लेकर चलते है। किस जिले में कितना घरेलू उत्पादन उस जिले की सीमा के अन्तर्गत हुआ है, अब राज्य सरकार यह सूचना भी हम लोगों को देती है। जो सोनभद्र के बारे में सूचना दी गई है इसके हिसाब से प्रदेश के 71 जिलों में लखनऊ, मेरठ और गाजियाबाद इनको छोड़ करके सोनभद्र जिले का स्टेट डोमेस्टिक प्रोडेक्ट में बाकी 67 जिलों में सबसे बड़ा स्थान है। पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो सबसे अधिक है वह तो है ही, 21435 रुपया, मैं यह प्रश्न इसलिए लेकर आया कि अक्सर हम जब विकास कराते हैं, जिन आंकड़ों के आधार पर यह बताते हैं कि वह क्षेत्र विकसित हो गया, हम यह भूल जाते हैं कि क्षेत्र का विकास और वहां रहने वाले नागरिकों का विकास यह दोनों एक साथ चलने वाली चीजें हों, यह कोई जरूरी नहीं है।

सोनभद्र के बारे में हम लोग जानते हैं कि वहां कितने पावर प्लाण्ट लगे। कितनी माईनिंग फैक्ट्रियां खुल गईं, एल्युमिनियम एक्सटेंशन प्लान्ट लग गये, अन्य भी कितने प्रकार के उद्योग वहां पर स्थापित हो गये। हम उनके उद्योग धंधों की आय को जोड़ करके अपने आंकड़ों में बता देते हैं कि सोनभद्र बहुत विकसित जिला है, हम इस बात की चिन्ता नहीं करते कि एक-एक पावर फैक्ट्री, एक-एक माईन उद्योग या एक-एक उद्योग के लगने के पीछे जो लोग वहां से विस्थापित हुए थे, जो लोग अपनी जमीनों से उजड़े थे, क्या उनको हमने आर्थिक रूप से स्वावलम्बी करने का प्रयास किया या नहीं किया। अब जो सारी स्थितियां रिहैबिलिटेशन आर0आर0 पालिसी 2007 की बनी उसके हिसाब से यह हमारा दायित्व बनता था कि किसी भी उद्योग धन्धे को स्थापित करने के पूर्व जितने भी नागरिक वहां पर प्रभावित हो रहे हैं हम फिर उन्हें कहीं जमीन देकर स्थापित न करें बल्कि हम उन्हें इस प्रकार से प्रशिक्षित भी करें कि विस्थापन के पहले जिस प्रकार से वह आर्थिक रूप से स्वावलम्बी थे, विस्थापन के बाद भी वह उसी प्रकार से आर्थिक रूप से स्वावलम्बी हो जायं और शर्त अध्यक्ष महोदय यह है कि किसी भी प्रोजेक्ट को तभी स्वीकार किया जायेगा कोई भी प्रोजेक्ट जमीनी धरातल पर तभी लागू किया जायेगा, जब प्राथमिक शर्त के रूप में विस्थापित प्रोजेक्ट एफेक्टेड पीपुल, पी0ए0पी0 जो प्रोजेक्ट एफेक्टेड पीपुल हैं हम उनको आर्थिक रूप से स्वावलम्बी करने की पूरी योजना बना नहीं लेंगे, बनाने के साथ-साथ जमीनी धरातल पर लागू कर देंगे। जब हम ऐसा नहीं करते तो स्वाभाविक रूप से वह नागरिक जो अपने अधिकार को खोते हैं, सोनभद्र में नागरिक एक-एक बार नहीं, तीन-तीन बार, एक रिहन्द बांध बना, रिहन्द बांध से हटाये गये, जहां विस्थापित किये गये, उन्होंने रिहन्द बांध की सीमाओं में जाकर अपने आपको विस्थापित कर लिया फिर उसके बाद वहां एक पावर फैक्ट्री लगी वहां से हटाये गये फिर उसका एक एक्सटेन्शन हुआ, पुनः वहां से हटा दिये गये। अगर इस प्रकार से हम बार-बार नागरिकों को जड़ से उखाड़ कर फेंकते रहेंगे तो स्वाभाविक रूप से वह लोग जो इस देश में राष्ट्र विरोधी गतिविधियां करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि यह देश टुकड़ों में बंटे, जो यह चाहते हैं कि केरल और महाराष्ट्र से लेकर के नेपाल की सीमा तक के रास्ते अगर वह बिहार के रास्ते खोज रहे थे, उन्हें लगता है अब यह उत्तर प्रदेश का रास्ता ज्यादा मुफीद होगा, हम सब जानते हैं कि किन प्रान्तों में और हम सब जानते हैं कि तकरीबन कम से कम 251 जिलों में देश के 40 प्रतिशत क्षेत्र में नक्सलवादी गतिविधियां रही हैं। हम सौभाग्यशाली थे कि उत्तर प्रदेश के तीन जिलों तक जो घटना सीमित थी, धीमें-धीमें अब यह गतिविधियां उन तीन जिलों में बढ़ती हुई फैलती चली जा रही, अब जो सूचनाएं हैं, मैनपुरी हो, इलाहाबाद हो, मऊ हो, गोरखपुर हो, देवरिया हो, कुशीनगर हो, आजमगढ़ हो, बलिया हो, कानपुर हो, इलाहाबाद हो इन सारे जिलों में कहीं न कहीं नक्सलवादी गतिविधियों की सूचनायें उनकी सक्रियता की सूचनायें मिल रही हैं।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं, जब इन लोगों की गिरफ्तारी हुई तो हम लोगों ने कुछ लोगों को अखबारों में बयान देते हुए भी पाया, उन्हें लगता है कि मानवाधिकार के बारे में इस प्रदेश का क्या आंकड़ा है मानवाधिकार कमीशन की जो वेबसाइट है बताती है। मानवाधिकार के बारे में मैं चर्चा करने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं लेकिन मानवाधिकार के नाम पर जो लोग

सिमी जैसे संगठनों का समर्थन किया करते थे, आज वही लोग इन गिरफ्तारियों के बारे में भी यही आरोप लगाने लगे कि मानवाधिकार के लिए संघर्ष करने वाले प्रगतिशील लोगों की गिरफ्तार किया जा रहा है और कौन से वह लोग थे जब गिरफ्तार किये गये तो उनके पास से धन निकला, उनके पास से साहित्य, निकला उन्होंने पुलिस को सूचनाएं दीं और गिरफ्तारी के समय जब मीडिया के लोग पहुंचे तो माओवाद जिन्दाबाद के नारे लगा रहे थे, इसलिए यह जो ट्रेण्ड है अध्यक्ष महोदय, यह विषय यह संकल्प मैं इसलिए लेकर आया हूं कि सरकार को नम्बर-एक, नक्सलवाद को रोकने के लिए दो प्रकार की योजनाएं चलती हैं, हम लोग इसको कहते हैं हाकिंग एण्ड डोविंग, हाकिंग वह जो समझते हैं कि सिर्फ कानून-व्यवस्था का विषय बनाकर के इन समस्याओं का समाधान कर लिया जायेगा जो समझते हैं कि पुलिस के जोर पर हर चीज का समाधान हो जायेगा क्योंकि हम यह नहीं समझ पाते कि पुलिस के तंत्र में भी वह लोग हैं जो यह चाहते हैं कि सिर्फ पुलिस गतिविधियों के माध्यम से ही इन चीजों को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाय और दूसरा वह डोविंग जहां हम यह मानते हैं कि जब तक उस क्षेत्र का समुचित विकास नहीं कराया जायेगा, गरीबों की पीड़ा को दूर नहीं किया जायेगा तब तक यह माओवादी संगठन गरीबों का भला करने के नाम पर इन्हीं गरीबों का भावनात्मक शोषण करते रहेंगे और इन्हें संगठित करके जाने-अनजाने में, उनकी अज्ञानता का लाभ लेकर के उन्हें राष्ट्र के विरोध में खड़ा करते रहेंगे और सरकार इस दायित्व को निर्वहित करने में असफल रही है।

मैंने इस सरकार के बजट बयान को पढ़ा है, बजट बयान में सरकार ने लिखा है कि 731 गांवों में हम अम्बेडकर ग्राम सभा योजनाओं का कार्यान्वयन कर रहे हैं, बड़ा अजीब सा लगता है। भारत सरकार ने एक बहुत बड़ी योजना दी थी, नरेगा की। नरेगा के प्राविधानों का अगर हम लोगों ने उन प्राविधानों के अनुरूप ही अनुपालन कर दिया होता, नरेगा में व्यक्तिगत लाभार्थियों का कान्सेप्ट बहुत बड़ा था। समाज के वह जो लघु और सीमान्त किसान हैं या वह जो भूमिहीन लोग हैं या वह जो आर्थिक आय की दृष्टि से सबसे पीछे हैं, गरीबों की रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं, नरेगा ने हमको यह छूट दिया था कि हम नरेगा के धन का उपयोग करके सीधे-सीधे उनको व्यक्तिगत लाभ पहुंचा सकते थे और आर्थिक रूप से स्वावलम्बी कर सकते थे। देश के कई प्रान्तों ने ऐसा किया। गोवा ने किया, राजस्थान ने किया, कर्नाटका ने किया, गुजरात ने किया, नरेगा की सम्पूर्ण लागत का 20 से 22 प्रतिशत धन इन गरीब लाभार्थियों को प्रत्यक्ष देने का काम किया और इस प्रदेश में वह सरकार जो इन्हीं गरीबों के नाम पर इन्हीं गरीबों का भला करने के नाम पर सत्ता में आई हुई है, अध्यक्ष महोदय मैं आपको बताना चाहूंगा सिर्फ 9 प्रतिशत धन नरेगा का इन प्रत्यक्ष गरीब लाभार्थियों को देने का काम किया, इसलिए अध्यक्ष महोदय मैं तीनों विषयों पर, कानून-व्यवस्था की दृष्टि से सोनभद्र में बढ़ती हुई गतिविधियों की दृष्टि से जो विस्थापित हुए हैं, आर0आर0 पालिसी, 2007 के हिसाब से उन्हें पुनर्स्थापित करने की दृष्टि से और नरेगा का जो वास्तविक ग्रामीण नागरिकों, दलित और पिछड़े गरीब नागरिकों में उपयोग हो सकता है, उन्हें व्यक्तिगत लाभार्थ पहुंचाने की दृष्टि से सरकार का स्टैण्ड जानना चाहूंगा, मैं आपसे आग्रह करूंगा, मैं ग्राह्यता पर बोलता हुआ, आप इसे चर्चा के लिए स्वीकार करें।

*श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश और प्रदेश की जनता के हित में बहुत सी समस्याओं को हम लोग यहां पर उठाते हैं और उसमें आपकी कृपा भी रहती है आज भी इस प्रश्न को उठाने में आपने जो मुझे अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय यह एक ऐसा ज्वलन्त प्रश्न है जिस पर बहुत ही ज्यादा विस्तार से डा0 राधामोहन दास अग्रवाल जी ने प्रकाश डाला है, उनके अनुसार कारण भी गिनाये हैं और उनके अनुसार इसके उपचार क्या है यह भी बतायें हैं। अब यह सरकार द्वारा परीक्षण का विषय है कि क्या इसके मूल में यही कारण हैं या अन्य कारण हैं। मेरी चिन्ता यह है अध्यक्ष महोदय कि मेरे ही एक प्रश्न के सन्दर्भ में मुझे उत्तर मिला था कि प्रदेश के 39 जिले आतंकवादी गतिविधियों के लिए चिह्नित है सरकार के द्वारा जिसमें वाराणसी भी है और यह सर्वविदित है कि आई0एस0आई0 की जो गतिविधियां हैं वह विदेशी ताकतों के इशारे पर लोग करते हैं और विभिन्न प्रकार से यहां की शान्ति व्यवस्था के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं, चाहे वह बनारस का हो, चाहे किसी दूसरे प्रदेश का हो और इसमें एक हमारी अर्थ तंत्र को आर्थिक व्यवस्था को भी छिन्न-भिन्न करने के लिए ऐसे सारे लोग नकली नोटों का भी कारोबार कर रहे हैं, नेपाल के रास्ते वह भारत ला रहे हैं, उत्तर प्रदेश में ला रहे हैं और यही नहीं मान्यवर, यह भी खबरें प्रकाशित होती हैं कि वह जो जाली नोट हैं वह बैंकों द्वारा दिये जाने वाली गड्डियों में भी पाये जा रहे हैं। यह एक बहुत गहरी चिन्ता का विषय है।

दूसरा यह है मान्यवर, कि इन आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त जो विदेशी सहायता से, विदेशी ताकतों की मंशा है कि भारत की एकता, यहां का सौहार्द यहां का जो कुछ हमारा वह है, उसको चौपट करें, उसमें दरार डालें, इसलिए वह सारे लोग ऐसी गतिविधियों में लिप्त हैं और विदेशी सहायता भी प्राप्त होती है, अब मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई है, वह यह है कि ऐसे लोग ज्यादातर के लोग नहीं मिल रहे हैं उनको इसलिए वह जिस प्रकार दूसरे देशों से आकर के यहां जिन गतिविधियों को अन्जाम दे रहे हैं, आर0डी0एक्स0 के माध्यम से विस्फोट के माध्यम से आदि-आदि। उनकी एक सोच यह बनी है कि अगर हम यहां के कुछ असंतुष्ट वर्ग को अपने साथ जोड़ सकें तो हमारा जो लक्ष्य है, हम उसको ज्यादा आसानी से प्राप्त कर सकेंगे और उस दृष्टि से जो विभिन्न कारणों से विस्थापित हैं, रोजगार विहीन है, बेरोजगार हैं, जमीन नहीं है उनके पास, उनके पास आजीविका के साधन नहीं हैं, यह स्वाभाविक है कि ऐसे सारे लोग असंतुष्ट होंगे ही और हैं। ऐसे लोगों को आई0एस0आई0 की अपनी जो कार्यप्रणाली है, ऐसे जो सदस्य है यह 39 जिलों में जो फैले हुए हैं और अब तो शायद और भी बढ़ गये होंगे, उन्होंने अपनी नई रणनीति के तहत इन सारे लोगों को जोड़ने का काम किया है अपने साथ में और अब उनका टारगेट हैं कि इनकी सहायता से बहुत सहजता से हम अपने जो टारगेट हैं जो हमारी योजना है उसको हम अन्जाम देंगे और चाहे प्रदेश की हो, चाहे देश की हो वहां की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करेंगे, वहां की शान्ति भंग करेंगे, वहां की एकता में खलल डालेंगे, वहां के साम्प्रदायिक सौहार्द

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

को बिगाड़ने में भी हम सफल होंगे और इस दिशा में वह कई दृष्टिकोण से कई क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। अब यह जो एक नई योजना है कि यहां के जो असंतुष्ट लोग हैं उनको माओवादी सी0पी0एम0 के जो कार्यकर्ता हैं, अब यह पता नहीं कहां तक सही है या गलत है, लेकिन यह असंतुष्ट हैं और इनको जोड़ा गया है आई0एस0आई0 के गतिविधियों में लिप्त लोगों द्वारा और उसमें दस लोग कानपुर में पकड़े गये उसमें एक महिला भी पकड़ी गई, सी0डी0 भी पकड़ी गई, साहित्य भी पकड़ा गया, कैमरा भी पकड़ा गया और संभवतः आठ-दस लाख रुपये भी बरामद हुए तो निश्चित है।

मान्यवर, अध्यक्ष महोदय, यह जो आई0एस0आई0 की गतिविधियों में लिप्त हैं उन लोगों की एक नई योजना है कि जो उत्तर प्रदेश में ऐसे असंतुष्ट वर्ग के लोग हैं, गरीब हैं, निर्धन हैं, बेरोजगार हैं, अशिक्षित हैं, उनको जोड़ करके अपने साथ धन का लालच दिया जाय, विभिन्न प्रकार का उनको लालच दे करके और उनके अपने काम में सहयोगी बनाया जाय और इस दृष्टि से यह काम हो रहा है और इसमें जैसे ए0डी0जी0 पुलिस का बयान है कि यह लोग देवरिया, आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर जैसे जिलों में आंशिक रूप से सक्रिय है। आज अगर आंशिक रूप से सक्रिय है माननीय अध्यक्ष महोदय कल वह अपनी शक्ति को बढ़ाकर के काफी सक्रिय होंगे और काफी बल प्राप्त करेंगे और निश्चित है कि वह अपना जो नेटवर्क है वह पूरे उत्तर प्रदेश में फैलाना चाहते हैं और उसके नेटवर्क को जो आई0एस0आई0 गतिविधियों में लिप्त हैं अपनी योजनानुसार सारे भारत वर्ष में फैलाना चाहते हैं निश्चित रूप से यह बहुत ही कम से कम हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, यहां की शान्ति व्यवस्था बनी रहे, यहां का साम्प्रदायिक सौहार्द बना रहे, यहां पर जो भाई चारा है, वह बना रहे, इसलिए आवश्यक है कि यह जो गतिविधि में लिप्त लोग हैं उनकी खोज खबर ली जाय और अपनी जो एल0आई0यू0 हैं या और दूसरे विभाग है, अभिसूचना के उसको सक्रिय किया जाय और शुरू में ही इनको ज्यादा ताकत प्राप्त करने से पहले ही इनकी कमर तोड़ दी जाय, यह बहुत आवश्यक है, इसलिए मैं आपके माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं और आपसे यह प्रार्थना करता हूं कि यह प्रदेश के हित में साम्प्रदायिक सौहार्द के हित में शान्ति व्यवस्था के हित में यह कार्य-स्थगन का प्रस्ताव है, इसको कार्य-स्थगन के रूप में आप स्वीकार करें आप कृपा कर के और इस पर चर्चा कराने की अनुज्ञा देने की कृपा करें।

*श्री अमरमणि त्रिपाठी-

मान्यवर, हमारे भारतीय जनता पार्टी के दो सदस्यों ने दो घटनाओं को नक्सलवादी से उत्पन्न खतरों के बारे में आपको अवगत कराया। माननीय श्यामदेव राय चौधरी जी ने तो नक्सलवाद और आई0एस0आई0 को जोड़ने का प्रयास किया। यह इनका सैद्धान्तिक मदभेद है, इन्होंने कहा भी कि वह लोग, माओवादी लोग, नक्सली लोग, मार्क्सवादी विचारों से ओत-प्रोत हो के उनको गुमराह कर के जिनको शासन द्वारा तमाम सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है उन

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

लोगों को बहका फुसला कर उनको उग्रवाद के लिए उकसाया जा रहा है। मान्यवर, यह इनका सैद्धान्तिक मतभेद है, लेकिन यह बात सही है, हमने वन मंत्री जी से गत दिनों एक मुद्दा उठाया कि वन वासी जो परम्परागत तरीके से वनों में रह चुके हैं जो सैकड़ों, हजारों सालों से रह रहे हैं, जिनके बाप, दादे, परदादे, वहीं पर पले बढ़े और वहीं पर पंचतत्व में विलीन हो गये उनकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित कराया था और कहा था कि आज भी देश में उन्हें गांव सभाओं में वोट देने का अधिकार नहीं, क्षेत्र समितियों में देने का अधिकार नहीं है, जिला पंचायतों में उन्हें देने का अधिकार नहीं है, लोक सभा और विधान सभा में वोट कट गये। यह दोहरी नागरिकता है मान्यवर, कि वह इन्सान जो हमारे प्रदेश में रहता हो, उसको गांव सभाओं के संचालन में जिला पंचायत और क्षेत्र समितियों में अगर वोट देने का अधिकार नहीं है तो वह तमाम योजनाएं जो जिला पंचायतों, ग्राम पंचायतों और क्षेत्र पंचायतों के माध्यम से आप नरेगा सम्बन्धी अन्य तमाम सुविधाएं भेज रहे हैं, वह उन वनवासी परम्परागत निवासियों तक नहीं पहुंच रहे हैं। उनको न प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त हो रही है मान्यवर, प्राइमरी स्कूल में कहीं वह शिक्षा नहीं प्राप्त कर रहे हैं। कोई भी सुविधा चाहे वह बी0पी0एल0 हो, अन्नपूर्णा हो, जो भी योजनाएं है जिनके माध्यम से उन्हें 30 किलो अनाज या तमाम भारत सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की, तमाम योजनाएं हैं उसका वह लाभ नहीं पा रहे हैं। उसका वह लाभ नहीं पा रहे हैं तो निश्चित तौर पर असंतुष्ट होकर वह लोग ऐसे तत्वों के साथ जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जिन्हें माओवादी कहा जाता है। भारत नेपाल सीमा का 55 किमी0 क्षेत्र मेरे विधान सभा क्षेत्र से जुड़ा है। हमारे यहां एक जगह है सुसपा जो आजकल चर्चा में है। क्योंकि प्रचंड जी उस पर बड़े मेहरबान हैं। वह कह रहे हैं कि सुसपा हमारा हिस्सा है। आज भी सुसपा में हमारी फोर्स रहती है, बिहार सरकार की फोर्स रहती है और नेपाल सरकार की फोर्स रहती है, वह नोमेंस लैण्ड है और 100 एकड़ का रकबा है जो नारायणी नदी ने छोड़ दिया है और बीच में उपजाऊ जमीन है जहां पर तीनों की सीमा रेखा खिंची हुयी है, उसको वह कहते हैं कि उनका है। जबकि आज नहीं, अनादिकाल से हमारा, बिहार का और नेपाल का वह हिस्सा रहा है, उस रास्ते से जब वह महराजगंज में प्रवेश कर गये हैं तो ऐसे वनवासीगणों को जिनको हम कोई सुविधा नहीं दे पा रहे हैं न ही उनको किसी योजना का लाभ दे पा रहे हैं, क्योंकि वह वोटर ही नहीं हैं। जब ग्राम पंचायत में वोट नहीं डालेंगे तो प्रधान जी की कृपा उन पर होगी नहीं। जब क्षेत्र पंचायत में वोट नहीं डालेंगे तो आदरणीय ब्लाक प्रमुख जी की कृपा उन पर होगी नहीं, जिला पंचायत में वोट नहीं डालेंगे तो न सदस्य और न अध्यक्ष जी की कृपा होगी।

श्री अध्यक्ष-

थोड़ा संक्षिप्त करते चलें क्योंकि 2 बजे से सामान्य चर्चा शुरू होगी।

श्री अमरमणि त्रिपाठी-

हमने बार-बार इस बिन्दु को उठाया और चाहा कि यह जो वनवासी परम्परागत जंगलों में रह रहे हैं, उनकी व्यवस्था की जाय। अभी गत दिनों हमारे यहां एक गैन्डा आ गया और उसने एक महिला की हत्या कर दी और आज तक उसके परिवार को एक भी रुपये का मुआवजा नहीं दिया गया, न सरकार ने सोचा और न दिया। मान्यवर, अब मैं मूल विषय पर आता हूं। हमारे

यहां भारत नेपाल सीमा पर पारगमन केन्द्र सुनौली बाजार हैं। हिन्दुस्तान से नेपाल में जाने का मुख्य मार्ग हमारे विधान सभा क्षेत्र में सुनौली से होकर गुजरता है। वहां पर आई0एस0आई0 के लोगों का अड्डा न हो तो वह भारत में नेपाल से आने वाले अपने सदस्यों का संरक्षण, संवर्धन और उनको सुरक्षित रूप से अपनी योजना को क्रियान्वित करने का कोई और तौर-तरीका नहीं है। गत दिनों मान्यवर, सिद्धार्थनगर जनपद के डुमरियागंज बैंक में 4 करोड़ रुपये के नकली नोट पाये गये उसमें हमारे यहां का साजिद अली, अब्दुल गनी और अब्दुल रहमान पकड़ा गया। मैंने इसके पूर्व भी इस बात को सदन में उठाया था कि वह लोग पूरे भारत नेपाल सीमा पर सिद्धार्थ नगर और महराजगंज में उस पार से आने वाले आई0एस0आई0 एजेन्टों का संरक्षण प्राप्त करते हैं और उसे हिन्दुस्तान में अपने क्रिया-कलाप करने में मदद करते हैं।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें।

श्री अमरमणि त्रिपाठी-

माननीय अध्यक्ष जी, एक मिनट में मैं अपनी बात खत्म करता हूं तो ऐसे लोगों की संख्या पर सरकार का संज्ञान आया। सरकार ने एक लिखित पत्र हमको भेजा कि उन पर नजर रखी जा रही है। जबकि वह अपने सारे क्रिया-कलाप संचालित कर रहे हैं, इसी क्रम में हमें कहना है कि वहीं बार्डर पर उन्होंने गलत तरीके से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों का भूमि संख्या-406, 407, 408, 447, 448, 450 यह अनुसूचित जाति के लोगों की जमीन थी जो आज बेशकीमती हो गयी है, उस पर लोगों की नजर गड़ी हुयी है। वह हजारों साल से उस पर बसे हुये थे, उनके दादे-परदादे वहां पर बसे हुये थे तो उसको सरकार की साजिश से, स्थानीय प्रशासन व तहसील के माध्यम से उनको बेदखल करा दिया और वहां पर कब्जा करके यह लोग अपनी गतिविधियों का संचालन कर रहे हैं। हमारा यह कहना है मान्यवर कि सरकार इसका संज्ञान ले। सरकार उस पर समय रहते कार्यवाही करे। अगर बात हाथ से निकल गयी और सिर से ऊपर पानी बह गया तो निश्चित रूप से हमारे नियंत्रण में नहीं रह जायेगा। आज उस तरफ माओवादी हमारे देश के विरुद्ध प्रचार कर रहे हैं और हमारे यहां सरकार उसका जमकर मुकाबला नहीं कर रही है। मा0 अध्यक्ष जी, हम चाहते हैं कि इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के सवाल पर सारे कार्य रोककर चर्चा करायी जाये जिससे सरकार उस पर निरोधात्मक कार्यवाही करें।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, नक्सलवाद एक गम्भीर समस्या है और नक्सलवादी गतिविधियों पर प्रदेश सरकार विशेष सजग होकर ध्यान दे रही है। मान्यवर, नक्सलवाद पर नियंत्रण के लिए हम एक व्यवस्थित सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ कर रहे हैं हमारा जो सूचना एकत्रीकरण तंत्र है उसके आधार पर सूचना प्राप्त करने की कार्यवाही भी अच्छे ढंग से की जा रही है और पहली बार प्रदेश में सूचना तंत्र को प्रभावी ढंग से सुदृढ़ करने की कार्यवाही की गई। मान्यवर, दूसरे जो राज्य हैं जहां पर नक्सलवादी ज्यादा हैं, उनसे भी हम समन्वय स्थापित करने की कार्यवाही करके इस पर

रोकथाम करने की कार्यवाही की गई है। इसका परिणाम यह हुआ कि वर्ष 2004 के बाद प्रदेश में कोई बड़ी नक्सलवाद की घटना नहीं हुई। मान्यवर, नक्सलवादी क्षेत्रों में जहां समग्र विकास की रणनीति के तहत क्षेत्रीय निवासियों की मूलभूत आवश्यकताओं के लिए अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया गया है। वहां के लोगों को विकासपरक योजनाओं से लाभान्वित भी किया गया है और साथ ही साथ कम्युनिटी पुलिसिंग के माध्यम से आम जनता में पैठ बनाने का कार्य किया गया है। मान्यवर, उसी का परिणाम है कि जो डा0 राधामोहन दास अग्रवाल जी ने जिक्र किया कि जगह-जगह पर उस संगठन में जो जिम्मेदार लोग थे उनको पकड़ने की कार्यवाही की गई। प्रदेश सरकार विशेष रूप से नक्सलवाद को या आतंकवाद को रोकने के लिए प्रयासरत् है। उसी के परिणाम स्वरूप ऐसी गतिविधियों में शामिल लोगों को पकड़ने की कार्यवाही की गई है और लगातार सरकार का यह मानना है कि ऐसे क्षेत्रों का समग्र विकास करके उनको मुख्य धारा में जोड़कर उस क्षेत्र का विकास करके ही हम इस समस्या का अन्त पूरी तरह से कर सकते हैं और इस दिशा में भी हमारा पूरी तरह से प्रयास है। उन क्षेत्रों के विकास के लिए हमने कार्ययोजना भी बनायी है, केन्द्र सरकार को भी सहयोग के लिए भेजा है, उसमें हमें कुछ सहयोग मिला भी है तो मान्यवर, हमारा यह पूरा प्रयास चल रहा है और मैं सदन को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि पूरी तरह से हमारी सरकार और प्रदेश का पुलिसतंत्र इस नक्सलवाद को रोकने के लिए चाहे वह विकास के माध्यम से उस क्षेत्र के लोगों को मुख्यधारा में जोड़ने का सवाल हो उनको रोजगार देने का सवाल हो, उस कार्य को भी हम करने का काम कर रहे हैं। उन क्षेत्रों से जो सम्बन्धित गांव हैं उनके विकास के लिए भी हम अलग से प्रयास कर रहे हैं और निश्चित रूप से जो हम सबकी चिन्ता है उसके बारे में हम सभी को आश्वस्त करना चाहते हैं कि सरकार के प्रयास के चलते और जो लगातार उसके प्रति पूरी तरह से ध्यान देने का काम किया जा रहा है उसके परिणाम आपके सामने है और हमारा पूरा प्रयास है कि इस तरह की कोई घटना न होने पाये।

श्री अमरमणि त्रिपाठी-

मान्यवर, हमारा विषय अलग था।

श्री लालजी वर्मा-

यह एक गम्भीर समस्या है और हम सब लोगों की जो चिन्ता है वह स्वाभाविक है। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में इस तरह की घटना न होने पाये इसके लिए हम दूसरे प्रदेशों के साथ समन्वय स्थापित करके भी कार्य कर रहे हैं और केवल इसका परिणाम है कि दूसरे जो पड़ोसी प्रदेश हैं और उन तीनों जिलों से सम्बन्धित है मिले हुए हैं वहां पर भले कुछ घटनायें हुई लेकिन हमारे प्रदेश में नहीं होने पायी। इस सजगता का ही परिणाम है और आगे भी हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि इस तरह के जो घटनायें हैं वह उत्तर प्रदेश में न होने पायें मैं चाहूंगा कि इसको अग्राह्य करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

आई0एस0आई0 का भी उसमें जिक्र आया था।

श्री अमरमणि त्रिपाठी-

मा0 अध्यक्ष जी, मैंने एक निश्चित सूचना दी है, नाम दिया है, एस0टी0एफ0 ने गिरफ्तार किया था, सी0बी0आई0 ने उन्हें जेल भेजा और वह लोग आज खुलेआम सीमा पर अपने गतिविधियों को संचालित कर रहे हैं, वहां रोज का रोज खतरा बना हुआ है। हमने इसमें भूखण्डों का भी उल्लेख किया कि अनुसूचित जाति के लोगों के भूखण्डों पर कब्जा कर लिया हैं। इस पर मा0 मंत्री जी का एक लाइन का उत्तर आ जाए कि उस पर कोई कार्यवाही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष-

आपने यह कहा कि आई0एस0आई0 के एजेण्ट ने जमीन पर कब्जा किया, अपने नाम करा लिया है, उसको सुना गया। आपने स्पेसिफिक नाम शहजाद का और दो लोगों का बता दिया कि आई0एस0आई0 के एजेण्ट है।

श्री अमरमणि त्रिपाठी-

मान्यवर, सरकार ने गिरफ्तार किया है।

श्री अध्यक्ष-

मैं इसको नहीं मानूंगा, आप आईडेण्टीफाई कर दिये कि आई0एस0आई0 के एजेण्ट हैं। आप शहजाद को आई0एस0आई0 का एजेण्ट बता रहे हैं कैसे आप आइडेण्टिफाई कर रहे हैं ?

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, मैं एक जानकारी चाहता हूं कि इस सरकार के कार्यकाल में बहुत सी विकास की योजनायें बनायी जा रही हैं। उन विकास योजनाओं के नाते भी बहुत से लोग विस्थापित ही रहेंगे, पूर्व में जो हुआ है उसकी बात अलग है, वह पुनर्स्थापित हों यह भी आर0आर0 पालिसी में है। क्या यह सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि इस सरकार के कार्यकाल के दौरान जो विकास की योजनायें बनायी जायेंगी या बनायी गयी हैं, इसके पहले की वे योजनायें प्रारम्भ हों उनसे विस्थापित होने वाले लोगों का आर0आर0 पालिसी 2007 के हिसाब से पुनर्स्थापना किया जायेगा उसके बाद ही विकास की योजनायें प्रारम्भ की जायेंगी ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, पुनर्स्थापना का मंत्रि-परिषद् ने स्वीकार करके यह सुनिश्चित किया है कि ऐसे लोगों को जिनको कहीं कोई विकास के लिए जमीन का अधिग्रहण होगा तो उनको नियमों के अनुसार पुनर्स्थापित किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

इस सूचना पर मैंने डा0 राधामोहन दास अग्रवाल, श्री श्यामदेव राय चौधरी व श्री अमरमणि त्रिपाठी को व मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना। यह सूचना नियम-56 में नहीं आती है इसलिए इसे अग्राह्य करता हूं। दूसरी सूचना, मा0 श्री ओम प्रकाश सिंह, श्री हुकुम सिंह,

श्री सुरेश कुमार खन्ना की प्रदेश में पेट्रोल और डीजल में की जा रही मिलावट से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

*श्री हुकुम सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी सूचना के माध्यम से मा0 सदन को देना चाहता हूं। जानकारी सभी को है, केवल मैं उसके ऊपर बल देना चाहता हूं। खाद्य पदार्थों में मिलावट की बात हुई, समस्त सदन ने उसके ऊपर चिन्ता व्यक्त की। मान्यवर, खाद्य पदार्थ के बाद में यदि हम किसी बात को लें तो आज पूरे प्रदेश में संकट इस बात का है जितने भी तेल हैं, डीजल हो या पेट्रोल हों जो ईंधन के रूप में इस्तेमाल हो रहे हैं उनमें आज मिलावट इस कदर बढ़ गयी है कि गाड़ियां खराब हो रही हैं, ट्रैक्टर खराब हो रहे हैं और दिन-प्रतिदिन ये बढ़ने पर ही है, घटने को नहीं है। मान्यवर, ऐसा नहीं है कि कभी भी कोई समय ऐसा नहीं रहा कि मिलावट से शून्य रहे हों, मुक्त रहे हों, लेकिन इसने महामारी का रूप ले लिया है। महामारी का रूप इस कदर ले लिया कि मेरी जानकारी है कि मिट्टी का तेल सबसे ज्यादा अनुदानित वस्तु इस देश की है। केन्द्र सरकार को सबसे अधिक अनुदान के रूप में पैसा अगर कहीं देना पड़ता है तो मिट्टी के तेल पर देना पड़ता है, कम कीमत पर बिक्री करनी पड़ती है और कम कीमत पर बिक्री करने का कारण यह है कि मिट्टी का तेल गरीब की झोपड़ी तक पहुंच जायं, जिसके यहां बल्ब न हो, कम से कम डिब्बी जलाकर, लालटेन जलाकर रोशनी ले, यह इसके पीछे आदर्श रखा गया। मान्यवर, जब-जब इसकी कीमत बढ़ाने की बात कही गयी तो विरोध भी इसीलिए किया गया कि गरीब लोगों को हम इस सुविधा से वंचित नहीं करना चाहते हैं। परन्तु वास्तविकता क्या है, गरीब तो इससे वंचित था है और आगे भी रहेगा ऐसी मुझको आशंका है क्योंकि व्यवस्था ऐसी बनी हुई है। मिट्टी का तेल जा कहां रहा है ? प्रदेश में इस वक्त 1.32 लाख के0एल0 अर्थात् 13 करोड़ 20 लाख लीटर का कोटा मिट्टी के तेल का प्रतिमाह का है। मान्यवर, मैं नाम नहीं लूंगा, यह 20 लाख मीटर आप ईमानदारी से पहुंचा रहे हैं गरीब की झोपड़ी तक बात सही है लेकिन किसी भी जगह पर आप इसका परीक्षण करा लें, कोई 5 गांव किसी जिले के ले लें, 2 नगर किसी जिले के ले लें और वहां देख लें कि जो हमारी दुकानें हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत जितना कोटा उनको निर्धारित होता है यह आम बात है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई थीसिस जांच इस पर हमने की हो लेकिन सही बात यह है कि अगर किसी डीलर को आपने 50 ड्रम का कोटा दिया हुआ है एक महीना तो ले जायेगा नहीं 50 के 50 वह वहीं छोड़ जायेगा और उनके पैसे लेकर वह चला जायेगा। पैसे वह 9 रुपये लीटर के हिसाब से तो उसने छोड़ ही दिया बाकी जो उसका अन्तर है बीच का वह अन्तर उसको मिल जायेगा अगर छोड़कर चला जायेगा उसकी आमदनी हो गयी तीसरे महीने जायेगा 50 का कोटा है तो 15 ले जायेगा और 35 फिर वहीं छोड़ जायेगा जा करके। अब इसका उपयोग क्या होता है जो मिट्टी का तेल के ड्रम रह गये वहां पर उसके बैरल

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

रह गये वहीं पर उसका उपयोग क्या होता है यह सीधा-सीधा डीजल में मिलाया जाता है। एक केमिकल है इस केमिकल को डालने के बाद में इसकी ग्रेविटी वही हो जाती है इसका रंग वही हो जाता है और रंग होकर के जाता कहां है यह उस गरीब किसान के ट्रैक्टर में जाता है जो किसान शत-प्रतिशत वित्त पोषित कराकर बैंक से अपना ट्रैक्टर खरीदता है और उस ट्रैक्टर में यह मिलावटी डीजल डाला जाता है दो साल में उसका इंजन खुल जाता है। बैंक का भुगतान नहीं हो पाता और इंजन खुल जाता है इंजन खुलने के बाद उसके ऊपर जो गुजरती है उसका अनुमान हम लगा सकते हैं।

मान्यवर, ट्रक चालक जिसके ऊपर उसके परिवार का पालन पोषण होता है उसकी हालत यही होती है, बस चालक उसकी भी हालत यही होती है। हम मान्यवर, सभी सदस्य बैठे हैं यहां पर लगभग 90 प्रतिशत के पास में डीजल की गाड़ियां होगी आप अपनी गाड़ियों की परफारमेंस देख लें शुद्ध डीजल उसमें डलवा कर देखें और जो डीजल बाजार में मिल रहा है उसको डलवाकर देखें तो आपको अन्तर पता चल जायेगा। मान्यवर, मेरा कहने का आशय यह है कि यह डीजल असली न हो करके जब मिट्टी के तेल से युक्त हैं तो उसका प्रभाव मशीनरी के ऊपर पड़ जाना स्वाभाविक है। मान्यवर, लगभग 208 करोड़ प्रतिमाह के लगभग यह रकम आती है जो ब्लैक में जाती है अब ब्लैक में जा कैसे रही है आज कल हर क्षेत्र के कुछ न कुछ ऐसे लोग वहां पर पैदा हो गये जिनको राजनीतिक संरक्षण पूरा प्राप्त होता है मैं किसी एक पार्टी को दोष देने की बात नहीं करता हूं। लेकिन जैसे सत्ता बदलेगी वह सत्ता के सपूत उनको आभास ज्यादा होता है कि कहां सत्ता जाने वाली है बहुत ज्यादा उनकी जानकारी होती है, रिसर्च होती है उनके पास सब कुछ जानकारी करने के लिए है, ये रंग बदलना शुरू कर देते हैं जाना शुरू कर देते हैं और जैसे अंग्रेजी में व्हाईट कालर सफेद पोश लोग हैं लम्बी-लम्बी अम्पाला गाड़ियां उनके पास में हैं, लम्बी-लम्बी कोठियां उनके पास में है हर महीने जिनका करोड़ों का नम्बर दो का काम होना स्वाभाविक है कोई हाथ नहीं डाल पाता उनके ऊपर और हाथ डालेगा कैसे मान्यवर, जो आपने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान खड़ी की है गांव में जिसको आपने 20 ड्रम का कोटा दिया है और वह कोटा वहां जा रहा है, गरीब तड़फ रहा है उसके बिना और उसके माध्यम से आज हालत यह हो गयी कि एस0डी0एम0 की नियुक्ति होगी तो सप्लाई इंस्पेक्टर को कहेगा कि 25 हजार रुपये बंधे थे मेरा अब 25 हजार में काम नहीं चलने वाला, मैं उन लोगों में से नहीं हूं मेरा स्तर वह नहीं है मेरा स्तर बढ़ गया, बढ़ावा इसको। जब स्तर बढ़ेगा तो कहेगा दुकानदार को ड्रम जो लाते हो 5-4 छोड़ आओ लेकिन मेरा स्तर बढ़ गया, मेरे साहब का स्तर बढ़ गया उसका स्तर बढ़ाना है मुझको। मान्यवर, आज यह हो गया मुझे कहते हुए शर्म आती है कि जो जिले का सबसे सम्मानित अधिकारी सर्वोच्च आसन पर बैठा हुआ अधिकारी, आज उसका स्तर भी यह आ गया कि वह बैठकर यह कहता है नहीं मासिक, हर सब डिवीजन पर हर परगनाधिकारी पर मैं अपवाद छोड़कर सबकी बात करता हूं। पचास हजार लाओ एक लाख लाओ कहां से लाओ काम देने के लिए वही ड्रम बचे हैं। पैसा किसी के जेब में जाए कहीं पर खर्च हो लेकिन सर्वनाश राष्ट्रीय सम्पत्ति का हो रहा है। यह अरबों रुपये की मशीनरी जिसको बरबाद कर रहे हैं कुछ धन

कमाने के लिए उसको बचाने की जरूरत है। एक मानसिकता बनती है जो लोग नम्बर दो का काम करते हैं, कालाबाजारी का काम करते हैं उनकी मानसिकता अपराधियों की हो जाती है एक अपराध करने के लिए दूसरा अपराध करते हैं दूसरे अपराधियों को संरक्षण देने का काम करते हैं। इसमें सबसे ज्यादा बदनामी राजनीतिक लोगों की होती है क्योंकि राजनीतिक लोगों के हाथ में जिम्मेदारी है जनता को सारी सामग्री उपलब्ध कराने की मैं इसलिए कह रहा हूं कि यह आज कल और परसों की बात नहीं है यह सारे सदन के विचार करने की बात है, समस्त सदन के विचार की बात है। हमें गम्भीरता से सोचना चाहिए कि इस बीमारी का निराकरण क्या हो निस्तारण क्या हो। क्या संभव है कि उत्तर प्रदेश के सभी राजनीतिक दलों के सभी नेता संकल्प करें इस बात का कि जो लोग इस काम को कर रहे हैं हम अपनी पार्टी में उनको स्थान नहीं देंगे, उनसे चन्दा नहीं लेंगे, उनके समारोहों में नहीं जायेंगे।

अभी कुछ दिन पहले पढ़ा था पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा ब्लैक मार्केटर है मिट्टी के तेल का डीजल में मिलावट का काम करता है जिसके कुछ दिन पहले 20 ट्रक पकड़े गये थे लेकिन उसकी बेटी के विवाह समारोह में 14-14 लोग थे जिनकी कारों पर लाल बत्ती चमक रही थी वह वहां पर विवाह समारोह का आनन्द ले रहे थे मैं नहीं कहता कि वह मंत्री थे मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन वह लाल बत्ती वाले थे वह लोग गये थे ऐसी स्थिति में परगनाधिकारी, जिलाधिकारी, एस0एस0पी0, एस0ओ0 सभी यह सोचेंगे जब इतने बड़े लोग आते तो जो अपना हिस्सा मिलता हो वह हिस्सा लेकर अपनी जिम्मेदारी निभा डालूं क्यों ऐसे व्यक्ति से विवाद करें चलो अपना हिस्सा ले लें और मिल बांट कर निभा लें। एक प्रस्ताव आया जो मीटिंग चल रही थी कुछ राजनीतिक दलों के नेताओं ने प्रस्ताव रखा है। हम विचार करें भविष्य में अपराधियों को अपनी पार्टी का टिकट नहीं देंगे क्या इस प्रकार का प्रस्ताव यहां नहीं हो सकता है हम शुरूआत करें अपने इस महान प्रदेश से इस तरह का संकल्प पास करें कि जो मिलावट का काम करते हैं उनको चिन्हित करें जिनके पास केरोसिन आयल की एजेन्सी हैं पूरे प्रदेश में इस तरह की निष्पक्ष जांच करायें उन अधिकारियों से जांच न करायें जिनके महीने बंधे हुए हैं जांच कराने के बाद यह निर्णय लें कि यह अपराधी पाये गये हैं जांच कराकर ऐसे लोगों को चिन्हित करें और जांच में ऐसे लोग जो पाये जाते हैं जो राष्ट्र विरोधी काम कर रहे हैं वह राष्ट्र विरोधी हैं, राष्ट्र के दुश्मन हैं ऐसे लोगों को हम संरक्षण नहीं देंगे तो एक संदेश जाएगा। कोई सुरक्षा नहीं देंगे जिससे संदेश जाएगा सत्ताधारी दल से इसकी शुरुआत होनी चाहिए। हम लोग सपोर्ट करेंगे। मैं अपनी पार्टी के नेता से अनुमति लेकर यह बात कहने के लिए तैयार हूं कि आप इस तरह का प्रस्ताव लायें कि जो लोग दोषी पाये जायेंगे उनको ऐसी सजा दी जाय कि एक बार सजा पाने के बाद उनके बच्चे भी भूल जायं कि हम इस व्यवसाय को नहीं करेंगे संदेश जाएगा जनता में वह दुबारा कालाबाजारी का काम न करें। इससे एक संदेश जाएगा। आज आपने अनुमति दी और जो विषय मैंने रखा है वह ऐसा विषय है जिसको मैं औपचारिकता में नहीं समाप्त करता हूं। इसके ऊपर मैं चाहता हूं कि गम्भीरता से विचार करने के बाद कार्यवाही भी हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री ओम प्रकाश सिंह-

, माननीय अध्यक्ष महोदय, इस कार्य-स्थगन के प्रस्ताव पर श्री हुकुम सिंह जी ने पूरे विस्तार से बात कही है इसका एक पक्ष और है आज प्रदूषण से पूरा विश्व परेशान है। प्रदेश के नागरिक भी अभी कल ही सरकार ने उत्तर दिया कि पांच बड़े शहर ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा प्रदूषित हैं उनमें लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, इस मिलावट के कारण से जो गाड़ियों से धुंआ निकलता है वह भी समाज को बहुत ज्यादा प्रदूषित कर रहा है, वातावरण को प्रदूषित कर रहा है।

(किसी सदस्य का मोबाइल फोन बजने पर)

श्री अध्यक्ष-

किस सदस्य का मोबाइल फोन बज रहा है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, उस कारण से स्वास्थ्य की भी बहुत बड़ी क्षति हो रही है। इसलिये आर्थिक रूप से ज्यादा गम्भीर स्वास्थ्य की क्षति है। इसलिये यह मिलावट और अनाज में मिलावट, खाने-पीने की सामग्री में मिलावट यह दोनों मिलावट पर्यावरण को भी खराब कर रही है, वातावरण को भी खराब कर रही है और आम जन के स्वास्थ्य को भी प्रदूषित कर रही है। बीमारियों को बड़े पैमाने पर फैलाने में और विशेष रूप से जो लंग्स की जो बीमारी है, फेफड़े की जो बीमारियां हैं उसमें यह मिलावट बहुत बड़ा योगदान कर रही है। मैं एक ही बात कह सकता हूं मान्यवर, कि यह मिलावट निश्चित रूप से आज जो प्रशासनिक चरित्र में मिलावट हो गयी है उसका परिणाम है। जब प्रशासन, शासन में भ्रष्टाचार बढ़ता है तो उसका सबसे ज्यादा लाभ यह भ्रष्टाचारी लेता है क्योंकि भ्रष्टाचार गरीब का दुश्मन होता है और कालाबाजारी और जमाखोरी करने वालों का मित्र होता है। अभी माननीय मंत्री जी खड़े होंगें और कहेंगे कि इतने छापे पड़े, इतने लोग पकड़े गये। बहुत सारे घोटाले यहां हुए यह अखबारों में पढ़ा गया। इधर कुछ महीनों पहले मिलावट बहुत कुछ पकड़ी गई लेकिन वह एक अभियान के समय पकड़ी गई। मैं समझता हूं कि महीने भर से हम लोगों ने अखबारों में कोई इस तरह की घटना नहीं पढ़ी कि कहीं मिलावट पकड़ी जा रही है या जो मिलावट पकड़ी गई उसमें क्या हुआ ? यह सब सुनने में नहीं आता है क्योंकि वह भी भ्रष्टाचार की मिलावट में रफा दफा हो जाता है। इसलिये इसका जो मूल कारण है वह हमारी भ्रष्ट व्यवस्था है और इस भ्रष्ट व्यवस्था के लिये जिम्मेदार सरकार होती है और कोई नहीं। यह मिलावट केवल छापे मारने से ही खत्म नहीं होगी। इच्छा शक्ति की कहीं न कहीं कमी है इस सरकार में। खाद्य की मिलावट हो चाहे तेल में मिलावट हो, चाहे प्रशासनिक बातचीत की मिलावट हो, व्यवस्था में मिलावट हो इसमें यह निश्चित रूप से दिन पर दिन बढ़ रही है। आज कोई स्थान ऐसा नहीं जहां भ्रष्टाचार न हो। मान्यवर, आज स्थिति यह हो गई है ? हम 1974 में आये थे और 1977 में सरकार थी तो हम लोग बैठकर उंगलियों में गिनते थे कि कौन-कौन भ्रष्ट है। ओझा जी भी उस समय थे तो भ्रष्ट लोग उंगलियों में गिने जाते थे कि कौन भ्रष्ट है और राजनीति में भ्रष्टाचार

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

तो नहीं सुनने को मिलता। लेकिन आज ईमानदार कौन है यह गिनने बैठिये मान्यवर, खासकर आज की प्रशासनिक व्यवस्था में तो आज तो स्थिति यह हो गयी है कि जो भ्रष्ट नहीं है वह दण्डित होता है। ईमानदारी दण्डनीय हो गयी है इस प्रशासन में। अगर देखा जाय तो कितने पद खाली हैं, पोस्टिंग कहां किस को कहां दी जाय, इसका भी हिसाब किताब तय हो गया। लोग कहने लगे कि सचिवालय बाजार हो गया। हर चीज का रेट यहां तय है। जब ऐसी व्यवस्था होगी मान्यवर, तो मिलावट कैसे रुकेगी। चाहे खाद्य का मिलावट हो चाहे तेल की मिलावट हो फिर स्वास्थ्य कैसे सुधरेगा, फिर यह जांच का महत्व क्या है ? इन सब चीजों की सार्थकता समाप्त हो गयी। केवल सुनने को होता है इसलिये यह जो कार्य-स्थगन का प्रस्ताव लाया गया यह केवल तेल की मिलावट का सवाल नहीं है। इसमें जो स्वास्थ्य के ऊपर पर्यावरण बिगड़ने के कारण, प्रदूषण के कारण पर्यावरण बिगड़ने के कारण दुष्प्रभाव पड़ रहा है वह एक बहुत गम्भीर पक्ष है इसलिये मान्यवर, इस प्रस्ताव को स्वीकार करके इस पर चर्चा कराने का कष्ट करें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, माननीय हुकुम सिंह और माननीय नेता भारतीय जनता पार्टी ने काफी विस्तार से पेट्रोल और डीजल के मिलावट के नाम पर चर्चा करने का काम किया। मान्यवर, जहां तक पेट्रोल और डीजल का सवाल है जो सूचना थी वह पेट्रोल, डीजल के मिलावट की थी और इसके सम्बन्ध में मान्यवर, हमारी सरकार द्वारा ऐसे कड़े निर्देश दिये गये हैं जिलाधिकारियों को कि किसी भी दशा में पेट्रोल और डीजल में मिलावट न होने पावे। यह भी निर्देश दिये गये हैं कि जनपद के समस्त पेट्रोल, डीजल पम्पों का जिला पूर्ति अधिकारी के साथ सम्बन्धित कम्पनी के जिला समन्वयक के साथ हर महीने, जिलाधिकारी निरीक्षण करावें और उसके तहत जो भी व्यक्ति पकड़ा जाएगा मैं इस बात को आश्वस्त करना चाहता हूं हालांकि माननीय हुकुम सिंह जी ने इस बात की चर्चा के साथ-साथ बहुत विस्तार से प्रदेश की विभिन्न समस्याओं के बारे में जिक्र किया मैं उन सभी के बारे में आज कुछ नहीं कहना चाहता हूं लेकिन इस बात को आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसी भी मिलावट करने वाले व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। यह इस सरकार का संकल्प है और साथ ही साथ कोई भी व्यक्ति जो अपराधी हैं या कानून को अपने हाथ में लेता है ऐसे लोगों को भी बख्शने का काम नहीं किया जाएगा इस आधार पर कि उनके साथ कोई बड़ा आदमी खड़ा है, इस बात को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं। पूरे प्रदेश के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा समय-समय पर यह निर्देश दिये गये हैं कि जो भी व्यक्ति अपराध करता है वह किसी भी रूप का अपराधी है उसको इस आधार पर बख्शने की कार्यवाही नहीं होनी चाहिए कि उसके साथ कौन व्यक्ति खड़ा है और माननीय हुकुम सिंह जी, लाल बत्ती की बात नहीं है, लालबत्ती वालों को भी जेल में पहुंचाकर इस अपने संकल्प को प्रदर्षित करने का काम हमारी सरकार ने किया।

(मेजें थपथाई गईं)

उनके सहयोग के आधार पर किसी को छोड़ने की बात छोड़ दीजिए स्वयं ऐसे लोग उन्होंने भी अगर अपराध किया और कानून को अपने हाथ में लिया तो उनको भी जेल पहुंचाने में एक

सेकेण्ड का देर नहीं किया गया। ऐसी सरकारें रही होगी जो मिलावट खोर लोगों का सहयोग करती रही होगी। हमारी सरकार मिलावटखोर लोगों को जेल में पहुंचाने का काम करेगी और निश्चित तौर से ऐसे लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं जहां तक नियम-56 की बात है तो अगर आप स्वयं पढ़ लेंगे, यह नियम-56 में कहीं से भी नहीं आता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि इसको अग्राह्य करने की कृपा करें।

श्री हुकुम सिंह-

आपने बताया कि लाल बत्ती को भी जेल में पहुंचा दिया तो फिर यह बाहर कैसे घूम रही हैं। आपने लालबत्ती को अन्दर पहुंचा दिया तो क्या यह लालबत्ती कहीं बाहर से आई हुई है।

(हंसी)

मान्यवर, मिलावट की जहां तक बात है, मैंने एक आश्वासन चाहा था कि जो मिलावटखोर है मान्यवर, जब तक यह राजनीतिक सोच या इतना राजनीतिक चिन्तन विकसित नहीं होगा, कि हम ऐसे व्यक्तियों को अपने दलों में प्रवेश नहीं होने देंगे, हम ऐसे व्यक्तियों को राजनीतिक पद नहीं देंगे। आगे कहीं नामांकन की बात होगी वह नहीं होने देंगे, ऐसा करने का संकल्प कर सकते हैं क्या ? मान्यवर, आपकी अध्यक्षता में बैठकर सभी दलों के नेता बैठकर यह संदेश जनता में दे सकते हैं क्योंकि देखिए हम अपराधियों को मिलावटखोरी को, हम जनता से आवाह्न करें कि आप हमें जानकारी दें। आप जानकारी दें कि हम ऐसे लोगों को महिमामण्डित करने के बजाय जेल भेजेंगे, ऐसी कोई बात क्या आप कर सकते हैं ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैंने तो सरकार का संकल्प दोहराया, हमारी नेता मा0 मुख्य मंत्री जी का जो संकल्प है हमारी सरकार का जो संकल्प है कि मिलावटखोर हों तो किसी तरह का अपराध करने वाले व्यक्ति है, उनका स्थान जेल ही होगा।

श्री हुकुम सिंह-

हमने तो पार्टी की बात कही थी। आप यह कहने के लिए तैयार है कि वह पार्टी में नहीं रहेंगे आपकी ? आप इतना भी कहने के लिए तैयार नहीं हैं कि ऐसे मिलावटखोर, ऐसे अपराधी हमारी पार्टी में नहीं रहेंगे तो संकल्प तो आपका पता लग गया।

श्री अध्यक्ष-

मैंने मा0 ओम प्रकाश सिंह जी को सुना, मा0 हुकुम सिंह जी को सुना और मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना, यह सूचना नियम-56 के अन्तर्गत नहीं आती, इसे अग्राह्य करता हूं।

दो मिनट में अनिल चौधरी जी आप कह दीजिए हवाई अड्डा बनाने के लिए।

डा0 अनिल चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, आपने इस सूचना की ग्राह्यता पर बोलने का समय दिया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। मान्यवर, यह बड़ा गम्भीर विषय है, आगरा शहर अपनी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर

पर पहचान रखता है, पर्यटन के हिसाब से भी और निर्यात के हिसाब से भी क्योंकि जूते के काम का एक बहुत बड़ा सेण्टर है और पर्यटन के हिसाब से यहां सात बड़ी-बड़ी बिल्डिंग हैं, ताजमहल है, एत्माद्दौला है, अकबर की कब्र सिकन्दरा के नाम से है, मरियम टाम्ब है, फतेहपुर सीकरी आदि है। मान्यवर, इसके अलावा प्रकृति से जुड़े हुए भी यहां कई चीजें आस-पास हैं जिसमें मशहूर केवलादेव पक्षी विहार, मात्र 40 किमी0 पर है, एटा जनपद का पटना पक्षी विहार मात्र 25 किमी0 पर है, आगरा शहर के नजदीक ही कीठम पक्षी विहार, मान्यवर, पूरे एशिया का एक मात्र घड़ियाल संरक्षण केन्द्र जो चम्बल नदी में है, वह भी आगरा जनपद का ही हिस्सा है, वह मात्र 50-60 किमी0 दूर है। ऐसी जगह अगर अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जाए तो मेरा सुनिश्चित मत है कि इससे न सिर्फ राजस्व की वृद्धि सरकार की होगी बल्कि बड़े पैमाने पर वहां पर लोगों के व्यवसाय की वृद्धि होगी और बेरोजगार लोगों को रोजगार भी मिलेगा और मान्यवर, इसमें अड़ंगा लगाने का काम केन्द्र सरकार करती है, दिल्ली की पर्यटन लॉबी के दबाव में। दिल्ली की पर्यटन लॉबी बहुत मजबूत है और आगरा और उसके आस-पास के पर्यटन व्यवसायी उनके सामने बड़े गरीब की हैसियत रखते हैं, इसलिए दिल्ली की पर्यटन लॉबी आगरा में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा नहीं बनने देती है। मैं इसमें आपका विशेष संरक्षण चाहूंगा और सरकार का भी ध्यानाकर्षण करते हुए यह निवेदन करूंगा कि प्रदेश सरकार इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करें और आगरा में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाये जाने की ओर कदम बढ़ाये। मैं समझता हूं कि इससे इस सूबे के बेरोजगारों का भी भला होगा, पर्यटन व्यवसायियों का भी भला होगा और सरकार के राजस्व में भी बहुत अच्छी तरह से बढ़ोत्तरी होगी। मैं इसकी ग्राह्यता पर बल देते हुए चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

आपने ध्यान आकर्षित किया है कि आगरा में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जाए। वैसे यह सूचना नियम-56 में नहीं आती लेकिन दल के सभी सदस्यों ने एक सूचना दी थी, मैंने उसको सुना, इसको अग्राह्य करता हूं और इसमें अगर ऐसी कोई परिस्थितियां हैं, कोई व्यवधान है तो मा0 मंत्री जी उसे दिखवा लें।

अन्य मा0 सदस्य दो-दो मिनट में अपनी बात कह लें। कल मैंने संजय कपूर जी की चर्चा को शुरू कराया था। इसके बाद ऊर्जा मंत्री जी बोलेंगे।

डा0 अजय तोमर-

मा0 अध्यक्ष जी, कल मैं चर्चा कर रहा था, आपने चर्चा जारी रखी थी।

श्री अध्यक्ष-

डा0 साहब, आपकी बात आ गई है सदन का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है, यदि दो-दो मिनट में आप लोग अपनी बात कह लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। अब जोखू लाल यादव जी।

*श्री जोखू लाल यादव-

मा0 अध्यक्ष महोदय, नियम-56 के अन्तर्गत मेरी विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर, गांव बसना, जनपद इलाहाबाद।

(डा0 अजय तोमर के खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

कल व्यवस्था दिया था न, कल डा0 अजय तोमर का दिया था न, हां बस ठीक है।

श्री जोखूलाल यादव-

मान्यवर, यह हमारे निर्वाचन क्षेत्र की घटना है। जिसके कारण पूरे क्षेत्र में आक्रोश और विस्फोटक स्थिति है। मान्यवर, कानून से सरकारें चलती हैं हम लोग भी कानून के पाबंद लोग हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो शौर्यपुस्त लोग कहे जाते हैं और वह कानून को ताक पर रखकर किसी भी व्यक्ति के हक और उसके अधिकार पर अतिक्रमण करते हैं, इसी का प्रकरण है। मान्यवर, एक बसना गांव है उस गांव के कुछ शौर्यपुस्त लोग जिनका नाम मैंने उल्लेख किया है उन्होंनें जबरदस्ती एक वर्ग विशेष के लोगों की जमीन जो भूमिधरी जमीन है, उनकी भूमिधरी जमीन है तो वह उसके मालिक है, बगैर किसी आदेश के, बगैर किसी विभाग की योजना के तहत जबरन कई लोगों के खेतों से रास्ता बना लिया गया है। जब इसकी शिकायत करने भुक्तभोगी लोग थाने पर गये, एस0डी0एम0 हडिया को कहा और सुनवाई न होने पर उन्होंने तहसील दिवस पर भी प्रार्थना-पत्र दिया। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज तक उसमें कोई कार्यवाही नहीं हुयी। जिसके कारण एक वर्ग विशेष के लोग अपने आपको अपमानित महसूस कर रहे हैं। दूसरे मान्यवर, उनकी भूमिधरी जमीनों पर उनकी फसलों को बरबाद करके नष्ट करके जबरन रास्ता बना लिया गया। इसलिए मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा कि इस तरह का जो असंवैधानिक, गैर कानूनी काम हुआ है उसके लिए जो लोग दोषी हैं उस पर हम आपकी व्यवस्था चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप सरकार को निर्देशित करें कि इसकी जांच कराकर जो दोषी लोग हैं उनको सजा दिलायें और जो भुक्तभोगी लोग हैं, जिनके अन्दर उस इलाके में भय और आक्रोश व्याप्त है और एक वर्ग विशेष के लोग जो आन्दोलित हैं ताकि कल कोई ऐसी विस्फोटक स्थिति न पैदा हो कि वहां पर वर्ग संघर्ष की स्थिति बन जाये। इसलिए मान्यवर, यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है इस पर मैं कार्य-स्थगन की सूचना देते हुए सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, माननीय जोखूलाल यादव जी ने यह सूचना दी है मैं इसको नियम-56 में अग्राह्य करता हूं। लेकिन इस बात का संदर्भ इन्होंने दिया है कि कुछ जबरदस्ती लोग कुछ लोगों की जमीनों पर अवैध ढंग से कब्जा कर लिये हैं जबकि इनकी भूमिधरी है, अगर इस तरह से अवैध ढंग से कब्जे हुए हों तो कृपया इसको दिखवा लें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

*श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, बी0एड0 बेरोजगारों के सम्बन्ध में मैंने जो कार्य-स्थगन की सूचना आपको दी है उस पर आपने बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, आज भी बेरोजगारों की चर्चा इस हाउस में हुयी। मान्यवर, इस प्रदेश में लगभग साढ़े तीन लाख बी0एड0 बेरोजगार हैं और पीछे विशिष्ट बी0टी0सी0 के माध्यम से काफी लोगों का एब्जार्व किया गया। काफी लोगों को सेवा का मौका दिया गया। इसलिए उनके सामने एक आशा की किरण है कि किसी न किसी रूप में विशिष्ट बी0टी0सी0 के तहत या माध्यमिक स्कूलों में उनको समायोजित किया जाएगा। लेकिन जब समाचार-पत्रों में या इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से इस सम्बन्ध में कोई विशेष योजना या कोई विशेष आश्वासन दिखायी नहीं पड़ता तो उन लोगों का निराश होना स्वाभाविक है और मान्यवर, कभी-कभी ऐसी एक-आध घटनाएं हुयी हैं कि रोजगार के अभाव में सुसाइड भी कर लिया है। मान्यवर, इस सदन में दूसरे मंगलवार को इसी सत्र में एक प्रश्न आया था जिस पर डा0 धर्म सिंह सैनी जी, जोकि बेसिक शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने जवाब दिया था, मान्यवर, प्रश्न और उत्तर मैं आपके सामने पढ़े दें रहा हूं कि क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में लाखों बेरोजगार बी0एड0 डिग्री धारकों को विशिष्ट बी0टी0सी0 द्वारा बेसिक शिक्षा विभाग में दिये जा रहे रोजगार पर क्या सरकार रोक लगाने पर विचार कर रही है ? इसका जवाब है, सम्प्रति प्रश्नगत प्रकरण सरकार के विचाराधीन नहीं है अर्थात् सरकार विशिष्ट बी0टी0सी0 पर रोक नहीं लगायेगी, यह सरकार की पालिसी है, यह सरकार ने अपने लिखित उत्तर में यहां पर घोषित किया है, जो सदन की सम्प्रति थी, मैंने आपके सामने पढ़कर सुनाया। मान्यवर, इन सब बात को उठाने के पीछे उद्देश्य केवल एक है कि एक ओर बेसिक प्राइमरी स्कूलों में जो सरकार के परिषद्‌ीय स्कूल हैं, आज भी इस सदन में यह प्रश्न आया था कि 3 लाख 10 हजार पद रिक्त हैं। हालांकि हमारी सूचना पुष्ट नहीं है, उसके अनुसार लगभग 3 लाख पद रिक्त हैं मान्यवर। शिक्षा मित्रों के सहारे बेसिक प्राइमरी स्कूल चल रहे हैं, कक्षा 5 से लेकर कक्षा 8 तक वाले, उसमें विशिष्ट बी0टी0सी0 की ट्रेनिंग करने के बाद इन बी0एड0 लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। आप सहमत होंगे मान्यवर और सरकार भी सहमत है कि बी0एड0 की ट्रेनिंग बी0टी0सी0 से बेहतर हैं, इन लोगों की दक्षता, गुणवत्ता, क्वालिटी बेहतर हो सकती है, अगर बी0एड0 लोगों को यह मौका मिले और सरकार के सामने यह बात कई चरणों में और कई माध्यमों से मान्यवर, आ भी चुकी है। हम आपके माध्यम से सरकार से केवल एक ही मांग करते हैं कि जो पत्रावली, जो मान्यवर, बतायी जाती है कि नेशनल काउंसिल आफ टीचर्स एजूकेशन एन0सी0टी0ई0 है जिसका कार्यालय जयपुर में है, वह पत्रावली मान्यवर, वहां बतायी गयी है कि 82 हजार शिक्षकों की पत्रावली वहां पर लम्बित है, उस पर मान्यवर, शीघ्र निर्णय हो जाये और किसी न किसी रूप से इनको विशिष्ट बी0टी0सी0 की ट्रेनिंग देकर, मान्यवर, जो बी0एड0

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

बेरोजगार है, उनको मान्यवर, मौका दिया जाये जिससे शिक्षा का स्तर भी सुधरेगा और इन लोगों को रोजगार भी मिलेगा और पूरे प्रदेश में एक शिक्षा का वातावरण, रोजगारयुक्त वातावरण बनेगा। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी अपने उत्तर में कम से कम यह जवाब जरूर दें कि आखिर इन लोगों का भविष्य क्या होगा कि जो लोग लगातार इस आशा और उम्मीद के साथ रोज सुबह समाचार-पत्र देखते हैं, टी0वी0 पर समाचार देखते हैं कि विधान सभा चल रही है कि शायद इस सत्र में विधान सभा में कोई घोषणा हो कि बी0एड0 लोगों को इस प्रकार से समायोजित किया जायेगा, उनके भविष्य का निर्धारण कैसे होगा ? उनके सामने केवल टीचिंग के अलावा कोई रास्ता नहीं है और इतने बल्कि में ये लोग हैं कि इन लोगों को जब तक कोई पालिसी के तहत सरकार समायोजित नहीं करती तब तक इन लोगों को न तो रोजगार मिलने जा रहा है और इन लोगों के भविष्य के साथ पूरी तरीके से अंधकार है, इनके बच्चों के लिये इनके परिवार के लिये, चूंकि इतना पढ़ लिख लेने के बाद इनके सामने नौकरी के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आखिरकार इनके सम्बन्ध में अभी तक सरकार ने क्या योजना बनायी है ? क्या मन बनाया है और कब इनको रोजगार देने जा रहे हैं ? बी0एड0 बेरोजगारों को कब समायोजित करेंगे विशिष्ट बी0टी0सी0 के रूप में ? मान्यवर, आप निर्देशित कर दें।

श्री अध्यक्ष-

श्री कुबेर सिंह जी, इनकी एक सूचना इसी से सम्बन्धित है।

श्री कुबेर सिंह-

मैं अपने आप को माननीय खन्ना जी से सम्बद्ध करते हुए प्रदेश सरकार द्वारा लगातार इनको विशिष्ट बी0टी0सी0 से सम्बन्धित घोषणा की जा चुकी है और इसे करने की इच्छा भी है सरकार की तो कभी-कभी ऐसा होता है कि देर से मिलने वाला न्याय, अन्याय की तरह ही हो जाता है। जब यह घोषणा सरकार कर रही है समय-समय पर और उन्हें न्याय देना ही है सरकार को तो शीघ्र मिल जाये जिससे पढ़ाने वाले और उनके परिवार को और जो पढ़ने वाले बच्चे होंगें, उन सबको इसका यथा उचित समय पर लाभ मिल जाये। इसके साथ-साथ मैं एक आग्रह और करूंगा सरकार से कि एटा में इससे सम्बन्धित लगातार अनशन चल रहा है जो कोई ऐसा निर्देश और चला जाये कि उन्हें कुछ आश्वासन देते हुए कि उनका अनशन समाप्त हो जाये, यही मेरा आग्रह है और सदन के समय को खराब न करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

धन्यवाद। मैंने माननीय कुबेर सिंह को सुना, सुरेश कुमार खन्ना को सुना। यह सूचना नियम-56 में नहीं आती है, मैं इसे अग्राह्य करता हूं। माननीय खन्ना जी ने एक बिन्दु पर संकेत दिया है कि जो विषय शीघ्र ही विशिष्ट बी0टी0सी0 का समायोजित करने का प्रकरण लम्बित है उसको सरकार जल्दी करा ले, मैं इसके प्रति सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं।

*श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने कार्य-स्थगन की ग्राह्यता पर बोलने का मौका दिया मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, यह प्रदेश के करोड़ों लोग जिनकी आबादी करोड़ों है उत्तर प्रदेश के कहार, केवट, मल्लाह, निषाद, कश्यप, धीवर, धीमर, बाथम, तुरहा, गौड़, माझी, बिन्द, भर, राजभर, कुम्हार, प्रजापति आदि लोगों के मामले में है। कई बार हम लोगों ने मामला उठाया हमने विधान सभा में प्रश्न किया था उसमें सरकार ने जवाब दिया था। हमने पूछा था माननीय समाज कल्याण मंत्री जी से कि क्या अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार द्वारा मल्लाह, केवट, बिन्द, कुम्हार, प्रजापति, भर, राजभर को अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने हेतु भारत सरकार को दिनांक 4-3-2008 को संस्तुति सहित प्रस्ताव भेजा गया है सरकार ने उत्तर दिया था कि 'जी हां', यदि हां तो क्या केन्द्र सरकार से इस सम्बन्ध में कोई सूचना प्राप्त हुई है तो सरकार ने कहा था कि 'जी हां', यदि हां तो क्या सरकार ने उत्तर दिया था कि 'भारत सरकार द्वारा भर/राजभर, कुम्हार (प्रजापति), कहार, कश्यप, केवट, मल्लाह, निषाद, धीवर, बिन्द, बाथम, तुरहा, गोड, मांढी, मछुआ आदि समुदायों को अनुसूचित जाति में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में प्रदेश सरकार द्वारा पूर्व प्रेषित संस्तुतियों के क्रम में भारत के महापंजीयक की टिप्पणियों का हवाला देते हुए उपर्युक्त समुदायों में से प्रत्येक के बारे में निर्धारित प्रपत्र में विस्तृत जातीय सूचना मांगी गयी है'।

मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें जो निर्धारित प्रपत्र है जैसे माननीय मुलायम सिंह यादव की सरकार में क्रमशः 31 अक्टूबर, 2004 को, 16 मई, 2006 को, 6 नवम्बर, 2006 को और 12 जनवरी, 2007 को संस्तुति सहित रिपोर्ट भेजी गयी थी। भारत सरकार के यहां एजेन्सी है अनुसूचित जाति जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान जो एक निर्धारित प्रपत्र पर इनकी सूचना भेजते हैं जिनकी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति खराब है उनको अनुसूचित जाति में लाने के लिए प्रस्ताव भेजते हैं, हम यह कहेंगे कि भले देर में सरकार ने माना लेकिन इसमें 2 साल हो गये हैं इसमें अभी तक कोई प्रपत्र तैयार नहीं हुआ न भेजा गया। इसके पूर्व हमने समाज कल्याण मंत्री से एक प्रश्न किया था समाज कल्याण मंत्री जी ने जवाब दे दिया था कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने जितने प्रस्ताव भेजे थे शासन के पत्र दिनांक 6-6-2007 के क्रम में भारत सरकार के पत्र दिनांक 25-9-2007 द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने के प्रस्ताव को निरस्त कर दिया गया है। पहले निरस्त करने के प्रस्ताव को इन्होंने बता दिया फिर कहा कि 4 मार्च को माननीया मुख्य मंत्री जी ने 4 मार्च, 2008 को यहां घोषणा की थी उसके कुछ अंश हम पढ़कर के बता देते हैं उन्होंने कहा था कि उपरोक्त सभी जातियां सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक आधार पर निम्न स्तर की हैं तथा यह जातियां अनुसूचित जाति में सम्मिलित होने की लगभग सभी शर्तें पूरी करती हैं और मान्यवर, इन्होंने कहा था कि केन्द्र सरकार से इस विषय में अपेक्षित संवाद स्थापित करते हुए अनुश्रवण भी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

किया जायेगा जिससे कि यह कार्यवाही शीघ्र पूरी हो सके। मान्यवर, दो साल बीत गये 4 मार्च, 2008 को वैसे तो जगजाहिर है कि माननीया नेता सदन जो कह देती है करती है लेकिन पता नहीं कौन सा कारण है कि 4 मार्च, 2008 के बाद भारत सरकार को जो पत्र भेजा गया था उसमें क्वैरी लगकर आ गयी उन्होंने निर्धारित प्रपत्र पर सूचना मांगी दो साल बीत जाने के बाद अभी तक न तो कोई अनुश्रवण किया गया और न ही कोई संवाद स्थापित किया गया। इसमें पूरे प्रदेश में यह चर्चा का विषय है इन जातियों के लोग आन्दोलित हो रहे हैं कि यह सरकार आखिरकार क्यों नहीं प्रपत्र भेज रही है तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इन जातियों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति बहुत खराब है। इनको अनुसूचित जाति की सुविधा मिल जायेगी तो यह भी नौकरी में आ जायेंगे। इनका कोई आई0ए0एस0 नहीं है, कोई आई0पी0एस0 नहीं है कोई अधिकारी नहीं है।

आजादी के इतने साल बीतने के बाद ये एक मास्टर एक चपरासी भी नहीं बन पाते हैं। इतनी आबादी है इन लोगों की करोड़ों की संख्या है, करोड़ों लोगों के हित का मामला है इसलिए कार्य-स्थगन के माध्यम से यह प्रश्न उठाया था। आपसे यही विनती है कि सरकार से उत्तर दिला दें कि जो सरकार ने अपेक्षित संवाद स्थापित करते हुए अनुश्रवण करने को कहा था और जो हमारे प्रश्न के उत्तर में कहा गया है कि भारत सरकार ने निर्धारित प्रपत्र पर सूचना मांगी है तो यह निर्धारित प्रपत्र पर कब तक सूचना भिजवा दी जायेगी ? क्या यह 2012 के बाद भिजवायेंगे ? हम यह चाहते हैं कि पहले तो सहमत नहीं थे अब सहमत हो गये हैं कि इनको अनुसूचित जाति में शामिल किया जाय। अब केवल यह बहानाबाजी कर रहे हैं कि इनको करना न पड़े, इस तरह से दो साल बीत गये और समय बिता दें। मान्यवर, पूरे प्रदेश में उक्त जातियां आन्दोलित हो रही हैं धरना-प्रदर्शन कर रही हैं पूरे प्रदेश में। इसलिए हम सरकार से अपेक्षा करेंगे कि सरकार का इसमें एक वक्तव्य आ जाय। मैं सारी कार्यवाही रोककर इसमें चर्चा कराने की मांग करता हूं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, माननीय सदस्य ने स्वयं इस बात का जिक्र किया कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्वयं यहां से करके यह प्रस्ताव भेजा था इसका उल्लेख किया तो निश्चित रूप से मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव किया है उसके हिसाब से जो अपेक्षा की जायेगी, उसके हिसाब से सूचना प्राप्त करके कार्यवाही की जायेगी।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

मान्यवर, दो साल हो गये निर्धारित प्रपत्र पर भर करके सूचना नहीं भेजी गयी उसका उत्तर नहीं दिया गया तो कब तक निर्धारित प्रपत्र पर जो अनुसूचित जाति जनजाति शोध संस्थान हैं उसमें प्रपत्र भरकर कब तक भारत सरकार को सूचना भेज दी जायेगी जो क्वैरी लग करके आई है उसका उत्तर भेज दें। पहले तो आप नहीं चाहते थे आपने निरस्त करा दिया सारे प्रस्ताव, अब आप चाहते हैं तो निर्धारित प्रपत्र पर इसे भिजवा दें।

श्री अध्यक्ष-

मैंने माननीय श्री विशम्भर प्रसाद निषाद को सुना, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना। माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने इस बात से अवगत कराया कि यह विषय भारत सरकार का है तब भी उत्तर प्रदेश की माननीय मुख्य मंत्री जी ने इन जातियों को अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने हेतु कई बार प्रस्ताव भेजा है। उन्होंने इस बात को अपने उत्तर में कहा है कि जो भी अपेक्षाएं भारत सरकार मांगेगी उसको हम शीघ्र पूरा करेंगे। यह सूचना नियम-56 में नहीं आती है, मैं इसको अग्राह्य करता हूं।

श्रीमती मिथिलेश पाल-

मान्यवर, जनपद मुजफ्फरनगर के भोपा रोड पर स्थित पेपर मिल सर्वश्री अग्रवाल डुप्लेक्स एण्ड बोर्ड, बिन्दल पेपर्स, पारिजात पेपर मिल्स, टिहरी पल्प एण्ड पेपर मिल्स, स्वास्तिक पेस्टी साईडस, मीनू पेपर मिल्स, सिल्वरटन पेपर्स, सिद्ध बली पेपर्स, बिन्दल डुप्लेक्स एण्ड बोर्ड मिल्स, गर्ग डुप्लेक्स, माया डुप्लेक्स, मीनू पेपर्स, जौली रोड स्थित सर्वश्री गलैक्सी पेपर मिल्स, त्रिवेणी इंजीनियरिंग (शराब फैक्ट्री) जानसठ रोड स्थित गुलशन शुगर एण्ड कैमिकल्स लि0, कीर्ति पेपर्स, के0के0 डुप्लेक्स, शालीमार पेपर मिल्स, राणा पेपर लि0, दि गंगा किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0 मोरना, मीरापुर स्थित मीरापुर पेपर मिल्स, टिकौला शुगर मिल्स टिकौला एवं अन्य विभिन्न फैक्ट्रियों का प्रदूषित पानी नालों में डाले जाने एवं पेपर मिल की राखी आस-पास स्थित ग्रामों में डाले जाने से भू-गर्भ जल प्रदूषित हो गया है, जिसके कारण गत दिनों ग्राम रहकडा के 04 बच्चे तथा ग्राम बसेडा के 02 बच्चे एवं अन्य विभिन्न ग्रामों के बच्चे प्रदूषित जल पीने से काल कवलित हो गये हैं तथा अन्य बहुत बच्चे प्रदूषित जल पीने से बीमार हैं।

अतः विकास खण्ड सदर, विकास खण्ड मोरना, विकास खण्ड पुरकाजी एवं विकास खण्ड जानसठ के समस्त ग्रामों का भू-गर्भ जल प्रदूषित हो गया है। अतः उक्त विकास खण्डों के ग्रामों का भू-गर्भ जल का सैम्पल लेकर जांच कराया जाना आवश्यक है तथा उक्त विकास खण्ड वासियों को टी0टी0 एस0पी0 योजना लागू कर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाना अति आवश्यक है।

अतः उपरोक्त अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराये जाने की मांग करती हूं।

श्री अध्यक्ष-

मैंने माननीया मिथिलेश पाल जी को सुना। श्रीमती मिथिलेश पाल ने इंगित किया है कि कुछ फैक्ट्रियों के दूषित पानी के द्वारा वहां पर निश्चित एरिया का भू-गर्भ प्रदूषित हो रहा है। मैं शासन का ध्यान आकर्षित करता हूं कि इस महत्वपूर्ण विषय को दिखवा लें। इन फैक्ट्रियों के दूषित जल से जो भाग प्रदूषित हो रहा है माननीय मंत्री जी उसको दिखवा लें, यह जनजीवन से जुड़ा हुआ है। मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं।

*श्री अनूप कुमार गुप्ता-

मान्यवर, हमारे जनपद सीतापुर में कल रात्रि 8 तारीख को नैमिषारण्य से मुण्डन कराकर के एक परिवार, उनके रिश्तेदार गांव के कुछ अन्य लोग ट्रैक्टर ट्राली में बैठ करके जा रहे थे और ट्रैक्टर ट्राली पलट गयी। रात में जब मैं वहां पर गया तो वहां का दृश्य देख करके पूरा क्षेत्र परेशान था। दूसरी घटना रामकोट थाना क्षेत्र के पास हुई वहां भी ट्रैक्टर ट्राली पलट गयी। उसमें 3 लोगों की मृत्यु हो गयी और 14 लोग घायल हो गये। मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि कम से कम इनके अधिकारी वहां पर पहुंचे और आई0जी0 जोन भी रात में करीब डेढ़ बजे वहां पहुंच गये थे। घायलों का समुचित इलाज चल रहा है और जो लोग मृत हो गये थे उनका भी पोस्टमार्टम रात में कराया गया। मान्यवर, मैं आपका भी आभारी हूं कि आपने हमको सुना। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि जो लोग मर गये हैं उन लोगों को 5-5 लाख रुपया और जो लोग गम्भीर रूप से घायल हैं उनको एक-एक लाख दिये जाने की घोषणा इस सदन में कर दें। यह मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं क्योंकि यह माननीय मंत्री जी तो कहेंगे कि नियम-56 में नहीं आता है लेकिन आपने मुझे सुना इसके लिए आपको धन्यवाद। माननीय मंत्री जी इसमें 5-5 लाख की घोषणा कर देंगे तो मैं आपका तहेदिल से शुक्रिया अदा करूंगा।

*श्री अनूप सण्डा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन का ज्यादा समय न लेते हुए माननीय अनूप गुप्ता जी के विचारों से अपने को सम्बद्ध करते हुए मात्र 2 बिन्दुओं की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, यह जो दुर्घटना हुई है जिसमें 24 लोग मारे गये हैं।

श्री अध्यक्ष-

मारे नहीं गये मरे हैं।

श्री अनूप सण्डा-

मरे हैं, मारे गये हैं इसलिए क्योंकि विभागीय लोगों की लापरवाही से ऐसा हुआ है। मान्यवर, सड़क के किनारे जैसे ही ट्राली ले जाई गयी, मिट्टी धस गयी और मिट्टी धसने की वजह से ट्राली पलट गयी।

मान्यवर, जिस विभाग ने वह सड़क बनाई होगी उसकी यह जिम्मेदारी बनती है कि अगर 24 लोगों को ले जाने वाली ट्रैक्टर ट्राली पलट जा रही है उस भार से तो अगर कोई लोडेड ट्रक जायेगा तो वह सड़क कैसे उस भार को वहन करेगी तो नम्बर एक यह कि उस विभाग की लापरवाही है जो उस सड़क के अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार हैं। उसके जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। दूसरी चीज यह है कि इस बात का कहीं जिक्र नहीं आया कि जो चालक था उस ट्रैक्टर का, वह प्रशिक्षित था या नहीं था उसको सरकार द्वारा लाइसेन्स प्राप्त था या नहीं था ? अगर वह बिना लाइसेन्स के चला रहा था तो उसके लिए विभाग के अधिकारी जिम्मेवार

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

हैं। मान्यवर, सरकारी अधिकारी दिन भर घूम-घूम करके वसूली करें और जो उनका काम है जहां जनहानि हो सकती है जनहित के जो सवाल हैं उनके ऊपर ध्यान न केन्द्रित करें तो यह अत्यन्त गम्भीर विषय हो जाता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि उक्त दोनों विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाय और माननीय अनूप गुप्ता जी ने जो मुआवजा देने की मांग की है मृतकों के परिवारों को, उसकी घोषणा की जाय। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

माननीय अनूप गुप्ता जी को मैंने सुना उन्होंने सदन में एक सूचना के माध्यम से कि ट्रैक्टर ट्राली पलट जाने की वजह से एक घटना हुई जो बहुत ही दुखद घटना है लेकिन यह सूचना नियम-56 में नहीं आती है मैं इसको अग्राह्य करता हूं।

श्री मदन चौहान-

मान्यवर, आपने मुझे बहुत महत्वपूर्ण गंगा नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए बोलने का मौका दिया मैं आपका बहुत आभारी हूं। मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है और यह हमारी संस्कृति और विश्वास का बहुत बड़ा उदाहरण है। मान्यवर, गंगा नदी एक राष्ट्रीय नदी है एक इतिहास की धरोहर है आज उस नदी की क्या पोजीशन हो गयी है ? गोमुख से निकलने के बाद से जब तक वह सागर में मिलती है वहां तक जाते वह शुद्ध पानी जिससे हमारे रोग दूर हो जाते हैं, आदमी मरता है तो उसके मुंह में भी गंगा जल डाला जाता है इतनी शुद्धता का प्रतीक आज वह किस पोजीशन में हो गया यह बहुत बड़ा चिन्तन का विषय है वैसे केन्द्र सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा इसके प्रदूषण को रोकने के लिए प्रदूषण को समाप्त करने के लिए इसके शुद्धता के लिए बहुत बड़ी धनराशि खर्च की जा रही है लेकिन उसके सार्थक परिणाम नहीं आ रहे हैं। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि चाहे कानपुर हो, चाहे वाराणसी हो, चाहे गढ़मुक्तेश्वर हो जितना जल मल का निस्तारण होता है वह तमाम गंगा नदी में हो रहा है। मान्यवर, मैं अपने गढ़मुक्तेश्वर का उदाहरण देना चाहूंगा। मान्यवर, वहां एक ड्रेन के द्वारा पूठ नामक जगह पर इतना कचरा डाला जाता है उसमें कितनी दुग्ध डेरियों का गंदा पानी, शुगर मिल का रासायनिक प्रदूषित पानी और वहां पर जो डाल्फिन नामक मछली मिलती है जो हमारा राष्ट्रीय जलीय प्राणी है, वह भी खत्म होने की कगार पर है जो पानी की शुद्धता को बढ़ाती है। मान्यवर, यह बहुत चिन्ता का विषय है। जब भी हम किसी प्रश्न के माध्यम से कहीं के भी रासायनिक पानी और डेयरी के पानी को रोकने की बात करते हैं तो उसमें जवाब आता है कि वह यहां पर मौजूद ही नहीं है। अभी हाल ही मैंने एक अतारांकित प्रश्न के माध्यम से, जो प्रथम सोमवार को 144 नं0 पर था, के माध्यम से पूछा था कि क्या पर्यावरण मंत्री जी को जानकारी है कि जनपद गाजियाबाद में सिम्भावली शुगर मिल, डिस्टलरी के रासायनिक पानी से फुलडैहरा ड्रेन सिंचाई विभाग के ड्रेन के द्वारा गंगा नदी में डाला जा रहा है तो जवाब आया कि जी नहीं। मान्यवर, यह सबके सामने एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। जिसमें एस0डी0एम0 महोदय ने भी इसको रोकने की हिदायत दी थी और कई मौकों पर इसका परीक्षण करने की बात हुई है और आज जवाब आता है कि वहां पर यह ड्रेन है

ही नहीं। गन्दा पानी जा ही नहीं रहा। मान्यवर, अगर इस तरह अनदेखी हुयी तो यह गंगाजल सबसे प्रदूषित जल होगा। जो मानव जीवन के लिये स्वास्थ्य के लिये भी हानिकारक होगा और पीने के लिये भी हानिकारक होगा।

[इस समय 2 बजकर 13 मिनट पर अधिष्ठाता श्री ओम प्रकाश सिंह (ओ0पी0 सिंह) पीठासीन हुए]

कई बड़े-बड़े उद्योगपतियों ने ई0टी0पी0 के नाम से प्रोजेक्ट लगा रखे हैं लेकिन वह प्रोजेक्ट काम नहीं करते, उनको झूठा दिखाया जाता है कि वह काम कर रहे हैं और अधिकारियों से मिलकर प्रदूषण जारी है। प्रदूषित पानी गंगा नदी में सीधे जा रहा है। मैं इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर, क्योंकि यह सीधे जनता से जुड़ा है जनता के विश्वास से जुड़ा है जनता के बहुत सारे रोग, जो पानी पीने से दूर हो जाते हैं, आचमन करने से, आज उस पर एक प्रश्न चिन्ह लगा है। जब केन्द्र सरकार की और प्रदेश सरकार की योजनायें हैं कि उसको किसी भी तरह से शुद्ध किया जाय। जिस तरह से हाईकोर्ट ने भी चिन्ता जाहिर की है कि शुद्ध जल की गुणवत्ता बढ़नी चाहिये। इस राष्ट्रीय नदी की गुणवत्ता बढ़नी चाहिये तो मान्यवर, यह बहुत बड़ा सवाल हम सब लोगों के बीच में है चाहे कानपुर की बात हो, इतने बड़े-बड़े कचरे, मृत जानवरों का उसमें बहना और अन्त्येष्टि के माध्यम से अधकचरे शवों का बहना एक बहुत बड़ा विषय बन गया है, इस पर चिन्तन बहुत आवश्यक है। मान्यवर, मेरा अधिष्ठाता महोदय आपसे अनुरोध है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर सरकार कुछ दिशा-निर्देश जारी करे। मुझे आपने नियम-56 की इस सूचना पर मौका दिया मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

यह सूचना नियम-56 के अन्तर्गत नहीं आती। इस पर ध्यान आकर्षित कर दिया गया है। अगली सूचना श्री रियाज अहमद जी की है।

*श्री रियाज अहमद-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं। यह ऐसा महत्वपूर्ण प्रश्न है जिस पर पूरी दुनिया चिन्तन कर रही है। आज पूरी दुनिया में शेरों की तादाद किस तरीके से घट रही है, पूरी दुनिया के लोग मिल बैठकर शेर की प्रजाति को बचाने के लिये विचार कर रहे हैं। वहीं पर यह हमारी खुशकिस्मती है कि हमारी विधान सभा में ....

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, आप इन्हें किस नियम में सुन रहे हैं ?

श्री रियाज अहमद-

नियम-56 में।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

श्री लाल जी वर्मा-

यह तो अस्वीकृत हो चुकी है।

श्री रियाज अहमद-

नहीं ये हैं, हमारा लगा हुआ है। अधिष्ठाता जी ने हमें बुलाया भी है।

श्री अधिष्ठाता-

अध्यक्ष जी ने इसे ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत कर दिया है, यह दो मिनट में अपनी बात कह लेंगे।

श्री रियाज अहमद-

आज हमारी विधान सभा क्षेत्र में यह हमारी खुशकिस्मती है कि बहुत ही खूबसूरत वन महोफ रेंज के रूप में, माला रेंज के रूप में वहां पर है और विगत वर्षों में जो बाघों की गणना हमारे यहां पर की गयी थी, 42 बाघों की गणना प्रकाश में आई। माननीय वन मंत्री जी यहां पर बैठे हैं, यह अच्छी तरह से जानते हैं। एक साथ 8-8, 10-10 शेरों का समूह देखने में आता है। जंगल के किनारे की बस्ती के करीब 12 लोग शेर से जख्मी हो जाने के बाद अपनी जान भी गवां चुके हैं, माननीय मंत्री जी, मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर टाइगर रिजर्व केन्द्र बन जायेगा जिसे भारत सरकार ने सिद्धान्ततः स्वीकार भी कर लिया है अगर आप इसे बना देंगे तो सोने की खान साबित होगा और उधर के इलाके के लिए विदेशी मुद्रा आपको इतनी बड़ी तादाद में मिलेगी कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं वहां पर सारी चीजें मौजूद हैं सिर्फ आपकी इच्छाशक्ति की जरूरत है और वहां पर आपको कोई बड़ी फाइनेंस की व्यवस्था भी नहीं करनी है। सबसे बड़ी बात यह है कि रोजाना हम अखबारों में पढ़ रहे हैं साल के जंगल का ट्रक अवैध कटान से यहां पकड़ा गया वहां पकड़ा गया तो यह बराबर जो वनों का कटान हो रहा है और साल के बारे में अच्छी तरह से मा0 वनमंत्री जी जान रहे हैं कि वहां पर साल की प्रजाति अब स्वयं पैदा नहीं होने लगी यह भी एक शोध का विषय हो गया है इसे भी आप अच्छी तरह से जान रहे हैं। अगर हम टाइगर रिजर्व बना दें तो उस साल के जंगल को भी बचाया जा सकता है और खुद जो साल पैदा होता है उसे भी पैदा किया जा सकता है और एक सोने की खान हमें मिल सकती है आप इस पर गम्भीरता से विचार कर लें। इसलिए मैं आपका ध्यान इस लोकमहत्व के प्रश्न पर दिलाते हुए इस पर चर्चा कराने की मांग करता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

यह नियम-56 के अन्तर्गत नहीं आता है, इसे ध्यानाकर्षित किया जाता है।

श्री रियाज अहमद-

मान्यवर, मा0 मंत्री जी जवाब दे रहे हैं।

वन, जन्तु उद्यान मंत्री (श्री फतेह बहादुर)-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, राज्य सरकार बाघों के संरक्षण के लिए पूरी तरह से सजग है। मानव वन्य जीव द्वंद को कम करने के लिए जनसहभागिता के माध्यम से हम लोग ग्रामीण अंचलों

में और जंगल के क्षेत्र में प्रचार-प्रसार करते रहते हैं। मा0 सदस्य को मैं बधाई देना चाहता हूं उन्होंने बाघों की बढ़ती हुई संख्या पर सदन का ध्यान आकर्षित किया है। निश्चित रूप से हम लोगों की जो जानकारी थी वर्तमान में पिछले तीन वर्षों से बाघों की संख्या काफी बढ़ी है। मा0 सदस्य की, जो चिन्ता का विषय है, निश्चित रूप से पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया इस पर चिन्ता व्यक्त कर रही है क्योंकि बाघों की संख्या देश के आधार पर कम है। निश्चित रूप से भारत सरकार की जो गाइडलाइन है टाइगर प्रोजेक्ट के अनुसार हमारा जो दुधवा रिजर्व टाइगर प्रोजेक्ट है वहां पर टाइगर को संरक्षित करने की व्यवस्था है और हमारा जो रिजर्व बेल्ट घोषित हो जाता है जैसे कि हमारे मा0 सदस्य ने चिन्ता व्यक्त की तो उस क्षेत्र में जो बफर जोन घोषित होगा अगर हम उस बफर जोन को फॉरेस्ट एरिया के साथ संरक्षित क्षेत्र कर देंगे तो फिर वहां पर और कार्य भी बाधित होंगे। निश्चित रूप से हमें कानून-व्यवस्था को भी देखना होगा और जहां तक मा0 सदस्य की चिन्ता है बाघों के संरक्षण की वाइल्ड लाइफ प्रोडेक्शन ऐक्ट-1972 के शिड्यूल्ड-1 का यह जानवर है। पूरी तरह से संरक्षित है, बहुत सख्त कानून भारत सरकार ने बना रखा है और उसका हम पालन कर रहे हैं। जब भी भारत सरकार से प्रस्ताव आयेगा हम उस पर विचार करेंगे।

श्री अधिष्ठाता-

मैंने मा0 सदस्य को और मा0 मंत्री जी को सुना यह नियम-56 के अन्तर्गत नहीं आती है इसे अग्राह्य किया जाता है।

अन्तिम सूचना श्री अब्दुल वारिस खाँ साहब की है, मुजफ्फरनगर में हजारों किसानों को नलकूप हेतु ट्रॉसफार्मर उपलब्ध न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

डॉ0 पी0 के0 राय-

मान्यवर, एक सूचना मेरी भी है।

*श्री अब्दुल वारिस खॉ-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे ग्राह्यता पर बोलने का अवसर दिया मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, जनपद मुजफ्फरनगर में लगभग 1500 किसानों के वित्तीय वर्ष 2007-2008 में निजी नलकूप के कनेक्शन स्वीकृत हुए थे। मान्यवर, उसके उपरान्त एक जॉबकार्ड बनता है उसमें ट्रांसफार्मर के रूप में इन्होंने एक सामग्री दर्ज की लेकिन आज तक ट्रांसफार्मर किसानों को उपलब्ध नहीं कराये गये हैं। ट्रांसफार्मर उपलब्ध न कराये जाने के कारण किसानों की फसलों की उत्पादन क्षमता कम हुई है। मैं ज्यादा समय न लेते हुए आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि जब जॉबकार्ड में उद्घृत है कि ट्रांसफार्मर किसानों को मिलने चाहिए तो उनके न मिलने का क्या कारण है ? मान्यवर, यह समस्या केवल मुजफ्फरनगर की ही नहीं है बल्कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद, बागपत और मेरठ की भी यही समस्या है। मान्यवर, इसके बाद भी विडम्बना

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

यह है कि विद्युत सप्लाई शुरू नहीं हुई है और विद्युत देय बिल किसानों को भेजे जा रहे हैं। मान्यवर, विद्युत देय भी किसानों पर बराबर आ रहा है और उत्पादन क्षमता भी कम हो गयी है। मान्यवर, इस सरकार का उत्तर आ जाये कि यह ट्रांसफार्मर कब तक उपलब्ध करा देंगे। उसके अभाव में उनके नलकूप आज तक चालू नहीं हो पाये है।

श्री अधिष्ठाता-

यह सूचना नियम-56 के अन्तर्गत नहीं आती है इसे अस्वीकृत किया जाता है। फिर भी इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

श्री अब्दुल वारिस खाँ-

मान्यवर, 1500 किसानों का मामला है, ट्रांसफार्मर है नहीं और बिजली के बिल आ रहे हैं। इस पर कुछ व्यवस्था दें।

श्री अधिष्ठाता-

मैंने इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट कर दिया है। इसके बाद श्री महबूब अली जी की सूचना को भी ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकार किया जाता है।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें चयनित नहीं हुई है। अतः अस्वीकृत हुई है।

1-श्री अनूप सण्डा, 2-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल, 3-श्री पूरन प्रकाश, 4-श्रीमती विमलेश सिंह, 5-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी, 6-श्री बैजनाथ दुबे, 7-महन्त कौशलेन्द्र नाथ योगी, 8-डा0 पी0 के0 राय, 9-श्री विश्वनाथ।

वित्तीय वर्ष 2010-2011 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा †

श्री अधिष्ठाता-

अब इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2010-2011 के आय-व्ययक पर जो साधारण चर्चा कल डा0 अजय तोमर जी की जारी रखी गयी थी, वहीं से प्रारम्भ की जाती है। मैं डा0 अजय तोमर जी को बुला रहा हूं कि अपनी चर्चा जारी रखें।

*डॉ0 अजय तोमर-

मान्यवर, आम बजट की सामान्य चर्चा पर कल मैं चर्चा कर रहा था कि उत्तर प्रदेश में भू-जल स्तर नीचे जा रहा है नदियों में भी पानी की कमी होती जा रही है। मान्यवर, जो हमारी सभ्यता की प्रतीक है गंगा जमुना सरस्वती की तहजीब है, उसमें सरस्वती तो लुप्त होती जा रही हैं।

इसी तरह से यमुना नदी भी देखते-देखते विलुप्त हो गयी है। मान्यवर, वैज्ञानिकों का मानना है और उनका कहना है कि गंगा नदी का पानी भी प्रतिवर्ष घटता जा रहा है। मान्यवर, आने वाले समय में किसानों को सिंचाई के लिये ज्यादा पानी देने के लिए इस बजट में चिन्ता किस

---

† दिनांक 8 फरवरी, 2010 की कार्यवाही से।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

तरह से व्यक्त की गयी है यह बजट देखने के बाद सीधे-सीधे पता चलता है कि सरकार कितनी गम्भीरता के साथ पेयजल के स्तर को बढ़ाने के लिए गम्भीर है और किस तरह से नदियों में घटते पानी के स्तर पर चिन्ता करने का काम कर रही है। मान्यवर, माननीय ग्राम्य विकास मंत्री जी भी उपस्थित हैं जो आपकी मनरेगा योजना संचालित है उसका चालीस प्रतिशत खर्च अब तक हो पाया है और लगभग 53.6 प्रतिशत धन खर्च होना बाकी है। अब इस वित्तीय वर्ष की समाप्ति में केवल डेढ़ माह बचे हैं। मान्यवर, अगर सारा का सारा बजट खर्च नहीं होगा तो अगले साल फिर हमें भारत सरकार से इसमें कैसे बजट मिलेगा। मैंने माननीय मंत्री जी से कहा भी था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों में 100 रु0 में रोजगार करने के लिए मजदूर उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। जाब कार्ड बनवाने के बाद भी वह मजदूरी करने को तैयार नहीं हैं। मजदूरों में बेरोजगारी है लेकिन वह तैयार नहीं हैं। खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिये यह चिन्ता का विषय है। मान्यवर, चाहे गाजियाबाद हो, सहारनपुर हो, मेरठ हो, बागपत हो, बुलन्दशहर हो, सब जगह दिक्कतें हैं। मान्यवर, आप चाहें तो वहां की स्थिति के बारे में पता कर लें पहले तो लोग इसमें जाब कार्ड बनवाना नहीं चाहते हैं और अगर बनवा लेते हैं तो 100 रु0 में रोजगार नहीं करना चाहते हैं। मान्यवर, रही बात सड़कों की। सड़कों के विषय में मैं यह कहना चाहूंगा, अभी हमारे प्रभारी ऊर्जा मंत्री, जो जनपद बागपत के प्रभारी मंत्री भी हैं, वह जनपद बागपत मीटिंग लेने के लिए गये थे।

हिन्दुस्तान की राजधानी नई दिल्ली से उत्तराखण्ड की राजधानी देहरादून को जोड़ने वाला राजमार्ग 54 जो लगभग 225 कि0मी0 लम्बा है, प्रदेश के बागपत, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर जनपदों को जोड़ता है, दिल्ली से जोड़ता है, उत्तराखण्ड से जोड़ता है 7-8 पुलों के द्वारा हरियाणा से जोड़ता है। मान्यवर, उस पर यह स्थिति है कि एक गाड़ी चलाने के बाद आप ओवरटेक नहीं कर सकते हैं, इतना भारी यातायात उस पर है। अगर प्रदेश के पास अपने संसाधन नहीं हैं तो मैं कहना चाहूंगा कि आज प्राइवेट पार्टनशिप का युग है, आपकी सरकार इसको बढ़ावा दे रही है, टोल रोड के रूप में ही इसको विकसित करने का काम किया जाए ताकि उन दो राजधानियों को मिलाने का काम और इन 6-7 जनपदों के मुख्य मार्ग होने का काम हो सके। इसके साथ ही साथ मैं थोड़े में खत्म करूंगा, अधिष्ठाता महोदय, कल चर्चा शुरू होते ही आपने इसे जारी रखने के लिए कह दिया था। उत्तर प्रदेश में विद्युत का संकट पिछले 15-20 साल से बढ़ता जा रहा है। कोई नये पावर प्रोजेक्ट नहीं लगाये गये। मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहूंगा कि इस ओर कदम बढ़ाने का काम किया है, नये पावर प्रोजेक्ट लगाने का काम किया है। लेकिन मान्यवर मैं एक बात अवश्य कहना चाहूंगा, जहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सारी की सारी अर्थव्यवस्था किसानों के ऊपर टिकी हुई है, वहां पर किसानों को दी जाने वाली बिजली मैं अपने जनपद का उदाहरण देना चाहूंगा जनपद-बागपत में किसानों को 5 और साढ़े 5 हार्स पावर स्वीकृत बिलों को सीधे-सीधे बढ़ाकर 10 और 12.5 कर दिया गया है। इन नलकूपों की भार क्षमता बढ़ाकर राजस्व प्राप्ति का काम तो किया जा रहा है परन्तु नये 33/11 नये विद्युत केन्द्र खोलने का काम नहीं किया जा रहा है। मेरा निश्चित मानना है कि नये 33/11 केन्द्रों की स्थापना नहीं करायेंगे तो विद्युत व्यवस्था चरमराने लगेगी।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया समाप्त करें।

डा0 अजय तोमर-

मान्यवर, शिक्षा पर एक मिनट बोलकर समाप्त करना चाहूंगा। आज विज्ञान, गणित, जीव विज्ञान और भाषा के शिक्षकों की, चाहे वह प्राइमरी हो, माध्यमिक हो या उच्च शिक्षा हो, भारी कमी है। मैं कहना चाहूंगा कि इसको भी इसमें समायोजित करने का काम किया जाए। मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आप सिंचाई की व्यवस्था पर टेल तक नहरों में लाइनिंग बनाकर किसानों को बिजली देने का काम करें। रिजर्व वाटर होगा, टेल तक पानी का अपव्यय नही होगा, भूमि में सीधा पानी जाने का काम होगा। अगर लाइनिंग बनेगी तो बहुत अच्छा होगा। मान्यवर, मैं आपका धन्यवाद करते हुए बजट की चर्चा में इन सब चीजों को समाविष्ट करने की जोरदार मांग करता हूं।

*डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने प्रदेश सरकार के द्वारा प्रस्तुत बजट पर अपने दल की ओर से, अपने क्षेत्र के नागरिकों की ओर से, सम्पूर्ण पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर से अपनी बात रखने का अवसर दिया। हमारी पार्टी के नेता मा0 हुकुम सिंह जी ने जो बातें बजट के ऊपर कही है, मैं अपने आप को पूरी तरह से उनसे सम्बद्ध करते हुए और उनकी बातों को न दोहराते हुए जो मूल चर्चा में कहना चाहता हूं जिसका सीधा सम्बन्ध हमारे मा0 मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी से भी है। उसी क्षेत्र से आप भी आते हैं। अध्यक्ष महोदय, इस बजट को देख करके पूर्वी उत्तर प्रदेश के तकरीबन 7 करोड़ नागरिकों को पीड़ा हुई। उन्हें इस बात का तनिक भी अहसास नहीं है कि एक ऐसी सरकार जो बार-बार, चीख-चीख कर कह रही है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश का विकास नहीं हुआ, वह कह रही है कि प्रदेश के विकास के लिए प्रदेश को 4 टुकड़ों में बांट देना चाहिए। मुख्य मंत्री जी पत्र लिख रही है। जैसा कि मा0 मुख्य मंत्री जी ने स्वयं कहा कि उन्होंने केन्द्र सरकार को एक चिट्ठी लिखी है और पूर्वी उत्तर प्रदेश का समुचित विकास हो सके इसके लिए विशेष पैकेज की मांग की है। मैंने उनकी सारी चिट्ठियों को और जो मांग की है उन सबको पढ़ा।

अच्छा लगता है कि कोई प्रदेश के मुख्य मंत्री अपने क्षेत्र के समग्र विकास की चिन्ता करें और यह अहसास करें कि उसका एक क्षेत्र है पूर्वी उत्तर प्रदेश और जहां 7 करोड़ रहते हैं उसका विकास होना चाहिए और इसके लिए केन्द्र सरकार से मांगें हैं, लेकिन हम लोग यह मानते हैं कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, पूर्वी उत्तर प्रदेश की समस्याओं को जानती है, जिसे अहसास है, पूर्वी उत्तर प्रदेश के नागरिकों की पीड़ा का, वह जब अवसर आयेगा तो नागरिकों की पीड़ा पर मलहम लगाने का काम करेगी। जब अवसर आयेगा तो उनके घाव को कुरेदने की जगह पर उन्हें जख्म से दूर करने के लिए दवायें लगाने का काम करेगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश के वे नागरिक जो भूखी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

अंतड़ियों को लेकर भूख से मरते हैं। मा0 मंत्री जी कुशीनगर के हैं, अच्छी तरह जानते हैं कुशीनगर में तो एक परम्परा सी बनी है भूख से मौतों की तो हमें लगता था कि जब यह सरकार इन भूख से मौतों की पीड़ा का अहसास करेगी तो यह सुनिश्चित करेगी कि हम पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए इतना कुछ करें, जिससे ये भूख की मौतें बंद होने लगे। कोई और सरकार होती तो मैं मान लेता, यह एक ऐसी सरकार है, जो एक ऐसे व्यक्ति का रोज नाम लेती है, एक महापुरुष का नाम लेती है। हम उसे ईश्वर के रूप में मानते हैं, इतिहास इस बात का गवाह है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की इसी पीड़ा को देखकर के, इसी भुखमरी को देखकर के, भूखे मरने वाले लोगों को देखकर के सिद्धार्थ नाम के एक नौजवान ने अपनी राजशाही छोड़ दी। सत्ता त्याग दी थी, जंगलों में निकल पड़े थे और दुनिया ने उन्हें भगवान बुद्ध के रूप में मान्यता दी। बड़ा अजीब सा लगता है आप दिन भर उनके नाम की माला जपते हो और उनके ही चलाये रास्तों का अनुसरण नहीं करते। मैं नहीं कहता हूं सत्ता छोड़ो, छोड़ना भी आसान नहीं होता और वस्तुतः छोड़ना भी नहीं चाहिए। सत्ता आपको मिली है, जो पीड़ा भगवान बुद्ध की थी उस पीड़ा को आज भी उनके जमाने से लेकर आज तक पूर्वी उत्तर प्रदेश कराह रहा है। तुम्हें अवसर मिला है उनके विचारों पर राज करने की बात करते हो। पूर्वी उत्तर प्रदेश की उस पीड़ा को दूर करने का काम हुआ होता, यही हुआ होता तो बहुत होता मैं यहां जब खड़ा हूं तो भले ही विधायक मैं गोरखपुर का हूंगा और भारतीय जनता पार्टी का हूंगा, लेकिन मैं जानता हूं जो उस ओर भी बैठे हुए लोग होंगे अधिष्टाता महोदय आप स्वयं उन्हीं क्षेत्रों से आते हैं। सबके मन में एक सामान्य पीड़ा है हम कह पाते हैं कुछ लोग अंदर-अंदर तरसते हैं कहने के लिए और वह हमसे अधिक दुखी होते हैं क्योंकि वह अपने दुख का व्यक्तिकरण नहीं कर पाते। बजट प्रस्तुत हो रहा था तो मैं उन चेहरों को जो उधर बैठे हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश से सम्बन्धित हैं, मैं देख रहा था कि कितने आशान्वित थे कि शायद उनके प्रदेश के लिए कुछ होगा लेकिन कुछ हुआ नहीं, जब मैं यहा हूं तो मैं किसी और क्षेत्र को दिये जाने वाले धन का विरोध करने के लिए भी नहीं हैं। गरीब कहीं हो अपने देश का गरीब होता है। भूख से कोई मरे अपने देश का नागरिक मरता है। आप अगर अपने क्षेत्र को धन देते हो। हमें खुशी होगी। हम चाहेंगे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश का विकास होता है। साथ में बुन्देलखण्ड का भी विकास होना भी चाहिए, क्योंकि यह दो हिस्से हैं, जो वस्तुतः पूरे प्रदेश में सबसे अधिक पिछड़े हैं, लेकिन अध्यक्ष महोदय, प्रश्न दूसरा है, बुन्देलखण्ड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के आंकड़े स्वयं इसी सरकार ने दिये हैं। मैं इसी सरकार के दिये हुए आंकड़ों को इस सदन के संज्ञान में लाना चाहूंगा। स्वयं इसी सरकार को वह आइना दिखाना चाहूंगा जो उसने पूरे प्रदेश में बांटा है और पूछना चाहूंगा अगर तुम नहीं जानते, अज्ञानता क्षम्य होता है, जानते हो, छापते हो, लिखते हो, बांटते हो, चाहते हो दूसरे पढ़े खुद नहीं पढ़ते क्यों किस कारण से ? कौन सा दबाव क्यों पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ ये अन्याय हो रहा है। इसलिए अध्यक्ष महोदय मैं कुछ सीमित आंकड़ों को आपके सामने रखना चाहूंगा, विकास का सबसे बड़ा पैमाना अधिष्ठाता महोदय, शहरीकरण होता है। माननीय मौर्या जी बहुत बेहतर तरीके से जानते होंगे। मौर्या जी और दद्दू जी स्वयं मुकाबला कर लें कि इन दोनों में कौन प्रभावी है। एक क्या पा रहा है और दूसरा पूर्वी उत्तर प्रदेश को क्या दिलवा नहीं पा रहा है ? पूर्वी उत्तर प्रदेश का शहरीकरण 11 परसेन्ट है।

बुन्देलखण्ड का शहरीकरण 22.46 प्रतिशत है और शहरीकरण दुनिया के सारे अर्थशास्त्री मानते हैं आर्थिक विकास का एक पैमाना होता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में एलोपैथिक हास्पिटलों की संख्या प्रति लाख जनसंख्या पर मैं आपके छपे हुए आंकड़ों को पढ़ रहा हूं, प्रति लाख जनसंख्या पर 3.18, बुन्देलखण्ड में एलोपैथिक हास्पिटलों की संख्या प्रति लाख जनसंख्या पर 5.461 पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रति लाख जनसंख्या पर 36 बिस्तरें हैं पर बुन्देलखण्ड के अन्दर प्रति लाख जनसंख्या पर 57 बिस्तरें। पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रति लाख जनसंख्या पर 1.77 पी0एच0सी0 है बुन्देलखण्ड में प्रति लाख जनंसख्या पर 2.86 पी0एच0सी0 है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रति लाख जनसंख्या पर 11 सब सेन्टर हैं बुन्देलखण्ड में प्रति लाख जनसंख्या पर 16.69 सब सेन्टर हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति 118 कि0 वाट विद्युत का उपभोग करता है बुन्देलखण्ड में प्रति व्यक्ति 152 कि0 वाट का उपभोग करता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के 83 प्रतिशत गांव विद्युतीकृत हैं बुन्देलखण्ड के 95 प्रतिशत गांव विद्युतीकृत हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश की साक्षरता सिर्फ 54 प्रतिशत है। बुन्देलखण्ड की साक्षरता 59 प्रतिशत है। स्त्री साक्षरता पूर्वी उत्तर प्रदेश में 39 प्रतिशत है बुन्देलखण्ड में स्त्री साक्षरता 43 प्रतिशत है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक लाख की जनसंख्या पर जूनियर विद्यालय की संख्या 71 है बुन्देलखण्ड में लाख की जनसंख्या पर जूनियर विद्यालय की संख्या 104 है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में सीनियर बेसिक स्कूल एक लाख की जनसंख्या पर 26 है बुन्देलखण्ड में सीनियर बेसिक स्कूलों की संख्या एक लाख की जनसंख्या पर 43 है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में टीचर छात्रों का रेशियो जूनियर स्कूलों में 87 है बुन्देलखण्ड में यह रेशियो 80 है। सीनियर स्कूलों में टीचर छात्र का रेशियो पूर्वी उत्तर प्रदेश में 75 है बुन्देलखण्ड में टीचर छात्र का रेशियो 40 है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 9494 है बुन्देलखण्ड में प्रति व्यक्ति आय 13,391 रुपये है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में सी0 डी0 रेशियो 29 प्रतिशत है बुन्देलखण्ड में सी0 डी0 रेशियो 54 प्रतिशत है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में फसल बुआई प्रति व्यक्ति .09 हेक्टेयर है बुन्देलखण्ड में प्रति व्यक्ति फसल बुआई .31 हेक्टेयर है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन प्रति व्यक्ति सिर्फ 199 कि0ग्रा0 है बुन्देलखण्ड में प्रति व्यक्ति कृषि उत्पादन 281 कि0ग्रा0 है। इसका फल यह हुआ है कि प्रति व्यक्ति कृषि आय पूर्वी उत्तर प्रदेश में 3761 है जबकि बुन्देलखण्ड में प्रति व्यक्ति कृषि आय 6571 रुपये है। अध्यक्ष महोदय, अगर मैं इसी तरह से आंकड़े देता रहूं तो एक परम्परा चल सकती है। प्रदेश के सर्वाधिक पांच पिछड़े जिले पूर्वी उत्तर प्रदेश में हैं। श्रावस्ती, सन्त कबीर नगर, देवरिया, महराजगंज जिले सर्वाधिक पिछड़े जिले हैं। सबसे धनी पूर्वी उत्तर प्रदेश का जिला वाराणसी है सोनभद्र को मैं गिनता नहीं हूं क्योंकि वहां उद्योग पतियों का विकास हुआ है नागरिकों का विकास नहीं हुआ है। सबसे विकसित जिला वाराणसी है जिसकी जी0डी0पी0 11 हजार के आस-पास है। बुन्देलखण्ड के सात जिले हैं चित्रकूट को छोड़ दीजिए बुन्देलखण्ड के इन जिलों में जी0डी0पी0 पूर्वी उत्तर प्रदेश के सबसे विकसित जिले से ज्यादा है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं यह विषय लेकर आया हूं आपने स्वयं प्रकाशित किया है। ह्यूमन डेवलपमेन्ट इंडेक्स के मामलों में उत्तर प्रदेश में सबसे पिछड़े 16 जिलों में 14 जिले पूर्वांचल के हैं। इस प्रदेश में कुल 389 ब्लाक हैं उसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश के 165 ब्लाक पिछड़े की सीमा में आते हैं। यह अन्याय है मैं इसी को

लेकर आया हूं। बुन्देलखण्ड पूर्वांचल विकास निधि के लिए राशि दी जाती है। बुन्देलखण्ड में प्रति व्यक्ति 138 रुपये दिये जाते हैं। और पूर्वी उत्तर प्रदेश को पूर्वांचल विकास निधि के नाम पर सिर्फ 38 रुपये दिया जाता है। साढ़े तीन गुना प्रति व्यक्ति इन आंकड़ों के बावजूद यह स्पष्ट करते हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश बुन्देलखण्ड के मुकाबले कितना पिछड़ा होगा। पूर्वांचल और बुन्देलखण्ड नीति में भी अन्तर किया जाता है और इतना ही नहीं केन्द्र सरकार की योजना जाती है बी0आर0जी0एफ0। केन्द्र सरकार की इस योजना का आधार है, ग्रामीणों का पिछड़ापन। आप जानते होंगे ग्रामीण विकास मंत्री जी, कृषि के पिछड़ेपन के आधार पर वर्कर को मिलने वाले वेतन के आधार पर और व्यवसायिक कृषि के आधार पर वो तय करते हैं। जिलों की सूची तो बनाते हैं और जिलों को मिलने वाले धन पर आप परिवर्तन कर देते हैं और जिलों के पिछड़ेपन के आधार पर नहीं, जनसंख्या और क्षेत्र के आधार पर धन बांटते हैं अर्थात् बी0आर0जी0एफ0 के केन्द्र सरकार के गाइड लाइन का भी उपयोग न करके आप सुनिश्चित करते हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश को उसका हक न मिले। इसलिये मेरी छोटी सी मांग है, मैं इसी मांग के साथ मैं पूरे बजट पर बोलना नहीं चाहता मैं सिर्फ इसी मांग के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा। यह पार्टी यह नारा देती है कि जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी मैं कहता हूं कि आप इस नारे को व्यवहारिक जीवन में उतार दें। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 40.1 प्रतिशत लोग रहते हैं और बुन्देलखण्ड में 4.96 प्रतिशत लोग रहते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यह संख्या 36 प्रतिशत है और केन्द्रीय उत्तर प्रदेश में 18 प्रतिशत है। मैं कहता हूं कि अगर कुछ नहीं करना चाहते हैं तो आप अपने बजट को पुनर्स्थापित करें। आप शेडयूल कास्ट कम्पोनेन्ट प्लान ....

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, मांग तो रख लेने दीजिये नहीं तो इन बातों को बताने का मतलब क्या रह जायेगा। स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान आप बनाते हैं हम सब उसके समर्थक हैं। आप ट्राइबल कम्पोनेन्ट प्लान बनाते हैं, जेन्डर प्लान बनाते हैं, हम सब उसके समर्थक हैं। इस सदन में हम आपसे मांग करते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश की इस पीड़ा का एहसास करिये। वह मुट्ठियां नहीं बांधते, यह आक्रोश नहीं प्रकट करते, उनके रोये नहीं खड़े होते हैं, वो सड़कों पर आन्दोलन नहीं करते हैं। इसका अर्थ यह मत समझियेगा कि वह कमजोर है और दूसरी चीज जिस नक्सलवाद की बात मैं कर रहा था, उन जिलों की सूची आप मंगाकर देखिये अधिकांश जिले आपको पूर्वी उत्तर प्रदेश के मिलेंगे। इसलिए मैं कहूंगा एस0सी0पी0 की तरह टी0एस0पी0 की तरह आप आर0सी0पी0 योजना शुरू करिये, इस साल नहीं तो अगले साल करिये लेकिन जरूर करिये। रीजनल कम्पोनेन्ट प्लान बनाइये, क्षेत्रों को उनकी जनसंख्या आखिर आप भी तो केन्द्र सरकार से धन लेते हैं। फाइनेंस कमीशन क्या कहता है ? 25 प्रतिशत जनसंख्या के आधार पर 50 प्रतिशत आर्थिक आय में अंतर के आधार पर क्या कहता है गॉडगिल फार्मूला, 50-60 प्रतिशत जनसंख्या के आधार पर और 25 प्रतिशत आर्थिक आय के अंतर के आधार पर। क्या कहती है आपकी सेन्ट्रली स्पोन्सर स्कीम की योजनाएं

और एस0जी0ए0 सब आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जिन आधारों पर आप केन्द्र सरकार से धन लेते हैं, उन्हीं आधारों पर चूंकि आप हर जनपद का डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्लान बनाते हैं उसके अनुरूप मैं नहीं कहता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश को अकेला दे दीजिए। डिस्ट्रिक्ट डोमोस्टिक प्लान के अनुरूप आप सुनिश्चित करिये कि जिसका जितना पिछड़ापन होगा, जिसकी जितनी संख्या होगी उसके हिसाब से आप एक रीजनल कम्पोनेन्ट प्लान बनाइये और इस बजट में नहीं तो अगले बजट में प्रस्तुत करिये। हम पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग उसका खुलकर स्वागत करेंगे, मैं इस बात की इस सदन में गारन्टी ले सकता हूं। धन्यवाद।

डा0 पी0 के0 राय-

धन्यवाद माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे वर्ष 2010-2011 के सामान्य बजट पर चर्चा के लिये बोलने का अवसर दिया। अभी हमारे सम्मानित सदस्य बोल रहे थे और बहुत विद्वान सदस्य हैं। आंकड़े भी उनके पास रहते हैं और कंठस्थ हैं। दलगत भावना से ऊपर उठकर जो पूर्वांचल की बात उन्होंने की और पूर्वांचल का जो चित्रण किया, पूर्वांचल के पिछड़ेपन और वहां की गरीबी का उसमें मैं स्वयं को भी सम्बद्ध करता हूं और उसमें मुझे किसी बात का गुरेज नहीं है। लेकिन वहीं पे मैं किसी भी पूर्वांचल, बुन्देलखण्ड, हरित प्रदेश या मध्यांचल इसकी बात न करते हुए और न ही मैं आंकड़ों के बारे में बहुत ज्यादा ज्ञान रखता हूं न ही उसे मैं यहां दोहरा सकता हूं। इतना जरूर है इस सदन में जहां 18-19 करोड़ की बहबूदी का बजट पेश हुआ हो और इस सदन की कार्यवाही के प्रति हमारे सम्मानित सदस्यों में अनिच्छा व्याप्त होती जा रही हो, अरुचि उत्पन्न होती जा रही हो यह कहीं न कहीं इस बात का संकेत देता है कि इन लोकतांत्रिक संस्थाओं के ऊपर से हमारा विश्वास धीरे-धीरे हटता जा रहा है, इसमें विश्वास कम होता जा रहा है और शायद यह बात भी घर करती जा रही है कि यहां पर बोलने का और कहने का और कुछ चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है यह सारा बेमर्सरफ है। अधिष्ठाता जी, समय आपने कितना दिया है?

श्री अधिष्ठाता-

दो-दो मिनट माननीय सदस्यो के लिए आवंटित किया गया है। आप अपनी बात कह लें, संक्षिप्त में कह लें।

डा0 पी0के0 राय-

मान्यवर, पीठ के ऊपर मैं आक्षेप नहीं लगा सकता हूं लेकिन मेरी निगाह घड़ी के ऊपर थी। मेरे मित्र आर0एम0डी0 अग्रवाल साहब को आपने 15 मिनट समय दिया, उसके पहले आपने तोमर जी को दस मिनट दिया और मुझसे क्या नाराजगी है जो आप मुझे दो मिनट देना चाहते हैं।

श्री अधिष्ठाता-

तीन मिनट आपका भी हो चुका है।

डा0 पी0के0 राय-

मैं लाल बत्ती से बड़ा डरता हूं। आप लाल बत्ती जला देंगे तो मेरी बोली बन्द हो जाएगी।

श्री अधिष्ठाता-

आपको तो पहले से लाल बत्ती मिली हुई है आप बजट पर आएं।

डा0 पी0के0 राय-

माननीय अधिष्ठाता जी, जिस सदन में न नेता सदन हैं न पीठ पर माननीय अध्यक्ष जी हैं, नेता प्रतिपक्ष भी नहीं हैं, जब नहीं हैं तो स्वीकार करना पड़ेगा और जिस सदन में माननीय मंत्री लोग की संख्या भी नगण्य के बराबर है और जो इस प्रदेश के असली मालिक हैं जो ब्युरोक्रेट्स हैं, जिनके सामने हमारे माननीय सदस्य कुछ बोलते, कुछ कहते, कुछ अपने क्षेत्र की समस्या के बारे में बात उठाते तो शायद वह उसका संज्ञान लेकर के कोई न कोई कार्यवाही करते। पूर्वांचल की बात हो रही थी हमारे यहां कहा जाता है कापर करूं श्रृंगार, पिया मोरा ना, तो मान्यवर, किसको सुनाया जाए किसके सामने बोला जाए, किसके सामने अपनी पीड़ा का इजहार किया जाए, जहां तक आपके यह बजट के आंकड़े हैं मुझे याद आ रहा है माननीय मंत्री जी का चौथा कार्यकाल है यह और इस चौथे कार्यकाल का चौथा वित्तीय बजट केवल एक वित्तीय बजट बचा हुआ है 2011-12 का, चौथा वित्तीय बजट प्रस्तुत किया जा रहा है इस सदन में, तीसरे कार्यकाल में 2003-04 का जो कार्यकाल था 9 अगस्त को, जो क्रान्ति दिवस के नाम से जाना जाता है उस दिन जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने बोला था उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित किया था। उसके पांच वर्षों के बाद जब 2007-2008 में जब यहां पर सम्बोधन किया गया उनके पन्नों को पलट कर देखें आप तो आजादी के डेढ़ सौ वर्षों के बाद भी मुल्क को आजाद कराने वाले अपनी जिन्दगियों को कुर्बान कराने वाले, उन महान विभूतियों का नाम, उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का नाम लेने का काम नहीं किया गया। उस वक्त यह कहा गया कि समता मूलक समाज का सपना मैं उनके नाम पर कोई प्रश्नचिन्ह नहीं लगाना चाहता हूं जिन लोगों के भी नाम लिये गये, सन्तों के, गुरुओं के, महापुरुषों के, लेकिन निश्चित तौर से उसी के साथ-साथ उन लोगों का भी नाम लिया जाना चाहिए था।

11वीं पंचवर्षीय योजना के जो लक्ष्य निर्धारित हुए हैं, उस 11वीं पंचवर्षीय योजना का पहला वर्ष, वित्तीय वर्ष 2007-08 के बजट भाषण में यह कहा गया कि लक्ष्य जो निर्धारित हुए हैं, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किसान की आय दोगुना करने के लिए, गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों की संख्या आधी करने के लिए हमें विकास दर 10 ले जाना पड़ेगा और उसे ले जाने के लिए आठ लाख करोड़ रुपये के निवेश की आवश्यकता होगी और एक मध्यममार्गी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नीति निर्धारित की गई और उसको अंगीकार किया गया, छः लाख करोड़ रुपया प्राइवेट सेक्टर से और 2 लाख करोड़ पब्लिक सेक्टर से। मैं यह आंकड़े इसलिए दोहराना चाहता हूं कि आज जब हम खड़े हैं तो हमें जानने की जिज्ञासा है, इच्छा है और जानने का हक भी है कि जो लक्ष्य हमने निर्धारित किए थे, उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में हम कितने कदम आगे बढ़े हैं। कुछ जो आंकड़े हैं, मैं बहुत आंकड़ों की बात नहीं करूंगा, लेकिन 2007-08 में मा0 मुख्य मंत्री जी ने जो बजट भाषण दिया था और उसमें स्वीकार किया था कि उस वर्ष घाटा 1202.12 करोड़ था। घाटा 1202.12 करोड़ और सकल घरेलू उत्पाद जो आंका

गया था, वह पिछले 10 वर्षों में सबसे कम, वित्तीय वर्ष 2006-07, जो चीज हैं, मा0 अधिष्ठाता जी, उसे स्वीकार करना चाहिए, 3.1 प्रतिशत, यह आपके ही आंकड़े हैं, सकल घरेलू उत्पाद का घाटा आंकलित किया गया जो न्यूनतम था। यह प्लानिंग कमीशन की रिकमेन्डेशन है कि 3 प्रतिशत से ज्यादा अगर घाटा होगा तो भारत सरकार अनुदान देने पर पुनर्विचार करेगी, कई बार बातें आई हैं और जो 2006-07 में प्रदेश के ऊपर कर्ज था, कर्ज था एक लाख सैंतीस हजार नौ सौ चौदह करोड़ रुपया और आज जब हम खड़े हैं, वर्ष 2010-11 का ले करके उस समय कर्जा है, एक लाख अट्ठान्नवें हजार तेरह करोड़ रुपया, यह कर्ज इस वित्तीय वर्ष का अनुमानित है। हम बजट प्रस्तुत करने जा रहे हैं, आमदनी हमने बढ़ाई नहीं और खर्चे हमारे बढ़ते गए। आप देखिये 2007-08 का बजट, 2007-08 के बजट में जब हमने आपको यह हुकूमत सौंपी है या जनता ने जब हुकूमत आपको यह हुकूमत दी है, हमारे हाथों से ले करके, उस समय के आंकड़ों को देखिए तो आपने हर क्षेत्र में इजाफा किया है, आपने बजट में इजाफा किया 22 प्रतिशत, आपने लोक निर्माण विभाग में इजाफा किया, मा0 ऊर्जा मंत्री जी बैठे हैं, सम्भव 10 हजार करोड़ रुपये के आसपास, दो गुना, जो 2006-07 का था, उसका दोगुना उसमें आपने किया, चिकित्सा के क्षेत्र में 65 प्रतिशत का इजाफा किया गया, इस तरीके से जितनी भी अवस्थापना मदें थीं, सारी अवस्थापना मदों में आपने इजाफा किया है और क्या वजह है कि जब आप राज्य पाते हैं, वर्ष 2006-07 में, हमसे आप इजाफा करते हैं और जब आप 11वीं पंचवर्षीय योजना के चौथे वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, उस समय आपका इन सारी अवस्थापना सुविधाओं के ऊपर जो निवेश होना चाहिए था, जो बजट का आवंटन होना चाहिए था, उसको आपने घटाने का काम किया है। कर्ज बढ़ गया 50 हजार करोड़, वह कहते हैं न कि "आमदनी अट्ठन्नी और खर्चा रुपया", वही वाला हाल है। गालिब साहब की यह लोग शेरो शायरी किया करते हैं, लेकिन यह देखकर जो स्थिति है यही ख्याल आ रहा है कि कर्ज की खाते थे गालिब और सोचते थे एक दिन रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। इस साल के बजट में जो कटौती की गयी है, आपका बजट का आकार बढ़ता जा रहा है। आप 19 प्रतिशत बढ़ा रहे हैं आप 22 प्रतिशत बढ़ा रहे हैं इस साल आपने 14 प्रतिशत बढ़ाना है और एक लाख 53 हजार करोड़ रुपये का आपका बजट है और फिर भी उसके बाद भी प्राथमिकताओं में माननीय अधिष्ठाता जी, मेरा निश्चित तौर पर मत है कि प्राथमिकताओं में दिखाने के लिए कुछ और है और हकीकत में कुछ और है। भोजपुरी में कहते हैं कि हाथी के हुकुमत नियर जात दू गो चाबाए के धूत दूसर दिखावे के दूसर। लगता है कि वर्तमान शासनकाल में आपका जो एजेण्डा रहा है वह एजेण्डा पूरा हो चुका है। इसलिए जिन बातों पर सबसे ज्यादा चर्चा यहां पर हुआ करती थी उसके ऊपर मात्र टोकन मनी का एलाटमेंट एक-एक हजार रुपया हुआ है और जो हिडेन एजेण्डा है उस हिडेन में आवास विकास परिषद् के पार्कों के लिए 339 करोड़ रुपया आवंटन हुआ है यह आवास विकास परिषद् के कौन से पार्क हैं। जब इतने दिनों तक खुलकर मोहब्बत किया तो इस बार भी खुलकर आना चाहिए था।

इस बजट में जो चीज अच्छी है, मुख्य मंत्री महामाया आर्थिक गरीब जो सहयोग योजना है, अच्छी चीज है, लड़कियों को देने की जो योजना है वह भी अच्छी है लेकिन सवाल इस बात

का है कि यह सारी चीजें कहीं न कहीं हमारी लाचारी और हमारी वित्तीय जर्जर स्थिति को दर्शाती हैं। जहां पर इतना कर्ज हो। मान्यवर, कर्ज आपके सकल घरेलू उत्पाद का 40 प्रतिशत है और सालाना किस्त जो आप दे रहे हैं वह 19 हजार 190 करोड़ रुपया, जो आपकी वार्षिक योजना 45 हजार 645 करोड़ का आधा है। जो कि इंटरेस्ट में चला जा रहा है। इसलिए यह जो बजट है इससे गांव, गरीब, किसान, नौजवान का कल्याण नहीं होने वाला है। आपने सिंचाई की बात की। मान्यवर, हम पूर्वांचल से आते हैं। मान्यवर, सिंचाई के बारे में पूर्वी उत्तर प्रदेश की मेरूदण्ड अगर है तो वह है मुख्य पश्चिमी गण्डक कैनाल। मुख्य पश्चिमी गण्डक कैनाल नेपाल से निकलती है जिसका 18 किमी0 का एरिया नेपाल में है, बाल्मिकी नगर बैराज के पास और 18 किमी0 के बाद वह नहर हमारे उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से गुजरकर 100 किमी0 का फासला हमारे उत्तर प्रदेश में तय करती है। और उसके बाद बिहार जाती है और उस नहर में जितनी क्षमता है उस क्षमता का 40 प्रतिशत पानी भी शायद नहीं जा पा रहा है। सिल्ट से पटी हुयी है। पटरियां क्षतिग्रस्त हैं। सारी शाखाओं में पानी नहीं जा रहा है। सिंचाई का इंतजाम नहीं करेंगें, खाद् का इंतजाम नहीं करेंगे, बीज का इंतजाम नहीं करेंगे और दंभ भरेंगे कि हम किसान की आमदनी को दुगुना करेंगे। तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बजट का न कोई सपना है न इस बजट में किसी गरीब के कल्याण का कोई संकल्प है। परिवर्तन खाली चौक बना देने से नहीं हो जाएगा। समतामूलक समाज स्थापित करने के लिए जो समाज में सबसे आखिरी पायदान पर खड़ा हुआ इंसान है उसके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं है। यह बहुत ही निराशाजनक बजट है। इन्हीं शब्दों के साथ माननीय अधिष्ठाता जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री नितिन अग्रवाल-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बजट 2010-2011 की आम चर्चा पर बोलने का मौका दिया, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे पहली बार इस सदन में बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा दिशा निर्देशन में वित्त मंत्री जी द्वारा जो बजट पेश किया गया है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि मान्यवर, यह बजट नहीं, गरीबों की सहायता के लिये सरकार का गजट है। मान्यवर, अगर मैं इस बजट के एक-एक बिन्दु को उठाऊं तो शायद दो दिन लग जायेंगे, मुझे बोलते हुये लेकिन चूंकि मैं नया सदस्य हूं और मुझे पता है कि मुझे इतना वक्त नहीं दिया जायेगा तो मैं कुछ प्रमुख बिन्दुओं पर प्रकाश डालना चाहता हूं। मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा उनके जन्मदिन के अवसर पर जो सबसे महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण योजना प्रारंभ की गयी इस वर्ष जिसका नाम उत्तर प्रदेश महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना। मान्यवर, हम सब ग्रामीण क्षेत्र से चुनकार आते हैं, यहां सदस्य जितने भी बैठे हैं ज्यादातर सदस्य ग्रामीण क्षेत्रों से चुनकर आते हैं और इस प्रदेश की 18 करोड़ की जनसंख्या, जिसमें ऐसे बहुत से लोग हैं जो गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन यापन कर रहे हैं।

मान्यवर, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको विकास की मुख्य धारा से जुड़ने का अवसर नहीं मिला। माननीय मुख्य मंत्री जी की सोच है कि ऐसे व्यक्तियों को मुख्यधारा से जोड़ना चाहिए, उन्होंने एक योजना बनायी कि हमारी सरकार ऐसे एक करोड़ परिवारों का उत्तर प्रदेश को मुख्य धारा से जोड़ेगी। यह काम तीन फेजेज में किया जावेगा, सबसे पहले फेज में ऐसे 30 लाख परिवारों को लिया जायेगा, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं और जिनका नाम बीपीएल की सूची में नहीं है। हम जानते है कि 2002 में जो बीपीएल की सूची प्रकाशित हुयी, उसमें ऐसे बहुत से नाम छूट गये, जो वाकई पात्र थे और उनके नाम उस सूची में नहीं लिये गये। जब माननीय मुख्य मंत्री जी के संज्ञान में यह बात लायी गयी तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह एक्स्ट्रा आर्डिनरी डिसीजन लेकर आज उत्तर प्रदेश की जनता को धन्य कर दिया कि उनकी सरकार ने आज पहले फेज में 30 लाख परिवारों को एक ऐसी मदद योजना देने की घोषणा करी जिसमें हर 6 महीने में उनको, उस परिवार की महिला प्रमुख को उसके खाते में 1800 रुपये दिये जायेंगे जो साल में 3600 रुपये होंगे, मान्यवर, ऐसी ही एक दूसरी योजना जो सावित्रीबाई फूले बालिका मदद शिक्षा योजना है। मान्यवर, मुख्य मंत्री जी का सोचना है कि गरीब परिवार की बेटी को हम शिक्षित कर देंगे तो जब आगे जाकर वह मां बनेगी तो वह अपने पूरे परिवार को विकास की मुख्य धारा से जोड़ सकती है और बहुत मदद मिल सकती है। आज उन्होंने पहली बार उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली सरकार में माननीय मुख्य मंत्री जी ने 3 लाख छात्राओं को लाभान्वित करने के लिये, जो क्लास 11 में आएंगी शिक्षा लेने के लिये उन्हें 15000 रुपये और एक साइकिल और जो 12 क्लास में शिक्षा लेने के लिये पहुंचेगी उनको 10000 रुपये देने की घोषणा करी। माननीया मुख्य मंत्री जी ने उन बालिकाओं का प्रोत्साहन किया है। हमारा दल और मैं माननीया मुख्य मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहते हैं। मान्यवर, केन्द्र की एक रिपोर्ट है जो बहुत पुरानी रिपोर्ट है और जिसमें कहा गया कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, 18 करोड़ की जनसंख्या है और लॉ एण्ड ऑर्डर के मामले में बहुत सेंसिटिव प्रदेश है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने जब 13 मई, 2007 को इस प्रदेश की मुख्य मंत्री की शपथ ली थी तो उन्होंने अपनी पहली प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि मेरी सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता यह होगी कि उत्तर प्रदेश की बिगड़ी हुई लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन को संभालूं, ठीक करूं। आज उन्होंने अपना तीन साल, पौने तीन साल के शासन में यह करके दिखाया है और जैसे कि माननीय वित्त मंत्री जी ने, संसदीय कार्य मंत्री जी ने यहां पर आंकड़े भी प्रस्तुत करे हैं कितनी तेजी से लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन सुधरी है। मान्यवर, कितनी तेजी से हर चीज पर कंट्रोल किया गया है। चाहे लूटपाट या हत्याओं की घटनायें हों, सब पर कंट्रोल करने का काम किया गया है। इसके लिए हम लोग माननीय मुख्य मंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। मान्यवर, एक महत्वपूर्ण योजना माननीय मुख्य मंत्री जी ने शुरू की है वह है महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना।

मान्यवर, देहात क्षेत्र में जो गरीब लोग रहते हैं उनकी यह सोच है कि जिस परिवार में बेटी जन्म लेती है उस परिवार के लोगों को चिन्ता हो जाती है कि उसका पालन पोषण कैसे होगा, जब वह 18 वर्ष की होगी तो उसकी शादी कैसे होगी। उसके लिए अच्छा पति अच्छा घर कैसे

मिलेगा। इस पीड़ा को वही महसूस कर सकता है जिसने उस पीड़ा को खुद महसूस किया हो। माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक गरीब परिवार में जन्म लेने के सफर से लेकर माननीय मुख्य मंत्री के पद पर पदारुढ़ होने का सफर तय किया है और गरीब परिवारों की पीड़ा को समझा है। इसीलिए उन्होंने यह डिसीजन लिया कि जो गरीब परिवारों में लड़कियां जन्म लेती हैं उनके पक्ष में उनके खाते में इतना धन जमा हो जाय कि जब वह 18 साल की हो तो उसे एकमुश्त एक लाख रु0 मिल जाये। यह उनकी अच्छी सोच है। इससे उसके परिवार को एक सुकुन मिलेगा। इसी तरह से यह कहना चाहता हूं कि आज माननीय मुख्य मंत्री जी की शासन व्यवस्था को जनता ने भी मुहर लगायी है। वह इससे स्पष्ट है कि अभी हाल ही में सम्पन्न हुए एमएलसी के चुनावों में बड़ी संख्या में हमारी पार्टी के उम्मीदवार विजयी हुए हैं। उन चुनावों ने जनता ने बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवारों को अभूतपूर्व जीत दिलवायी है। वैसे तो हम मान्यवर, पक्ष में है और उधर के लोग विपक्ष में है हमारे उनके बीच कुछ पालिटिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं और होने भी चाहिये लेकिन जो अच्छे डिसीजन हैं सरकार के उसके प्रति उनको आभार भी व्यक्त करना चाहिए। यह डिसीजन प्रदेश की प्रगति के लिये किये गये हैं। जैसा अभी माननीय पीके राय जी ने कहा कि यह जो उत्तर प्रदेश महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना है वह अच्छी योजना है वह चाहते हैं कि इसमें सभी 403 विधान सभा क्षेत्रों की बालिकाओं का चयन किया जाय। मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं।

श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ला-

मान्यवर, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने मुझे आय व्ययक की साधारण चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया। मैं इस पर विपक्ष के द्वारा रखे गये प्रस्तावों का समर्थन करते हुए अपनी बात कहने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, मैं तो पूर्वांचल के जिले सिद्धार्थनगर का सदस्य हूं और मेरा क्षेत्र नेपाल की सीमा से लगा हुआ क्षेत्र है। यहां इतनी समस्या है कि उनका कोई समाधान नहीं है। मैंने पूर्वांचल के विषय में इसमें पढ़ा कुछ भी उल्लेख नहीं है कि पूर्वांचल के विकास के लिये कुछ किया जायेगा। मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहता हूं कि भगवान बुद्ध ने अपने जीवन के 25 साल कपिलवस्तु मे बिताये। वहां पर कपिलवस्तु विकास प्राधिकरण बने कई वर्ष हो गये हैं लेकिन उसकी एक भी बैठक आज तक नहीं हुई है। वहां पर कपिलवस्तु के विकास के लिये कुछ भी नहीं किया गया है। मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री बैठे मुस्करा रहे है यह जानते भी है कि 22 मई, 1997 को मान्यवर, कांशीराम जी के साथ माननीय मुख्य मंत्री वहां गयी थीं और कई योजनाओं का शिलान्यास किया था। लेकिन एक को छोड़कर सब की सब बेकार पड़ी हुई हैं। हवाईपट्टी बेकार पड़ी हुई है। इसी तरह से वहां लुम्बनी है वहां भी विकास नहीं है। मान्यवर, वहां पर श्रीलंका, जावा आदि देशों से विदेशी पर्यटक आते है लेकिन वह रात्रि में रूकते नहीं है। मान्यवर, कपिलवस्तु से कुशीनगर, कपिलवस्तु से श्रावस्ती और कपिलवस्तु से वाराणसी के लिये कोई भी सीधी रेल सेवा या बस सेवा नही है।

मान्यवर, हमारे यहां से लाखों लोग बम्बई, हैदराबाद आदि जगहों पर रोजगार के लिये गये है इसलिए कि मेरे जनपद में कोई भी मिल नही है कोई भी उद्योग धन्धा नहीं है और इस

बजट में भी उसका कोई उल्लेख नहीं है। बिजली की समस्या वहां बहुत बड़ी है। दिन में चार घंटे और रात में चार घंटे बिजली आती है। बजट में कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं की गयी है कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत गांव टोले और पुरवे जो शेष बचे हुए हैं कि उनका विद्युतीकरण हो सके। कब तक उनका विद्युतीकरण किया जायेगा इस विषय में भी कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इसी तरह से मेरे जनपद में एक भी राजकीय इण्टर कालेज नहीं है और न ही राजकीय डिग्री कालेज है और न ही शिक्षा की कोई समुचित व्यवस्था की गयी है। न ही इस बजट में सरकार ने मेरे जनपद के लोगों को कोई तोहफा दिया है जिसके प्रति हम सरकार को धन्यवाद दे सके। मान्यवर, मैं यह बताना चाहता हूं कि मेरे जनपद में 22 नदियां हैं जो नेपाल से निकलकर सरयू में मिलती हैं। वह ऐसा जनपद है जो दो ढाई महीने बाढ़ से प्रभावित रहता है। वहां की बाढ़ के स्थायी समाधान के लिए इसमें कुछ भी नहीं है। इसी तरह से अगर कुछ समय पानी नहीं गिरता है तो सूखे से प्रभावित हो जाता है। मान्यवर, हमारे यहां एक काला नमक नाम का धान पैदा होता है अगर वह किसी कमरे में रख दिया जाय तो पूरा कक्ष महक उठता है। वह धान वहां पर धीरे-धीरे समाप्त होता जा रहा है। उसके सम्बन्ध में वहां पर एक काला नमक रिसर्च इंस्टीट्यूट खोलने की बात थी। मान्यवर, वह रिसर्च इंस्टीट्यूट सिद्धार्थनगर में खोलने की कोई घोषणा इस बजट में नहीं है। मान्यवर, हमारे यहां बानगंगा नहरें और सरयू नहरों की स्थिति यह है कि नहरें सिल्ट से पटी हुयी हैं टेल तक पानी नहीं पहुंच पाता है। उस सम्बन्ध में कोई ध्यान आकृष्ट नहीं किया गया है। मान्यवर, मेरा जनपद ऐसा जनपद है जहां नगरपालिका परिषद् की सीमा में कलेक्ट्रेट भवन नहीं है जिला जज नहीं है और न सरकारी कार्यालय हैं। सब गांव में बसते हैं। मान्यवर, मैं संक्षिप्त कर रहा हूं। मेरा कहना है कि इस बजट में सिद्धार्थनगर और कपिलवस्तु के विकास के लिये कुछ भी नहीं कहा गया है। किसी क्षेत्र के विकास के लिये भले ही इस बजट में कुछ हो लेकिन पूर्वांचल के विकास के लिये कुछ नहीं कहा गया है। मान्यवर, जब तक पूर्वांचल राज्य की अलग से स्थापना नहीं होगी तब तक पूर्वांचल का विकास बिल्कुल नहीं हो पायेगा। इस बजट में यह बिल्कुल नहीं कहा गया कि उसकी स्थापना कब की जायेगी। इसका विकास कब किया जायेगा। इस तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए बजट का विरोध करना चाहता हूं।

ऊर्जा मंत्री (श्री रामवीर उपाध्याय)-

मान्यवर, माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट यहां पर प्रस्तुत किया है उसके समर्थन में आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके प्रति मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं।

मान्यवर, कल मेरी प्रदेश के अधिकारियों के साथ बैठक थी इसलिए थोड़ी देर के लिये शक्ति भवन चला गया था। मेरे पीछे श्री हुकुम सिंह जी ने और माननीय नेता विरोधी दल ने बिजली के बारे में काफी कहा। मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जब 2009-10 का बजट प्रस्तुत किया था तो उन्होंने बिजली के बारे में कहा था। उस समय ऊर्जा मंत्री जी ने यह कहा था कि 10 हजार मेगावाट के पॉवरहाउस इसी पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश में लगाये जायेंगे लेकिन कहीं भी कार्य होते दिखायी नहीं दे रहा और बिजली के उत्पादन में कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई यह

उन्होंने कल भाषण में कहा उसकी प्रति मेरे पास है। इसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी कहा कि 6 हजार मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है अगर 10 हजार हो जायेगा तो निश्चित रूप से हम दूसरे प्रदेशों को बिजली देने लगेंगे। इसी तरह से नेता विरोधी दल ने भी अपने भाषण में यह कहा कि हमने जो योजनाएं शुरू की थीं उन पर अभी कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपके माध्यम से मैं सम्मानित सदन को बताना चाहता हूं कि 1947 से लेकर अब तक हमारा उत्पादन मात्र 65 सौ मेगावाट के करीब है, जिसमें से करीब 25 सौ मेगावाट थर्मल पॉवरहाउस से पैदा होती है, करीब 33 सौ से लेकर 35 सौ मेगावाद हमें सेन्ट्रल सेक्शन से मिलती है, 450 मेगावाट बिजली मिलती है को-जेनरेशन से और बाकी हमें जल विद्युत विभाग बिजली मिलती है। इस तरह से हमारा मात्र उत्पादन 65 सौ मेगावाट के करीब है और हम इस वर्तमान समय में करीब 8 हजार मेगावाट बिजली प्रदेश को दे रहे हैं और लगभग 1 हजार से लेकर डेढ़ हजार तक हम ओवर-ड्रा भी करते रहते हैं। मान्यवर, नेता विरोधी दल बता रहे थे कि हम बिजली अच्छी दे रहे थे जैसा कि उन्होंने अपने भाषण में कहा है। मैं आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि 2006 में अधिकतम बिजली 147 मिलियन यूनिट उत्तर प्रदेश को दी गयी और आज हम 190 मिलियन यूनिट से लेकर 200 मिलियन यूनिट बिजली प्रदेश को दे रहे हैं। आज जो समस्या है जो बहुत बड़ी समस्या बिजली की है, मैं पिछले 13 वर्ष से इस सदन में आ रहा हूं, बहुत सारा समय मुझे उधर भी बैठने को मिला है और इधर भी बैठने को मिला है, मान्यवर, जब भी सदन चला किसी न किसी नियम में इस सदन में चर्चा हुई और मा0 सदस्य एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप करते रहे कि बिजली का उत्पादन नहीं किया गया, कोई कार्ययोजना नहीं बनायी गयी, ब्रिजली का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकारें काम नही कर रहीं, यह तमाम आरोप एक-दूसरे पर लगाते रहे। मान्यवर, 1989 में 1 हजार मेगावाट का अनपरा-बी पॉवरहाउस का शिलान्यास हुआ था जिसका कमीशन 1992 और 1994 में हुआ। मैं बताना चाहता हूं सदन को कि 1989 के बाद अगर कोई परियोजना इस प्रदेश में चालू हुई है तो वह 420 मेगावाट की पारीछा है। मुझे याद है 30-11-2002 को मा0 बहन जी ने पारीछा का जनपद झांसी में शिलान्यास किया था जब तीसरी बार बहन जी मुख्य मंत्री बनी थीं और जब आदरणीय बहन जी चौथी बार मुख्य मंत्री बनीं तो 30-11-2007 को उन्होंने उसका लोकापर्ण किया था, इससे हमको करीब 400 मेगावाट बिजली मिल रही है। इस बीच में 1989 से लेकर अब तक कई बार हमारे सामने कभी समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल की मिल करके सरकार रही और कभी समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की मिल करके सरकार रही।

(समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर कभी सरकार नहीं बनी)

श्री अधिष्ठाता-

शांत रहें।

श्री रामदीर उपाध्याय-

मान्यवर, सभी सरकारें रही है।

डा0 वकार अहमद शाह-

मान्यवर, इसको कार्यवाही से निकालवाइये। भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर हमारी कभी सरकार नहीं रही है।

श्री रामवीर उपाध्याय-

बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिस पर रोज चर्चा होती है, हम लोगों को प्रदेश की जनता को जवाब देने में मुश्किल होती है।.....

(प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा टोका-टाकी करने पर शोर)

श्री अधिष्ठाता-

मा0 मंत्री जी बता रहे हैं, उसको मा0 सदस्य सुनें।

श्री रामवीर उपाध्याय-

बहरहाल मिलजुलकर आप सबकी सरकारें रही हैं। मा0 अधिष्ठाता महोदय, इनकी मिलीजुली सरकारें रही हैं, कभी दो दल, कभी तीन दल की सरकारें रही हैं लेकिन बिजली का उत्पादन 1 मेगावाट भी नहीं किया है। मैं सदन के सामने तथ्यों सहित रख रहा हूं। एक मेगावाट बिजली का भी उत्पादन नहीं हुआ। पहली बार, 1995 में बहन जी 4 महीने के लिए मुख्य मंत्री बनी थी तब समय नहीं था, 1997 में बहन जी 6 महीने के लिए मुख्य मंत्री बनी तब सम्भव नहीं था, जब तीसरी बार 2002 मे मुख्य मंत्री बनी तो बहन जी ने 10 हजार मेगावाट पॉवर प्लाण्ट का लक्ष्य रखा और बहन जी ने उस समय परीक्षा में 420 मेगावाट का पॉवर प्लाण्ट लगाया था वह आज काम कर रहा है। बहन जी जब चौथी बार मुख्य मंत्री बनी तो उन्होंने मुझे और उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाकर के एक दिशा-निर्देश दिये कि उत्तर प्रदेश इसी पंचवर्षीय योजना में (ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना) ऊर्जा के क्षेत्र में पूर्ण रूप से स्वावलम्बी हो जाए उसके लिए कार्ययोजना बनायी जाए और कार्ययोजना बनाने के बाद उस पर तेजी से अमल किया जाए। बहन जी ने हमसे कहा, हमारे अधिकारियों से, हमारे सामने कहा कि पैसे की कमी किसी भी कीमत पर मैं नहीं आने दूंगी लेकिन मेरा उत्तर प्रदेश ऊर्जा के क्षेत्र में पूर्ण रूप से स्वावलम्बी होना चाहिए।

डा0 वकार अहमद शाह-

आंकड़े बताने से कुछ नहीं होगा, उत्तर प्रदेश की पूरी जनता त्राहि-त्राहि कर रही है।

श्री रामवीर उपाध्याय-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जनता क्यों त्राहि-त्राहि कर रही है ? मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 सदस्यों को बताना चाहूंगा कि 2003 में मुझे याद है अनपारा सी जो हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना थी, उसके लिए मा0 मुख्य मंत्री जी और हमने प्रयास किये कि यह परियोजना चालू हो जाए। उसके लिए जे0बी0आई0सी0 से ऋण की व्यवस्था की गयी। हमारा उत्तर प्रदेश जे0बी0आई0सी0 बैंक के पैनल में पांचवें नम्बर पर था। बहिन जी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री जी से बात की मैं उस समय के वित्त मंत्री जी से मिला तो उत्तर प्रदेश पहले नम्बर पर आया। दुर्भाग्य से 25 अगस्त, 2003 को हमारी सरकार चली गयी। 28 अगस्त, 2003 को जापान से

अधिकारी आये थे, सारी बातें तय हो गयी, वह अपनी स्वीकृति दे गये। लेकिन मान्यवर, समाजवादी पार्टी की सरकार ने अपने किसी खास व्यक्ति को देने के लिए उस परियोजना को विलम्ब कर दिया। वह किसी खास उद्योगपति को देना चाहते थे, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता इसलिए उसको पलट दिया और उसका परिणाम यह हुआ कि 1000 मेगावाट की बिजली जो आज से सालभर पहले मिल गयी होती वह हमें दो-तीन साल बाद मिलेगी, वह इन्होंने किया है और इन्होंने क्या किया ? 2250 एकड़ भूमि नोयड़ा में एक औद्योगिक घराने को दे दिया लेकिन वहां पर परियोजना की शुरूआत नहीं की, केवल फाइलें चलती रही। आज मा0 सदस्य कह रहे है कि बिजली नहीं आ रही है मैं तो तिथि बताऊंगा, डेट बताऊंगा, वर्षवार बताऊंगा। मान्यवर, अनपरा-सी 1000 मेगावाट का पॉवर हाउस लग गया होता तो हमें 1000 मेगावाट बिजली मिलने लगती, उसमें विलम्ब हुआ। आज बहन जी ने कहा कि 10 हजार मेगावाट बिजली 11वीं पंचवर्षीय योजना में मिलने लगे तो उसके परिपेक्ष्य में हमने 500 मेगावाट मान्यवर, परीक्षा में काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। ढ़ाई-ढ़ाई सौ मेगावाट की दो यूनिटों में काम चल रहा है और इसी तरह से हरदुआगंज में ढ़ाई-ढ़ाई सौ मेगावाट की दो परियोजना पर काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। अनपारा-डी में एक हजार मेगावाट की परियोजना उस पर युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। अनपारा-सी निजी क्षेत्र में मान्यवर, 1200 मेगावाट की हमारी परियोजना है उस पर काम चल रहा है। एन0टी0पी0सी0 के साथ ज्वाइंट एडवेन्चर में 1320 मेगावाट की जो परियोजना हमारी जो बारा, करछना में लायी जा रही है, उस पर युद्ध स्तर में काम चल रहा है। इन परियोजना पर मान्यवर, धरातल पर जमीन पर काम बहुत तेजी से चल रहा है। माननीय सदस्य जाकर देख लें, हरदुआगंज में देख लें, परीछा में देख लें, अनपारा सी में देख लें, अनपारा-डी में देख लें और मेजा में देख लें।

(मेजें थपथपायी गई)

सभी में काम युद्ध स्तर पर चल रहा है और जब ये परियोजना आ जाएंगी तो निश्चित रूप से मैं कहता हूं, दावे के साथ कहता हूं, सदन में तो फिर उत्तर प्रदेश पूर्ण रूप से ऊर्जा के क्षेत्र में स्वावलंबी होगा और मान्यवर, इतनी ही नहीं हमने 2017 तक की कार्ययोजना बना दी है और मैं माननीय सदन को अवगत कराना चाहता हूं किस सन् में किस वित्तीय वर्ष में कितना बिजली का उत्पादन बढ़ेगा। मान्यवर, 2009-10 इसी मार्च तक परीछा विस्तार से हमें 500 मेगावाट बिजली मिलेगी मान्यवर, रोजा परियोजना से हमको 600 मेगावाट बिजली इस तरह से 2009 से 2010 में 1100 मेगावाट की बढ़ोत्तरी मान्यवर होगी। इसी तरह से मान्यवर, 2010-2011 के वित्तीय वर्ष में, हरदुआगंज विस्तार से, हरदुआगंज विस्तार की हमारी जो 500 मेगावाट की परियोजना है, वहां से हमको 500 मेगावाट बिजली मिलेगी। अनपारा-सी की प्रथम इकाई से मान्यवर, हमको 600 मेगावाट बिजली मिलेगी और इसी तरह से 2010-11 में केस वान बिड़िग के आधार पर हमने 1000 मेगावाट की व्यवस्था की है। इस तरह से मान्यवर, 2010-2011 में 2100 मेगावाट बिजली का उत्पादन हम बढ़ायेंगे। इसी तरह से मान्यवर, 2011-2012 के वित्तीय वर्ष में अनपारा-डी से 1000 मेगावाट बिजली हमको मिलेगी। अनपारा-सी की द्वितीय इकाई 600 मेगावाट से हमको

बिजली मिलेगी और श्रीनगर जल विद्युत से 330 मेगावाट और केसवन बिड़िग के आधार पर मान्यवर, 1000 मेगावाट इस तरह से 2011-2012 के वित्तीय वर्ष में 2930 मेगावाट बिजली हमको मिलेगी मान्यवर, इसी तरह से मान्यवर, 2012-2013 में रोजा विस्तार से हमको 300 मेगावाट बिजली बढ़ेगी हमारा उत्पादन बढ़ेगा। 2013-14 के वित्तीय वर्ष में मान्यवर, बारा परियोजना से 1320 मेगावाट, करछना परियोजना से 1320 मेगावाट, अनपारा-ई से 1320 मेगावाट, मेजा परियोजना से 1040 मेगावाट, मान्यवर, इस तरह से मान्यवर, 13-14 के वित्तीय वर्ष में हमको 5000 मेगावाट बिजली का उत्पादन बढ़ेगा मान्यवर और 2014-2015। हमने अभी से कार्ययोजना बना दी है, इससे मैं सदन को यह अवगत करा दूं कि ये औपचारिकतायें जो धरातल पर जो काम शुरू होता है उसमें दो वर्ष लग जाते हैं। काम शुरू होने में 2 वर्ष लगते हैं और सारी कार्ययोजना हमने बना दी है। 2014-2015 के वित्तीय वर्ष में मान्यवर, बारा परियोजना से हमको एक इकाई से हमको 660 मेगावाट बिजली मिलेगी, ओबरा-सी से 1320 मेगावाट।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

तो आप चर्चा करा लिजिए।

श्री रामवीर उपाध्याय-

मा0 हुकुम सिंह, नेता विरोधी दल ने जो कहा था उसी का जबाव दे रहा हूं।

श्री लाल जी वर्मा-

नेता प्रतिपक्ष ने इस पर विशेष रूप से उल्लेख किया था और उसका जबाव आना जरूरी है।

श्री अधिष्ठाता-

राय साहब बैठ जाये, सुन लें, आप वरिष्ठ सदस्य हैं।

श्री रामवीर उपाध्याय-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, इस तरह से 2014-15 में बारा परियोजना से हमको 660 मेगावाट बिजली, ओबरा-सी से 1320 मेगावाट और फतेहपुर परियोजना से 1600 मेगावाट इस तरह से 3580 मेगावाट का उत्पादन हमारा 14-15 में बढ़ेगा और 2015-16 मान्यवर, दोपहा परियोजना से 1320 मेगावाट, जवाहर परियोजना से 1320 मेगावाट, ललितपुर परियोजना से 2000 मेगावाट, यमुना परियोजना से 2000 मेगावाट इस तरह से 6640 मेगावाट बिजली को हम बढ़ायेंगे 15-16 में और हमने 16-17 मान्यवर, ललितपुर परियोजना से 2000 मेगावाट और दोपहा परियोजना से 660 मेगावाट, इस तरह से 24310 मेगावाट बिजली मान्यवर, बढ़ाने का लक्ष्य माननीय मुख्य मंत्री जी ने 25 हजार का रखा है। इस तरह से हमने इन परियोजनाओं के अतिरिक्त 5000 मेगावाट बिजली केन्द्रीय परियोजना से भी लेने का हमने अनुरोध किया है। इस तरह से 25 हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा है। ये परियोजनाएं चालू हो जाएंगी तो निश्चित रूप से हम बहुत बड़ी संख्या में बहुत बड़ी मात्रा में बिजली दूसरे प्रदेशों में देने लगेंगे। हम दावा कर सकते है कि वर्ष 2013 तक उत्तर प्रदेश पूर्ण रूप से ऊर्जा के क्षेत्र में स्वावलम्बी

होगा। अनपरा सी को आगे बढ़ा दिया होता जिसको हमने चालू किया था तो आज यह समस्या न होती। माननीया मुख्य मंत्री जी ने जिस तरह के दिशा निर्देश दिए हैं उस तरह से काम चल रहा है। यह कार्य कागज पर नहीं धरातल पर काम चल रहा है। इलाहाबाद में मेजा में काम चल रहा है। करछना, बारा की जमीन की व्यवस्था हो गयी है। पानी की व्यवस्था कोयले की व्यवस्था हो गयी है। जे0पी0ग्रुप ने मशीनों के आर्डर भी दे दिए हैं। इस तरह से इसी पंचवर्षीय योजना में हम पूरी तरह से किसानों को और आम व्यक्ति की समस्या का समाधान 90 प्रतिशत हो जाएगा। 10 प्रतिशत समस्याएं भी वर्ष 2013-14 तक पूरी हो जाएंगी। इसी के साथ मैं आपके प्रति आभार प्रकट करते हुए इस बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री विशम्भर सिंह यादव-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने वर्ष 2010-2011 के बजट की सामान्य चर्चा में मुझे अपनी बात कहने का अवसर दिया। अधिष्ठाता महोदय, हम नये सदस्य हैं हम पहली बार सदन में चुनकर आए हैं। सदन में आने से पहले मेरा यह मानना था कि सदन में जो भी सदस्य अपनी बात कहते हैं उनको मंत्री और अधिकारी लोग कही हुई बात पर कार्यवाही करते हैं और उसे गम्भीरता से लेते है। वर्ष 1980 में मैं डी0ए0वी0 कालेज, कानपुर के छात्रसंघ का अध्यक्ष था और वर्ष 1981 में मैं कानपुर विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष था। उस समय हम छात्रों, नौजवानों की समस्याओं को लेकर संघर्ष करते थे और लाठियां खाते थे उस समय यह जिज्ञासा होती थी कि चलकर कहीं से सदन के भीतर अपनी बात कहूं और माननीय मुख्य मंत्री के कानों तक अपनी आवाज पहुंचाएं। लेकिन ऐसा काम नहीं हो सका। दीर्घकाल से यह सोच थी कि यहां पर सदन में जो बातें कही जाती हैं उनका कुछ न कुछ अर्थ होता है और उस बात का सरकार पर असर होता है। लेकिन मैं यहां पर आने के बाद दो साल से देख रहा हूं कि जिन-जिन समस्याओं पर जिन-जिन सवालों पर सदस्यों ने सदन का ध्यान आकर्षित किया सदन में अपनी बात कहने का काम किया लेकिन हमारे जैसे व्यक्ति के मन में बड़ा दुःख हुआ मुझे दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि उन कामों के लिए सरकार के कान पर जू नहीं रेंगी। 22 पन्नों के इस बजट और उस अभिभाषण पर हमने हर साल एक बात जोड़ने की कोशिश की कि हमारे विधान सभा क्षेत्र बबेरू जो बुन्देलखण्ड का बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है अधिष्ठाता महोदय, वहां पर न पानी है न सड़कें हैं सनगरा पम्प कैनाल पर जो काम चल रहा था वह बन्द पड़ा है। कटार पम्प कैनाल योजना में कुछ काम हुआ उसके बाद वैसे ही पड़ी है। किसान संघर्ष के रास्ते पर है। अधिष्ठाता महोदय, अभिभाषण में यह बातें बार-बार जोड़ने के बाद भी इनका कोई संज्ञान नहीं लिया गया। जनता कहती है कि सदन में जब आपकी बात को नहीं सुना जाता हैं और आपकी कही हुई बात पर काम नहीं होता है तो ऐसे लोकतंत्र का क्या मतलब ? ऐसी लोकतांत्रिक संस्थाओं के ऊपर से अधिष्ठाता महोदय जनता का विश्वास उठता जा रहा है। अधिष्ठाता महोदय, बजट में इस बार स्मारकों पार्कों की कोई चर्चा नहीं है। कोई भी उल्लेख नहीं है कि इनको धन

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दिया जायेगा कि नहीं दिया जायेगा। लेकिन अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, और सरकार को बताना चाहता हूं कि जिस तरह से घड़ियाली आंसू बहाकर बुन्देलखण्ड के विकास की बात यह सरकार करती है और बुन्देलखण्ड विकास निधि का पैसा जो वर्ष 2008-2009 का है, उसको किस तरह से सरकार ने, जो इसी सदन में बजट पास हुआ था उसको कैसे आहरण करके उस पैसे को कहां ले जाकर खर्च कर लिया। तो यह सरकार बहुत महीन कारीगर हो गई है। बाजीगरी का खेल सीख गई है। आवास विकास के पार्कों के नाम पर जो पैसा है उसमें भी मान्यवर, बाजीगरी का खेल होगा कि कैसे उस पैसे को स्मारकों और पार्कों में ही खर्च किया जायेगा। 318 करोड़ रुपये के विशेष बुन्देलखण्ड पैकेज की बात.....

श्री अधिष्ठाता-

संक्षिप्त करें।

श्री विशम्भर सिंह यादव-

अधिष्ठाता महोदय, पहली बार चुनकर आये हैं और पहली बार बोलने के लिये खड़े हुए हैं।

श्री अधिष्ठाता-

संक्षिप्त करें केवल, आपको खत्म करने को नहीं कह रहा हूं। संक्षिप्त करने के लिये कह रहा हूं।

श्री विशम्भर सिंह यादव-

मान्यवर, 1200 करोड़ रुपये की इस बजट में व्यवस्था की गई है वनों और सिंचाई और कृषि के लिये बुन्देलखण्ड के लिये। जब पहले ही बुन्देलखण्ड विकास निधि का पैसा 2008-2009 का जिसमें विधायकों के प्रस्तावों पर विकास के काम होते हैं वह पैसा ही पता नहीं हम पूछते हैं अधिकारियों से तो वे कहते हैं कि सरकार से सदन में पूछ लीजियेगा माननीय सदस्य जी वहां पता चल जायेगा हमसे मत पूछिये, हमें नौकरी करने दीजिये। नहीं तो पता नहीं कहां जिले के चार्ज में है पता नहीं कहां उठाकर फेंक दिये जायेंगें अगर आपको बता देंगें। हम यह कहना चाहते हैं माननीय अधिष्ठाता महोदय जी आज आपसे। बिजली मंत्री जी चले गये।

श्री अधिष्ठाता-

आप अपनी बात रखें।

श्री विशम्भर सिंह यादव-

हम तो समझ रहे थे कि शायद वो होते तो सुन लेते। बुन्देलखण्ड में सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं। पानी का इतना अभाव है। गरीबी, बेकारी, भुखमरी, वहां का आदमी इतनी परेशानी और दुःख में जीवन जीता है किसी तरह से अपने जेवर बेचकर खेत पर के0के0सी0 किसान केडिट कार्ड ऋण लेकर ट्यूबवैल अपने निजी बोर कराता है, बिजली का जो पैसा बनता है उसको भी जमा करके और इतने चक्कर लगा रहा है। हम लोगों से इतना लड़ता है वहां का किसान कि किसी तरीके से हमारा कनेक्शन दिलवा दीजिये जिससे हम पानी तो खेत को दे सकें। रोटी तो खा

सकेंगें। वहां किसानों को बिजली के कनेक्शन नहीं मिल पा रहे हैं माननीय अधिष्ठाता महोदय जी। स्प्रेंकलर सेट की जो योजना है, यह बहुत महत्वाकांक्षी योजना है सरकार की। और सरकार ने इसका बड़ा ढ़िढोरा पीटा है माननीय अधिष्ठाता जी। और बड़ी बड़ाई से, बेड़े जोर शोर से इसको प्रचारित करने का काम किया है। स्प्रेंक्लर सेट, निश्चित रूप से पाइप उपयोगी है। पाइप से सिंचाई हो सकती है लेकिन अधिष्ठाता महोदय, मैं चुनौती देना चाहता हूं कि बुन्देलखण्ड के क्षेत्र में कहीं पर भी बोर से स्पेंक्लर सेट के माध्यम से, इंजन के माध्यम से पानी निकाल कर दिखा दे सरकार। इंजन दे रहे हैं 8 से 10 हार्स पावर का। उसकी कीमत है इंजन की 25 से 30 हजार रुपया। जितने जन अधिष्ठाता महोदय कहे लाइन लगी हुई है आठ-आठ, दस-दस हजार में बेचने के लिये किसानों की लाइन लगी हुई है। ब्लाक के इंजीनियरों द्वारा यह सर्टिफिकेट दिलवाया जाता है कि यह बोर हुआ है। तो हमारा अधिष्ठाता महोदय, आपके माध्यम से कहना है कि सरकार इसमें सचेत हो जाय। सबमर्सिबल पम्प दिलवा दे तो किसान अपने खेत को पानी तो दे सके, किसान अपने खेत की सिंचाई तो कर सकें। सरकारी नलकूपों का जिसमें बजट में कहा गया है कि सरकारी नलकूप दिये जायेगें। अधिष्ठाता महोदय, सरकारी नलकूप बेचे जा रहे हैं एक-एक लाख रुपये में। जो किसान पैसे वाले हैं वो एक-एक लाख रुपये में खरीद रहे हैं। हमारे बांदा में, मैं अपने बांदा के लिये कहना चाहता हूं जितने सरकारी नलकूप गये है, सबको एक-एक लाख रुपया लेकर बेचा गया है और हमारे प्रस्तावों पर एक भी नलकूप नहीं लगाया गया। बुन्देलखण्ड की धरती प्यासी है, वहां पर पीने के लिए पानी नहीं है, खेत के लिये पानी नहीं। पीने के लिये हैंडपम्प जो विधायकों को दिये जाते थे यह विधायकों को हैण्डपम्प नहीं दिए जा रहे हैं हम कैसे जनता को पानी पिलवा पाएंगे। माननीय अधिष्ठाता महोदय, कुछ तो हमारी मदद करिए। हम कैसे वहां के लोगों को, वहां के किसानों को पानी दे सकेगें। माननीय अधिष्ठाता महोदय, चार महानगरों में रिंग रोड के प्रस्ताव हेतु धन को स्वीकृत किया गया है। जिसमें जनपद इलाहाबाद भी है।

श्री अधिष्ठाता-

संक्षेप करें।

श्री विशम्भर सिंह यादव-

इलाहाबाद में इलाहाबाद जौनपुर मार्ग पर अंदावा मोड़ से लेकर सहसों तक सड़क के दोनों तरफ विकास प्राधिकरण ने अपने प्रस्तव में ग्रीन लैण्ड घोषित किया है। जबकि सैकड़ों साल से इस सड़क के दोनों तरफ घनी आबादी बसी है। मंदिर, मस्जिद, कालेज स्कूल भी बने हैं हजारों लोगों की जीविका सड़क के किनारे बनी दुकानों से चल रही है। ग्रीन लैण्ड घोषित करने से इस सड़क के किनारे बसे हजारों लोगों के मिट जाने का, बरबाद हो जाने का डर उनके मन में हमेशा व्याप्त है। जिससे गरीब दलित परिवार के लोग बहुत ही डरे हुए हैं, सहमे हुये हैं, इलाहाबाद में जो सरकार द्वारा नया रिंग रोड प्रस्तावित है उसके किनारे ग्रीन लैंड घोषित करें ताकि वहां के लोग उजड़ने से बच जाएं। अंदावा मोड़ से सहसों तक हजारों परिवार उजड़ने से बच जायें। माननीय अधिष्ठाता महोदय, एक अन्तिम बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

आपकी सारी बात आ गई है।

श्री विश्वम्भर सिंह यादव-

अधिष्ठाता महोदय, बड़ा जुल्म हो रहा है बुन्देलखण्ड पर, और जुल्म सिर्फ एक ही कौम कर रही हैं कोई दूसरी कौम नहीं कर रही है दलितों में से, एक ही कौम कर रही है घूमदरी जमीनों पर किस तरह से अवैध कब्जे किए जा रहे हैं, किस तरह से लोग बलात्कार कर रहे हैं किस तरह से लोग, लोगों को डराकर पैसे छीन रहे हैं और उनकी जमीनें हड़प रहे हैं माननीय अधिष्ठाता महोदय, और गुण्डई कर रहे हैं, दलित ऐक्ट में फंसाया जा रहा है और दलित एक्ट की धमकियां दी जा रही हैं, इसके पहले कभी भी किसी सरकार....

श्री अधिष्ठाता-

समाप्त करें।

श्री विशम्भर सिंह यादव-

कभी-कभी सरकार में ऐसा नहीं हुआ। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय नेता विरोधी दल द्वारा कही गई बातों पर बल देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री संजय कपूर-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे सन् 2010-2011 के बजट पर चर्चा करने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। बहुत चर्चा हो रही है कि यह एक ऐतिहासिक बजट लाया गया है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है यह किस तरह का ऐतिहासिक बजट है जहां किसानों को उनकी पैदावार का उचित दाम नहीं मिल रहा है खेतों को बिजली नहीं मिल रही है सिंचाई के लिए पानी नहीं है, सड़क नहीं है, पुलों की व्यवस्था के लिए कोई सुचारू व्यवस्था नहीं की गई है। खासतौर से शिक्षा के क्षेत्र में भी कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। किसी भी प्रदेश के विकास के लिए अधिष्ठाता महोदय, दो-तीन चीजों की बहुत जरूरत होती है। सबसे पहले बिजली सड़क और शिक्षा, अभी माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि हमने 2012 से 2017 तक का विद्युत पैदा करने का प्लान बनाया है, अगर वह विद्युत सुचारू रूप से दिलवाते हैं तो इसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। मान्यवर, 2017 तक का बिजली सुधार का, इन्होंने प्लान बनाया है अगर यह 2012 तक का बनाते तो बहुत अच्छा रहता। 2012 के बाद पता नहीं किस राजा का राज्य होगा कौन किधर होगा लेकिन 2012 तक अगर वह विद्युत व्यवस्था सुचारू रूप से करा दें तो मैं उनको धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, एक बात सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने विद्युत पैदावार की, विद्युत जेनरेशन की तो बात रखी, लेकिन आज जो समस्या है खास, बिजली की, किसानों की जो सबसे बड़ी समस्या है जिस क्षेत्र से मैं आता हूं वह कृषि प्रधान क्षेत्र है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि आबादी बढ़ रही है भारत सरकार द्वारा राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत योजना के तहत गांव को इलेक्ट्रीफाइड कराया गया है। मगर आबादी बढ़ने के बाद आधे-आधे गांव इलेक्ट्रीफाइड हैं आधे-आधे गांव रह गए हैं जिसमें रोज शिकायत आती है कि आधे गांव को बिजली मिल रही है आधे गांव को बिजली नहीं मिल रही है। ओवरलोडेड ट्रांसफार्मर

हैं उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है हर जगह से यह शिकायत आ रही है कि ट्रांसफार्मर फुंक जाता है, तो ट्रांसफार्मर तीन-तीन महीने नहीं मिलता है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह बहुत जटिल समस्या है। मेरा क्षेत्र शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा क्षेत्र है वहां शैक्षिक योग्यता की दर 38.8 प्रतिशत है जो बहुत ज्यादा कम है। जो बेसिक शिक्षा का बजट है, इसमें प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालय कुल एक-एक हजार लिए गए हैं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, अगर शिक्षा का स्तर नहीं उठेगा, गरीब किसान अगर शिक्षा ग्रहण नहीं करेगा तो कैसे हमारा प्रदेश तरक्की करेगा ? माध्यमिक शिक्षा का भी यही हाल है, माध्यमिक शिक्षा में भी न के बराबर बजट रखा गया है जबकि मान्यवर, मेरे जनपद में ही 10-15 जगहें ऐसी हैं, जहां पर माध्यमिक शिक्षा के स्कूल खोलना बहुत जरूरी है, 20-20 किमी0 की दूरी तक कोई माध्यमिक शिक्षा का साधन नहीं है। उच्च शिक्षा के लिए भी मैंने इस सदन के माध्यम से मा0 मंत्री जी से अनुरोध किया है, कई नियमों में सवाल भी लगाये हैं कि मेरा क्षेत्र शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा क्षेत्र है। मिलक में एक डिग्री कालेज की मांग बहुत लम्बे समय से चली आ रही है, मगर उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया है, मैं चाहूंगा कि इसे भी पूरा कराया जाए। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरे जनपद रामपुर की तहसील विलासपुर है, वह क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है, वहां लेवी बन्द कर दी गई है, जिसके कारण कृषकों का जो धान है, जो उनकी पैदावार है, उसका उचित दाम उन्हें नहीं मिल पा रहा है। किसान परेशान हैं, राईस मिलर परेशान हैं, राइस मिलर उनके धान की कीमत नहीं दे पा रहे हैं, वहां बड़ी समस्या हो रही है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं अपने क्षेत्र की दो-तीन बातें रखना चाहूंगा, मैं पहली बार चुनकर आया हूं, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता लेकिन जो मुख्य रूप से दो-तीन बातें हैं, कहना चाहता हूं। मान्यवर, जो भारत सरकार की स्कीम है, नरेगा की स्कीम, कांग्रेस गवर्नमेन्ट की स्कीम है, यकीनन उससे बहुत बड़ा फायदा उत्तर प्रदेश को मिल रहा है। देहात में जो काम देखने को मिल रहा है उसमें बहुत बड़ा हाथ नरेगा का भी है। इसके जरिए काम हो रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं, मा0 अधिष्ठाता महोदय, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना, जो भारत सरकार की योजना है, अगर वह नहीं होती तो आप यकीन करिए कि 25 परसेण्ट भी गांव ऐसे नहीं हैं, जिनमें हम चलने की स्थिति में होते। आज हालात यह हैं कि हर साल हजारों करोड़ रुपये प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत भारत सरकार, प्रदेश सरकार को दे रही है। मान्यवर, यह सरकार सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की बात करती है, उसमें मैं बताना चाहता हूं, हर वर्ग में गरीब लोग हैं, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़े वर्ग के लोग हों, चाहे मुस्लिम समाज के लोग हों, चाहें सामान्य जाति के लोग हों, मगर वहां पर बहुत बड़ा विरोधाभास हो रहा है, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं या अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, मैंने पहले भी कई बार इस बात को सदन में उठाया, उनकी पुत्रियां की शादी के लिए अनुदान नहीं मिल पा रहा है, वह बहुत परेशान हैं तो मैं चाहता हूं कि सबको बराबर का अधिकार मिलना चाहिए जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं और जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, उन्हें भी उनकी पुत्रियों की शादी के लिए अनुदान मिलना चाहिए। मान्यवर, यदि आप अनुमति दें तो दो-तीन बातें और अपने क्षेत्र की रख दूं।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है, जल्दी से अपनी बातें कह दीजिए।

श्री संजय कपूर-

मान्यवर, माननीय परिवहन मंत्री जी बैठे है, आज मुझे मौका मिला है, तो मेरे क्षेत्र में विलासपुर तहसील है, वहां रोडवेज का बस अड्डा नहीं है, बहुत लम्बे समय से मैं इसकी मांग करता रहा हूं, माननीय मंत्री जी द्वारा बराबर आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन धरातल पर हमें उसमें कोई काम नहीं देखने को मिला, उनका आश्वासन भी है, पिछले बजट में उन्होंने घोषणा की थी, इसलिए मैं चाहता हूं कि उस काम को कराया जाए। मान्यवर, विलासपुर, नेशनल हाईवे सं0-87 पर है, उत्तरांचल को जोड़ने वाला मुख्य विलासपुर तहसील है, इसके बाद उत्तरांचल राज्य शुरू हो जाता है। मान्यवर, मेरे क्षेत्र में एक गांव है, भैसौडी शरीफ रठौडा शिव मन्दिर और सितौरा व कमेरी, मा0 पर्यटन मंत्री जी बैठे हैं, मान्यवर, पर्यटन के क्षेत्र में भैसौडी शरीफ की बहुत मान्यता है, वहां पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी कोई न कोई योजना बनायें, अगर यहां से न हो पाए तो उसे आप भारत सरकार को भेज दें, वहां से प्रयास करेंगे कि वहां से कुछ काम हो जाए। माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारे क्षेत्र में एक खंडिया ग्राम है, मैं इस बजट के प्रस्ताव में जरूर धन्यवाद देता, लेकिन इस बजट में उस क्षेत्र की किसी भी समस्या के बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। मान्यवर, मेरे क्षेत्र में एक खंडिया का पुल है, मैं उसके लिए बराबर प्रयासरत हूं इसके अलावा केमरी उपमंडी के निर्माण के लिए मैं बराबर नियमों में लगाता रहा रहा हूं और केमरी के विकास के लिए मैंने बराबर मांग की है। इसी प्रकार से भंवरकी में एक पुल के निर्माण की मांग की है और मिलक-विलासपुर रोड के निर्माण के लिए भी मैंने मांग की है। लेकिन मान्यवर, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अगर यह पैसा जो पार्कों और मूर्तियों में लग रहा है, अगर यह पैसा बिजली के क्षेत्र में लगता, किसानों का कर्जा यदि यह सरकार माफ कर देती तो यकीनन में मैं इस बजट प्रस्ताव का समर्थन करता लेकिन मुझे अफसोस है कि इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं रखी गई, जिससे इस प्रदेश की गरीब जनता को, गरीबों, किसानों को और नौजवानों को लाभ मिल सके। अन्त में, मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

*श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे बजट पर सामान्य चर्चा में बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, सत्तापक्ष की ओर से जब कोई सदस्य या कोई माननीय मंत्रीगण खड़े होते हैं तो बड़े दम के साथ यह कहते है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित है, कानून व्यवस्था बिल्कुल ठीक है। मैं आंकड़ों के जाल में नहीं जाना चाहता। मैं केवल दो उदाहरण देना चाहता हूं जो कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाते हैं। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में अवैध शस्त्रों का कारोबार बहुत जोरों से चल रहा है। कानून व्यवस्था का हाल यह है कि एक

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आर्मर, पुलिस लाइन में जहां असलहे रखे जाते हैं वह आर्मर असलहों का व्यापार कर रहा है और केवल उत्तर प्रदेश में नहीं कर रहा है वह आसपास के तमाम प्रदेशों में भी आर्मस बेच रहा है, लखनऊ की एस0टी0एफ0 ने उसे पकड़ा है। उसने और लोगों को इंगित किया है और लोगों की गिरफ्तारी होने की आशंका है। दूसरा एक उदाहरण दे दूं। केवल लखनऊ की बात करना चाहता हूं कि आज केवल लखनऊ में 232 लोग यहां लापता हैं। और यह मेरा स्टेटमेंट नहीं है। यह यहां के पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी का बयान है। और इन गुमशुदा लोगों की तलाश करने के लिए इनके पास व्यवस्था क्या है। वह व्यवस्था केवल यह है कि इनका जो प्रकोष्ठ है उसमें एक उप निरीक्षक, कम्प्यूटर के जानकार, एक हेड कांस्टेबल और दो कांस्टेबल पहले तैनात किये गये थे। और मौजूदा समय में सिर्फ एक एस0आई0 और दीवान के सहारे यह व्यवस्था रेंगरेंगकर चल रही है। गुमशुदा की छानबीन के लिए पुलिसकर्मी हैं ही नहीं। यह कहां से गुमशुदा लोगों का पता लगाएंगे। तो यह दो विषय मैंने रखे हैं और इन पर मैंने ध्यान आकर्षित किया है। अध्यक्ष महोदय, इस समाज का कल्याण करने वाली सरकार सामने बैठी है। समाज कल्याण मंत्री ने इसी सदन में यह कहा था कि गरीबों की बेटियों के लिए शादी के लिए जो अनुदान मिलता है, जिलाधिकारी उसकी बैठक प्रतिमाह करेगा। मैं यहां पर मौजूद था और यहीं पर कहा था। मैं लखनऊ की बात कर रहा हूं। वर्ष 2008 से यहां पर गरीबों की लड़की चाहे वह अनुसूचित जाति के लोग हों, चाहे वह बैकवर्ड हों, चाहे वह अल्पसंख्यक हों, जिलाधिकारी तो यहां बैठक ही नहीं कर रहे हैं। कोई बैठक एक वर्ष से नहीं कर रहे है। और इन लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है। वह गरीब बेचारे जो मात्र 10 हजार रुपये पाने के लिए दर्खास्त लगाते थे, 500 रुपये उस पर अपना खर्च करते थे उनको रुपया नहीं मिल पा रहा है। जो लोग मृतक आश्रित थे उनको भी यह सरकार 20 हजार रुपये देने की बात कहती है। लेकिन लखनऊ के अंदर, मैं समझता हूं कि हजारों लोग ऐसे होंगे जिनको पैसा नहीं मिला। वहां पर प्रदर्शन हुआ। लेकिन फिर भी इनके कान पर जूं नहीं रेंगी। और समाज कल्याण विभाग से मैं मांग करता हूं कि यह गरीबों की लड़कियों की शादी चाहे वह अनुसूचित जाति के हों, चाहे वह अल्पसंख्यक हों, चाहे वह वेकवर्ड हों, अगर यह वाकई में समाज का कल्याण करना चाहते हैं तो यह 10 हजार की रकम अब शादी ब्याह के लिए बहुत कम हो गयी है इसको कम से कम 20 हजार रुपये बढ़ाने का काम करें तब तो यह मालूम होगा कि यह गरीबों की सरकार है।

उत्तर प्रदेश में महंगाई की कई बार चर्चा हुई। सार्वजनिक वितरण व्यवस्था का भार उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर है। लेकिन सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जो व्यवस्था है वह अगर एक लाइन् में आपके सामने रखूं तो संविधान का अनुच्छेद 47 कहता है कि राज्य का यह प्रथम कर्त्तव्य है कि वह लोगों के भरण पोषण और उनके जीवन स्तर को उठाने के लिए प्रयास करे। यह मैं नहीं कह रहा हूं। योजना आयोग कह रहा है कि इस प्रणाली में उत्तर प्रदेश में करीब 44 प्रतिशत का रिसाव है अर्थात् 44 प्रतिशत माल जो खाद्य सामग्री है उसको कालाबाजारी में बेचा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी चिंतित है। सुप्रीम कोर्ट ने डी0पी0 वाधवा कमेटी बनायी और यह कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में दोष है। 53 फीसदी गेहूं और 39 फीसदी चावल की कालाबाजारी हो

रही है। राशन की दुकानों का आधा अनाज कालाबाजारी में चला जा रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एक नमूना और दे दूं, आज मैंने देखा कि अखबारों में देखा, अखबार का संज्ञान आप नहीं लेंगे। गैस के गोदामों पर छापा पड़ रहा है, लेकिन कहीं पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, छापा पड़ रहा है और चित्र उसके आ रहे हैं। गैस की कालाबाजारी हो रही है लेकिन सरकार को इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मान्यवर, मैंने बजट में देखा है कि लखनऊ का बड़ा नाम करके समग्र विकास के लिये 456.59 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। एक लाइन में यह लिखा हुआ है, यह रुपया कहां जायेगा, पिछला बजट भी मैंने देखा था, लखनऊ के विकास के लिये पैसा दिया गया था लेकिन लखनऊ की जनता की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये सरकार ने क्या किया ? मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूं, लखनऊ की जीवन रेखा कही जाने वाली गोमती जो यहां के लोगों का मुख्य स्रोत है पानी का, आज गोमती इतनी गंदी हो गयी है कि वहां से एक चुल्लू पानी पीना मुश्किल है। गऊ घाट, बालागंज के पर्पिंग स्टेशन जब वहां चलते हैं तो पानी की जगह पर वहां से मल-मूत्र सप्लाई होता है। मैंने इस सदन में यह बात कही थी कि गोमती को तल से साफ करने की आवश्कता है लेकिन मान्यवर, जो हमारे मंत्री जी हैं, उन मंत्री जी ने बड़ी हिम्मत के साथ कहा कि गोमती तल की सफाई की कोई योजना नहीं है। मैं नकुल दुबे जी का एक बयान आपके सामने लाया हूं और उन्होंने यह भी कहा कि अगर गोमती की गहराई से सिल्ट निकाली जायेगी तो गोमती के अस्तित्व को खतरा पैदा हो जायेगा। गोमती जैसी नदी जिसमें 400 एम एल डी गन्दगी रोज घुलती है, 26 नाले यहां पर गिरते हैं, मैंने इन 26 गन्दे नालों को गोमती बैराज के बाहर करने की मांग उठायी थी लेकिन सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। मान्यवर, यह रुपये जो सरकार ने दिये हैं, इतने करोड़ रुपये, मैं दूसरा उदाहरण दे रहा हूं लखनऊ के अन्दर आज हालात ये हैं कि जो हैण्डपम्प रीबोर करने के लिये लगे हैं, जो नलकूप रीबोर करने के लिये हैं, जब हम लोग पत्र लिखते हैं जल संस्थान को तो वे कहते हैं कि यह काम जल निगम का है। सरकार के पास पैसा नहीं है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में पिछली बार 3 नलकूप लगवाने का आश्वासन मिला था, वे तीन नलकूप रीबोर हो गये और एक डेढ़ साल हो रहा है रीबोर करके उनको कैप कर दिया गया। और कैप करने के बाद उनसे अभी तक पानी निकालने का कार्य नहीं किया गया। बालागंज की क्षमता बढ़ाने की बात की गया थी, तृतीय जलकल को चालू करने की बात की गयी थी, ये सब केवल कागज और किताब में ही लिखा हुआ है। पेयजल और सीवर योजना आज मान्यवर, खटाई में पड़ गयी है, आपसे इसलिये कह रहा हूं कि आप बचपन से लेकर के अभी तक तो लखनऊ में ही रह रहे हैं, विधान सभा क्षेत्र तो आपका होगा, जहां होगा उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं जरूर जानता हूं कि लखनऊ की कठिनाईयों के प्रति संवेदनशीलता आपके अन्दर होगी।

जे0एल0एन0यू0आर0एम0 की नयी योजना पर लगी रोक कि सरकार पैसा नहीं ले पायी, सैटिसफाई नहीं कर पायी केन्द्र सरकार को और सारी रोक लगा दी केन्द्र सरकार ने कि जे0एल0एन0यू0आर0एम0 की कोई योजना में लखनऊ को पैसा नहीं दिया जायेगा। मान्यवर, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि लखनऊ में कल सरकार ने एडमिट किया है कि 241

अवैध कालोनियां है, मैं बार-बार कई वर्षों से इस बारे में कह रहा हूं कि किसानों के खेत को लेकर के कोआपरेटिव सोसाइटीज ने प्लाट बनाये और उन प्लाटों पर लोगों ने मकान बना लिये, इस प्रकार की 241 को तो सरकार ने एडमिट किया है, ऐसी कालोनियां बन गयी हैं, इनको आप वैध करो, नियमित करो, कोई कानून बनाओ, उनमें बिजली जल रही है, पानी उनको मिल रहा है। विधायकों से वे कहते हैं कि आपने वोट लिया है, विधायक जी सड़क बनाओ यहां पर, सरकार कहती है कि यह कालोनी अवैध है, अनडेवलेप्ड है, इस पर हाथ नहीं लगायेंगे, बहुत दुर्दशा हैं। मेरी मांग है कि अवैध कालोनियों को नियमित करने की आवश्यकता होगी। मान्यवर, उच्च शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा का हाल भी सुन लीजिये, लखनऊ का कोई बोलने वाला नहीं है, उच्च शिक्षा के बारे में मैं एक नमूना देता हूं, बड़े गर्व के साथ उच्च शिक्षा मंत्री यहां बोलते हैं। लखनऊ में मेरे विधान सभा क्षेत्र में पंडित दीन दयाल उपाध्याय राजकीय कन्या महाविद्यालय है, वहां पर 2 वर्ष से बी0एस0सी0 में पढ़ाने के लिये फिजिक्स के टीचर नहीं हैं। मान्यवर, वहां पर टीचर न होने के कारण सारी लड़कियां प्रैक्टिकल में फेल हो गई और उनको बैक पेपर देने के लिए विवश किया गया। फिजिक्स का टीचर नहीं है। हिन्दी का टीचर वहां रिटायर हो गया पर कोई अप्वाइण्टमेन्ट नहीं हुआ। इस बजट को जरूर देखियेगा और पढ़ियेगा। आज सारा विश्व जिस समस्या पर चिन्तित है पर्यावरण जैसी समस्या है, कोपहेगन में वहां पर सारे देशों ने मिल कर चिन्ता प्रकट की है। इस बजट के अन्दर कहीं पर कोई प्राविधान नहीं किया गया कि पर्यावरण को ठीक करने के लिए हम इतना पैसा एलाट कर रहे हैं। मैं केवल यह कहना चाहूंगा कि इस सरकार ने वायदा किया था कि हम वायु प्रदूषण को दूर करने के लिए इकोलॉजी पार्क बनायेंगे। इस बजट में इकोलॉजी पार्क का भी कोई वर्णन नहीं है। मान्यवर, अखबारों में कल छपा कि लखनऊ डार्क-5 ऐसे जो शहर है उसमें लखनऊ नम्बर एक पर है, जहां पर प्रदूषण इतना भरा हुआ है। मैं कहना चाहता हूं कि यह सरकार पर्यावरण के प्रति उपेक्षा का भाव रखती है, जब कि यह समस्या सबसे गम्भीर है। मान्यवर, मैं पॉलीथीन बैग पर रोक लगाने की इस सदन में मांग करता हूं क्योंकि पॉलीथीन बैग जो बन रहे हैं उसमें पर्यावरण प्रदूषण बहुत बढ़ रहा है।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें, मा0 चन्द्र प्रकाश मिश्र 'मटियारी' जी आप अपनी बात रखें।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

मान्यवर, मैंने इसी सदन में न्याय विभाग के लिए प्रश्न लगाया था कि उच्च न्यायालय में और अधीनस्थ न्यायालय में इतने-इतने मुकदमें पेण्डिंग हैं, सरकार इनका निस्तारण करने में क्या करेगी। मेरा प्रश्न निरस्त कर दिया गया, जिस दिन लगने वाला था, यहां पर उठाया था। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर न्याय में डिले होगा तो व्यक्ति न्याय से वंचित हो जायेगा, इसलिए कोई ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जाय जिससे लोगों को समय से न्याय मिल सके। इसी के साथ मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद।

*श्री चन्द्र प्रकाश मिश्र 'मटियारी'-

मान्यवर, आपकी मुझ पर बड़ी कृपा है जो आपने हमको बजट के समर्थन में अपना विचार रखने के लिए सहमति प्रदान की है। मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, 'यह बजट सत्र है सर्वजन हिताय का यही सही दस्तावेज है सर्वजन सुखाय का' मान्यवर, इतिहास गवाही देता है इस बात की किसी समय जेल जाना, लाठियां और डण्डे खाना, फांसी की रस्सी चूम कर इस भारत माता को दासता की जंजीरों से मुक्त करा देना देश भक्ति कहलाती थी, लेकिन आज देश भक्ति की परिभाषा बदल गई है। अब जो व्यक्ति, जो समाज, जो दल, जो नेता जनता की सुख समृद्धि का सामान जुटा सके, योजनाओं को कार्यान्वित, क्रियान्वित कर सके, गरीबी एवं बेकारी से टक्कर ले सके, समतामूलक समाज की स्थापना कर सके, भयमुक्त समाज का आवरण पूरे समाज को दे सके, वहीं सच्ची देश भक्ति है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के सिद्धान्त पर एक सुखमय बजट प्रदेश के लिए ला सके वही सच्ची देश भक्ति है, अगर इस देश भक्ति का कोई उदाहरण है इस देश और प्रदेश में तो कोई और नहीं हमारी मुखिया, बहुजन की मुखिया, उत्तर प्रदेश की चौथी बार मुख्य मंत्री बहन मायावती शख्सियत ही सच्ची देश भक्त साबित हुई है। एक बात कहना चाहता हूं बहन मायावती जी की तरफ से कि.....

सहने मस्जिद भी सलामत रहे, यह बुत खाना भी,
ऐसी तंजीम कोई मिल कर चलाई जाय।

मान्यवर, प्रत्यक्षम् किम प्रमाणम्, आपके सामने है, यह तो सिद्ध हो चुका है कि 2010-2011 का बजट हर वर्ग की तरक्की और खुशहाली का बजट है, इतिहास बनाया है इस सरकार ने, इस बार कोई टैक्स नहीं लगाया है। सरकार ने अनिवार्य आवश्यकताओं बिजली, सड़क, सिंचाई और कृषि विकास को प्राथमिकता दी गई है। लड़कियों की शिक्षा-दीक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है, समाज के हर वर्ग की आकांक्षाओं को पूरा करने की कोशिश की गई है। इसके सन्दर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि यह आम बजट है कि विकास का तोहफा, सबको काम अमन, हौसला देने वाला दिखेगा यह बजट, हर दिशाओं में तरक्की की फिजा, हर वर्ग जाति को शकून देने वाला है यह बजट क्योंकि बजट में ऊर्जा पर ऐतिहासिक खर्च की व्यवस्था 7949.34 करोड़ की गई है। अनुसूचित जातियों के विशेष घटक योजना के तहत करोड़ों रुपये का बजट जो राष्ट्रीयता की मिसाल को पेश करता है। आई0टी0आई0 एवं पॉलीटेक्निक के छात्रों को सावित्री बाई फूले बालिका शिक्षा मदद योजना का लाभ दिया जायेगा। साथ ही बस्तियों में एक हजार प्राथमिक और एक हजार माध्यमिक स्कूल खोले जाने की व्यवस्था की गयी है। क्योंकि शिक्षा या तालीम ही तरक्की की जड़ है। यह माननीय मुख्य मंत्री का इशारा है कि--

तालीम ही इंसान में गढ़ती है सच्चा आदमी,
सब को खुशियां बांटता है आदमी तालीम से।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बुन्देलखण्ड और पूर्वांचल की विशेष परियोजना हेतु 318 करोड़ रु0 का प्राविधान किया गया है। इंदिरा आवास योजना के तहत 348.60 करोड़ से पांच लाख आवास बनाये जायेंगे। अम्बेडकर नगर ग्राम सभा विकास योजना के तहत चयनित गांवों में सीसी रोड तथा केसी ड्रेन के लिये एक हजार दो सौ बयालिस करोड़ का बजट दिया गया जो एक राष्ट्रीयता की मिसाल है। दलित बाहुल्य बस्तियों में सामुदायिक हाल के निर्माण के लिए दो सौ करोड़ रु0 रखे गये इस पर भी यदि विपक्ष असंतोष व्यक्त करता है तो मुझे कहना पड़ेगा-

छिटवाकरके मेरी राह में कांटे बबूल के,
दिखला रहे है ख्वाब हमें गुलबहार का।

मान्यवर, इस बजट में पर्यावरण जागरुकता और निर्बल वर्ग के लिये शिक्षा की प्राथमिकता उल्लेखनीय है। कहना पड़ रहा है कि--

यह बजट मंत्र है सर्वजन हिताय की,
यही सही दस्तावेज है सर्वजन सुखाय का।

फिर भी इस लोपोकारी बजट को इसकी अच्छाइयों को नजरअंदाज कर जो इसकी खिलाफत केवल खिलाफत के लिये करते हैं वह सच्चे से मुंह मोड़ने का काम करते हैं। तो कहना है--

जो मेरे दिन को रात कहते हैं,
अपनी रातों को दिन बताते हैं,
आंख है ही नहीं जिनके वे ही,
देखते दुनिया और दिखाते हैं।

मान्यवर, लेकिन मैं कहना चाहूंगा--

आंधियों का काम चलना है,
गरज इससे नहीं,
साख का पता रहेगा या जुदा हो जायेगा,
नफरतों ने घेर रखा है हर तरफ से,
दीवारें गिरेगी रास्ता हो जायेगा।

मान्यवर, उसी क्रम में आगे कहना चाहूंगा कि--

गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है--

जाके पांव न फटी बिवाई,
सो का जाने पीर पराई।

मान्यवर, शहीदे आजम भगत सिंह ने सच्ची आजादी के विषय में कहा था कि जब तलक समाज के निचले पावदान पर बैठे हर घर झोपड़ी में दिया नहीं जल जायेगा तब तक देश को असल आजादी मिलने वाली नहीं है। मैं आज धन्यवाद देना चाहूंगा उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री बहन कुमारी मायावती जी को जिन्होंने सूक्ष्म शरीर के रूप में आज विद्यमान महापुरूषों के विचारों को देखते हुए उत्तर प्रदेश में शहीदे आजम भगत सिंह का सपना साकार किया है। उदाहरण है कि हर गरीब, हर घर की उन मुखिया महिलाओं को महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना के तहत तीन सौ रु0 देने का पुनीत कार्य किया है। बधाई देता हूं उनके लिये सर्व समाज की तरफ से कहना चाहता हूं कि :-

बलि होने की परवाह नहीं
मैं हूं कष्टों का राज्य रहे
मैं जीता जीता जीता हूं माता के हाथ स्वराज्य रहे।

मान्यवर, मैं बजट का समर्थन करता हूं और मान्यवर, आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे बजट के समर्थन में बोलने के लिये दो मिनट का मौका दिया। धन्यवाद।

*श्री आरिफ अनवर हाशमी-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे माननीय वित्त मंत्री जी के दिशाहीन बजट पर नेता विरोधी दल द्वारा रखे गये प्रस्तावों पर मुझे चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, अभी सत्ता पक्ष के साथी शेरों शायरी कर रहे थे। यहां पर गौरी शंकर जी बैठा करते थे वह भी सुनाया करते थे।

मान्यवर, मैं अपनी बात शुरू करूं--

तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है,
मगर ये आंकड़े झूठे हैं, सब दावा किताबी है।

मान्यवर, जब प्रदेश में--

100 से 70 आदमी फिलहाल जब नासाज है,
तो दिल पर रखकर हाथ कहिये देश क्या आजाद है।
कोठियों से मुल्क के में यार को मत ताकिये,
असली हिन्दोस्तान तो फुटपाथ पर आबाद है।

चन्द लोगों को सत्ता की मलाई और क्रीम अगर मिल गयी है, तो यह सर्वसमाज जो गांवों में बसता है वह लोग जिनके आज भी झोपड़ी है और दिये में तेल नहीं है, खाने को अन्न नहीं है वह आस लगाये बैठे हैं कि काश सरकार का कोई नुमाइन्दा या कोई सरकार ऐसी होगी जो गरीबों की सुध लेगी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश में अस्पतालों में दवाई नहीं, अस्पतालों में डाक्टर नहीं, प्रदेश में बिजली नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में 14 घंटे बिजली की कटौती हो रही है। माननीय ऊर्जा मंत्री चले गये मेरा उनसे एक सवाल है कि--

जो उलझ कर रह गयी है फाइलों के जाल में,
गांवों तक वह रोशनी आयेगी, कितने साल में।
बूढ़ा बरगद साक्षी है कि किस कदर खो गयी,
रमसुदी की झोपड़ी सरपंच की चौपाल में।।

खुद ऊर्जा मंत्री जी इस माननीय सदन में उत्तर देते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों की बिजली 14 घण्टे काटी जा रही है, वाह रे विकास, वाह रे तरक्की के झूठे वायदे, वाह रे तरक्की की गप्प बातें, माननीय अधिष्ठाता महोदय यह दो अर्थी बातें कैसे चलेंगी कहने को कुछ और करने को कुछ। जब माननीय मंत्री जी यह स्वीकार करते हैं कि प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में 14 घण्टे बिजली काटी जा रही है अब 14 घण्टे का मतलब दो घण्टे तीन घण्टे बिजली का आना, बोर्ड की परीक्षा होने वाली है, हाई स्कूल, इण्टरमीडिएट के बच्चे परीक्षा देंगे, मिट्टी का तेल है, ही नही अभी चर्चा हो ही रही थी, बिजली जाती नहीं है तो इन गांवों की दशा क्या होगी ? किसानों की दशा ले लें, किसानों को न डीएपी मिली न यूरिया मिली, जब बिजली नहीं तो किसान सिंचाई कैसे करेंगे ? खाद के लिए लाठी और ऊंचा दाम, ब्लैक में जो है माफियाओं से जमाखोरो से खाद खरीदे किसान का धान जब पैदा हो तो उसको बेचने के लिए सरकार की कोई एजेन्सी नहीं, वह अपना धान नहीं बेच सकता, गन्ना एक नकदी फसल थी मान्यवर, जिस कदर गन्ने की फसल में ग्रोथ नहीं बझी नहीं, तो अब वह जब बेचना चाहता है तो सरकार उस पर पाबन्दी लगाये हुए हैं एक बार किसानों का मौका आया है तो वह दिल खोलकर के अपनी फसल को बेच भी नहीं सकता। तीसरा बजट जो अभी वित्त मंत्री जी ने यह प्रस्तुत किया है उसमें कोई भी एक भी जूनियर हाईस्कूल प्राइवेट, एक भी हाईस्कूल, एक भी इण्टरमीडिएट कालेज किसी को भी अनुदान सूची पर इस सरकार ने नहीं लिया। लाखों-लाखों लोग आशा लगाये हुए थे इस सरकार से बड़ी आशाएं थीं, लाखों बच्चे आशा लगाये हुए थे कि यह सरकार शायद इन स्कूलों को अनुदान सूची पर ले आये और उस अनुदान से हमारे परिवार के लोगों को तनख्वाह मिल जायेगी, हमारी होली, दीवाली, ईद हो जायेगी। खुद पीट थपथपा रही है यह सरकार कि हम जनहित में सारे काम कर रहे हैं। उर्दू मदरसा है अरबी, फारसी मदरसा यूनिवर्सिटी तो कायम हो गयी लेकिन उसमें उर्दू नहीं जोड़ा गया जब कि उर्दू दूसरी राजभाषा के रूप में इस्तेमाल होती है। पहले तो सारी जगह उर्दू में काम हो रहा था।

मान्यवर, उर्दू मदरसों को अरबी फारसी मदरसों को एक भी मदरसे को अनुदान सूची पर नहीं लिया गया। यह किस तरह का दिशाहीन बजट है। पिछली जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार 2007 में गयी आपको सत्ता मिली तो बजट सरप्लस था और पूरा खजाना भरा हुआ था आपने उस खजाने को धीरे-धीरे खत्म किया और इतने लम्बे अन्तर के घाटे का

बजट आपने प्रस्तुत कर दिया। अब आपके पास नई कोई उद्योग नीति नहीं, नई कोई किसान नीति नहीं, नई कोई बेरोजगारों को रोजगार देने की नीति नहीं, दिनों दिन काम के लिए तड़फ रहा है नौजवान देश का, माओवाद की चर्चा हमारे साथियों ने की, यह माओवाद क्या है ? जब पेट भूखा होगा और लोगों को काम नहीं मिलेगा तो उन नौजवानों का दिमाग कहां जायेगा तो मैं आपके माध्यम से सुझाव भी सरकार को देना चाहता हूं कि-

भूख के एहसास को शेरों सुखन तक ले चलो,

अब गजल को मुफलिशों की अंजुमन तक ले चलो,

बंगलों का आराम छोड़ो अब गांव की तरफ चलो। जो सपना बाबा साहब अम्बेडकर ने महात्मा गांधी ने देश के महान पुरुषों ने अपनी आहुति और बलिदान देकर इस देश को आजाद कराया था उस गांव की तरफ चलो और उन गरीबों के दर्द को समझो और उन्हें न्याय दिलाने की बात करो यह माओवाद क्या है यह भूखे पेट की निशानी है। जब भूखा पेट होता है तो आदमी का मन बदल जाता है।

मान्यवर, मेरा कहना है--

-भूख के एहसास को शेरों सुखन तक ले चलो,

गजल को मुफलिशों की अंजुमन तक ले चलो,

जो गजल माशूक के जलवों से वाकिफ हो गई,

अब उसे बेवा के माथे की शिकन तक ले चलो.

हमको नज्मो जब्त की तालीम देना बाद में,

पहले अपनी रहबरी को आचरण तक ले चलो।

मान्यवर, आज प्रदेश का किसान, प्रदेश का नौजवान, प्रदेश का कर्मचारी, प्रदेश का छात्र, प्रदेश का मरीज सब परेशान है। अस्पतालों में भीड़ है, दवाई नहीं है। मान्यवर, आज ही माननीय मंत्री जी ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा है कि कई लाख शिक्षकों का पद खाली है प्रदेश का विकास कर रही है सरकार। अभी जून का महीना आयेगा, लाखों शिक्षक रिटायर हो जायेंगे और वह गैप बढ़ जायेगा। आज इस सरकार ने किसान के लिये, न मजदूर के लिये, न नौजवान के लिये, न कर्मचारियों के लिये, यहां तक कि न कलमकारो के लिये, न पत्रकार बन्धुओं के लिये और न मीडिया कर्मियों के लिये कोई कल्याणकारी योजना नहीं चलाई है। यह सरकार बिल्कुल अपने घमण्ड में डूबी हुई है। इसकी जो नीतियां हैं वह गरीब को गरीब करने वाली है। किसान को कंगाल करने वाली है। इस सदन में कई बार चर्चा आई है कि बाढ़ के लिये कोई योजना नहीं बनाई गई। मान्यवर, बरसात के समय अक्सर नेपाल से पानी छोड़ा जाता है पीलीभीत, सीतापुर, शाहजहांपुर, बाराबंकी, गोण्डा, बलरामपुर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, लखीमपुर, यह सारे इलाके फ्लड इफेक्टेड हो जाते हैं। यह जो त्रासदी इन जिलों के लोग झेलते हैं, वह बहुत ही कठिन होती है। इस बाढ़ के समय में भी इन गरीबों के बीच में एक भी पैसा इमदाद नहीं पहुंची। सरकार ने सूबे के आधे जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया था, जिसमें जनपद बलरामपुर भी है और अन्य पास

पड़ोस के जनपद भी हैं। लेकिन इस सदन में बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस सरकार ने एक भी रुपया किसानों को सूखा राहत के मद में नहीं दिया और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी तो सब वायदा कर लेते हैं बड़े आसानी से टाल देते हैं। मैं इनसे कहना चाहता हूं कि यह भी दरिया के किनारे से आते हैं। इनके बगल में एक पुल था, हमारी सरकार ने प्रयास किया था कि खलीलाबाद-अकबरपुर टांडा वाला पुल बना दिया जायेगा। हमारे क्षेत्र में मान्यवर, बिसुही नदी पर सिंगारघाट के पुल को सरकार ने स्वीकृति दी थी। आधा बन गया, आधा खड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश में जितने भी पुल बने थे वह आधे खड़े हुए हैं, उसको सरकार पूरा कराये। इसी प्रकार जो सड़के उप सरकार की अधूरी रह गई थी, उसे यह सरकार पूरा कराये। डाक्टरों की कमी सरकार पूरा कराये। दवाओं की जो अस्पतालों में कमी है, उसका इंतजाम करे, पढ़ाई का इंतजाम करे।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करे।

श्री आरिफ अनवर हाशमी-

अभी तो मान्यवर, मुझे बहुत कहना था।

इफ्तदाये इश्क है रोता है क्या, आगे-आगे देखिये होता है क्या,

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी मुस्करा दिये, उस पर मुझे एक बात याद आ गई, उसके बाद मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा कि-

'होठों पर हंसी अधरों पे शिकन, इकरार भी है, इंकार भी है,
इस वादे का क्या मतलब समझूं, आसान भी है, दुश्वार भी है।

बहुत-बहुत शुक्रिया।

श्री मुख्तार अंसारी-

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं। मैं सरकार तथा संसदीय कार्य मंत्री जी को सुझाव देना चाहता हूं कि हमारा क्षेत्र बुनकरों का क्षेत्र है और बुनकरों के क्षेत्र में जिस प्रकार किसानों को बिजली की सुविधा दी गई है, उसी तरह की सुविधा प्रदेश के बुनकरों को भी दी जाय, ऐसा हम चाहते हैं। क्योंकि जिस तरह किसानों को स्पेशल बिजली दी जा रही है जिस तरह इंडस्ट्रियल इलाकों में बिजली दी जा रही है, अगर ठीक उसी प्रकार से बुनकरों को भी बिजली मुहैया कराई जायेगी तो निश्चित रूप से जो बुनकर बेरोजगार होकर हमारे प्रदेश को छोड़ कर दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं उससे उन बुनकरों को रोकने में आसानी होगी और उनकी भी रोजी रोटी चल सकेगी। इसके साथ ही साथ मैं आपका ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा कि बुनकरों द्वारा जो गमछा, लुगी, साड़ी और अन्य कपड़े तैयार किये जाते हैं सरकार को चाहिये कि जिस तरह से गेहूं, चावल, गन्ना और अन्य सामान किसान को खरीद करके किसानों को सुविधा दी जाती है ठीक उसी प्रकार से जो बुनकर दस्तकार अपना सामान तैयार करते हैं उन सामानों को सरकार अगर खरीद करके उन्हें सस्ते गल्ले की दुकानों में सस्ते मूल्य में अगर सरकार देती है तो बहन जी ने रोटी, कपड़ा और मकान का जो वादा किया

है वह पूरा होगा बुनकरों की भलाई के लिये तारीफी काम होगा। मेरा एक सबसे जरूरी मांग है कि हमारे मऊ और वाराणसी के अमल में लिये अक्सर जहां पर दंगे फसाद होते रहते हैं। इन दोनों जगहों पर एक रैपिड ऐक्शन फोर्स का हेड-क्वार्टर इस बजट में शामिल कर लिया जाय जिससे कि इन शहरों में और इन शहरों के आसपास के इलाकों में दंगाई दंगा-फसाद करें तो रैपिड ऐक्शन फोर्स फौरन वहां पहुंच करके शान्ति स्थापित कर सके। इसके साथ ही साथ मऊ के लिये मैं एक और मांग करना चाहता हूं कि हमारे मऊ में ब्लड-बैंक की स्थापना कर दी जाय तो इससे बहुत ज्यादा वहां के लोगों के फायदा होगा। साथ ही साथ मैं मऊ के लिये एक और मांग करना चाहता हूं कि वहां पर कोई अग्निशमन केन्द्र नहीं है, जब मऊ में आग लगती है तो आजमगढ़ से लोग गाड़ी मंगाते हैं और जब तक गाड़ी आती है तब तक सारे घर जल चुके होते हैं इसलिये मऊ के अन्दर भी एक हेड क्वार्टर बनाकर अग्निशमन की भी व्यवस्था की जाय यह हमारी मांग है। इसके साथ ही मैं सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं, इसके लिये धन्यवाद।

श्रीमती मिथिलेश पाल-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिये आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस बजट के पहले पेज पर कहा गया है कि सभी महापुरुषों, सन्तों, गुरुओं व महापुरुषों में भी खास तौर से महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायण गुरु बाबा साहेब डा0 भीमराव अम्बेडकर एवं मान्यवर, श्री कांशीराम जी का विभिन्न रूपों में अर्थात् इनके नाम पर स्मारक, संग्रहालय, मूर्तियां, पार्क इत्यादि बनाये गये हैं। मैं कोई आरोप नहीं लगाना चाहती हूं मैं यह कहना चाहती हूं कि बाबा साहेब डॉ0 भीमराव अम्बेडकर ने सबको बराबर का वोट डालने का अधिकार दिया, उनके नाम पर स्मारक और पार्क बनाये गये हैं, यह बहुत अच्छी बात है। ज्योतिबा फुले ने लोगों को शिक्षा की ओर प्रेरित किया है यदि उनके नाम पर स्मारक और मूर्तियां बनाई गई हैं तो यह बहुत अच्छी बात है। मान्यवर, कांशीराम जी ने बाबा भीमराव अम्बेडकर के विचारों को साकार करते हुए अपने आपके लिये कुछ नहीं किया और देश के दलितों और गरीबों को जगाया है, उनके नाम पर स्मारक और पार्क बनाये गये हैं। मैं उनका भी दिल से स्वागत करती हूं लेकिन उसके साथ साथ मैं यह चाहती हूं मैं राष्ट्रीय लोकदल से सदस्या हूं, स्व0 चौ0 चरण सिंह जी जो इस देश के किसानों के मसीहा कहे जाते थे उन्होंने जमींदारी प्रथा को समाप्त करके किसानों को उनकी भूमि का मालिकाना अधिकार दिलवाया है और सीलिंग प्रथा भी समाप्त की है तो मैं चाहती हूं कि उनके भी स्मारक व पार्क बनाये जाने चाहिये। इस बजट के पेज दो पर है मजदूरों, किसानों, व्यापारियों, कर्मचारियों एवं विभिन्न पेशों में लगे लोगों और समाज में उपेक्षित निर्बल वर्ग के लोगों के लिये कहा गया है, यानी कि मजदूरों के लिये कोई रोजगार नहीं है, इस पार्टी में मजदूरों की दुर्दशा हो रही है। किसानों को ट्रान्सफार्मर नहीं मिल रहे हैं, उनकी भी दुर्दशा हो रही है और सिंचाई के लिये कोई साधन नहीं है। इसके अलावा व्यापारी परेशान हैं, क्राइम बढ़ रहे हैं। व्यापारियों की दुर्दशा हो रही है, व्यापारी दिन प्रतिदिन लूटे जा रहे हैं लेकिन यह सरकार कुछ नहीं कर रही है और अधिकारी चैन की नींद सो रहे हैं। एक बात और बताना

चाहती हूं कि जो महिलायें हैं, जिनके पति की मृत्यु हो गई है उसके बाद जो आर्थिक सहायता दी जाती है उसके लिये उनको मारे-मारे घूमना पड़ता है। उनके जो आय प्रमाण-पत्र बनाये जाते हैं वह नहीं बनाये जाते और उनको फाड़कर रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाता है, तो मैं चाहती हूं कि इसके लिये भी कुछ किया जाये। ऐसे ही हमारे युवा जो पढ़े लिखे हैं लेकिन क्राइम की तरफ बढ़ रहे हैं, उसका कारण यह है कि उनको रोजगार नहीं दिया जा रहा है। छात्रों को छात्रवृत्ति समय पर नहीं दी जा रही है। इसके साथ ही पर्यटनस्थलों पर 90 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। मेरे क्षेत्र में भी शुक्रताल पड़ता है जहां प्रतिदिन हजारों आदमी घूमने के लिये आते हैं। वैसे तो पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक मात्र हरिद्वार तीर्थस्थल हुआ करता था, जहां लोग घूमने के लिये आते थे, वह अब उत्तराखण्ड में आ गया है। इसके बावजूद शुक्रताल में बिजली दिन में केवल 2 घण्टे के लिये आती है, रात्रि में बिजली नहीं रहती है। मैं यह निवेदन करूंगी कि ऐसी व्यवस्था की जाए कि वहां पर चौबीसों घण्टे लाइट रहे और एक बैंक खुलवाया जाए जिससे कि वहां पर आने वाले यात्रियों को कोई परेशानी न हो। मान्यवर, असेवित बस्तियों में वर्ष 2010-2011 में 1000 नवीन प्राथमिक विद्यालय तथा 1000 नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले जाने का लक्ष्य है। लेकिन मेरे क्षेत्र में कुछ गांव ऐसे हैं जो 25 कि0मी0 दूर पड़ते हैं, लड़कियां पढ़ने आती हैं। वहां पर इतना खराब रास्ता और यातायात के साधन की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिये वहां पर उच्च विद्यालय खोलने की व्यवस्था की जाए।

श्री अधिष्ठाता-

धन्यवाद। अब समाप्त करें।

श्रीमती मिथिलेश पाल-

ऐसे ही इन्दिरा आवास में 5200 मकान आये थे लेकिन 2600 मकान कुल बनाये गये हैं। मेरे क्षेत्र में कुछ गांव ऐसे पड़ते हैं जैसे इलाहाबाद, बिहारगढ़ आदि अनेकों ऐसे गांव पड़ते हैं जिनमें केवल झोपड़ियां हैं लेकिन उसके बाद भी सी0डी0ओ0 साहब ने यह कहकर वापस कर दिया गया कि यहां मकानों की कोई आवश्यकता नहीं है, यहां सबके पक्के मकान हैं इनको वापस कर दिये जाएं। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाये ऐसे ही सिंचाई विभाग के लिये, किसानों को समय पर ट्रांसफार्मर मिलने चाहिये। पृष्ठ-12 पर मछुआ समुदाय के बारे में है। मछुआ समुदाय अल्पसंख्यक होते हैं और मेरे क्षेत्र में कई गांवों के मछुआरे हैं जैसे खुशीपुरा अलमा वाला। उन मछुवारों के लिये न झोपड़ी है, न नल की व्यवस्था है, न पानी की व्यवस्था है और वह जीने को लाचार हैं और मरने के दूर हैं लेकिन इसके बावजूद उनकी कुछ नहीं सुनी जा रही है। मैं चाहूंगी कि जब 250 मकान आये हैं और 125 हैण्डपम्प आये हैं तो उन मछुआरों के लिये यह व्यवस्था लागू होनी बहुत जरूरी है। ऐसे ही मैं ऊर्जा मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि मेरे क्षेत्र में, देश आजाद हुए 63 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन कुछ गांव ऐसे हैं कि आज तक उन्होंने बिजली की रोशनी नहीं देखी, उन्होंने यह नहीं देखा कि बिजली की रोशनी कैसी होती है, उनके बच्चे कैसे पढ़ते होंगे, उनके पशु कैसे चारा खाते होंगे, आपने यह कभी महसूस करने की कोशिश नहीं की ? तो मैं चाहूंगी कि उन गांवों में बिजली की व्यवस्था की जाये।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त कीजिये।

श्रीमती मिथिलेश पाल-

ऐसे ही लड़कियों के शादी के लिये अनुदान मिलता है वर्ष 2009-2010 में अनुसूचित जाति और सामान्य वर्ग की लड़कियों को अनुदान मिल चुका है लेकिन पिछड़े वर्ग की लड़कियों को यह कह दिया गया है कि इसका धन खत्म हो गया है ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त कीजिये।

श्रीमती मिथिलेश पाल-

मेरे क्षेत्र में एक गांव ऐसा पड़ता है जिसे योगेन्द्र नगर कहते हैं उसमें उनकी कोई व्यवस्था नहीं और वहां के लोग घास या पशुओं के चारे के लिये डुण्डीघाट पैदल नदी में निकल कर जाते हैं, नाव की भी व्यवस्था नहीं है वह गठरी या घास के गट्ठर पर बैठकर जाते हैं। उनके सामने कितनी कठिन समस्या होगी, यह आप महसूस कर सकते हैं। मैं आपसे निवेदन करती हूं कि मेरी इन सब बातों पर ध्यान दिया जाए और मेरे क्षेत्र में विकास कार्य कराये जायें, आपका बहुत- बहुत धन्यवाद।

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा-

माननीय अधिष्ठाता महोदय जी आपने मुझे इस बजट पर जो बोलने का अवसर दिया उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। काफी देर से यह चर्चा चल रही है और अभी किसी ने कहा भी था कि सरकार ने स्वर्गीय भगत सिंह के सपनों को साकार करने की दिशा में सार्थक प्रयास किया है। यदि वास्तव में सरकार ने ऐसा किया है तो निश्चित रूप से वह बधाई के पात्र हैं, लेकिन एक बात जरूर है अगर भगत सिंह के सपनों को साकार करने का प्रयास किया था, तो कम से कम इस बजट भाषण में उनका नाम भी आ जाना चाहिये था। अभी कई लोगों ने कहा, नहीं ये मैंने अपनी तरफ से नहीं कहा, किसी ने कहा था, उस पर मैंने याद दिलाया है सिर्फ सदन को कि कहीं भी उनका नाम इसमें नहीं आया। अभी यह पीड़ा सदन के बहुत से सदस्यों ने व्यक्त की मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि जिन लोगों ने भी इस देश के लिये कुर्बानियां दी हैं, वे महान होते हैं, चाहे आप उनका नाम भूल जायें चाहे हम उनका नाम भूल जायें, लेकिन सूबे के करोड़ों-करोड़ों आवाम और हिन्दुस्तान में बसने वाले करोड़ों आवाम उनका नाम नहीं भूल सकते हैं इसलिये कि उन लोगों ने आजादी की देवी को अपना खून दिया था और वो उनके गीत गाते थे और गाते रहेंगे :-

"हम उनके गीत गाते हैं, हम उनके गीत गाते हैं,
जो आजादी की देवी को लहू की भेंट देते हैं,
जो रख देते हैं, सीना गर्म तोपों के दहाने पर,
नजर से जिनकी बिजली कौंधती है, आसमानों पर,
हम उनके गीत गाते हैं, हम उनके गीत गाते हैं।"

वह गीत तो पूरा हिन्दुस्तान गाता रहेगा। इस बजट भाषण में उनके नामों का उल्लेख हो या न हो, उल्लेख होगा तो आप स्वयं अपनी गरिमा को बढ़ायेंगे। बजट की बात कहें मान्यवर, गर्वपूर्वक कहा गया कि यह अब तक का सबसे बड़ा बजट है, एक लाख तिरपन हजार एक सौ निन्यानबे करोड़ का बजट आया, निश्चित रूप से बजट बड़ा है, लेकिन बजट के लिये महत्वपूर्ण यह नहीं होता है कि उसका आकार कितना बड़ा है, महत्वपूर्ण बात यह होती है कि बजट में धन का आवंटन किस प्रकार से हुआ ? और बजट वित्तीय घाटे से रहित हो यह सबसे बड़ी बात होती है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन के सामने यह बात लाना चाहती हूं कि बजट तो बहुत बड़ा आया लेकिन वित्तीय घाटा भी इसमें बढ़ गया 9 हजार 22 करोड़ का वित्तीय घाटा हुआ और जबकि विरासत में जो इनको व्यवस्था मिली थी, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस समय 24 हजार करोड़ रुपये राजकोष में मौजूद थे। ये सवाल किया जाना चाहिये कि वो 24 हजार करोड़ रुपये कहां चले गये कि आज की तारीख में 9 हजार 22 करोड़ का घाटा हुआ, सिर्फ यही नहीं आज उत्तर प्रदेश ऋण के बोझ से दबा हुआ है, एक लाख 85 हजार की ऋण ग्रस्तता उत्तर प्रदेश के हिस्से में आई जिसका जो एनुअल रिपेमेण्ट होता है, जो किस्त देनी होती है, वह 19 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की है। इतनी ज्यादा है, जो एनुअल प्लान का लगभग आधा है। इस वक्त जो अनुमानित प्लान आपने रखा है 42 हजार करोड़ रुपये का उसका लगभग आधा है इसलिये सोचना पड़ेगा कि जब प्रदेश इतनी बुरी तरह से ऋण ग्रस्त हो रहा हो तो वहां पर विकास की कल्पना क्या की जा सकती है।

राजस्व से जो आय होती है, खर्च उससे उसका दूना हो चुका। राजस्व की आय का लगभग 78 प्रतिशत हिस्सा आपका अनुत्पादक खर्चों में व्यय हो रहा है, लोगों की तनख्वाहें देने में व्यय हो रहा है, पेंशन पर व्यय हो रहा है और कर्जों को चुकाने में व्यय हो रहा है। इसके बाद भी सदन को गुमराह किया जाता है कि विकास दर 09-10 में 7.4 प्रतिशत रही, मगर इसको आईना दिखा रही है, हमारी पार्टी की रिपोर्ट नहीं है, बल्कि योजना आयोग की रिपोर्ट है उसने एक स्टडी कराई थी राष्ट्रीय समग्र विकास योजना के तहत 15 जनपदों को पूरे प्रदेश में चुना गया था जो मोस्ट बैक वर्ल्ड डिस्ट्रिक्ट थे आज मुझे कहते हुए अफसोस हो रहा है कि उसमें 14वें स्थान पर आपका चन्दौली था और 15वां जनपद आपका सीतापुर। दिसम्बर, 2009 में यह अध्ययन हुआ, इसकी रिपोर्ट आई, जनवरी में जारी हुई थी, ये योजना आयोग की रिपोर्ट। जरा सोचिये कि अगर वास्तव में विकास हो रहा था तो फिर पूरे देश का सबसे पिछड़ा हुआ जनपद चन्दौली और सीतापुर क्यों है। क्यों नहीं हमारे हिस्से में यह गौरव आया कि हम देश के सबसे विकसित जिले में कोई एक जिला हमारा होता, मगर हम इस गौरव से वंचित हैं। मान्यवर, प्राइमरी सेक्टर का जिक्र हुआ था। प्राइमरी सेक्टर का जिक्र करके इस बजट में कहा गया कि पहले 2000 तक 35.6 प्रतिशत की विकास दर थी जो घटकर इस वक्त 2009 में आकर 29.5 प्रतिशत हो गई। सीधा-साधा मतलब है कि 6 प्रतिशत की उसके अन्दर गिरावट आई है। यह प्राइमरी सेक्टर था इससे मुराद जहां तक मैं समझती हूं कृषि क्षेत्र से है। विकास की बातें की गई लम्बे लम्बे दावे किये गये कि किसानों की जिन्दगी को खुशहाल बना देंगे अगर किसानों की जिन्दगी खुशहाल

बनाना था तो बजट में 4 हजार करोड़ की धनराशि का क्या मतलब है अगर इसको प्रतिशत में निकालें तो ढाई प्रतिशत की धनराशि भी नहीं आयेगी। वह भी समय आपको याद होगा जब बजट की धनराशि का 20 प्रतिशत हिस्सा कृषि के विकास पर खर्च नहीं किया जाता था क्या आज देश के सम्मुख खाद्यान्न के उत्पादन का संकट नहीं है यह संकट पहले से ज्यादा है। आज पूर्वांचल में मौतें हो रही हैं क्योंकि लोग अपने पेट को नहीं भर पा रहे हैं। बुन्देलखण्ड में लोग मौत को गले लगा रहे हैं मान्यवर, यह गलत नीतियों का नतीजा है। कृषि क्षेत्र में लगातार गिरावट आ रही है। गन्ने के लिये कहा गया कि 25 रुपये कुन्तल की बढ़ोत्तरी की गई हो अभूतपूर्व है। यह 25 रुपये कुंतल बढोत्तरी नहीं थी अगर आप जोड़ लें तो पच्चीस पैसा प्रति किलो पड़ेगा। अभूतपूर्व बढ़ोत्तरी हुई चीनी के दामों में जो 25 रुपये कि0 चीनी के दाम थे वह बढ़कर 50 रुपये प्रति किलो हो गये। क्षेत्र जो गन्ने का था वह घट गया 21 लाख हेक्टेयर से ऊपर कृषि होती थी मात्र एक वर्ष पहले आज यह घटकर 17 लाख हेक्टेयर क्यों हो गया है। आज किसान खेती करना छोड़ रहा है। इसलिये छोड़ रहा है कि उपज कम हो गई खाद मिलती नहीं है। 100 ट्रक खाद की रोजाना तस्करी नेपाल के बार्डर पर होती है। आप वहां पर पता करवा लीजियेगा एक अधिकारी ने खुलकर इस बात को कहा है किसान मजबूर हो गया है कृषि का क्षेत्र लगातार घट रहा है। कृषि उपज लगातार घट रही है आज उसके पास जो देश का अन्नदाता था अपना पेट भरने के लिये रोटी नहीं है मजबूर है वह सिर्फ सुनता है कि हिन्दुस्तान आजाद है, लोग कहते हैं कि आजाद वतन है मेरा, हम भी सुनते हैं कि आजाद वतन है मेरा अपनी आजादी को महसूस मगर कर न सके, दो कदम साथ मसीहा के कभी चल न सके।

श्री अधिष्ठाता-

समाप्त करें।

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा-

मान्यवर, मेरी बात आ जाने दीजिये अभी यहां पर ऊर्जा की बात हो रही थी हम सिंचाई और परिवहन की बात आपसे नहीं करेंगे। बजट सबका कम हुआ है ऊर्जा की बात इसलिये विशेष रूप से करेंगे कि ऊर्जा का बजट पिछले वर्ष के मुकाबले ही नहीं बल्कि 2008-09 के मुकाबले भी कम हुआ है उस वर्ष आपका बजट था 10 हजार करोड़ रुपये जो 7 हजार नौ सौ कुछ करोड़ हो गया है। आपने इस बजट में स्वीकार किया है कि प्रति वर्ष ऊर्जा की खपत आठ से दस प्रतिशत बढ़ रही है बजट क्यों कम हो रहा है। और प्रति व्यक्ति 346 यूनिट प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश में मिल रहा है जबकि राष्ट्रीय औसत 717 यूनिट है 2500 मेगावाट की कमी है उसके बावजूद जब बजट बढ़ना चाहिये, तो बजट कम हो गया।

श्री अधिष्ठाता-

समाप्त करें। 6 मिनट हो गया है।

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा-

एक मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगी अनपरा डी की बात की गई हरदुआगंज विस्तार की बात की गई यह योजनायें किसके शासनकाल में लगी थी। यह सब समाजवादी पार्टी

की सरकार के समय में लगाई गई थी। बुन्देलखण्ड और पूर्वांचल विकास निधि की बात एक मिनट का समय दीजिये बड़े दयालु हैं आप। पूर्वांचल और बुन्देलखण्ड विकास निधि को मिलाकर 318 करोड़ रुपये दिये गये। पिछले वर्ष 330 करोड़ रुपये इस सदन में दिये गये थे उससे पीछे जरा चले जाइये जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो 522 करोड़ रुपये पूर्वांचल निधि को दिये गये थे क्या इससे कोई इंकार करेगा। आप समझिये कि किस तरह से पूर्वांचल की उपेक्षा हुई 318 करोड़ में भी 32 करोड़ रुपये बुन्देलखण्ड को दिये जा रहे हैं हमें इस पर आपत्ति नहीं है। डा0 राधा मोहन दास ने आंकड़े रखे हम ज्यादा नहीं रखेंगे लेकिन यह जरूर कहेंगे।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करें।

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा-

बुन्देलखण्ड को इसके अलावा 1200 करोड़ मिले हमारे पूर्वांचल को क्या मिला। पूर्वांचल विकास के लिये तरस रहा है पूर्वांचल के लोग बैठे हैं लेकिन इनकी जबान हिलाने की हिम्मत नहीं है मान्यवर, दिलों में दर्द है लेकिन अपनी जुबान पर नहीं ला सकते हैं। 27 जिले हैं पूर्वांचल में सबसे बड़ा क्षेत्र है लोग बंटवारे की बात करते हैं। मगर पूर्वांचल के किसानों के दर्द को नहीं समझते। मैं जहां से आती है गाजीपुर से सबसे पिछड़ा जिला है। क्या मिला पूर्वांचल को इस बजट में ? मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहती हूं कि प्रति व्यक्ति आय पूर्वांचल की 9.499 रुपये है प्रति वर्ष जब भी बुन्देलखण्ड में 13250 रुपये है। इसके बावजूद पूर्वांचल को 318 करोड़ भी पूरे नहीं मिले क्योंकि 32 करोड़ उसमें से निकल गये। मान्यवर, अल्पसंख्यक की बात कही गई। एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगी। क्योंकि मैं भी अल्पसंख्यक हूं। इसलिये मैं कह रही हूं कि दशम् एवं दशमेत्तर छात्रों को .....

श्री अधिष्ठाता-

समाप्त करें।

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा-

मान्यवर, बस एक मिनट में मैं समाप्त कर दूंगी। सच अच्छा नहीं होता मगर कृपया एक मिनट का समय दे दीजिये। दशमेत्तर छात्रों को 221 करोड़ रुपये सरकार ने कहा कि छात्रवृत्ति में दिया। कितना दे दिया मान्यवर, और इससे कहीं ज्यादा आज से 3 साल पहले की बात मैं कह रही हूं। बजट का आकार इससे कहीं छोटा था तब भी मुलायम सिंह यादव जी की सरकार ने 243 करोड़ 47 लाख रुपये दिया।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें। आपकी बात आ गई है।

(राघव लखन पाल शर्मा का नाम पुकारे जाने पर)

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा-

मान्यवर, अपनी बात समाप्त कर दूंगी। केवल कानून व्यवस्था पर एक बात कह करके अकेले जनवरी महीने में लखनऊ में अपराध बढ़ता गया, नक्सलवाद बढ़ता गया।

श्री राघव लखनपाल शर्मा-

मान्यवर, आपका बहुत आभारी हूं कि आपने बजट के इस साधारण चर्चा पर मुझे भाग लेने का अवसर दिया।

श्री अधिष्ठाता-

समाप्त करें।

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा-

मान्यवर, आप देख लें 18 जिले पूरे प्रदेश के इसकी चपेट में आ गये। मां बहिनों की गोदियां उजड़ गई, वे विधवा हो गईं।

श्री अधिष्ठाता-

समाप्त करें।

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा-

मान्यवर, एक शेर कहकर अपनी बात समाप्त करूंगी कि **'कितने ही रंगो से सजी थी मेरी प्यारी-प्यारी जमीं लाल गुलाबी पीले आंचल लगते थे सब कितने हंसी सारे रंग अब ख्वाब हुए हैं दूधिया आंचल लहराए हैं भारत वर्ष की इस धरती पर'**

श्री अधिष्ठाता-

शादाब फातिमा जी, अब आप समाप्त करें।

श्री राघव लखन पाल शर्मा-

मान्यवर, आपका बहुत आभारी हूं कि आपने बजट के इस साधारण चर्चा पर मुझे भाग लेने का अवसर दिया। मान्यवर, इस बजट को देखकर ऐसा लगता है जैसे सरकार कह रही हो कि काम करो न करो पर काम की फिक्र जरूर करो और फिक्र करो न करो फिक्र का जिक्र जरूर करो। और वो भी एक घाटे का बजट केवल एक जिक्र बनकर रह गया है। इसमें वास्तव में कोई भी ऐसा बिन्दु नहीं है जिसके लिये हम ठोंक कर कह सकें कि सरकार ने प्रदेश की जनता के लिये कुछ कारगर करके दिया है। मान्यवर, विश्व के जितने भी महान राष्ट्र हैं उनकी महानता का अनुमान लगाने का एक पैमाना उनके नगरों से लिया जाता है चाहे आप बात करें जापान के टोक्यों की चाहे आप बात करें चीन के संघाई और बीजिंग की चाहे अमेरिका के न्यूयार्क की बात करें चाहे लन्दन की बात करें और अगर आप भारत में आये तो आप बात कर सकते हैं चंडीगढ़ की, बंगलौर की, हैदराबाद की नहीं तो मान्यवर, आप लखनऊ की बात नहीं कर सकते, कानपुर की बात नहीं कर सकते, आप सहारनपुर की बात नहीं कर सकते, आप बनारस की बात नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा नगर, कोई ऐसा शहर नहीं है, जिसे आप कह सकते हैं कि यह वर्ल्ड क्लास शहर है क्योंकि मान्यवर, इसके कुछ पैमाने होते हैं, मानक होते हैं जिससे एक शहर जाना जाता है। सिर्फ चमकीले शॉपिंग माल और अनावश्यक पार्कों से नहीं जाना जाता। एक शहर जाना जाता है या एक अच्छी जगह होती है रहने के लिये जहां एक ढंग का सेनीटेशन सिस्टम हो, सीवरेज सिस्टम से पूरा शहर कनेक्टेड हो, जहां कटौती मुक्त बिजली सप्लाई हो, जहां क्लोरीनेटेड पीने का पानी हो, जहां प्रदूषणमुक्त वातावरण हो और जिसमें से बहने वाली नदियां साफ हों, ये न हो कि जो नालों का रूप ले चुकी हों। जैसा कि सहारनपुर की ऐतिहासिक

पांव धोई नदी आज एक नाले में तब्दील हो चुकी है। आप गोमती ही की बात कर लें, तो यह पता चला कि 50 लीटर मिलियन वेस्ट उसमें रोज पम्प किया जा रहा है तो कहां से वह अब नदी रही। कई बार माननीय सदस्यों ने इस बारे में बात सदन में उठाई है। मान्यवर, सरकारों की, मैं किसी एक सरकार की बात नहीं कर रहा हूं लेकिन सरकारों की एक किसान विरोधी नीतियों के चलते बहुत बड़ी संख्या में हमारे ग्रामीण किसान भाई देहात क्षेत्रों में शहरों की ओर पलायन करते हैं। मान्यवर, आज उत्तर प्रदेश के शहरों में रहने वालों की जनसंख्या लगभग 4 करोड़ है। और चार करोड़ की आबादी में से 30 परसेन्ट लोग, यानि की सवा करोड़, इन शहरों की झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं और अधिकतम हमारे ग्रामीण बन्धु, जो बेचारे रोजगार की तलाश में, क्योंकि कृषि में कुछ रहा नहीं, कृषि में कुछ बचा नहीं, कृषि में कोई आमदनी नहीं, रोजगार की तलाश में वह लोग शहर आते हैं, सुनहरे सपने मन में सजाकर, और वहां आकर जब उन्हें हैण्डपम्प के पास अपना बिस्तर बिछाना पड़ता है, किसी एक पापलीन की चद्दर के नीचे, तब उसे पता लगता है कि यह है शहर, मान्यवर, यही स्थिति इस वक्त उत्तर प्रदेश की हो रही है। बात की जा रही है कांशीराम शहरी गरीब आवास योजना में 94 हजार कुछ आवासों का निर्माण हुआ है। यदि हम इसी पर बात करें कि सवा करोड़ लोग उत्तर प्रदेश के शहरों में झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं, तो लगभग तीस लाख मकानों की आवश्यकता है मान्यवर, यह तो 'ऊंट के मुह में जीरा' देने के बराबर है मान्यवर, यह तो किसी के किसी काम का नहीं है। आगे कहा गया है कि द्वितीय चरण में मांग के अनुसार आवासों का निर्माण कराया जायेगा, तो मान्यवर, मांग तो 29 लाख मकानों की है तो क्या 29 लाख मकान बनवाये जायेंगे, द्वितीय चरण में।

मान्यवर, ऊर्जा की बात हुई माननीय ऊर्जा मंत्री जी भी अभी यहां सदन में उपस्थित हुए थे, अपनी बात उन्होंने सदन में रखी, कई बार हमने भी सदन में उनसे आग्रह किये हैं और एक दो बार सदन में विषय रखने की कोशिश की है, ऊर्जा को लेकर आज जो परियोजनाओं की बात हो रही है, हजारों करोड़ रुपये की योजना का खुलासा किया गया है वह कब तक कारगर होती है या नहीं होती है यह तो मान्यवर, समय बतायेगा, 2013 में कौन होगा, कौन नहीं होगा और कैसा होगा। मान्यवर, यहां पर वैकल्पिक ऊर्जा को लेकर पिछले हफ्ते आधे घंटे की चर्चा हुई थी। जिसमें विशेष रूप से सोलर पावर जेनरेशन के बारे में बात हुई थी। मान्यवर, विश्व में कई जगह पर और मेरा मानना सही है तो कानपुर में भी वेस्ट से कूड़े से, बिजली का उत्पादन किये जाने का प्रपोजल है। इसमें मैं आपको बता दूं कि एसोसिएटेड चेम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री एसोचेम ने सर्वे एक कराया था और उस सर्वे की यह रिपोर्ट थी कि इन शहरों का कूड़ा इकट्ठा कर लिया जाए, मान्यवर, हमारे पास एक चीज की कमी नहीं है वह है कूड़े की, और उनकी यह रिपोर्ट थी कि अगर इस कूड़े को इकट्ठा कर लिया जाए तो लगभग ढाई हजार मेगावाट पावर जेनरेट की जा सकती है इसके आप फायदे सोचिये एक तो आपके शहर कूड़ा मुक्त हो जायेंगे, यह जो डम्पिंग ग्राउन्ड्स बना रखी है, वहां से इतना प्रदूषण पूरे वातावरण में हो रहा है वह पूरा खत्म हो जायेगा। दूसरा इससे आप पावर तो जेनरेट करेंगे ही साथ ही आपको इससे आर्गेनिक खाद भी मिलेगी, और एक सुनहरा भविष्य आप अपनी पीढ़ियों को देकर जायेंगे यह मटमैलों और ग्रे आसमान नहीं देकर जायेंगे। नीला आसमान छोड़कर जायेंगे, जब मान्यवर, प्रदूषण की बात हो ही

रही है तो नदियों के बारे में भी जैसा मैंने कहा, सहारनपुर में एक ऐतिहासिक पांवधोई नदी है, आप यमुना की बात करें, यमुना एक्शन प्लान लागू हुआ था 1993 में इसको लांच किया गया था। इसमें उत्तर प्रदेश के आठ शहरों को आना था, जिसमें सहारनपुर भी है, दूसरे फेज में जाने क्या हुआ कैपिसिटी बढ़ाने की तो बात ही नहीं हुई, सारे उन शहरों का नाम ही हटा दिया गया। शायद आगरा को कुछ मिला या नहीं, मैं नहीं जानता, किन्तु जब तक हम कोई कारगर योजना नहीं बनायेंगे नदियों को साफ करने के लिये तब तक हमारा कोई भविष्य नहीं है। क्योंकि उसके अन्दर जो भू-जल स्तर है वह नीचे जा रहा है उसकी क्वालिटी भी गिर रही है टौर वह प्वाइजनस हुआ जा रहा है। और आगे बीमारियां जैसे कैंसर और हेपेटाइटस इस कदर लोगों में इसकी बढ़त हो गई है उत्तर प्रदेश में, कि इन पर नियंत्रण पाना बहुत मुश्किल होने वाला है।

आपने क्योंकि मुझे समय दिया उसका मैं नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहता हूं इसलिये एक मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा मान्यवर, यह जो पक्ष और विपक्ष की राजनीति रहती है हर वक्त वह कुछ हद तक तो ठीक है पक्ष वाले कहेंगे कि सब कुछ ठीक है, विपक्ष वाले कहेंगे कि ठीक नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं बातें इससे ऊपर उठकर होती हैं और मुझे ऐसा लगता है कि विपक्षी दलों के जितने भी विधायक हैं, जितने भी माननीय सदस्य हैं, उनके क्षेत्रों की पूरी अनदेखी की जा रही है और जहां से मैं चुनकर आया हूं सहारनपुर नगर से, कई बार मैं इस बात की डिमाण्ड कर चुका हूं कि सहारनपुर में आये दिन दुर्घटनायें हो रही हैं अगर मैं आपको पिछले दो महीने का हवाला दूं तो लगभग पचास या साठ लोग बसों के नीचे कुचल कर मर चुके हैं। अगर सहारनपुर के लिये बायपास का निर्माण नहीं करवाया गया तो यह दुर्घटनाओं का दर बढ़ता ही जायेगा।

सहारनपुर की विशेषता क्यों, बाकी और भी तो शहर हैं, उत्तर प्रदेश में, मान्यवर, इसलिए क्योंकि सहारनपुर की सीमा तीन प्रदेशों के साथ लगती हैं, हरियाणा, हिमांचल और उत्तराखण्ड और जब तीन प्रदेशों की सीमाएं साथ में लगी हुई हैं तो इन सब का आवागमन सहारनपुर से होकर जाता है। मान्यवर, नगर निगम तो आपने दे दिया लेकिन नगर निगम को बजट आपने दिया नहीं, नगर निगम में कर्मचारियों को देने के लिए पैसा नहीं है, सड़कें बनाने के लिए पैसा नहीं है, सीवर चोक है, पथ प्रकाश बिल्कुल न के बराबर है, सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। तो कहीं न कहीं, हमें ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से सन् 2000 में हरिद्वार को सहारनपुर जिले से अलग करके उत्तराखण्ड में दिया गया था तो मान्यवर, यहां पर मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हैं, आप ही या तो इनको सुझाव दें कि हम सहारनपुरवासियों को, पूरे सहारनपुर जिले को आप रिकमेंड कर दें कि उत्तराखण्ड में इसका विलय कर दिया जाए, हम इसके लिए बहुत आभारी होंगे। मान्यवर, मन में काम करने की एक ज्योत्सना जागृत करनी पड़ेगी, मेरी अगर किसी भी चर्चा से, मेरे किसी जिक्र ने किसी को फिक्र में डाला है तो इसके लिए मुझे खेद है। मान्यवर, मैं चाहता हूं कि सरकार इन सभी बिन्दुओं पर ध्यान दे। कहने को तो बहुत कुछ है लेकिन समय बहुत कम है, मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया, धन्यवाद।

*श्री सिद्धार्थ शंकर-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मा0 अध्यक्ष जी के आर्शीवाद से इस बजट की आम चर्चा पर, इस गरिमामयी सदन में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। महोदय, मैं उप चुनाव, 2009 के द्वारा इस महान सदन का नवनिर्वाचित सदस्य हूं और आज मुझे इस बात का गौरव प्राप्त है कि मैं ऐसे सदन का सदस्य हूं, जिसका महान नेतृत्व, नेता सदन के रूप में हमारी इस उत्तर प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री मा. बहन कुमारी मायावती जी कर रहीं हैं। मान्यवर, आज यह मेरी मेड इन स्पीच है, कल इसी पद पर मा0 अधिष्ठाता, मा0 बृजेश सौरभ जी बैठे हुए थे और मैं आपने पिता की पुरानी कार्यवाहियों को पढ़ रहा था, उन्होंने उसमें उल्लेख किया कि जब मेड इन स्पीच होती है, पहली बार जब कोई सदस्य निर्वाचित हो करके सदन में अपनी बात रखते हैं तो उनको सब लोग प्रोत्साहन देते हैं और मुझे भी विश्वास है कि यह प्रोत्साहन मुझे मिलेगा। मुझे इस बात का भी गौरव है कि मैं एक ऐसे सदन में हूं, आप सब भीलीभांति परिचित हैं, हमारे पिता जी के साथ आप लोगों का एक लम्बा साथ रहा है और उनके बाद आज मैं ऐसे सदन में आया हूं, जहां पर हमारे पिता जी ने इसकी लम्बी सेवाएं दी हैं। मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि इस सदन में उनके जो पुराने साथी हैं, आज जब हमारे पिता नहीं हैं तो हमारे जो सीनियर्स हैं, हमारा मार्ग दर्शन करेंगें। मान्यवर, हम लोग, बहजुन समाज पार्टी के लोग संविधान के उपासक हैं, इसलिए हम कभी भी कानून को अपने हाथ में लेने में विश्वास नहीं करते, सड़क जाम एवं उग्र प्रदर्शन पर विश्वास नहीं करते, कभी हम चक्काजाम करने में विश्वास नहीं करते, बल्कि हम संविधान की परिधि में रह करके जनता का भला करने में विश्वास करते हैं। बजट भी मान्यवर, एक ऐसा ही सशक्त माध्यम है, जिससे कि गरीब, मजलूम, शोषित, हक-वंचित अपनी स्थिति को सुधार सकते हैं। मान्यवर, अगर इस बजट को ड्रीम बजट कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमारे मीडिया के बन्धु हमारी पार्टी के प्रति खास स्नेह नहीं रखते, परन्तु समाचार-पत्र भी आज इस अच्छे बजट की सराहना कर रहे हैं और मैं सरकार द्वारा प्रस्तुत इस ड्रीम बजट का स्वागत करता हूं एवं समर्थन करता हूं। मान्यवर, इस सदन में हमारे ओजस्वी मा0 वित्त मंत्री जी ने बजट के प्रावधानों को विस्तार से प्रस्तुत किया है, मैं उन बिन्दुओं पर विस्तार से नहीं जाऊँगा, परन्तु कुछ महत्वपूर्ण इस बजट की हाईलाइट्स हैं, जिनको मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। महोदय, अभी हमारे नौजवान साथी यहां पर बढ़ते हुए शहरीकरण की चर्चा कर रहे थे और। इस बात के लिए आभारी हूं कि उन्होंने इस सदन में वह बातें रखी लेकिन हमको इस बात को समझना पड़ेगा कि अगर कोई सरकार शहरीकरण की समस्या के निवारण के लिए सही रूप से सार्थक प्रयास कर रही है तो वह हमारी सरकार है इसी क्रम में हमारी सरकार ने जनता की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए शहरों में मल्टीलेवल पार्किंग बनवाने के प्रावधान किये हैं, बड़े शहरों में फ्लाइओवर के निर्माण किये जा रहे हैं एवं बजट में शहर के विकास के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। इस बात को भी समझना होगा कि असलियत में गांव से शहर के

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रति जो पलायन होता है तो इस कारण से शहर में जब कोई व्यक्ति उस साफ और स्वच्छ माहौल को छोड़कर यहां आता है तो उसको गरीब झुग्गी झोपड़ियों में रहना पड़ता है। इसके लिए हमारी सरकार में जो आदर्श अम्बेडकर ग्राम बनाये जा रहे हैं जिसमें आवास दिये जा हैं, पक्की सड़क दी जा रही है। विकास कराया जा रहा है जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन न हो सके।

महोदय, मैं इस बात को यहां प्रस्तुत करना चाहता हूं कि यह एक बैलेंस बजट है। अगर यहां पर शहर के क्षेत्रों का विकास किया गया है तो अम्बेडकर ग्राम योजना के तहत ग्राम का भी समग्र विकास किया जा रहा है। महोदय, इस बजट में पिछड़े वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए स्कालरशिप का प्रावधान है। अपने इस बजट में हमारी सरकार ने एक हजार 45 करोड़ का प्रावधान किया है जिससे करीब सवा दो करोड़ पिछड़े वर्ग की छात्र-छात्राएं लाभान्वित होंगे। अल्पसंख्यक समाज की मुस्लिम कन्याओं के विद्यालय के भवन के निर्माण का प्रावधान किया गया है। मुस्लिम निर्धन कन्याओं की शादी हेतु बहुत बड़ी राशि आवंटित की गयी है। महोदय, एस0सी0, एस0टी0 समाज हेतु सामुदायिक केन्द्र के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान है एवं एस0सी0, एस0टी0 आवास हेतु 250 करोड़ रुपये का प्रावधान है। इसी के साथ-साथ हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही अच्छी योजना के तहत 300 रुपये, जो ऐसे परिवार हैं जिनको बी0पी0एल0 या अन्य किसी सरकारी योजना से लाभ नहीं मिल पा रहा है ऐसे परिवारों को उन्होंने 300 रुपये प्रतिमाह देने का निर्णय किया है, जिसका हम स्वागत करते हैं। मान्यवर, मैं यह कहना चाहूंगा कि यह अब तक सबसे बड़ा बजट है इसमें 14.6 प्रतिशत की वृद्धि है। वहां पर हमारे विपक्षी दलों के लोग कह रहे थे कि ऊर्जा के क्षेत्र में कार्य नहीं हुआ, ऊर्जा के लिए बजट घटा दिया गया लेकिन हम यह बात कहना चाहते हैं कि बजट के माध्यम से नहीं लेकिन जो हम लोगों की पालिसी है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत हम इन योजनाओं को डेवलप करेंगे और जो हमारा धन है वह हम उस माध्यम से जुटायेंगे। जो हमारी सरकार का रेवन्यू है उससे हम गरीबों में वितरण करेंगे और उनकी गरीबी को दूर करने का प्रयास करेंगे। महोदय, हमारी सरकार पर यह आक्षेप लगाया जा रहा है कि यह घाटे का बजट है। परन्तु मैं इस सदन का ध्यान इस ओर लाना चाहूंगा कि घाटे का बजट होना कोई खराब बात नहीं होती है। आज विश्व की अर्थव्यवस्था मंदी के दौर से गुजर रही है और आपको स्मरण होगा, हमारे इस सदन के सभी सम्मानित सदस्य जानते हैं कि 1929-1930 में जब विश्व अर्थव्यवस्था में भी महान मन्दी आयी थी तो उस वक्त जिसे हम ग्रेड डिप्रेशन के नाम से जानते हैं तब महान अर्थशास्त्री जॉन मेन एट कीन्स ने सरकारी खर्चे को बढ़ाने का सुझाव प्रस्तुत किया था, हल प्रस्तुत किया था और उस वक्त के प्रेसीडेंट फ्रेक्लिन रूस्वेल्ट ने उसे न्यू डील के माध्यम से घाटे का बजट प्रस्तुत करके यहां पर अपने देश में विकास कराने का काम किया था। महोदय, जो घाटे का बजट होता है वह विकासोन्मुख होता है, डेवलपमेंट ओरिएंटेड होता है इसलिए इससे घबराने की जरूरत नहीं है और अर्थशास्त्र के बारे में और गहनता से अगर हमारे विपक्ष के माननीय सदस्यों ने उसमें पढ़ा होता तो इस बात को समझ सकते। मान्यवर, आज इस विकासोन्मुख बजट के कारण भारत का 6.7 प्रतिशत का जो अनुमानित जी0डी0पी0 ग्रोथ है उसके मुकाबले में हमारी विकास दर उससे कहीं

ज्यादा 7.4 अनुमानित है जिसके लिए हम हमारी इस सदन की नेता को धन्यवाद देते हैं कि उन्हीं के अथक प्रयासों से ऐसा सम्भव हो पाया है। यहां पर अभी हमारे एक पुराने साथी चले गये, उन्होंने हमारे पिता की कही हुयी बातों का उल्लेख किया, अभी वे सामने नहीं है, उनसे ही इस बात पर प्रश्न करना चाहता था कि ऐसे कौन से कारण रहे, मेरा राजनीतिक जीवन तो बहुजन समाज पार्टी में प्रारम्भ हुआ है, मैं जब यूनिवर्सिटी में एम0ए0 और पी0एच0डी0 कर रहा था उस वक्त भी बाबा साहब के सिद्धान्तों से, उनके आदर्शों से, उनकी नीतियों से मान्यवर, काशीराम जी के स्ट्रगल को देखकर के बहन जी के स्ट्रगल को देखकर के मैं प्रेरित हुआ था लेकिन ऐसे कौन से कारण हैं कि हमारे पिता जी को उस वक्त यहां इस ओर आना पड़ा, इस बात का विश्लेषण इनको करना पड़ेगा, अपनी अन्तर आत्मा में झांक करके इनको देखना पड़ेगा, इनको समझना होगा कि इनके सीनियर लीडर क्यों इनको छोड़कर जा रहे हैं ? इनको समझना पड़ेगा, यह इनकी प्राबलम है, हम उसमें नहीं जायेंगे, मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि मान्यवर, आज पिता की अन्तिम लाइन जो यहां पर हमेशा बोला करते थे और मुझे लगता है कि यहां पर बहुत प्रासंगिक है। वह कहते थे कि "वक्त को जिसने नहीं समझा, उसे मिटना पड़ा है,

और बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है,
और चाहे कितनी बड़ी हो चाहे कितनी भी कड़ी हो
हर नदी की राह से चट्टान को हटना पड़ा है।"

मान्यवर, आप सब लोगों को, जो यहां पर बैठे हुये हैं, हम सबको वक्त मिला था, इन सबको वक्त मिला था, कांग्रेस के हमारे साथी बैठे हैं, इनको सबसे ज्यादा वक्त मिला, समाजवादी पार्टी को वक्त मिला, हमको सबसे कम वक्त मिला, अगर हम सत्ता का पूरा वर्ष देखें तो, भारतीय जनता पार्टी को वक्त मिला, लेकिन आप उससे चूक गये। आज जब आप उन चीजों से चूक गये तो आज आप उन बातों को भूल करके हमारे ऊपर उंगली उठाने का काम कर रहे हैं, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि इस विकास की गंगा की राह में रोड़ा बनने का काम न करें क्योंकि हर नदी की राह से चट्टान को हटना पड़ा है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस बजट का समर्थन करते हुये अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अमरमणि त्रिपाठी-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, वर्ष 2010-11 के बजट अनुमानों पर जो माननीय वर्मा जी ने रखा है, उसमें हमारी तरफ से नेता प्रतिपक्ष ने जो संशोधन रखा है उसके समर्थन में हम खड़े हुये हैं और अपनी बातों पर बल देते हुये दो शब्द कहना चाहता हूं कि इस बजट में मान्यवर, जो सपने दिखाये गये हैं, जो बातें कही गयी है बजट के महत्वपूर्ण बिन्दु में आदरणीय वर्मा जी ने वित्तीय वर्ष 2010-11 का आकार 1 लाख 53 हजार 199.38 करोड़ रुपये का है जो गत वर्ष से 14.6 प्रतिशत अधिक है। कुल आयोजन गत व्यय इसमें मान्यवर, 45645.13 है। मान्यवर, इस बजट का नाम बहुत सुंदर, बहुत आकर्षक, बहुत ही अच्छी तरीके से सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय नारा दिया गया है। अच्छी बात है, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय होना भी चाहिए, बजट

का लक्ष्य और उद्देश्य भी यही होना चाहिए। इसमें सिंचाई व्यवस्था की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा मान्यवर। सिंचाई व्यवस्था के लिये शारदा सहायक नहर प्रणाली के अन्तर्गत शाहगंज शाखा की क्षमता पुनर्स्थापना परियोजना हेतु 4.60 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। अर्जुन सहायक परियोजना और शारदा सहायक नहर प्रणाली क्षमता पुनर्स्थापना परियोजना क्रियान्वयन की प्रक्रिया में अर्जुन सहायक परियोजना के क्रियान्वयन से 61.02 हजार हेक्टेयर सिंचाई क्षमता बढ़ेगी, इनका अनुमान है मान्यवर, सन् 1974 में एक बड़ी पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिये, अत्यन्त महत्वाकांक्षी सरयू नहर परियोजना स्थापित की गयी। आज हिन्दुस्तान की महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने कहा कि.....द्वितीय हरित क्रान्ति की जरूरत है मंहगाई पर अगर नियंत्रण लाना है और देश का सर्वांगीण विकास करना है तो दूसरी हरित क्रान्ति की जरूरत है। दूसरी हरित क्रान्ति होगी मान्यवर कैसे, दूसरी हरित क्रान्ति की तरफ हम बढ़ ही नहीं रहे हैं। हम सिंचाई व्यवस्था में जो बजट रखे हैं मान्यवर, उस सिंचाई व्यवस्था में उस बजट में केवल सरयू नहर प्रणाली को अगर पैसा दे दिया जाय तो जनपद बहराइच, जनपद श्रावस्ती, जनपद बलरामपुर, जनपद गोण्डा, जनपद सिद्धार्थनगर, जनपद महराजगंज, जनपद गोरखपुर, बस्ती, सन्तकबीरनगर, देवरिया इतने जनपदों को इससे पानी मिल जायेगा और सही मायने में जो महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने कहा कि दूसरे हरित क्रान्ति की जरूरत है, वह फलीभूत होगा, उसका असर अवश्य दिखाई देगा, लेकिन मान्यवर, बड़े दुःख और खेद के साथ कहना पड़ता है हमारे सिंचाई मंत्री जी भी बैठे हुए हैं। सन् 1974 में जिस योजना की लागत जिस पर निर्गत किया गया धन मान्यवर, 299 करोड़ रुपये था वह धीरे-धीरे बढ़ते हुए आज उसमें 80 प्रतिशत काम हो भी गया मान्यवर, केवल 20 प्रतिशत बाकी है, अगर इस 20 प्रतिशत को कर दिया जाय तो राप्ती, घाघरा और रोहिल नदियों के बीच के यह दोआबे जिसमें यह जनपद आते हैं, नौ जनपद आते हैं और इन नौ जनपदों में अगर सिंचाई की व्यवस्था हो जाय तो निश्चित रूप से एक नई हरित क्रान्ति की तरफ हमारा प्रदेश आगे बढ़ने लगेगा। मैं माननीय सिंचाई मंत्री जी बैठे हुए हैं उनसे भी आग्रह करना चाहूंगा कि आप जरा इस तरह भी नजर डालें और सरयू नहर परियोजना जो अत्यन्त महत्वपूर्ण योजना है, जिसकी योजना से पूरा पूर्वांचल सरसब्ज बनेगा, सर्वांगीण विकास होगा, हर खेत को पानी जायेगा, इसमें 92 हजार कि0मी0 नहरें बननी हैं, और 90 हजार कि0मी0 पुल बनने हैं, इससे आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी योजना थी। हमारे पूर्व की सरकारों ने इतनी महत्वाकांक्षी योजना रखी थी जिसके चलते हम इस पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश का हम विकास कर सकते थे, लेकिन आज खेद और दुःख के साथ कहना पड़ता है कि इतने बड़े बजट में एक रुपये भी सरयू नहर परियोजना के लिए नहीं किये गये हैं, जबकि काम उसमें बहुत छोटे रह गये हैं। केवल राप्ती नदी पर और रोहिल नदी पर बांध बना कर पानी को इस पार से उस पार ले जाने के लिए और जहां कहीं भी छोटे-छोटे मामले, गुले, पुल, पुलिया अर्धनिर्मित पड़ी हैं, केवल उसको अगर बना दिया जाय तो आज पूर्वी उत्तर प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदल सकती है, लेकिन हम कहना चाहेंगे-

कहां तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए,
कहां मयस्सर नहीं चिराग एक शहर के लिए।

कहां हमें हर खेत को पानी देना था, कहां हमें आगे बढ़ना था, आज पूर्वी उत्तर प्रदेश की इस बजट में उपेक्षा की गई। हमारे क्षेत्र में मान्यवर, रोहिल नहर प्रणाली है जिसमें विगत दिनों चार करोड़ रुपये से बंधा बनाने की योजना स्वीकृत की गई, बंधा अभी पूरी तरह से बना ही नहीं ध्वस्त हो गया मान्यवर, रोहिल नहर प्रणाली आज भी पूरी तरह से क्षत-विक्षत पड़ी हुई है, हम चाहते हैं मा0 सिंचाई मंत्री जी हमारे समक्ष बैठे हैं, रोहिल नहर प्रणाली के लिए, सरयू नहर योजना के लिए, जरूर इस बजट में व्यवस्था करें जिससे पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों का कल्याण हो सके। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्पादन में वृद्धि की जो योजना है, जो चाहती है उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार की कि दूसरी हरित क्रान्ति लाई जाय, दूसरी हरित क्रान्ति सरयू सहायक योजना को अगर पूरी तरह से लागू नहीं किया जायेगा तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के वह उत्पादक वह अच्छी जमीन जिससे हमारी उत्पादन क्षमता बढ़ सकती है, पानी के बगैर अधूरा पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से हमारे किसान बेहाल हैं।

(इस समय 5 बजकर 10 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

मान्यवर, हमारे इलाके के लोग बम्बई और दिल्ली रोजगार की तलाश में जाते हैं। यदि हमारे खेतों को पानी सहायक सरयू कैनाल नहर परियोजना एवं रोहिल नदी नहर प्रणाली को चालू करा दिया जाये तो हमारे क्षेत्र के लोगों को इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। इस बजट में एक महत्वपूर्ण बात कही गयी बौद्ध परिपथ के विकास हेतु कुशीनगर में सार्वजनिक एवं निजी सहभागिता के आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे परियोजना का उल्लेख मैं पूर्व में भी कर चुका हूं। जापान सरकार द्वारा सहायतित 386 करोड़ रुपये की बौद्ध परिपथ विकास की द्वितीय चरण की परियोजना लागू की जा रही है जिसके अन्तर्गत कुशीनगर, कपिलवस्तु एवं सारनाथ में जलापूर्ति, जल निकासी, विद्युत आपूर्ति तथा अन्य मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं के विकास के साथ-साथ कोल्हुई-हाटा मार्ग एवं बहराइच बाईपास का निर्माण किया जाना भी आच्छादित है। इसके पहले भी बौद्ध परिपथ का उल्लेख 2008-09, 2009-10 में किया गया है। जिसका विश्वास करके हमारे जनपद के अभियंताओं और ठेकेदारों ने बौद्ध परिपथ पर काम शुरू करा दिया। परन्तु आज तक उनका भुगतान नहीं हुआ। वह सड़कें आज भी क्षत-बिक्षत पड़ी हुई हैं। माननीय मंत्री जी वह घोषणा भी उसी तरह की न हो इसको पूर्ण करायें जिससे कुलोही से हाता का मार्ग निर्माण कार्य पूर्ण हो सके और हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश की इस महत्वाकांक्षी योजना से लाभ होगा। क्षेत्र विकसित होगा और आगे बढ़ेगा। इसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो अत्यन्त लोक महत्व का है हमारे क्षेत्र के विकास के लिये मील का पत्थर साबित होगा यदि केवल बजट की कोरी घोषणा न रहकर बजट को जमीनी हकीकत का जामा पहनाया जाये। जिससे भगवान बुद्ध की निर्वाण स्थली और जन्म स्थली को जोड़ दिया जायेगा जिससे विकास होगा परन्तु इसके पहले कई बार हवाई अड्डे की घोषणा कपिल वस्तु में की गयी नहीं बना। कुशीनगर में की गयी नहीं बना। इस वर्ष भी केवल कोरी घोषणा न रह जाये। अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अत्यन्त आवश्यक है इसका निर्माण कार्य अवश्य कराया जाये। मान्यवर, सरयू सहायक नहर परियोजना कितनी महत्वपूर्ण है माननीय अध्यक्ष जी आप पूर्वी उत्तर प्रदेश के हैं आप स्वयं जानते हैं। इससे हमारे क्षेत्र के पूर्वी उत्तर प्रदेश के 9

जनपदों को लाभ होगा जिससे हमारी उत्पादक क्षमता बढ़ जायेगी। द्वितीय हरित क्रान्ति की बात महामहिम राष्ट्रपति महोदया एवं उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। निश्चित रूप से द्वितीय हरित क्रान्ति आ सकती यदि हम योजना को लागू कर दिया जाये। माननीय कृषि मंत्री जी यहां पर बैठे हैं माननीय लोक निर्माण मंत्री जी बैठे हैं हमारे इन सुझाव पर ध्यान दें और सरयू नहर परियोजना के लिये जो इस वित्त बजट में एक भी पैसा नहीं दिया गया है पर ध्यान दें और पैसा दें जिससे इस अत्यन्त लोक महत्व की योजना को मूर्त रूप दिया जा सके। इसी के साथ मैं बजट पर नेता विरोधी दल तथा विपक्ष के अन्य सदस्यों द्वारा रखे गये प्रस्तावों का समर्थन करता हूं और बल देता हूं। धन्यवाद।

चौधरी महिपाल सिंह-

'मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे वित्तीय वर्ष 2010-11 के बजट के समर्थन में सम्मानित सदन के समक्ष बोलने का अवसर दिया। महोदय, उत्तर प्रदेश की जमीन पर अनेक महान पुरुषों ने जन्म लिया है जिनमें से एक बहन कु0 मायावती जी ने अपने शासनकाल में सामाजिक परिवर्तन की ठोस पहल की है। माननीय बहन जी ने अपने शासनाकालों में समाज के बिल्कुल निचले पायदान पर खड़े दलित शोषित, वंचित और हर तरफ से उपेक्षित वर्गों को सबसे पहले उठाने की कोशिश की है। उनकी आवाज तथा बुनियादी आवश्यकताओं को सबसे अधिक महत्व दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, इसके साथ ही इन वर्गों में समय-समय पर जन्में महान सन्तों, गुरुओं व महापुरुषों ने खास तौर से महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति साहू जी महाराज, नारायणा गुरू, बाबा साहेब डा0 भीमराव अम्बेडकर एवं मान्यवर, श्री कांशी राम जी को विभिन्न रूपों में अर्थात इनके नाम पर स्मारक संग्रहालय, मूर्तियां, पार्क, जिले, विश्वविद्यालय, कालेज आदि बना के इन्हें पूरा-पूरा आदर सम्मान दिया है। जिन्होंने अपनी तमाम जिन्दगी समाज के उपेक्षित लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए समर्पित की है। इसके अतिरिक्त माननीया बहन जी की सरकार ने विकास की परिभाषा को जमीनी जरूरतों से जोड़ा है और उन्हें बुनियादी सुविधायें दी है। "सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय" की नीति के आधार पर विभिन्न विकास योजनाओं के माध्यम से सभी वर्गों, समुदायों एवं क्षेत्र को समुचित विकास देने का पूरा-पूरा प्रयास हमारी सरकार द्वारा किया गया है। गरीबों, मजदूरों, किसानों, व्यापारियों, कर्मचारियों एवं विभिन्न पेशें में लगे लोगों और समाज के उपेक्षित व निर्बल वर्गों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं, युवाओं तथा छात्रों के उत्थान के लिये माननीया बहन जी की सरकार कटिबद्ध है। प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों के विकास हेतु विशेष आर्थिक पैकेज देने का अनुरोध केन्द्र सरकार से किया गया है लेकिन केन्द्र सरकार ने कोई भी पैकेज देने का काम नहीं किया है।

माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि की प्रधानता के दृष्टिगत किसानों को केन्द्र बिन्दु मानते हुए ग्रामीण विकास को उच्च प्राथमिकता देते हुए एवं कृषि उत्पादों का उचित मूल्य सुनिश्चित करते हुए किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि लाने का लक्ष्य रखा गया है जिससे आम जनता को सस्ते दामों में खद्यान्न उपलब्ध हो सके। ऊसर एवं बीहड़ भूमि को कृषि

योग्य बनाने के लिए सोडिक लैण्ड रिक्लेमेशन परियोजना तृतीय प्रारम्भ की गयी है। किसानों को खाद एवं बीज की कमी को देखते हुए भण्डारण की योजना बनाई गयी है। गांवों में पम्पसेटों बिजली के लिए ऊर्जा क्षेत्र में इस बार 7 हजार 900 करोड़ का बजट माननीया बहन जी के मार्गदर्शन में माननीय वित्त मंत्री जी ने रखा है। इसमें आभारी है हम किसान वर्ग के लोग जिसमें 2100 करोड़ रुपये की योजना जो पम्पसेट को अलग करते हुए उपभोक्ताओं को बिजली की अलग व्यवस्था देते हुए रखी गयी है। जब यह योजना परिलक्षित होगी निश्चित रूप से पम्पसेटों को 12 नहीं 16 घण्टे बिजली देने का काम हमारे ऊर्जा क्षेत्र में होगा। माननीय वित्त मंत्री जी ने जो अपना बजट रखा है ऊर्जा के क्षेत्र में उसमें पावर हाउस बनाने के लिए जो बजट रखा गया है मुझको लगता है कि अगले बजट में हमारा उत्तर प्रदेश ऊर्जा के क्षेत्र में पूर्णतया स्वावलम्बी होने का कार्य करेगा।

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे सामने बैठे हुए लोग हमारे विरोधी पार्टी के लोग गन्ने पर बहुत भारी चर्चा करते हैं मैं जानना चाहता हूं कि गत वर्षों में जब इसके पहले हमारी 2007-08 में सरकार बनी थी तब भी माननीय गन्ना मंत्री जी ने बजट रखने का काम किया था और हमारी सरकार ने 15 से 20 रुपया गन्ने का रेट बढ़ाने का काम किया था और 125 रुपये गन्ने का रेट 130 रुपये देने का काम किया था तब हमारे विरोधी पक्ष के लोगों ने बजाज ग्रुप से मिल करके कोर्ट से 110 रुपये का रेट का स्टे ले करके किसान को नाराज करने का काम किया। इसलिए गन्ना शार्ट हुआ है इक्सैस के बजाय शार्ट हुआ है इसी कारण आज 43-44 रुपये कि चीनी का रेट हुआ है। मैं कहना चाहता हूं कि माननीया बहन जी ने इस सीजन में भी 25 रुपये बढ़ाकर जो किसान को रेट देने का काम किया है इससे लगभग 1100 करोड़ का लाभ किसानों को हमारी सरकार देने जा रही है। इसके बाद भी किसान को यह भी छूट दी गयी है कि किसान को गन्ने का रेट मिल मालिकों के साथ बैठ करके और किसान के बीच में बैठ करके ज्यादा भी लाभ किसानों को मिले उसको गन्ना देने का काम किया जायेगा यह हमारी सरकार कर रही है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार की मुखिया माननीया बहन जी ने महिलाओं तथा विशेष तौर पर बालिकाओं के सर्वांगीण विकास के लिए "महामाया गरीब बालिका आर्शीवाद योजना" जिसके तहत माननीया बहन जी ने 300 रुपये हर उस महिला को जो उस परिवार की सरपरस्त होगी उसको 300 रुपये देने का काम किया है। इस बजट में लगभग 30 लाख परिवारों को यह लाभ मिलने जा रहा है। इसी तरह से माननीय कांशी राम आवास योजना के तहत लाखों मकान बना करके नगर विकास क्षेत्र ने गरीब परिवारों को देने का काम किया है जिनके ऊपर छत नहीं है जो झोपड़ियों में रहने का काम करते हैं। माननीय बहन जी के द्वारा रखा गया बजट निश्चित रूप से प्रदेश के सर्वांगीण विकास की ओर ले जाने वाला बजट है। मैं माननीया बहन जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करते हुए इतना ही कहना चाहता हूं कि इस बार बहन जी ने ऊर्जा के क्षेत्र में स्वावलम्बी बनाने का काम किया है। मैं बहन जी के मार्गदर्शन में माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करता हूं तथा आपका आभार व्यक्त करता हूं।

*श्री शिव प्रसाद यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया है, इसके लिये हम आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करते हैं। मैं सदन का नया सदस्य हूं। माननीय अध्यक्ष जी, इस बजट में हमारी प्रदेश की यशस्वी बहन मायावती जी ने गरीबों, बेसहारा, कमजोर लोगों को उनके गुजर-बसर के लिये जो प्रावधान किया है, निश्चित रूप से वह बहुत सराहनीय है और पूरे प्रदेश की जनता इस बजट के लिये बहुत ही सराहना कर रही है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे इस बजट में माननीय बहन जी ने गरीबों, शोषितों, बेसहारा, विधवाओं तथा गरीब तबके के लोगों के लिये जो बजट का प्रावधान किया है और उस गरीब तबके के उत्थान के लिये हमारे जिन महापुरुषों ने, संतों ने जो हमको प्रेरणा दी है, उनकी प्रेरणा के आधार पर माननीया बहन जी ने उनकी याद में जो विश्वस्तरीय स्मारक और पार्क बनवाये हैं, निश्चित रूप से पूरे प्रदेश ही नहीं, पूरे देश की जनता को माननीया बहन जी का शुक्रगुजार होना चाहिये कि उन्होंने अपने पुरखों, पूर्वजों और संतों के स्मरण में यह सब कराया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि स्मारकों के बनाने का सिलसिला यह कोई नया नहीं है ? मुगल शासनकाल में जिस समय ताजमहल बनाया जा रहा था, जिस समय लालकिला बनाया जारहा था, जिस समय फतेहपुर सीकरी का बुलन्द दरवाजा बनाया जारहा था, उस समय भी लोग बुराइयां करते थे, लोग आलोचना करते थे कि जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा इस प्रकार से राजा लुटा रहा है। लेकिन मुगल शासनकाल में जो स्मारक बनवाये गये वह आज हमारे देश की पहचान बन गये और पूरे विश्व में आज वह स्मारक हमारी पहचान के, प्रेरणा के स्रोत बन गये। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि यह जो बहन जी ने विश्वस्तरीय हमारे पूर्वजों के स्मारक बनवाये हैं निश्चित रूप से आने वाले दिन में यह हमारे दश की पहचान बनेंगे।

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे विपक्ष के साथियों ने शिक्षा पर बहुत चर्चा की, मैं आपके माध्यम से अपने सम्मानित विपक्ष के साथियों से कहना चाहूंगा कि जब इनकी सरकार नहीं थी तो पूर्व सरकार में 42 प्रतिशत और 45 प्रतिशत रिजल्ट आया करता था और जैसे ही समाजवादी पार्टी की सरकार आई वैसे ही स्वकेन्द्र परीक्षा प्रणाली से इन्होंने इतनी अच्छी पढ़ाई करवाई कि 82 प्रतिशत और 90 प्रतिशत रिजल्ट तुरन्त आना शुरू हो गया। माननीय अध्यक्ष जी, यह हमारी शिक्षा प्रणाली पर कटाक्ष करते हैं। हमारी बहन मायावती जी ने तमाम अध्यापकों को नियुक्ति करके, शिक्षा मित्रों की नियुक्ति करके और यहां तक कि अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा को भी प्रारम्भ करके एक बहुत बड़ा निर्णय उत्तर प्रदेश की शिक्षा को ठीक करने की दिशा में किया है।

मान्यवर, मैं आलोचना और समालोचना में नहीं जाना चाहता। मैं पूरे सम्मानित सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि अभी तक जो लोग गरीब थे उनके लिये किसी ने योजना क्यों नहीं बनाई ? जो बी0पी0एल0 से वंचित थे, जो ए0पी0एल0 से वंचित थे उनके गुजर-बसर के लिये

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अभी तक योजना किसी ने क्यों नहीं बनाई ? माननीय अध्यक्ष जी, जो बी0पी0एल0 में नाम है वह समाजवादी पार्टी की सरकार में नाम निश्चित किये गये थे, वे नाम बहुत ही त्रुटिपूर्ण है। जिनके नाम ट्रैक्टर और खेती है उनके नाम बी0पी0एल0 सूची में है और जो वास्तव में गरीब है, उनके नाम बी0पी0एल0 सूची में नहीं है। माननीया बहन जी ने उत्तर प्रदेश के गरीबों के लिये महत्वपूर्ण निर्णय लिया, यद्यपि यह केन्द्र सरकार की योजना है, हम बी0पी0एल0 की संख्या नहीं बढ़ा सकते लेकिन बी0पी0एल0 धारकों में संशोधन करने का जो निर्णय माननीया बहन जी ने किया है, वह निश्चित रूप से स्वागत योग्य है, निश्चित रूप से प्रशंसीय है निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। मा0 अध्यक्ष जी, हम आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि इसके पहले बड़ी-बड़ी सरकारें रहीं, जिन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय को आगे बढ़ाने के बड़े-बड़े दावे किये लेकिन उन्होंने अभी तक मदरसा शिक्षा परिषद् का गठन क्यों नहीं किया था ? अभी तक गरीबों के परिवारों में जो बेटियां पैदा होती थीं क्या आपको इस बात की वेदना नहीं थीं, हमारी ही सरकार ने, हमारी ही बहन जी ने गरीबों के परिवारों में जो बेटियां पैदा होती थीं उनको मदद देने का काम हमारी बहन जी ने शुरू किया है। मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अभी तक कोई भी मुख्य मंत्री और कोई भी दल ऐसा नहीं निकला जिसने अपने ही दल के अपराधी सांसद, अपने ही दल के अपराधी विधायक और अपराधी मंत्री को दण्ड देने का काम किया हो यह काम हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री बहन मायावती जी ने किया है।

मा0 अध्यक्ष जी, मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त करते हुए यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे विपक्ष के लोग बहुत लॉ एण्ड आर्डर की बात करते हैं। मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा राजू पाल हत्याकाण्ड, मा0 कृष्णानन्द राय की हत्या, मऊ में एक ही रात में सैकड़ों लोगों की हत्या और निठारी काण्ड जो हुआ है, यह सब समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ है। मा0 अध्यक्ष जी, मैं यदि प्रदेश के परिक्षेत्र में न जाकर कानपुर मण्डल, जहां से समाजवादी पार्टी का जन्म हुआ है यदि इटावा की ही बात को रखूं तो मा0 अध्यक्ष जी नेता प्रतिपक्ष जी जो बड़ी-बड़ी शेखी बघार रहे थे। सिविल लाइन में एक शाह आलम थे, नेता प्रतिपक्ष जो इस समय वर्तमान में हैं, उन्होंने शाह आलम को इटावा की सड़कों पर गिरा-गिराकर मारा था। मैं कहना चाहूंगा कि नेता प्रतिपक्ष जी जब अपना पर्चा दाखिल कर रहे थे मैं नहीं कहता कि किसने मारा किसने नहीं मारा लेकिन लोग कहते हैं कि उन्होंने मारा है, उस समय ही क्षत्रिय समाज के दरोगा आर0 पी0 सिंह की हत्या करायी गयी थी। मान्यवर, लॉ एण्ड आर्डर की बात करते हैं, मान्यवर, सूप बोले तो बोले चलनी क्या बोले जिसमें नौ सौ छेद हैं। मा0 अध्यक्ष जी, इटावा जनपद में केवल नौ महीने में 47 यादवों की हत्या हुई, यादव मुख्य मंत्री, यादव कत्ल करने वाला और यादव ही मरने वाला और यादव की लाश पर यादव के बच्चे ही रोने वाले, यह सब इनके कार्यकाल में हुआ है। मा0 अध्यक्ष जी, एक-एक घर से महिलाओं को सुन्दर बहुओं और बेटियों को, मैं नाम बता सकता हूं, गांव का नाम बता सकता हूं, जिनको घरों से उठा करके डेढ़-डेढ़, दो-दो महीने के बाद वापस किया गया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे भरथना विधान सभा क्षेत्र में एक गांव सामो पड़ता है, वहां पर नौटंकी हो रही थी, रात के साढ़े बारह बजे एक मुलवा नाम के गुण्डे ने

रिवाल्वर के बल पर नर्तकी को मंच से उतार लिया और चार दिन के बाद उस नर्तकी को वापस किया। मान्यवर, मलौसी में राजीव यादव नाम के व्यक्ति की हत्या हुई, वह अध्यापक था बेचारा, उसकी हत्या का मुकदमा समाजवादी पार्टी की सरकार में, सात दिन तक नहीं लिखा गया। जब गांव के लोग ट्रैक्टर भर करके वहां पर गये, मैं भी साथ में था तब भी मुकदमा पंजीकृत नहीं किया गया। उस परिवार के लोग मिलिट्री में थे, जब मिलिट्री के अफसरों ने हस्तक्षेप किया तो नौ दिन के बाद राजीव यादव, अध्यापक की हत्या का मुकदमा कायम हुआ। मा0 अध्यक्ष जी, मैं इटावा जिले की एक घटना और बताना चाहूंगा, जो लोग लोकतंत्र की बात करते हैं, मैं समाजवादी पार्टी के अत्याचार, अन्याय और लोकतन्त्र का गला घोंटने की रणनीति का साक्षात प्रमाण आपके सामने खड़ा हूं। मा0 अध्यक्ष जी, 27 फरवरी, 2006 को 71 बी0डी0सी0 में से हमारे पास 58 बी0डी0सी0 थे और मान्यवर, आज जो समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं [x x x] जी, उन्होंने स्वयं खड़े हो करके हमको वोट नहीं डालने दिया था।

डा0 पी0 के0 राय-

मा0 अध्यक्ष जी, अभी मा0 सदस्य द्वारा [x x x] का नाम लिया गया है वह इस सदन के सदस्य नहीं हैं, उनका नाम कार्यवाही से निकलवा दें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, [x x x] इस सदन के सदस्य नहीं हैं, उनका नाम निकलवा दिया जायेगा।

श्री शिव प्रसाद यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, हमको वोट नहीं डालने दिया गया था।

श्री अध्यक्ष-

वकार साहब हम उसे कार्यवाही से निकलवा देंगे।

श्री शिव प्रसाद यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, हम नये सदस्य हैं, हमको सदन की परम्परायें नहीं मालूम हैं लेकिन अध्यक्ष जी, हम लोगों को गिरफ्तार किया गया, वोट नहीं डालने दिया गया और 58 बी0डी0सी0 के सदस्य हमारे साथ खड़े रहे, इसके बावजूद भी निर्वाचित घोषित कर दिया गया।

डा0 वकार अहमद शाह-

मान्यवर, बजट पर बोलवाइये।

श्री अध्यक्ष-

बजट पर बोलिये।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

मान्यवर, कानून-व्यवस्था बजट का अंग है।

नोट :- [x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री शिव प्रसाद यादव-

अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहूंगा कि दस हजार यादव समाज के लोग हमारे साथ थे, हमको साढ़े चार महीने की जेल करायी गयी। मान्यवर, देश के 6 प्रदेशों में साढ़े पांच हजार स्कूल चलाता हूं, पौने 6 लाख बच्चों को शिक्षा का संस्कार देता हूं, साढ़े छः हजार अध्यापक हमारे साथ काम करते हैं इसके बावजूद भी हमारे ऊपर रासुका लगायी गयी, आतंकवादियों की धारा लगायी गयी।

डा0 वकार अहमद शाह-

मान्यवर, क्या बोलवाया जा रहा है ? ऐसे में यहां बैठने का क्या औचित्य है ?

श्री अध्यक्ष-

हर सदस्य को बोलने का अधिकार है।

श्री लाल जी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, इनसे सहा नहीं जा रहा है। इनके अत्याचार, अपनी बीती सुनाने का काम मा0 नये सदस्य कर रहे हैं तो इनसे रहा नहीं जा रहा है इसलिए कि इन्होंने लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया है वह सह नहीं पा रहे है।

(समाजवादी के अनेक सदस्य अपने आसन पर खड़े हो गये।)

श्री अध्यक्ष-

नये सदस्य हैं, असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं किया है। नाम लिया था वह मैंने कार्यवाही से निकलवा दिया। दूसरे मा0 विधायक जी कानून व्यवस्था पर बोल रहे हैं, इस पर राय साहब जा रहे हैं, यह कोई औचित्य नहीं है। आप लोग बैठें।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, एक भी असंसदीय भाषा का प्रयोग मा0 नये सदस्य ने नहीं किया है। कानून-व्यवस्था बजट का अंग है। कल तक मौज-मस्ती की बात, लूट की बात, भ्रष्टाचार की बात करते रहे तब अच्छा लगा और आज जब असलियत, इनकी पोल खुल गयी तो यह भागने लगे।

श्री अध्यक्ष-

मा0 वकार साहब कोई असंसदीय होगा तो उसे निकाल देंगे। मा0 अखिलेश जी का नाम आया, उसे मैंने निकाल दिया। नये सदस्य हैं, हो सकता है कि वह अपने उदगार व्यक्त कर रहे हों, बजट से संबंधित कानून-व्यवस्था पर बोल रहे हैं। कोई असंसदीय होगा, अशोभनीय होगा तो मैं उसे निकाल दूंगा, नहीं सुनूंगा। यह मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं।

श्री शिव प्रसाद यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, लोकतंत्र की रक्षा की बात करते हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगा, मुझसे कोई गलती हो गयी हो तो मैं क्षमा चाहता हूं लेकिन मेरी बात को सुन लें। मैं इनकी बात चार दिन से सुन रहा हूं, ये मेरी भी बात तो सुन लें। लोकतंत्र की बात करते हैं, नगरपालिका के चुनाव में, जिला पंचायत के चुनाव में, प्रधानी के चुनाव में, बी0डी0सी0 के चुनाव में, प्रमुखी के चुनाव में इटावा, औरैय्या, कानपुर, फर्रुखाबाद, जालौन में इलेक्शन नहीं हुये हैं अध्यक्ष जी वहां पर सेलेक्शन हुये हैं।

(सत्तापक्ष की तरफ से शेम, शेम की आवाजें आयी)

(डा0 वकार अहमद शाह के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय वकार साहब, आप वरिष्ठ सदस्य है। एक आरोप लगा रहे हैं कि इलेक्शन नहीं हुआ, सेलेक्शन हुआ, यह कौन सा असंसदीय है।

लोक निर्माण, सिंचाई, आबकारी आवास तथा गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी)-

माननीय अध्यक्ष जी, क्षमा मांग ली, मा0 सदस्य ने आपके ऊपर छोड़ दिया तो यह कोई बात हुई, बोलने नहीं देंगे।

श्री शिव प्रसाद यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, जो समाजवादी पार्टी के नेता अपने को यादवों का रहनुमा कहते हैं, 27 फरवरी, 2006 को दस हजार यादव हमारे पक्ष में खड़ा हुआ था और समाजवादी पार्टी के मुखिया उस समय मुख्यमंत्री थे, उन दसों हजार यादवों पर गोली चलायी गयी, लाठी चलायी गयी। माननीय अध्यक्ष जी, उसमें दो लोग मारे गये और साढ़े चार घण्टे गोली चली।

(सत्तापक्ष की तरफ से शेम, शेम की आवाजें आयी)

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करें।

श्री शिव प्रसाद यादव-

हमको भी जान से मरवाने का प्रयास किया गया और हम किसी प्रकार से बच गये और आज हम मा0 अध्यक्ष जी हम यहां जो सम्मानित सदन के सामने खड़े हैं, यह प्रदेश की यशस्वी बहन, इंसाफ की देवी बहन मायावती जी के कारण यहां पर खड़े हैं।

(सत्तापक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाई)

श्री शिव प्रसाद यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, यह इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। बातें तो बहुत कुछ है। द्वारका में कलियुगी श्रीकृष्ण क्या-क्या करते रहे यह मुझको बहुत मालूम है लेकिन यह झेलने को तैयार बैठें। माननीय अध्यक्ष जी, द्वारका से सैकड़ों गोपिकायें चली गयीं। माननीय अध्यक्ष जी, इस प्रदेश की यशस्वी बहन मायावती जी के द्वारा और इस प्रदेश के वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर अपना समर्थन व्यक्त करता हूं और इसके साथ ही अपनी बात समाप्त करता हूं।

डा0 ज्योत्सना श्रीवास्तव-

माननीय अध्यक्ष जी, आज आपने बोलने का अवसर दिया इसलिए आभार प्रकट कर रही हूं। यह बजट आय और व्यय के विभिन्न मदों का ब्योरा है। हर बजट का एक लक्ष्य होता है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार बजट और अपनी वित्तीय नीति द्वारा प्राप्त करने का प्रयत्न करती है। ऐसा कुछ चीज इस बजट में दिखायी नहीं पड़ती। यह बजट घाटे का बजट है।

यह घाटे का बजट का पहला साल नहीं है, हर साल जो बजट आ रही है घाटा उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। कोई भी राज्य हो, कोई राष्ट्र हो, कोई भी परिवार भी हो, अगर निरन्तर घाटे का बजट बनता है तो वह टिक नहीं सकता। हमारी सरकार को चाहिए था घाटे के बजट को घटाते हुए संतुलित बजट की ओर बढ़े, लेकिन इसकी कोई कोशिश नहीं की गयी है। सरकार ने यह नहीं बताया कि इस बजट में जो घाटा दिखाया जा रहा है उस घाटे की पूर्ति कैसे करेगी जो खर्च होगा वह कहां से करेगी। निश्चित ही उसके बारे में वह चुप है अर्थात् बजट के बाद या तो हमारे ऊपर नया टैक्स लगने वाला है या सरचार्ज लगने वाला है या नया ऋण लिया जाने वाला है, कोई न कोई अतिरिक्त बोझा हमारे ऊपर पड़ने वाला है जो हमसे अभी तक छिपाया गया है। इस बजट में गरीबी की रेखा के नीचे जो परिवार हैं उनकी प्रमुख महिला को 300 रुपये देने का वायदा किया गया है। निश्चित ही यह डूबते को तिनके का सहारा होगा, लेकिन क्या कोई परिवार 300 रुपये में चल सकता है। कोई भी राष्ट्र हो, उसको अपने देश के गरीबी रेखा के नीचे के लोगों को या हर परिवार को सामाजिक संरक्षण दे यह उसका कर्तव्य होता है। यह कार्य राष्ट्र की छवि को उजागर करता है लेकिन यहां अगर इस गरीब परिवार के एक भी व्यक्ति को यह अवसर दिला देता कि अपने श्रम के द्वारा अर्थोपाजन करे, परिवार चलाये, तो उस हालात में वह परिवार स्वाभिमान के साथ रहता। इस दान खाते के तीन सौ के जरिये वह जी नहीं सकता, लेकिन इस तरह के नौकरी देने का इन गरीब परिवारों के उद्धार के हेतु उनको नौकरी देने का, रोजगार देने की कोई भी योजना इसमें नहीं है। यह गरीबी का रोना आखिर कब तक चलेगा। गरीब और गरीबी का नाम लेकर उसका राजनीतिकरण करना कब बंद होगा। आज भी हमारे उत्तर प्रदेश में गरीबी का औसत राष्ट्रीय स्तर से ज्यादा है। राष्ट्रीय स्तर इस तरह 27.5 परसेन्ट है। हमारे यहां गरीबी का औसत 32.80 है। अमीर और गरीब के बीच की खाई पटने के बजाय बढ़ती जा रही है और गरीबी के नाम पर रोना भी चालू है, राजनीति भी चालू है। इसका अर्थ हम यह निकाल सकते हैं कि यह गरीबी समाप्त होने वाली नहीं है।

हमारी सरकार ने बजट में अपनी कृषि संबंधी घोषणा भी परम्परा विरोध किया है। एक तरफ वह कहती है कि 1.3 लाख और 5000 हेक्टेयर जमीन को ऊसर और बंजर जमीन को उर्वर बनायेगी, दूसरी तरफ कहती है, हाई-वे बनायेगी, ट्रान्सपोर्ट नगर बनायेगी और यह सब कृषि के हरे-भरे खेतों पर बनाने जा रही है। अगर आप लोग जरा विस्तृत रूप से देखें तो बनारस के काशी विद्यापीठ ब्लाक में 27 गांव से हाई-वे की इनकी योजना जा रही है। जिसमें कम से कम 12 गांव के पूरे के पूरे खेत, गांव का गांव सफा हो जा रहा है। यह कौन सी कृषि नीति है। आप खेतों को खत्म कर रहे हैं आप किसानों को निराश करते जा रहे हैं आप किसानों को उजाड़ते जा रहे हैं। आप यह भी रोना रो रहे हैं कि कृषि शिथिलीकरण को प्राप्त कर रही है। हमारी केंन्द्रीय सरकार की रिपोर्ट कहती है कि भारत में और खासकर यू0पी0 में खेती की उपज लगातार गिरती जा रही है। इस बार गन्ना और अनाज का उत्पादन कम होने जा रहा है। हम बढ़ने के बजाय पीछे हट रहे हैं लेकिन हम किसानों को डराये जा रहे हैं, तुम्हारी जमीनों का अधिग्रहण करेंगे। ऐसी हालत में किसान भला उस खेत पर क्यों पूंजीनिवेश करेगा। अच्छा होता सरकार अपनी नीति

बदले उर्वर और बंजर जमीन को उर्वर न बनाकर उस पर अपनी आवासीय योजना घोषित करे, उस पर वह अपना सड़क बनाये, लेकिन यह कृषि युक्त जमीन जहां हरे-भरे खेत लहलहा रहे हैं, जैसा कि सुप्रीमकोर्ट ने भी कहा है उनको लेना बन्द करे और रोक लगाये कि न तो कोई सरकारी संस्था और न कोई निजी संस्था इन हरे-भरे किसानों के खेत का अधिग्रहण करेगी और आवास बनायेगी। किसानों को विश्वास होना चाहिए, तभी वह उस खेत में पूंजी का निवेश करेंगे और सरकार बंजर जमीन के बजाय, उर्वर जमीन पर पूंजी निवेश करे, जिससे पूंजी का रिर्टन भी ज्यादा होगा। सरकार उर्वर जमीन पर पूंजीनिवेश करे तभी हमारी खेती विकास की दिशा में दौड़ेगी। सरकार ने बजट में कहा है कि उर्वरक का भण्डारण बनायेंगे उर्वरक का भण्डारण बनाने से उर्वरक की मांग और आपूर्ति में क्या अन्तर रह जाएगा यह स्पष्ट नहीं है। उर्वरक की तस्करी नेपाल और बांग्लादेश में हो रही है उर्वरक का भण्डारण करने से कोई गारण्टी नहीं है कि किसान को उर्वरक मिलेगी उसके खेत पर उर्वरक जाएगी या किसानों के हाथ में उर्वरक पड़ेगी। इस बजट में ऐसा कोई दिशा-निर्देश नहीं है कि किसान को गारण्टी दे सकें कि बीज, खाद और सिंचाई के लिए बिजली और पानी प्राप्त होगी। यहां पर मुझे एक बात और कहनी है इस सदन में वायदा किया गया था कि शिक्षक केवल निर्वाचन का काम देखेगा किसी आपदा में कार्य करेगा अन्यथा स्कूल में रहेगा। लेकिन निर्वाचन तो हर साल होता है। एक साल एम0एल0सी0, का चुनाव दूसरे साल पंचायत का चुनाव, तीसरे साल नगर पंचायत का चुनाव चौथे साल विधान सभा का चुनाव और पांचवें साल एम0पी0 का चुनाव। इस तरह से चुनाव तो हर साल होते रहते हैं ऐसा कोई साल नहीं जिस साल चुनाव न हो। शिक्षक इन कार्यों में लगा रहेगा तो पढ़ाएगा कब। आज प्राइमरी स्कूलों में एक अध्यापक होता है, एक अध्यापक पांच कक्षाओं को कैसे पढ़ा सकता है ? दो अध्यापक भी पांच कक्षाओं में नहीं पढ़ा सकते हैं। आज प्राइमरी शिक्षा की भयंकर उपेक्षा हो रही है जितने शिक्षक चाहिए उतने शिक्षक नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करें।

डा0 ज्योत्सना श्रीवास्तव-

मान्यवर, एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रही हूं। हमारे बनारस में एक राष्ट्रीय वीरांगना थीं जिसकी हम सभी पूजा करते हैं। पूरा सदन उनको श्रद्धा की दृष्टि से देखता है। झांसी की रानी का जन्म स्थान वाराणसी का अस्सी क्षेत्र है पिछले साल के बजट में उनकी स्मारक हेतु कुछ रुपये दिये गये थे लेकिन सरकार पलट गई और वह स्मारक नहीं बना। हमारे प्रदेश की मुख्य मंत्री जी महिला मुख्य मंत्री हैं उन्होंने कुछ रुपये बनारस में भेजे थे साल खत्म हो रहा है लेकिन स्मारक की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया। पिछले साल बजट में नाम मात्र रुपये की व्यवस्था की गई थी वह भी खर्च नहीं किया गया है। मैं सरकार से निवेदन करती हूं कि झांसी की रानी की जन्म स्थान जिस पर अतिक्रमण है। यदि उस जमीन पर झांसी की रानी का स्मारक बनवा दिया जाय और जो जमीन कब्जे में है जिस पर झांसी की रानी का महल था उस जमीन का अधिग्रहण करा लिया जाय और वहां पर झांसी की रानी की प्रतिमा स्थापित की जाय।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करें।

डा0 ज्योत्सना श्रीवास्तव-

बनारस में मछुआरों की संख्या बड़े पैमाने पर है। काशी विद्यापीठ ब्लाक में गंगा के किनारे टिकरी, मलैया आदि गांव हैं। दो साल पहले वहां बिजली के खम्भे गाड़ दिये गये और आश्वासन दिया गया था कि उनको बिजली दी जाएगी लेकिन दो साल खत्म हो रहा है वहां बिजली नहीं पंहुची। वह गंगा के किनारे झोपड़ियों, टेण्टों में रहते हैं ठण्ड में जब ठण्डी हवाएं चलती हैं और परदे हिलते हैं तो यह दृश्य बड़ा ही डरावना लगता है। सरकार बिजली के लिए बड़े-बड़े वायदे करती है लेकिन मेरा कहना है कि वहां पर बिजली के तार पहुंचा दीजिए लाइट पहुंचा दी जाए जिससे उनके जीवन में एक अच्छी स्थिति पैदा हो। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं और आपसे निवेदन करती हूं कि हमारी इन बातों पर सरकार को निर्देशित करें जिससे वह अपने बजट में संशोधन करके इन बातों को शामिल करें।

श्री भोला पासवान-

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने बजट अभिभाषण पर नेता प्रतिपक्ष जी. के संशोधन प्रस्ताव पर बोलने को अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, यह बजट भाषण पढ़ने से पता चला कि यह बजट लोगों के लिये निराशाजनक और यह बजट आम लोगों के लिये निराशाजनक और गरीब को और गरीब बनाने वाला बजट है क्योंकि मैं एक सुरक्षित क्षेत्र से आने वाला दलित समाज का व्यक्ति हूं भोला पासवान मैं जानता था कि हमारे प्रदेश की मुखिया, दलित महिला दलितों के उत्थान के लिये कोई नयी नीति ले आयेगी इनकी असली जरूरतों की चीजों के लिये बजट में क्या ले आयेंगी लेकिन पढ़ने से और देखने से ही मालूम हुआ कि इनकी तरक्की की क्या बात कहा जाय इनकी बुनियादी चीजें रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवा को हलकर पाने में यह बजट अक्षम साबित हो रहा है। आज मैं देख रहा हूं कि आज यह वहीं इंसान जो गरीब हैं, जो अन्नदाता किसान भगवान जो हमको गर्मी, जाड़ा, बरसात सहकर के अन्न देता है लेकिन वही आज उपवास करता है। आज सैकड़ों मोची मैं देखता हूं बाजारों में जूता बनाने वाला इंसान जूता बनाता पर अगर फोम का जूता न हो तो उसके पैरों में जूता नहीं जा पाता है। वजह क्या है ? आज टॉनिक टैबलेट इन्जेक्शन बनाने वाला मजदूर वह बनाता है लेकिन उसके परिवार के लोग दवा के अभाव में मर जाते हैं। टेरीकाट, रूबिया कपड़ा बनाने वाले मजदूर के बदन पर वह कपड़ा नहीं जा पाता है। वजह क्या है ? तमाम अट्टालिकाएं जो दिखाई दे रही हैं यह जिनके मेहनत मशक्कत से आज ऐसी चीज बनी हुई है जिनके हाथों के बल से लहलहाती हुई खेती दिखाई देती है उनके लिये क्या नीति नियम है ? कोई सोच है कोई नियम कानून अपने प्रदेश की दलित महिला मुख्य मंत्री ने इनके उत्थान के लिये कुछ नहीं बनाया। यह शोषणयुक्त समाज जो निम्न वर्गीय समाज है, जब तक इसका शोषण नहीं खत्म किया जायेगा तब तक शोषण होता रहेगा। गरीब और गरीब होता रहेगा। एक तरफ से दौलत के अम्बार दूसरी तरफ से दम तोड़ती हुई जिन्दगी, इसको कोई रोक नहीं सकता है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि चाहे आर्थिक शोषण हो,

सामाजिक शोषण हो, राजनैतिक शोषण हो, सांस्कृतिक शोषण हो, इन शोषणों की बुनियाद में जाना पड़ेगा। जब तक कि काम सामाजिक होगा, लाभ व्यक्तिगत होगा तब तक अमीर अमीर होता रहेगा, गरीब गरीब होता रहेगा और इसको कोई रोक नहीं सकता है। इसलिये हमारी मुख्य मंत्री जी का इस दिशा की तरफ कोई ध्यान नहीं गया मैं कहता कि कुछ किया है। कसक कर रह गया दिल। ऐसे कानून का, कहीं भी कदम उठाया होता जिससे कि आम लोगों की जिन्दगी बेहतर होती लेकिन हुआ कुछ नहीं। यह केवल डाटा के मकड़जाल में फंसा बजट रह गया लोगों को आज 300 रुपया, 300 रुपये का मतलब 3 किलो अरहर की दाल के लिये लाइन में खड़ा होने के लिये मजबूर आदमी होता है कि वह 3 किलो दाल पाने के लिये तैयार होता है और लाइन में खड़ा होता है। मैं समय कम है, ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं लेकिन आप देखिये। मेरे गांव के बगल में एक गांव है कमरावां। कमरावां का मुसहर जाति बनवासी जाति वहां तीन-तीन झोपड़ी जल गई। मैंने सी0डी0ओ0 से कहा यह बनवासी जाति के लोग हैं, इनके रहने के लिये कुछ नहीं है। मैं खुद गया और उनको कम्बल प्लास्टिक देकर गांव के लोगों से कहा कि कम से कम इनके रहने के लिये व्यवस्था तो करो। कुछ लोगों ने सहायता किया, सरोज जाति का एक आदमी घवगावां का देवगढ़ पासी था उसकी 6-6 बकरियां जल गई थीं उसके लिये मैंने सी0डी0ओ0 से कहा कि मैं नाम लिखकर दे रहा हूं और दरख्वास्त दिया। उन्होंने कहा कि केवल अम्बेडकर गांव के लिये यह आवास है और किसी के लिए नहीं है। मान्यवर, ग्राम हडवा में 6-6 लोगों का घर जल गया। एक भी मकान नहीं मिला, यह कैसी गरीबों की रहनुमा है। अध्यक्ष जी, हमारे ही विधान सभा क्षेत्र के बगल में है ट्राली की ट्राली हैण्ड पम्प की गाड़ियां वहां जाती हैं, हैण्ड पम्प लगता है वहां, मैंने अध्यक्ष जी से भी कहा दूसरी चीज वहां हमारे बगल में विद्या चौधरी जी हैं मंत्री जी का हैण्ड पम्प जाता है लगने के लिये लेकिन हम लोगों के यहां नहीं लगता है हम लोगों ने दो-दो, ढाई-ढाई महीने से अपना प्रस्ताव दे रखा है, सी0डी0ओ0 के यहां, झूठा कहा जाता है कि आपके प्रस्ताव पर जांच की जाएगी, क्या हम नहीं जानते हैं कि ब0स0पा0 के लोगों का प्रस्ताव जाता है, तो लग जाता है और हम लोगों के लिए झूठा कहा जाता है कि प्रस्ताव पर जांच कराया जा रहा है। कैसा जांच कराया जा रहा है। यह विकास के काम में कैसा दोहरा माप दण्ड।

(श्री जोखूलाल यादव का नाम पुकारा गया)

श्री अध्यक्ष-

समाप्त करें।

श्री भोला पासवान-

मान्यवर, मेरे जिले से सीधे शाहगंज से होकर के सुल्तानपुर होते हुए सड़क है उस रास्ते से कोई जाने के लिये तैयार नहीं रहता है मैंने कई बार इस मामले को उठाया मगई नदी के बाढ़ की समस्या है हजारों कुन्तल गल्ला वहां बरबाद होता है मगर उसकी खुदाई और सफाई पर कोई ध्यान नहीं दिया गया।

श्री अध्यक्ष-

समाप्त करें।

श्री भोला पासवान-

इसी के साथ मैं नेता विरोधी दल के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात खत्म करता हूं।

एक सदस्य-

चर्चा जारी करा दें।

*श्री जोखू लाल यादव-

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने वित्तीय वर्ष 2010-2011 के बजट भाषण पर हो रही चर्चा में भाग लेने की अनुमति प्रदान किया। इसके लिए हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। मान्यवर, मैंने वित्त मंत्री जी द्वारा 2010-2011 के बजट भाषण को पढ़ा उसका विधिवत् अध्ययन किया और मैंने देखा कि माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट भाषण में पेज-1 से लेकर पेज 6 तक तमाम सारी सफलताओं का उल्लेख किया है और उसका जिक्र भी किया है मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि विकास राजनीति का मुद्दा नहीं है, चाहे हम सत्तापक्ष के हों चाहे विपक्ष के लोग हों, जो जनता से निर्वाचित होकर आये हैं हमारा उत्तरदायित्व बन जाता है कि हम क्षेत्र का विकास करें। आज सबका सामूहिक उत्तरदायित्व बनता है और हम आपसे कहना चाहते हैं मान्यवर, किसी भी प्रदेश का बजट उस प्रदेश की विकास की दिशा का बोध कराता है। हमने वित्त मंत्री जी के बजट भाषण को पूरा पढ़ा, मैं कहना चाहता हूं कि किसी भी प्रदेश का बजट, उस प्रदेश के उस वित्तीय वर्ष का विश्लेषण करता है। लेकिन हम कहना चाहेंगे बेहतर रहा होता माननीय वित्त मंत्री जी आर्थिक पहलुओं को छुए होते और राजनीतिक पहलुओं पर न गए होते। सर्वप्रथम मैं मान्यवर, अपने आपको आर्थिक विषयों पर ही सीमित रखना चाहता हूं और यह कहना चाहता हूं कि राजनैतिक बिन्दुओं पर चर्चा बाद में करूंगा विकास एक सतत् प्रक्रिया है और विकास किसी भी प्रदेश का तभी संभव है जिस प्रदेश की 80 फीसदी जनता खेती करती हो, किसानी करती हो खेत-खलिहान से जुड़ी हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था, भारत की खुशहाली, तरक्की और विकास का रास्ता खेत और खलिहानों से होकर जाता है। हमने अध्ययन किया, मान्यवर, हमने बजट के उस अंश को भी पढ़ा, इसमें कोई भी गरीबों की बात नहीं की गई है कोई किसानों की बात नहीं की गई है, कोई छात्रों के हितों की बात नहीं की गई है, कोई मजदूरों के हितों की बात नहीं की गई है। मान्यवर, जब मा0 वित्त मंत्री जी अपना खास बजट भाषण पढ़ रहे थे, मैंने एक चीज देखा, वह बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हुए पढ़ रहे थे। वह पढ़ यह रहे थे कि मेरी ऐतिहासिक सरकार ने उन मुखिया महिलाओं को जिन्हें पेंशन नहीं मिलती, उनको 300 रुपया मुख्य मंत्री मददगार योजना के

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तहत दी जायेगी। मैं चौंक पड़ा, मान्यवर, कोई समाज की महिला, मुखिया कब होगी, यह पुरुष प्रधान देश है, पुरुष के रहते मुखिया वही हुआ करता है, अगर पुरुष मुखिया और महिला मुखिया की परिभाषा जब उत्तर प्रदेश भाषण देने लगेंगे तो मैं मा0 वित्त मंत्री जी से चाहूंगा कि वह इस बात को भी स्पष्ट कर दें कि वह महिला मुखिया जो घर को चलाने वाली है, वह पुरुष मुखिया के रहते हुए क्या उसको महिला मुखिया माना जायेगा। बेहतर होगा, हम स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन पुरुष के रहते महिला मुखिया नहीं होती और तमाम सरकारों ने ऐसी महिलाओं को जो विधवा कैटेगरी में आती है, वह तीन-तीन सौ रुपया पेंशन देने का काम करती है। चलिए हम आपको बधाई देते हैं कि आपने एक शब्द उसमें यह जोड़ा है कि ऐसी महिलाएं जिनको किसी भी प्रकार का पेंशन नहीं मिलती है, उस दायरे में आप रखते हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 वित्त मंत्री जी से जानना चाहता हूं, मा0 वित्त मंत्री जी, जिसको आप 300 रुपया घर-परिवार चलाने के लिए देंगे, महीने में 30 दिन होते हैं, 300 रुपया आप देने जा रहे हैं, प्रतिदिन 10 रुपया पड़ता है। मा0 वित्त मंत्री जी, आप गरीबों का मजाक मत उड़ाइये, उनका मखौल न उड़ाइए।

मान्यवर, वित्त मंत्री जी से मैं कहना चाहता हूं आखिर दाल क्या भाव है, 90 रुपया से लेकर 100 रुपया किलो, उस गरीब को जिसको 10 रुपया प्रति दिन पड़ रहा है, मान्यवर, वह 100 ग्राम दाल खरीद सकता है और मेजें थपथपा रहे थे, सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग। मान्यवर, मैं बड़ा धर्मसंकट में हूं, जब तक बजट नहीं पेश हुआ था, तब तक हम लोग अपने क्षेत्र की जनता से कहते थे कि बजट पेश होने दो सड़कें बन जायेंगी, तुम्हें पीने के पानी के लिए हैण्डपम्प की व्यवस्था हो जायेगी, तुम्हें किसान पेंशन मिल जायेगी, तुम्हें विधवा पेंशन मिल जायेगी, सड़कों का हाल ठीक हो जायेगा, लेकिन मान्यवर, इस बजट को देखने से लगता है कि इस सरकार ने विकास की बात करने वाली सरकार ने कहीं भी कोई ध्यान नहीं रखा। मैं कहना चाहूंगा, मुझे बड़ा दुःख है कि जनता ने हमें चुनकर भेजा था कि हमारी बदहाली और खुशहाली के लिए कुछ तरक्की, कुछ विकास करेंगे, उसके लिए इस बजट में कोई इन्तजाम नहीं किया गया, कोई उनको राहत नहीं दी गयी लेकिन हम बैठे हुए तमाम सारे सदस्यों ने अपनी 20-20 हजार रुपये तनख्वाहें बढ़ा ली। नैतिकता नहीं कहती, मान्यवर, इसको वापस ले लें, मुख्य मंत्री और सड़कों के लिए हमें दे दें, हमें पीने के पानी के लिए हैण्डपम्प की व्यवस्था कर दें, हमें शिक्षा की व्यवस्था कर दें, नहीं चाहिए हमें यह बढ़ा हुआ 20 हजार रुपया। यह मजाक है, मान्यवर, गरीबों का, हम क्या जवाब देंगे, अपने क्षेत्र की जनता को जब वह पूछेंगे कि विधायक जी, आपने अपनी तनख्वाह बढ़ा ली, आपके विकास का रास्ता प्रशस्त हो गया, मार्ग प्रशस्त हो गया, हम गरीबों की मंहगाई पर क्या किया, हमारा जो बच्चा बेरोजगार था, उसकी बेरोजगारी के लिए क्या किया और उस बेरोजगारी भत्ते का क्या हुआ ? हम मान्यवर, नौकरियां दे नही पा रहे हैं हम सड़कें बनवाने की बात तो दूर मान्यवर, किसी भी देश और प्रदेश के विकास का मानक होता है।

श्री अध्यक्ष-

आप क्या कहना चाहते हैं ?

डा0 राजकुमार सिंह गौतम-

मान्यवर, वृद्धि न हो, यह लिखवा कर ले लें।

श्री जोखू लाल यादव-

मैं दे दे रहा हूं।

डा0 राजकुमार सिंह गौतम-

20 हजार रुपये से किसी का भला-बुरा नहीं होने वाला है। बहुत बड़ा बजट लगेगा, इस तनख्वाह मात्र से अगर समझते हों कि किसी का भला होने वाला है तो सब लोग अपनी तनख्वाह दान देने के लिए तैयार हैं। आजादी के 63 साल के बाद भी जो गरीबी आप दूर नहीं कर पाये अगर इतनी तनख्वाह से दूर कर सकते हो तो दूर कर दीजिए।

श्री जोखू लाल यादव-

मान्यवर, आप किसको बोलने की इजाज़त दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप बोलें।

श्री जोखू लाल यादव-

मान्यवर, यह हमारी पीड़ा है, यह सच्चाई है और इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता। अगर माननीय सदस्यों, माननीय मंत्रियों की तनख्वाएं बढ़ जायें, वह गरीब खेत खलिहान में काम करने वाला किसान जिसके खाद के दाम नहीं कम हो रहे हैं, जिसको खाद पर सब्सिडी नहीं दे रहे हैं, जिसको बिजली नहीं दे रहे हों, जिसको मिट्टी का तेल नहीं मुहैया करा रहे हो, उसका क्या होगा। आज हमारे बेरोजगार भाइयों की क्या स्थिति है जो स्नातक, परास्नातक होकर भी बेरोजगार है और कुंठाग्रस्त हैं। अगर उनको किसी रिश्तेदारी में हाल खबर लेने के लिए भी भेजो तो वह जाने को तैयार नहीं होते इसलिए कि बहन सामने आयेगी तो उसके लिए कुछ ले जाना पड़ेगा, हाथ में रखना पड़ेगा। माननीय वित्त मंत्री जी आज उत्तर प्रदेश खनिज पदार्थों से धन सम्पदा से, जल सम्पदा से परिपूर्ण है और जिस प्रदेश के नागरिक मेहनतकश हों, जहां का किसान परिश्रमी हो तो क्या कारण है कि आज उत्तर प्रदेश भारत में सबसे पिछड़ा हुआ प्रदेश है। सारी सम्पदाएं हैं। अगर प्रदेश का विकास करना है। मान्यवर, तो क्या इधर के लोगों के क्षेत्र में पानी की जरूरत नहीं है, क्या उनके यहां सड़कों के बनने की जरूरत नहीं है, क्या उनके खेतों-खलिहानों में पानी देने के लिए ट्यूबवेल लगवाने की जरूरत नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि यह बजट जो माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा रखा हुआ है। घोर निराशाजनक है जिसमें गरीबों का मजाक उड़ाया गया है और मंहगाई जैसी तमाम चीजों पर ध्यान नहीं दिया गया है। किसी प्रदेश का अच्छा बजट वह होता है जब किसी इंसान को उसकी जरूरत की चीजें रोजी, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाईयां उपलब्ध कराये तो वह बजट किसी भी प्रदेश का अच्छा होता है। इसलिए मान्यवर, नेता विरोधी दल ने बजट पर जो विचार

व्यक्त किये हैं उससे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं और आपने मुझे इस पर बोलने का मौका दिया इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

श्रीमती सीमा द्विवेदी-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे वर्ष 2010-2011 के बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूं। माननीय अध्यक्ष जी, एक लंबे अर्से के बाद उत्तर प्रदेश में किसी एक दल की स्पष्ट बहुमत की सरकार आयी है। उत्तर प्रदेश की जनता ने यह सोचा था कि हम खिचड़ी सरकार बनाते हैं इसलिए शायद जनता के विकास के काम नहीं होते हैं, जनता ने बहुत सोच-समझकर स्पष्ट बहुमत की सरकार बनायी और इस उम्मीद पर सरकार बनी कि यह सरकार गरीबों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए और महिलाओं और समाज के सभी वर्गों के लिए यह सरकार अच्छा काम करेगी। मान्यवर, जब हम महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण की पुस्तक अपने घर में जाकर पढ़ रहे थे तो सोच रहे थे कि सरकार की कौन सी उपलब्धि के बारे में हम क्षेत्र में चर्चा करें। सरकार की कौन सी उपलब्धि को बतायें जिसके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि हम सभी लोग अपने-अपने क्षेत्र का विकास करेंगे। आश्चर्य तो मान्यवर, हमें तब हुआ जब हम पूरा लेखा-जोखा पढ़ रहे थे। मान्यवर, जब इनकी सरकार आयी तो इनके ऊपर एक लाख 35 हजार करोड़ का कर्ज था आज मान्यवर, इनका कर्ज बढ़कर कितना हो गया, एक लाख 98 हजार करोड़ रुपये। माननीय अध्यक्ष जी, हम तो बहुत कम ज्ञानी हैं, मेरे समझ में नहीं आती है लेकिन मैं सदन में माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि आपने कौन सा ऐसा कार्य कर दिया किसानों के लिए बेरोजगारी दूर करने के लिए महिलाओं के लिए आपने ऐसा कौन सा कार्य कर दिया कि आप इतने बोझ के तले दब गये। हम तो आपसे कुछ मांगते भी हैं तो संकोच लगता है कि आप कहेंगे कि मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं है, हमने तो सब कुछ दे दिया है। लेकिन मान्यवर, उस दिन जब नेता सदन, सदन में बोल रही थीं तो मैंने उसका आगणन निकाला। जब इनकी सत्ता आयी और जब यह सरकार में शामिल हुयीं तो इनके पिछले कार्यकाल में 3 हजार करोड़ ऋण का घाटा था इनका, इनका पूंजीगत घाटा जब इनको सत्ता मिली थी, उस समय 3.1 प्रतिशत था, आज मान्यवर, 4.4 प्रतिशत हो गया है। सीधी सी बात है, जब हम आय से अधिक व्यय करेंगे तो हम कर्ज में रहेंगे ही। मान्यवर, कर्ज लेना भी तब अच्छा लगता है, जब हम समाज में कोई अच्छा कार्य करें। हमें नहीं लगता हमें कहीं से नहीं लगता कि यह सरकार किसी के बारे में सोच रही है, किसी के बारे में अच्छा निर्णय ले रही है, आज मान्यवर, हम चर्चा करना चाहेंगे कि सारे पूरे उत्तर प्रदेश के सभी माननीय सदस्य आये हुए हैं आज की तारीख में माननीय विधायक जितना कमजोर हुये हैं उतना कभी नहीं। आज मान्यवर, हमारी औकात नहीं है कि हम क्षेत्र में जाकर के देखें कि पानी की समस्या है तो एक हैण्ड पम्प लगवा सकें। मान्यवर, कोई अधिकार नहीं है हमको ग्रामीण बस्तियों में जाते हैं, नदी के किनारे गांवों में जाते हैं तो वहां पर लाइट नहीं, तेल भी नहीं मिलता है, तेल भी नहीं है, काम भर का मान्यवर। हमारी औकात नहीं कि हम लिख दें बिजली विभाग को कि इस गांव का विद्युतीकरण कर दीजिये। मान्यवर, हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम लोक निर्माण मंत्री जी को पत्र लिख दें कि

फलां गांव की रोड बनना नितान्त आवश्यक है। कोई धन नहीं, धन मिला है सवा करोड़ रुपये कि विधायक निधि मिली है हमको, चाहे हम सड़क बनवा लें, चाहे हैण्ड पम्प लगवा दें, चाहे जो कार्य कर दें। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय जगदीश राय माननीय मंत्री जी हमारे बैठे हुए हैं, सुभाष पाण्डेय जी सदन में बैठे हुये हैं, प्रेम का पुरा गांव मान्यवर, आप भी जानते होंगे, आप भी उसी जनपद के रहने वाले हैं, गांव के पण्डित नागेश्वर द्विवेदी दो बार विधायक हुये; दो बार सांसद हुये और मान्यवर, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी घोषित हुये, उनके गांव में जाने के लिये रोड नहीं है मान्यवर। यदि मेरी बात पर यकीन न हो तो माननीय मंत्री जी आप बता दें कि मैं सच बोल रही हूं कि झूठ बोल रही हूं। अगर मान्यवर, यह सही है और उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मंत्री जी यहां हैं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सीमा जी, एक मिनट, आप बोलियेगा, आपको रोक नहीं रहा हूं। यहां पर माननीय मंत्री जी का नाम आया है, 2 मिनट कुछ कहना चाहते हैं, आपका नाम आया है तो कह लीजिये।

संस्कृत मंत्री (श्री सुभाष पाण्डेय)-

मान्यवर, हमारी छोटी बहन सीमा जी हैं, इनका बड़ा स्नेह रहता है। आज वह कह रही थी प्रेम के पुरा की बात। मैं वही बताने जा रहा हूं। एक आप ही के क्षेत्र से जहां की आप विधायिका रही हैं और हैं, वहां पर विधायक थीं तो वहां पर 1962 की चीन की लड़ाई में, यह बहुत मार्मिक घटना बता रहा हूं कि जब यह बात आती है, प्रेम के पुरा के गांव की सड़क की, आपके क्षेत्र की मार्मिक घटना की बात बताना चाहता हूं। मेरा वह क्षेत्र नहीं था, अखबारों में मैंने पढ़ा कि एक तिवारी जी 1962 की चीन की लड़ाई में जिनकी मृत्यु हो गयी थी, उनकी पत्नी के पास नल नहीं दिया गया था। विधवा थीं, उनको सड़क नहीं दी गयी थी, उनके घर तक। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि विधायक जी को कि मैं डी0एम0 से मिला, मैंने उस पर चर्चा की ओर उनको जो नल, एक हमारे जो देश को बचाने के लिये लड़ रहे थे जिनकी मृत्यु हो गयी थी, उनको अगर उस समय की सरकारों ने और विधायकों ने नल नहीं दिया था, वह माननीय बहन जी के आर्शीवाद से, उनकी प्रेरणा से उस महिला को नल मैंने दिलवाया जाकर, यह मैं बताना चाहता हूं वही सुजानगंज में, ये कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया और जिस सड़क की बात ये कर रही है, उसके बारे में मैं बता देना चाहता हूं कि अभी मैं गया था नागेश्वर द्विवेदी जी के यहां मैंने वहां वायदा किया है कि मैं एक साल के अंदर किसी तरह वह सड़क बनवाने की कोशिश करूंगा क्योंकि वह टूटी हुई है।

डा0 अजय तोमर-

मान्यवर, यह चर्चा करना अच्छी बात नहीं है कि जो शहीद रहा हो और हम उनको एक नल देने की बात सदन में करें, यह ठीक नहीं है। मान्यवर, मैं चाहता हूं कि इस बात को कार्यवाही से निकाल दिया जाय तो ही अच्छा है।

श्री सुभाष पाण्डेय-

मान्यवर, अब तक नल क्यों नहीं दिया गया था ? अगर इतने सजग थे तो अब तक नल क्यों नहीं दिया गया था ? शहीद की बात कर रहे हैं हम तो।

*श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, बहुत सी चीजों पर आपको निश्चित रूप से थोड़ा गम्भीर होना पड़ेगा। अगर किसी शहीद के परिवार को समय से हैण्ड पम्प नहीं मिला, यह उचित नहीं था, मिलना चाहिए था।

लेकिन दोनों बातों की कोई तुलना नहीं है। जनहित का काम चाहे हमने न किया हो, चाहे जो भी सत्ता में रहा हो, न किया हो, उसे औचित्यपूर्ण नहीं माना जा सकता, लेकिन एक गलत काम के औचित्य को सिद्ध करने के लिए दूसरे गलत काम का वर्णन कर दिया जाय, यह कौन सी संसदीय परम्परा है मान्यवर, हम उनके भाषण का इस औचित्य से, यह जवाब देने का काम मंत्री का है, बीच में इस तरह से व्यवधान डालने का नहीं है, इसलिए यह परम्परा न डालें बीच में, उस समय अगर हैण्ड पम्प नहीं मिला, सड़क नहीं बनी या जिस सड़क की चर्चा हो रही है वह नहीं बनी, पूरे प्रदेश का विकास नहीं हुआ, प्रदेश गरीब है, यह सबकी जिम्मेदारी है, लेकिन पहले नहीं हुआ इसलिए हम भी नहीं करेंगे, यह कौन सी सरकार का औचित्य है। यह बार-बार आता है कि पहले नहीं हुआ, आपने क्यों नहीं किया, अरे हम अगर नहीं किये होते तो इधर क्यों बैठे होते, आपको करने के लिए ही तो उधर बैठाया गया है और आप उदाहरण उसकी देते हो जिसको जनता ने नकार दिया। कौन सी बड़ी बड़ाई कर लेतो हो आप। हम अगर काम अच्छा किये होते तो उधर बैठते, इसलिए संसदीय कार्य मंत्री जी बीच-बीच में बोल देंगे और दूसरे मंत्री भी बोल देंगे, आप उधर इसीलिए बैठाये गये हो कि आप उसको करो। आप नहीं कर रहे हो, उसको जस्टीफाई यह कह कर नहीं कर सकते कि आप साहब नहीं किये इसलिए हम भी नहीं करेंगे, यह कोई संसदीय परम्परा नहीं है, इसलिए बीच में अनावश्यक विघ्न डालने से कोई फायदा नहीं है। मान्यवर, इस पर थोड़ी सी कड़ाई की जरूरत है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इस पर तो हम खुद ही नहीं बोलवाना चाहते थे, लेकिन सीमा जी ने कई बार इशारा किया कि मा0 मंत्री जी हैं, इनसे पूछ लीजिए।

माध्यमिक शिक्षा मंत्री (श्री रंगनाथ मिश्र)-

यह माननीय मंत्री सुभाष जी की बहन है इन्होंने नहीं किया कोई हर्ज नहीं है, लेकिन यह हमारी साली है, जो वह नहीं कर पाये मैं कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमती सीमा द्विवेदी-

माननीय अध्यक्ष जी, हमने दो माननीय मंत्रीगण के नाम इसलिए लिया कि यह हमारे जिले के वरिष्ठ मंत्री थे। यह दोनों माननीय सदस्यगण उनके यहां शोक-संवेदना में गये थे। हमने खाली सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए इनका नाम लिया, तो जब माननीय सुभाष पाण्डेय जी प्रतिवाद कर रहे थे, माननीय अध्यक्ष जी, तो मुझे एक शेर याद आ गया, रंगनाथ जी की बात का जवाब बाद में देंगे-

वो कत्ल भी करते हैं तो रहते हैं गुमनाम,
और हम आह भी भरते हैं तो हो जाते है बदनाम।

माननीय अध्यक्ष जी, जो यह खुद न देख पाए जो अपनी आंख से न देख पाए अगर उसको हमने दिखाने का काम किया है तो एक हैण्ड पम्प देकर के अपनी पीठ थपथपाना चाहते हैं माननीय अध्यक्ष जी, एक शहीद परिवार के लिए हैण्ड पाइप की क्या औकात है।

माननीय अध्यक्ष जी, अभी माननीय मुख्य मंत्री जी उस दिन गृह विभाग के बारे में बोल रही थीं कि हमने अपराध पर कितना बढ़िया नियंत्रण किया है। माननीय अध्यक्ष जी, आप खुद गवाह हैं, अगड़ी बात अगर हम कह देंगे तो हमारी पैरवी शायद आप न करेंगे इसलिए मैं उसका जिक्र न करना चाहूंगी, थाने पर माननीय अध्यक्ष जी, अगर गाड़ी चोरी हो जाय तो उसका मुकदमा नहीं कायम होता है और जनपद जौनपुर ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में आप देखिये माननीय अध्यक्ष जी, कोई ऐसा दिन नहीं होता होगा, जब आपको हत्या की बात अखबार में न पढ़ने को मिलती हो। अभी हमारे जनपद जौनपुर में एक भगेलूराम जी की बहुत बड़ी सर्राफ है बहुत अच्छा परिवार है, उनकी 80 लाख रुपये की छिनौती हो गई रास्ते में। आज तक कोई पता नहीं। बदलापुर थाने में एक पंचायत सेक्रेटरी थे, उसकी हत्या हो गई, आज तक कोई सुराग नहीं, महराजगंज में एक व्यक्ति की हत्या हो गई, महराजगंज हमारी विधान सभा में आता है, उसका कोई पता नहीं, केराकत में हत्या हो गई उसका कोई पता नहीं और माननीय अध्यक्ष जी, जो सबसे आश्चर्य की बात मैं आपको बताना चाहती हूं इस सदन में माननीय सदस्य बिरजूराम जी केराकत के विधायक नहीं हैं, उनकी गाड़ी माननीय अध्यक्ष जी, उनके विधायक निवास से, उनके घर के सामने से उनकी गाड़ी चोरी हो गई आज तक उसका भी कोई पता नहीं चला। मान्यवर, यह हम आपके गृह विभाग की बात बताना चाहते हैं। हम बात करते हैं बिजली की, ऊर्जा मंत्री जी सदन में नहीं हैं, 2012 की बात नहीं करते, जब हम लोग चुनाव लड़ेंगे, वह 2017 की बात करते हैं जब हमें पता नहीं कि कौन रहेगा, कौन नहीं रहेगा। माननीय अध्यक्ष जी, आज जनपद जौनपुर की स्थिति इतनी खराब है, अभी आप पता लगा लीजिए, सुबह छः बजे लाइट चली जाती है, शाम को सात बजे हमारे जनपद में लाईट आती है, शहर में मुख्यालय की बात हम आपसे करना चाहते हैं, एक ट्रांसफार्मर बदलवाने के लिए माननीय अध्यक्ष जी, कन्ज्यूमर कम से कम 15 बार जौनपुर जाकर के चक्कर मारता है तब, किसी तरह से हम लोगों के हस्तक्षेप के बाद उसका ट्रांसफार्मर बदला जाता है। मान्यवर, यह सारी बातें अध्यक्ष जी जनता से जुड़ी हुई हैं। चाहे सत्ता पक्ष के विधायक हों या विपक्ष के हों सबकी यह ड्यूटी हो जाती है कि जनता की बातों को यहां पर रखें। नहरों की बात

कहना चाहती हूं कि हमारे यहां महाराजगंज ब्लाक में पानी आता है प्रतापगढ़ से। हेड है प्रतापगढ़ और टेल है जौनपुर। जब प्रतापगढ़ से पानी नहीं आ पाता है तो जौनपुर से कैसे आयेगा। किसानों को परेशानी होती है कि नहरों में पानी नहीं आता है। आप इस पर ध्यान दें। अधिकारियों से जब कहा जाता है तो उनका कहना होता है कि जब टेल पर पानी नहीं पहुंच रहा है तो सिंचाई की व्यवस्था कैसे करें। मान्यवर, अभी जब पिछले दिनों बुवाई का वक्त था तो एक जगह मैंने देखा कि सारी पुलिस की फौज इकट्ठा है पता किया तो पता लगा कि पुलिस कस्टडी में खाद बट रही है। खाद के लिये मारा-मारी है। मान्यवर, हम सभी लोग सुदूर गांवों से आते हैं पूरी की पूरी जनता खेतीबारी पर निर्भर है। खेती को बढ़ावा देने के लिए खाद की व्यवस्था जरूर करें। मान्यवर, हमारे यहां एक गांव हैं इटंहा। मान्यवर, उस गांव में स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ने वाले 40 लोग थे उसमें से शायद एक दो लोग ही अब बचे हैं। लेकिन उस गांव में आज तक पिच रोड नहीं है। मैंने जिला योजना के तहत प्रस्ताव भी दिया था लेकिन वह अस्वीकृत हो गया। ऐसे व्यक्तियों के लिये जिन्होंने देश की आजादी के लिये अपने जान की कुर्बानी दे दी हो उनके गांव को हम बिजली न दे सकें सड़क न दे सकें पानी न दे सकें तो यह चिन्ता की बात है। हमें इस पर सोचना चाहिए। मान्यवर, जब हम कक्षा 12 में पढ़ते थे तो हमने पढ़ा था कि महान दार्शनिक अरस्तू ने कहा था 200 साल पहले कहा था कि हमें 100 पढ़ी-लिखी महिला दे दो हम आपको सुशिक्षित राष्ट्र प्रदान करेंगे। हम महिलायें यहां पर सदन में चुनकर आती हैं लेकिन बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे यहां एक भी महिला विद्यालय नहीं है। मंत्री जी आपसे रिश्ता है तो आप घोषणा करें कि हमारे यहां महिलाओं के लिये विद्यालय देंगे।

श्री रंगनाथ मिश्र-

मान्यवर, सुभाष जी की बहन हैं वह कुछ न करें तो बात अलग है। लेकिन मेरी साली है लेकिन मैं तो इनका कार्य करूंगा। आज इन्होंने जो कहा है वह मैं करने के लिये तैयार हूं। मेरा कहना है कि अगर 5 किलोमीटर के अन्दर गर्वनमेन्ट कालेज या एडेड कालेज नहीं है तो आप हमें सूचना दे देंगी हम व्यवस्था करवा देंगे।

श्री अध्यक्ष-

रिश्ता हो तो ऐसा होना चाहिए।

श्री रंगनाथ मिश्र-

मान्यवर, माननीया विधायक जी ने परसों ही कहा था कि उनके यहां स्कूल के लिये कम्प्यूटरों की जरूरत है। मैंने कल ही आदेश कर दिया और आठ लाख पचहत्तर हजार रु0 दे दिये हैं। अब इससे ज्यादा इनका काम करने का प्रमाण और क्या हो सकता है ?

श्रीमती सीमा द्विवेदी-

मान्यवर, मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने हमारे क्षेत्र की भावनाओं को समझा है। इसी तरह से आप अपनी कृपा दृष्टि बनाये रखें। मैं अनुरोध करूंगी कि मैं विद्यालयों के लिये नाम बता दूंगी आप करवा दीजियेगा। मान्यवर, माननीय वित्त मंत्री जी जिस दिन सदन में कुछ घोषणा करेंगे तो हमारे जनपद का भी ख्याल रखेंगे। आप संसदीय कार्य मंत्री जी भी हैं और विधायक भी हैं।

आप उन्हीं सुविधाओं को बहाल करें जो हमारी सरकार के समय विधायकों के लिये स्वीकृत हुई थी। जैसे पांच-पांच गांव विद्युतीकरण के लिये लिये जाते थे। हमारी सरकार ने 7-8 किलामीटर रोडों के निर्माण के लिये प्रस्ताव लिये थे। जो गरीबों को आवास मिलते थे उसमें हम लोगों की सहमति ली जाती थी।

आज माननीय अध्यक्ष जी, कोई हमारी कीमत नहीं कि हम जाकर कह सके कि हम अपनी आंख से यह देख करके आये हैं। यह होना चाहिए मान्यवर, यह जनोपयोगी बात है मैं चाहूंगी कि इस पर आपका ध्यान होना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी मैं आपसे एक दुखद बात और बताना चाहूंगी जनपद जौनपुर के बारे में मैं परसों जौनपुर गयी थी वहां कुछ व्यवसायी वर्ग हमसे मिलने आये उन्होंने हमसे कहा कि सैम्पलिंग के नाम पर उनसे फर्जी वसूली की जाती है विभाग के लोग जाते हैं बिना मतलब कहते हैं कि हम आपकी सैम्पलिंग करेंगे, और उनसे वह पैसा लेकर चले आते हैं। उनको वह परेशान करते हैं इस पर आप जरूर ध्यान आकृष्ट करें कि अगर जौनपुर में ऐसा हो रहा है तो इस पर कार्यवाही कराई जाय। मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूं इस आशय के साथ कि जो भी हमने सुझाव दिये हैं उस पर अमल जरूर किया जायेगा।

श्री सत्य नारायण जैसल-

माननीय अध्यक्ष जी, हम आपके आभारी है कि आपने माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट पर मुझे बोलने का अवसर दिया।

श्री अध्यक्ष-

माननीय जैसल जी, जरा रुके रहें। माननीय मदन चौहान जी और गुप्ता जी, कुबेर सिंह जी और चतुर्वेदी जी यह मैंनें अपनी सूची बनायी है। कल मैं आपसे भाषण प्रारम्भ करा दूंगा। अभी मैं माननीय सत्य नारायण जी से अनुरोध करूंगा कि आप दो मिनट बोल लें आपकी चर्चा मैं जारी कर दूं।

श्री सत्य नारायण जैसल-

मान्यवर, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय के सिद्धान्त पर चलने वाली बहुजन समाज पार्टी की सरकार जिसकी मुखिया बहन कुमारी मायावती जी हैं, इंसान और इंसानियत के लिए सम्पूर्ण जिन्दगी समाज के लिए अर्पित की है, उनका मैं आभार व्यक्त करूंगा।

श्री अध्यक्ष-

चर्चा जारी रहेगी, आप कल बोलेंगे।

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 9 फरवरी, 2010 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 49 सूचनायें प्राप्त हुईं :-

1-श्री ओम प्रकाश सिंह की मिर्जापुर स्थित जलालपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के अधूरे भवन निर्माण का कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है, 2-श्री हुकुम सिंह की सहारनपुर,

मुजफ्फरनगर एवं बागपत जनपद स्थित पूर्वी जमुना नहर में सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है, 3-श्री संजीव दरियाबादी की कानपुर विद्युत सप्लाई को मे0टोरेण्ट पावर लिमिटेड को दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, 4-श्री विजय कुमार की जनपद गाजीपुर के ग्राम जलालाबाद (अम्बेडकर ग्राम) में चिकित्सालय बनाये जाने के सम्बन्ध में है तथा 5-श्री विशम्भर सिंह यादव की सिंचाई यांत्रिक विभाग द्वारा प्रदेश में अंशकालिक नलकूप चालकों की नियुक्तियों का विनियमितीकरण अवैध रूप से किये जाने के सम्बन्ध में है, प्राप्त सूचनाएं वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती हैं, 6-श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर) की राजकीय महाविद्यालय महमूदाबाद सीतापुर में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में है, 7-श्री महेश चन्द्र गुप्ता की जनपद बदायूं स्थित जिला अस्पतालों में डाक्टरों की कमी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है तथा 8-श्री उदय राज की उन्नाव में समाज कल्याण विभाग द्वारा 2007-08 व 2008-09 में वृद्धा पेंशन, शादी अनुदान में किये गये करोड़ों रुपये के गबन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में प्राप्त सूचनाएं केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती हैं, 9-श्री जोखूलाल यादव की इलाहाबाद स्थित शारदा सहायक खण्ड-39 से सम्बन्धित नहरों में पानी टेल तक पहुंचाये जाने के सम्बन्ध में है, 10-श्री आरिफ अनवर हाशमी की प्रदेश के अनुदानित जूनियर हाईस्कूलों के शिक्षकों को छठें वेतन के अनुरूप सेवानिवृत्त पर लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में है, 11-श्री सर्वेश कुमार सिंह सीपू की आजमगढ़ के अजमतगढ़ में अम्बेडकर ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सी0सी0 निर्माण कार्य में अनियमितता किये जाने के सम्बन्ध में है, 12-श्री कुबेर सिंह की एटा के जलेसर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत जिला योजना में स्वीकृत सड़कों का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में है तथा 13-श्री संजय कपूर की रामपुर की तहसील विलासपुर अन्तर्गत आने वाले टाउन एरिया कमेटी में ट्रांसपोर्ट नगर न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, प्राप्त सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकृत हुईं :-

1-डॉ0 राधामोहन दास अग्रवाल,

2-श्री सुरेश चन्द्र तिवारी,

3-श्री अब्दुल वारिस खां,

4-डॉ0 अजय तोमर,

5-श्रीमती मिथिलेश पाल,

6-डॉ0 अनिल चौधरी,

7-श्री पूरन प्रकाश,

8-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी,

9-श्री शैलेन्द्र यादव ललई,

10-श्री राधेश्याम जायसवाल,

11-श्री लल्लू सिंह,

12-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव,

13-श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही,

14-श्री श्रीपति आजाद,

15-श्री इमरान मसूद,

16-श्री शिवबालक पासी,

17-श्री कैलाश चौरसिया,

18-श्री उदयभान करवरिया,

19-श्री सुरेश कुमार खन्ना,

20-श्री सुखलाल,

21-श्री विद्यासागर गुप्ता,

22-महन्त कौशलेन्द्र नाथ योगी,

23-श्री आलोक कुमार शाक्य,

24-श्री रियाज अहमद,

25-श्री अनूप गुप्ता,

26-श्री बैजनाथ दुबे, श्री राम विशुन आजाद,

27-श्री राजकिशोर सिंह,

28-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद,

29-श्री अमरमणि त्रिपाठी,

30-श्रीमती नन्दिता शुक्ला,

31-श्री प्रमोद तिवारी,

32-श्री अशोक कंसल,

33-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह,

34-श्रीमती कृष्णाराज,

35-श्री अनिल कुमार सिंह यादव तथा

36-श्री अंगद यादव।

प्रदेश के विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का जनवरी, 2006 से वेतन बकाये का भुगतान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा0 अजय तोमर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर उच्च शिक्षा मंत्री के वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

यह मद स्थगित है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के अन्तर्गत मण्डी परिषद् द्वारा बनाये गये क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत/नवीनीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृषि विपणन मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, माननीय विधायक ....

वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ माना जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना गया।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

[पट्टी का पत्र दिनांक 4-2-2010 जो प्रमुख सचिव, विधान सभा उ0 प्र0 को सम्बोधित है, प्राप्त हुआ है जिसके द्वारा जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा पट्टी के अन्तर्गत मण्डी परिषद् द्वारा निर्मित 08 मार्गों का मरम्मत/नवीनीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-51 के अन्तर्गत लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उन मार्गों का मरम्मत/नवीनीकरण कराये जाने हेतु वक्तव्य की मांग की गयी है।

नियम-51 के अन्तर्गत प्रेषित सूचना में मा0 विधायक जी द्वारा मुख्यतः दो बिन्दुओं का उल्लेख किया है।

1-"विभागीय नीति है कि कोई भी मार्ग नवीनीकरण हेतु अर्ह है यदि 6 वर्ष तक बिना निवेश किये उपलब्ध है जो कृषि विपणन अनुभाग-1 के पत्र सं0-1826(3)/80-1-08-19 ए0क्यू0/2000, दिनांक 10-12-2008 जो मा0 विधायक जी के पत्र सं0-1780/आ0स0/2008, दिनांक 20-11-08 के क्रम में निदेशक, मण्डी परिषद् को सम्बोधित एवं पृष्ठांकित पत्र सं0-1826/80-1-2008-19 ए0क्यू0/2008, दिनांक 10-11-2008 प्राप्त हुआ है जिसमें मार्ग के नवीनीकरण हेतु 06 वर्ष अधिकतम निर्धारित है।"

इस सम्बन्ध में यह अवगत कराना है कि प्रश्नगत पत्र द्वारा ऐसी किसी विभागीय नीति का उल्लेख जिसमें मार्ग नवीनीकरण हेतु अधिकतम समय की सीमा 06 वर्ष निर्धारित है, नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि ऐसी कोई विभागीय नीति अस्तित्व में नहीं है। मा0 विधायक जी द्वारा जिस विभागीय नीति को संज्ञानित कराई गई है वह विभागीय नीति नहीं है बल्कि विधान सभा की आश्वासन समिति के समक्ष आश्वासनों के साक्ष्य के सम्बन्ध में निदेशक, मण्डी परिषद् द्वारा की गयी संवीक्षा मात्र है कि एक सड़क की आयु सामान्यतया बगैर निवेश किये हुए 06 साल मानी जाती है और उसी को उद्धृत कर दिया गया है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

2-दूसरा बिन्दु मा0 विधायक जी द्वारा जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र के कतिपय सड़कों के निर्माण एवं मरम्मत कार्य की आवश्यकता के सम्बन्ध में है। इस बिन्दु पर यह अवगत कराना है कि मा0 विधायक जी द्वारा निम्नलिखित कार्य मरम्मत/नवीनीकरण कराये जाने की मांग नियम-51 के अन्तर्गत वक्तव्य द्वारा की गयी है :-

क्रमांक	सम्पर्क मार्ग का नाम	लम्बाई (कि0मी0)	स्वीकृति का दिनांक	कार्य पूर्ण की तिथि
1	सम्पर्क मार्ग आसपुर देवसरा से रामपुर बवरिहा।	1.50	20-06-2001	25-3-2002
2	सं0 मार्ग होशियारपुर यादव बस्ती।	1.90	05-11-2001	25-5-2002
3	सम्पर्क मार्ग रसूलपुर हैदरपुर बिभारपुर का निर्माण।	2.80	31-03-2003	27-2-2005
4	नोही सरोज बस्ती से मटियारभर होते हुए सैफाबाद तक।	2.20	01-01-2003	13-11-2003
5	मेहदिया गोगलापुर इटवा सम्पर्क मार्ग।	1.65	01-01-2003	22-6-2004
6	सराय आनादेव बाजार से भानु प्रताप सिंह के मकान तक।	1.00	01-01-2003	01-7-2003
7	सं0 मार्ग आला विरदीपुर का निर्माण।	0.80	31-3-2003	07-9-2004
8	सं0 मार्ग मकरा बाजार अंतपुर पूरे बाबू का शेष भाग का निर्माण।	0.90	01-01-2003	27-2-2005

मण्डी समिति में जो निर्माण सम्बन्धी विकासात्मक कार्य कराये जाते हैं, उस सम्बन्ध में यह सूच्य है कि किसी भी मण्डी समिति के क्षेत्र में कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 के प्राविधानान्तर्गत इंगित विकासात्मक कार्यों को कराये जाने हेतु सम्बन्धित मण्डी समितियां इस आशय का प्रस्ताव पारित कर स्वीकृति हेतु राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् को प्रेषित करती है। सामान्यतः मण्डी समिति अन्तर्गत विकास कार्य उस मण्डी समिति के "मण्डी विकास निधि" में उपलब्ध धनराशि से कराया जाता है किन्तु आवश्यकतानुसार वित्तीय दृष्टिकोण से कमजोर मण्डी समितियों के क्षेत्र में विकासात्मक कार्य कराये जाने हेतु "केन्द्रीय मण्डी निधि" से भी धनराशि का प्राविधान किया जाता है। उपरोक्त क्रमांक 01 से 08 तक इंगित सम्पर्क मार्ग के मरम्मत का कार्य मण्डी समिति, प्रतापगढ़ के क्षेत्रान्तर्गत आता है और वर्तमान वित्तीय वर्ष में मण्डी समिति प्रतापगढ़ की मण्डी विकास निधि में वार्षिक आय 344.00 लाख संभावित है जिसके सापेक्ष मण्डी समिति प्रतापगढ़ द्वारा विकासात्मक कार्यों के सम्बन्ध में जो पारित प्रस्ताव प्राप्त हुआ है उनकी आवश्यकता

एवं औचित्य आदि के विश्लेषणोपरान्त वर्तमान वित्तीय वर्ष 2009-10 में कुल 391.35 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी है जिसका कार्यवार विवरण निम्न प्रकार है :-

सम्पर्क मार्ग

क्रमांक	सम्पर्क मार्ग का नाम	नवीन/ मरम्मत	लम्बाई (कि0मी0)	स्वीकृति धनराशि (रु0 लाख में)
1	किठावर पहाड़पुर रोड सिंहनी से कंजास आजी के घर तक।	नवीन	2.00	62.00
2	गाजी की बाग (विकास खण्ड गौरा) से परसामऊ होते हुए पड़वा नसीरपुर तक।	नवीन	1.70	51.0
3	ग्राम सभा गाजीपुर से नहर की पटरी से ग्राम सभा उड़ीकाडीह तक।	नवीन	1.50	48.00
4	ग्राम सभा धनीपुर (बुजहा) से छोटी नगर की पटरी ग्राम सभा गाजीपुर तक।	नवीन	0.90	27.00
5	अनेहरा से बीजूमऊ मार्ग का अवशेष भाग।	मरम्मत	1.00	14.75
6	गाजी की बाग परसामऊ होते हुए पड़वा नसीरपुर सम्पर्क मार्ग का अवशेष भाग।	नवीन	1.97	60.00
	योग :-		9.07	262.75

मण्डी कार्य

क्र0	मण्डी कार्य	स्वीकृत लागत (रु0 लाख में)
1	कृषक विश्राम गृह एवं कैन्टीन के चारों तरफ चहार दीवारी का निर्माण कार्य, 06 नग इण्डिया मार्क-2 हैण्ड पम्प की स्थापना, 01 नग छायादार नीलामी चबूतरे का निर्माण। विद्युतीकरण सहित।	86.83
2	01 नग पम्प हाउस का निर्माण, पाइप लाइन स्थापना तथा वाटर स्टैण्ड पोस्ट का निर्माण एवं विद्युतीकरण।	8.33
3	इलेक्ट्रानिक वे-बिज स्थापना का कार्य	28.39
4	सचिव कार्यालय को सुसज्जित किया जाना	5.05
	योग :-	128.60

जैसा कि उपरोक्त से दृष्टिगोचर होता है कि प्रतापगढ़ मण्डी समिति की संभावित आय रु0 344.00 लाख के सापेक्ष रु0 391.35 लाख की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। अतएव वर्तमान में मण्डी समिति, प्रतापगढ़ की वित्तीय स्थिति यानि की स्वीकृतियों का परिमाण मण्डी विकास निधि में सम्भावित आय से ज्यादा होने के फलस्वरूप ऋणात्मक हो जाने के कारण मा0 विधायक जी के नोटिस में इंगित विकासात्मक कार्य को किया जाना वर्तमान वित्तीय वर्ष में संभव नहीं है।]

जनपद कुशीनगर के थाना कप्तानगंज के ग्राम बोदरवार निवासी आशीष मद्धेशिया की पुलिस द्वारा किये गये उत्पीड़न की जांच एवं उसके इलाज की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जसवन्त सिंह उर्फ अतुल सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, पुलिस अधीक्षक बस्ती द्वारा ...

वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना गया है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

[अवगत कराया गया कि दिनांक 12-01-10 को थाना पुरानी बस्ती के मु0अ0सं0-41/10 धारा-395 भा0दं0वि0 में लूटी गई मोटर साइकिल व मोबाइल के सम्बन्ध में विवेचक थानाध्यक्ष पुरानी बस्ती श्री प्रेमनाथ तिवारी द्वारा विवेचना की जा रही है। विवेचना के दौरान मिली सूचना के अनुसार थाना पिपराइच जनपद गोरखपुर की पुलिस सहयोग से उक्त मुकदमें से सम्बन्धित मोटर साइकिल व मोबाइल बरामदगी हेतु आशीष कुमार मद्धेशिया पुत्र शिवशंकर मद्धेशिया निवासी बोदरवार थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर व अन्य 02 नफर निवासी जनपद गोरखपुर एवं आजमगढ़ को मय मोटरसाइकिल नं0-यू0पी0 51-एच0-4783 तथा मोबाइल नं0-9984531895 बरामद कर थाना पिपराइच में लाकर पूछताछ किया गया व उसके पश्चात् सायंकाल 5.00 बजे थाना पुरानी बस्ती जनपद बस्ती पर पहुंचे जहां उक्त के सम्बन्ध में पूछताछ की गयी किन्तु आशीष कुमार मद्धेशिया से पूछताछ का कोई विवरण अभिलेखों में अंकित नहीं है। क्षेत्राधिकारी सदर श्री जियालाल द्वारा इस सम्बन्ध में पुलिस उप महानिरीक्षक, बस्ती परिक्षेत्र, बस्ती के आदेश के क्रम में 1-2-10 से जांच की जा रही है। जांच में पीड़ित आशीष कुमार मद्धेशिया से मेडिकल कालेज में जाकर उनका बयान अंकित किया गया तो उसने बताया कि "दिनांक 23-01-10 को समय 11.00 बजे थाना पिपराइच गोरखपुर की पुलिस के साथ पुरानी बस्ती जनपद बस्ती की भी पुलिस थी। पिपराइच थाने पर हमें 11.00 बजे लेकर पहुंच गये थे। पिपराइच

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

की पुलिस व बस्ती की पुलिस मारपीट कर चोरी की मोटरसाइकिल व मोबाइल के सम्बन्ध में पुछताछ कर रही थी। लगभग 5.00 बजे जनपद बस्ती अन्तर्गत थाना पुरानी बस्ती पहुंच गये। वहां की भी पुलिस पूछताछ कर रही थी तथा मारपीट रहे थे यह पूछ रहे थे कि तुम चोरी में थे या नहीं। पिपराइच थाने में मेरे पहुंचने से पहले ही जितेन्द्र व हरिओम थाना पिपराइच पुलिस की गाड़ी में बैठे थे। वह लोग मेरे गांव बोदरवार गये थे। हरिओम का ननिहाल मेरे घर के बगल में भगवान दास के यहां है, जितेन्द्र का गांव बड़े गांव है, उसी गांव में मेरी मौसी रहती है जिससे मेरे आने-जाने पर उन दोनों से परिचय हो गया था। जितेन्द्र व हरिओम के पास मिली मोटर साइकिल व मोबाइल के बारे में हमें ज्ञान नहीं है। मेरी मोटर साइकिल व मोबाइल थाना पिपराइच में रख लिये हैं। चोरी गयी मोटर साइकिल के सम्बन्ध में मुझे कुछ जानकारी नहीं है, न कोई भूमिका है।''

जांच अधिकारी क्षेत्राधिकारी सदर बस्ती द्वारा जांच में डा0 विनीत मल्होत्रा, मेडिकल कालेज गोरखपुर में वार्ता की गयी तो उनके द्वारा एम0आर0 सीट के अनुसार मौखिक रूप से बताया गया कि आशीष मद्धेशिया की स्थिति के सम्बन्ध में परिस्थितियां सड़क यातायात दुर्घटना होने पर, कूदने व धक्का देने से आयी चोट, पूर्व में किसी बीमारी से ग्रसित होने पर हो सकती है। उक्त तथ्य डा0 मल्होत्रा से ज्ञात हुआ। डाक्टर द्वारा कोई लिखित रूप में बयान नहीं दिया गया है। लिखित बयान के संदर्भ में बताया कि उनके मेडिकल कालेज के प्रमुख से लिखित मांगने पर अपना विचार दूंगा। थाना पिपराइच, जनपद गोरखपुर एवं थाना पुरानी बस्ती, जनपद बस्ती के थानाध्यक्ष द्वारा उपरोक्त आशीष मद्धेशिया को उक्त प्रकरण में थाना पुरानी बस्ती, जनपद बस्ती में लाने व जितेन्द्र कुमार व हरिओम को दिनांक 24-01-10 को जेल भेजने तथा आशीष कुमार मद्धेशिया को उसके परिवार को सौंप दिया गया जिसका विवरण अभिलेखों में अंकित नहीं है। पीड़ित द्वारा उसके साथ मारपीट की बात बतायी जा रही है व उसका वर्तमान में मेडिकल कालेज में उपचार हो रहा है। चूंकि थानाध्यक्ष पुरानी बस्ती, जनपद बस्ती द्वारा उपरोक्त के सम्बन्ध में लाने व पूछताछ करने तथा पीड़ित की तबियत खराब होने पर उसके परिवार वालों को सुपुर्द करने के सम्बन्ध में कोई विवरण थाना अभिलेखों में अंकित नहीं किया गया है, इसके लिए थानाध्यक्ष पुरानी बस्ती, श्री प्रेमनाथ तिवारी तथा थानाध्यक्ष पिपराइच दोषी हैं, जिसके सम्बन्ध में क्षेत्राधिकारी, सदर श्री जियालाल द्वारा जांच की जा रही है। प्रकरण में थानाध्यक्ष पुरानी बस्ती, श्री प्रेमनाथ तिवारी तथा थानाध्यक्ष पिपराइच, गोरखपुर श्री राम आशीष यादव को प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया है। उक्त आधार पर श्री प्रेमनाथ तिवारी, थानाध्यक्ष पुरानी बस्ती जनपद बस्ती एवं श्री राम आशीष यादव, थानाध्यक्ष पिपराइच, गोरखपुर को लाइन हाजिर कर दिया गया है।

आशीष मद्धेशिया के इलाज के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक बस्ती द्वारा यह अवगत कराया गया है कि पीड़ित आशीष मद्धेशिया को उसके भाई अभिशेष मद्धेशिया द्वारा दिनांक 25-1-2010 को इलाज हेतु मेडिकल कालेज, गोरखपुर में दाखिल किया गया। इलाज से संतुष्ट न होकर दिनांक 3-2-2010 को मेडिकल कालेज, गोरखपुर से रिलीज कराकर अभिशेष मद्धेशिया द्वारा अपने भाई आशीष मद्धेशिया का इलाज स्वयं के खर्चे पर प्राइवेट अस्पताल आनन्दलोक, गोरखपुर में कराया जा रहा है।]

प्रदेश की सहकारी समितियों में कार्यरत पैक्स कैडर सचिवों का वेतन भुगतान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री प्रमोद तिवारी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सहकारिता मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में ...

वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ माना जाय।

श्री अध्यक्ष-

इसे पढ़ा हुआ माना गया।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

[7479 प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियां (पैक्स) निबन्धित है, जिनमें लगभग 2700 पैक्स कैडर सचिव तथा प्रत्येक समिति में एकाउन्टेंट सहित तीन चार कर्मचारी कार्यरत हैं। 04 जून, 2003 के पूर्व पैक्स कैडर सचिवों को वेतन सम्बन्धित जिले की जिला प्रारम्भिक केन्द्रीय सेवा निधि, जिसमें उ0 प्र0 सहकारी बैंक तथा जिला सहकारी बैंकों से अंशदान प्राप्त होता था, से दिया जाता था। समिति के अन्य कर्मचारियों को वेतन सम्बन्धित समिति द्वारा अपने व्यवसाय से उत्पन्न मार्जिन की धनराशि से दिया जाता था। उत्तर प्रदेश प्रारम्भिक कृषि सहकारी ऋण समिति केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 1976 के ग्यारहवें संशोधन दिनांक 04 जून, 2003 के द्वारा उक्त निधि समाप्त कर दी गयी तथा यह व्यवस्था की गयी है कि कैडर सचिवों के वेतन का भुगतान उस समिति के द्वारा किया जायेगा जहां वे कार्यरत हों। अतः दिनांक 04 जून, 2003 के बाद से पैक्स कैडर सचिव सहित समस्त कर्मचारियों के वेतन भुगतान की जिम्मेदारी सम्बन्धित समिति की हो गयी है, जो अपने व्यवसाय से अर्जित लाभ से अपने समस्त कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करती है जो समितियां अपने व्यवसाय से पर्याप्त लाभ अर्जित नहीं कर पा रही है वहां वेतन भुगतान की समस्या विद्यमान है।

वैद्यनाथन कमेटी की संस्तुतियों के क्रम में अल्पकालीन सहकारी साख संरचना के लिये पुनरुद्धार पैकेज के अन्तर्गत भी अर्ह प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियों को भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। ऐसी समितियों की व्यवसाय वृद्धि योजना बनाई जा रही है तथा उन्हें व्यवसाय विविधीकरण करके अपना व्यवसाय बढ़ाने हेतु भी निर्देश दिये गये हैं, जिससे यह समितियां अधिक से अधिक लाभ अर्जित करके अपने कर्मचारियों का नियमित रूप से वेतन व्यय भार वहन करने में सक्षम हो सके।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद गाजीपुर स्थित शारदा सहायक खण्ड-23 के अन्तर्गत स्वीकृत नहर की खुदाई एवं सफाई तथा टेल तक पानी न पहुंचने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री विजय कुमार द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, विधान सभा जखनिया जनपद गाजीपुर ...

वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ माना जाय।

श्री अध्यक्ष-

इसे पढ़ा हुआ माना गया।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

[में शारदा सहायक खण्ड-23 के अन्तर्गत तरवों राजवाहा से परिवार, रामपुर, रायपुर, भवरूपुर, भरतपुर, भाला बुजर्ग, भाला खुर्द, बघाई, बधाव, सलेमपुर, लारपुर, राजापुर, अकबरपुर, अहियाई, राजापुर, टाण्डा बैराज, डिहवों, बिजहरी, इब्राहीमपुर, मीरपुर, उरासन तथा मधुबन इत्यादि गांव में सिंचाई के लिए नहर पास हुई थी लेकिन नहर की पूरी खुदायी एवं सफाई नहीं हुई, जिससे किसानों की सिंचाई नहीं हो पाती है, जिसके कारण किसानों में आक्रोश व्याप्त है। अतः नहरों की खुदाई एवं सफाई कराकर टेल तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचाने हेतु मांग की गयी है।

विधान सभा क्षेत्र जखनिया, जनपद-गाजीपुर में शारदा सहायक खण्ड-23 के अन्तर्गत तरवों राजवाहा, ढेकमा, राजवाहा के 38.800 कि0मी0 से निकलती है, जिसकी कुल लम्बाई 38.800 कि0मी0 है। इस राजवाहा की परिकल्पित क्षमता 225 क्यूसेक है। कि0मी0 21.00 से कि0मी0 38.800 (कुल 17.800 कि0मी0) के भाग की पुनर्स्थापना का कार्य पूर्ण न होने के कारण उक्त राजवाहा वास्तविक रूप से 75 क्यूसेक पानी ही ले पा रही है। वर्तमान में रबी फसली 1417 में 21.00 कि0मी0 तक पानी पहुंचा दिया गया है। कि0मी0 21.00 से कि0मी0 38.800 तक की पुनर्स्थापना का कार्य नरेगा योजना के अन्तर्गत तैयार किया जा रहा है। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता होने पर उक्त अपूर्ण भाग की पुनर्स्थापना का कार्य कराया जायेगा, जिससे तरवों राजवाहे के मध्य पड़ने वाले उल्लिखित गांवों में सिंचाई हेतु टेल तक पानी पहुंचाया जाना संभव हो सकेगा।]

प्रदेश के 9 अनुदानित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों/कर्मचारियों के वेतन का भुगतान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री दुर्गा प्रसाद यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर बेसिक शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, सदस्य द्वारा अपनी सूचना में ....

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ माना जाय।

श्री अध्यक्ष-

इसे पढ़ा हुआ माना गया।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने किया जो पढ़ा हुआ माना गया)

[यह उल्लेख किया गया है कि प्रदेश के नौ अनुदानित विद्यालयों के कार्यरत व विभाग द्वारा अनुमोदित व विनियमित शिक्षकों/कर्मचारियों के वेतन भुगतान में अनुमान्यता के कारण विलम्ब हो रहा है। उक्त विद्यालयों में कर्मचारी एवं शिक्षक वर्षों से कार्यरत तथा विभाग द्वारा अनुमोदित एवं विनियमित हैं। प्रदेश स्तर पर जिन प्रकरणों पर अब तक अनुमान्यता मण्डलीय अधिकारियों द्वारा जारी नहीं की गयी है। पत्राचार बी0एड0 की डिग्री मान्य विश्वविद्यालय द्वारा हो तो अनुमान्यता जारी करने का संघ अनुरोध कर चुका है। ऐसे अनुमोदित शिक्षक जो शिक्षा विशारद, सी0पी0एड0, बी0पी0एड0, आई0जी0डी0 बाम्बे अथवा अप्रशिक्षित हैं। उन्हें अनुमान्यता जारी नहीं की गयी है। इस सम्बन्ध में उ0 प्र0 सीनियर बेसिक शिक्षक संघ द्वारा वेतन भुगतान कराने के सम्बन्ध में आन्दोलन भी कर चुका है। यह बहुत ही गम्भीर एक लोक महत्व का विषय है।

अतः इस लोक महत्व के विषय सदन के संज्ञान में लाते हुए तत्काल सरकार से कार्यवाही किये जाने, वक्तव्य दिये जाने की मांग की गयी है।

मा0 सदस्य द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत जो सूचना दी गयी है उसके सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासनादेश दिनांक 2-12-2006 द्वारा 1000 जूनियर हाई स्कूलों को अनुदान सूची पर लिया गया था। इन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के वेतन भुगतान की देयता राज्य सरकार पर है तथा ऐसे समस्त शिक्षक जो कि नियमानुसार चयनित/अनुमोदित हैं, को वेतन भुगतान हो रहा है।

जिन 1000 विद्यालयों को अनुदान सूची पर लिया गया है उनमें काफी शिक्षक ऐसे हैं जिनकी नियुक्ति में उ0 प्र0 मान्यता प्राप्त बेसिक (जू0हा0 स्कूल) (शिक्षकों की भर्ती एवं सेवा की शर्तें) नियमावली, 1978 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार न तो चयन किया गया है और न ही नियमावली में विहित शैक्षिक अर्हता ही इन शिक्षकों के पास है। उल्लेखनीय है कि रिट याचिका संख्या-57868/06 तिलक सिंह बनाम स्टेट में दिनांक 18-10-2006 को निम्नवत् निर्देश शिक्षा निदेशक, बेसिक को अनुपालन हेतु पारित किये गये :-

(क) अनुदान सूची पर लिये जाने वाले विद्यालयों के ऐसे शिक्षक जो वैधानिक ढंग से नियुक्त हैं उन्हें प्रबन्धतंत्र के मनमाने व पक्षपातपूर्ण कार्यवाही से प्रभावित न होने दिया जाए।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

(ख) विधिक ढंग से स्वीकृत/सृजित पदों के सापेक्ष नियुक्त शिक्षकों के अधिकारों की रक्षा की जाए। वेतन भुगतान के पूर्व सक्षम अधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उ0 प्र0 मान्यता प्राप्त बेसिक (जूनियर हाई स्कूल) (शिक्षकों की भर्ती एवं सेवा की शर्तें) नियमावली, 1978 में निहित प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन करते हुए शिक्षकों/प्रधानाध्यापकों की नियुक्तियां हुई हैं या नहीं।

शिक्षा निदेशक, बेसिक द्वारा यह अवगत कराया गया है कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों/मण्डलों से प्राप्त सूचना के अनुसार इन 1000 विद्यालयों जो कि वर्ष 2006 में अनुदान सूची पर लिये गये हैं, में कुल 523 ऐसे शिक्षक हैं जिनका चयन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार न किये जाने के कारण उन्हें वेतन वितरण अधिनियम, 1978 के अन्तर्गत वेतन का भुगतान किया जाना संभव नहीं है।

दूसरी श्रेणी के 64 ऐसे शिक्षक हैं जो कि सहायक अध्यापक पद हेतु न तो निर्धारित योग्यता रखते हैं और न ही उनकी नियुक्ति में निर्धारित चयन प्रक्रिया का पालन किया गया है। ऐसे शिक्षक डी0पी0एड0, सी0पी0एड0, बी0पी0एड0 आदि उपाधि धारी है। उल्लेखनीय है कि नियमावली में सहायक अध्यापक हेतु प्रशिक्षण अर्हता बी0टी0सी0, जे0टी0सी0, एच0टी0सी0 एवं नियमित बी0एड0 उपाधि ही मान्य है। उक्त नियमावली में डी0पी0एड0, सी0पी0एड0, बी0पी0एड0 एवं शिक्षा विशारद तथा पत्राचार बी0 एड0 मान्य नहीं हैं।

चूंकि उपरोक्त शिक्षक उ0 प्र0 मान्यता प्राप्त बेसिक (जूनियर हाई स्कूल) (शिक्षकों की भर्ती एवं सेवा की शर्तें) नियमावली, 1978 के विहित प्राविधानों के अनुसार नियुक्त नहीं हुए हैं। अतः ऐसे शिक्षकों का वेतन भुगतान किया जाना नियमानुसार संभव नहीं है।]

इलाहाबाद स्थित मेंहदौरी ग्राम समाज की भूमि पर बसे अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को उजाड़ने वालों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने और उन्हें पुनः बसाने एवं मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में श्री अनुग्रह नारायण सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, इलाहाबाद के शिलाखाना तेलियरगंज ...

वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ माना जाय।

श्री अध्यक्ष-

इसे पढ़ा हुआ माना गया।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने किया जो पढ़ा हुआ माना गया)

[स्थित मेंहदौरी ग्राम समाज की भूमि पर बसे कमजोर आय वर्ग के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को बिना नोटिस दिये उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् स्थानीय पुलिस व

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जिला प्रशासन द्वारा की गयी बर्बरतापूर्ण कार्यवाही किये जाने वालों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने तथा पीड़ितों को पुनः बसाने तथा क्षति का मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में मा0 सदस्य विधान सभा श्री अनुग्रह नारायण सिंह द्वारा उ0 प्र0 विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-51 के अन्तर्गत दिनांक 4-2-2010 को दी गयी सूचना के सम्बन्ध में उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् से प्राप्त आख्यानुसार अवगत कराना है कि परिषद् की तेलियरगंज स्थित मेंहदौरी ग्राम समाज की भूमि न होकर उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् द्वारा नियमानुसार मेंहदौरी ग्राम के खसरा संख्या-141 आदि भू-स्वामी मो0 सलीम अहमद, मो0 हजीम अहमद, मो0 वकील अहमद, मो0 अजीज अहमद व मो0 हकीम अहमद आदि की अधिग्रहीत भूमि है, जिसका मुआवजा भी भू-स्वामियों द्वारा प्राप्त किया जा चुका है। उक्त योजना में भू-खण्ड संख्या-बी-63 एवं बी-65 पर हुए अतिक्रमण/अनाधिकृत निर्माण को हटाने हेतु दिनांक 3-2-2010 को तिथि नियत की गयी थी। इस क्रम में अतिक्रमण किये गये व्यक्तियों को समझा-बुझाकर उनके सम्पूर्ण गृहस्थी के सामान उनकी देख-रेख में बाहर निकाल कर शान्तिपूर्ण ढंग से अतिक्रमण हटाया गया। किसी भी प्रकार की कोई जोर-जबरदस्ती नहीं की गयी और न ही किसी को किसी भी तरह से सताया गया है। जहां तक अल्पसंख्यक वर्ग का प्रश्न है के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि अल्पसंख्यक वर्ग के ही आवंटियों क्रमशः श्री मन्नान मंसूर पुत्र श्री अजीम मंसूर एवं श्री सूबेदार मो0 आलीशान पुत्र श्री मो0 कतुउल्लाह को ही भौतिक कब्जा दिया गया है। अतिक्रमण हटाते समय किसी भी व्यक्ति विशेष की कोई गिरफ्तारी नहीं की गयी है। अतिक्रमणकर्ताओं द्वारा किसी भी तरह का कोई न्यायालय का आदेश एवं स्थगन आदेश न तो परिषद् के कार्यालय को और न ही कार्य-स्थल पर उपलब्ध कराया गया। इस प्रकार किसी भी तरह का कोई मा0 न्यायालय के आदेशों की अनदेखी नहीं की गयी है। किसी प्रकार का कोई धरना-प्रदर्शन भी संज्ञान में नहीं आया है। परिषद् द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि पूर्व में भी कई बार अतिक्रमणकर्ताओं से अतिक्रमण को हटाने हेतु सम्पर्क कर अनुरोध भी किया गया था एवं दिनांक 3-2-2010 के पूर्व भी कई तिथियों जैसे दिनांक 30-8-2009, 30-12-2009, 7-1-2010 तथा 29-1-2010 को अतिक्रमण हटाने हेतु निर्धारित की गयी थी किन्तु कार्यवाही पूर्ण न हो सकी थी।]

श्री अध्यक्ष-

अब हम उठते हैं, कल 11.00 बजे पुनः मिलेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 06 बजकर 25 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ :

दिनांक 09 फरवरी, 2010

प्रदीप कुमार दुबे,

प्रमुख सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-7 का उत्तर पीछे पृष्ठ-40 पर)

सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों की आख्यानुसार प्राथमिक विद्यालयों से असेवित बस्तियों की सूची वर्ष 2009-10 विधान सभा क्षेत्र-पट्टी, जनपद-प्रतापगढ़

विकास खण्ड का नाम	क्र0सं0	असेवित बस्ती का नाम
1	2	3
मंगरौरा	1	धर्मपुर
	2	बोझी
	3	कानपुर
	4	मोती का पुरवा
	5	तिवारीपुर
	6	पंगुलापुर
	7	पड़रीयाना
	8	पचपट्टी
	9	पूरे बसई
	10	चांदपुर
	11	नौतरवा
	12	गौरा
	13	लखनामऊ
	14	देवई बरहूपुर
	15	रत्नाकरपुर (सकरा)
	16	लोहारन का पुरवा
पट्टी	17	एकडरिया विशुनपुर
	18	बिशुनपुर
	19	बंधवा बाजार
	20	बेलसण्डी
	21	नौरंगाबाद
	22	दुर्गदिई
	23	बहुता दक्षिणी
	24	अर्देवरी

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विकास खण्ड का नाम	क्र0सं0	असेवित बस्ती का नाम
आसपुर देवसरा	25	बींद
	26	बरचौली
	27	कनकपुर
	28	रिझला
	29	विनैका (अहिरान)
	30	पूरा
	31	रमईपुर
	32	छतौना
	33	सोनपुराकेवटान
	34	तिवारी पट्टी
	35	आलावर्दीपुर

सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों की आख्यानुसार उच्च प्राथमिक विद्यालयों से असेवित बस्तियों की सूची वर्ष 2009-10 विधान सभा क्षेत्र-पट्टी, जनपद-प्रतापगढ़

विकास खण्ड	क्र0सं0	असेवित बस्ती का नाम
1	2	3
मंगरौरा	1	बरौली
	2	सरौली
	3	गहरौली
	4	बोझवा
	5	लौली पोख्ताखास
आसपुर देवसरा	6	भैरोपुर
	7	तुरकौली
	8	मीरपुर अतरौरा
	9	मुजाही
	10	विझला
पट्टी	11	बनी
	12	विरौती
	13	नारंगपुर
	14	बीबीपुर बारडीह
	15	बेसार
	16	चितामनपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-44 का उत्तर पीछे पृष्ठ-59-60 पर)

प्रदेश के विभिन्न जनपदों में क्षय रोग के सन्दर्भ में डॉट्स थिरेपी की जनपदवार उपलब्धि का विवरण

क्र0सं0	जनपद	जांच किये गये रोगियों की संख्या		डॉट्स उपचार पर रखे गये रोगियों की संख्या		डॉट्स द्वारा रोग मुक्त रोगियों की संख्या	
		वर्ष 2008	वर्ष 2009 (सितम्बर, 2009 तक)	वर्ष 2008	वर्ष 2009 (सितम्बर, 2009 तक)	वर्ष 2008	वर्ष 2009 (सितम्बर, 2009 तक)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आगरा	30465	26575	8542	6658	5524	5142
2	अलीगढ़	28815	21115	6634	4996	5738	4813
3	इलाहाबाद	40816	31061	8598	6471	6187	5331
4	अम्बेदकरनगर	8256	7040	2027	1659	1454	1394
5	औरैय्या	8196	5884	2143	1729	1732	1374
6	आजमगढ़	17685	14260	4805	3807	3137	3055
7	बागपत	7186	5336	2181	1575	1894	1485
8	बहराइच	21550	16697	5316	4216	4352	3575
9	बलिया	10002	7516	2739	2417	1982	1784
10	बलरामपुर	9602	6592	2419	1780	1255	1527
11	बांदा	11381	7141	2589	1631	1473	1566
12	बाराबंकी	19239	15701	5354	4086	4401	4073
13	बरेली	34264	28983	7481	5476	5749	3681
14	बस्ती	9770	7592	3304	2779	2961	2292
15	बिजनौर	21820	18193	3919	3396	2923	3097
16	बदायूं	27383	22735	5567	4561	4768	4305
17	बुलन्दशहर	21341	18092	7068	5517	5298	3536
18	चन्दौली	9404	6990	1893	1488	1255	1107
19	चित्रकूट	4585	3599	1253	1142	1012	1209

1	2	3	4	5	6	7	8
20	देवरिया	11057	8497	2361	1903	1404	2317
21	एटा	21415	14790	5013	3301	4015	2954
22	इटावा	12552	11412	2578	2121	2038	1557
23	फैजाबाद	11243	8246	2570	2212	1963	1569
24	फर्रुखाबाद	9369	8142	2254	2033	2000	1938
25	फतेहपुर	15991	13168	3463	2859	2717	2462
26	फिरोजाबाद	14912	9216	4277	3079	3079	2716
27	गौतमबुद्धनगर	9958	7727	3558	2732	2690	4230
28	गाजियाबाद	28533	22937	10347	8121	8977	5596
29	गाजीपुर	11726	9567	2948	2369	2024	2446
30	गोण्डा	12135	9582	4456	3201	3344	2630
31	गोरखपुर	15125	16413	3090	2831	2002	1690
32	हमीरपुर	6690	5127	1797	1387	1561	2322
33	हरदोई	25062	21463	6475	5814	4541	3245
34	हाथरस	8356	6924	2047	1680	1599	1503
35	जालौन	11734	7802	2883	2072	2157	2947
36	जौनपुर	18697	15550	7430	5783	5780	3793
37	झांसी	11418	9645	3014	2233	2026	1729
38	ज्योतिबाफुलेनगर	13346	10878	2171	1592	1871	1446
39	कन्नौज	10169	8120	2079	1561	1308	1554
40	कानपुर देहात	7410	6206	2151	1802	1674	2479
41	कानपुर नगर	27916	24460	6965	6095	5305	3288
42	कांशीराम नगर (नवसृजित जनपद)	,	1598		465		
43	कौशाम्बी	9957	8593	2130	2261	1516	2477
44	खीरी	19454	14539	5595	3728	4489	3980
45	कुशीनगर	11714	9176	2664	2276	1948	1623
46	ललितपुर	8044	4952	1921	1236	1501	1293
47	लखनऊ	42097	34215	7989	6130	5752	5018

1	2	3	4	5	6	7	8
48	महाराजगंज	10965	8769	2033	1773	1452	1357
49	महोबा	5071	3901	1200	855	778	672
50	मैनपुरी	8334	6740	2480	1642	2450	1838
51	मथुरा	17085	12291	3906	2878	2713	2539
52	मऊ	9115	6452	1998	1489	1711	1377
53	मेरठ	29421	24148	6662	5229	5819	4747
54	मिर्जापुर	15890	12065	3125	2402	2822	2270
55	मुरादाबाद	31507	24182	6374	4729	4969	4192
56	मुजफ्फरनगर	27919	24179	5918	4939	4166	3909
57	पीलीभीत	17052	13206	3459	2467	2427	1728
58	प्रतापगढ़	14218	14445	2997	3150	2026	1934
59	रायबरेली	16966	11904	5385	4143	4087	3775
60	रामपुर	18372	14146	3788	3050	2862	2457
61	सहारनपुर	25185	21753	5489	4273	5314	3571
62	सन्तकबीर नगर	7088	5859	1626	1472	1069	1160
63	सन्तरविदास नगर	9725	8310	2547	2184	2288	1756
64	शाहजहांपुर	17562	14890	3709	3105	2489	2402
65	श्रावस्ती	4926	4293	1032	794	674	681
66	सिद्धार्थनगर	8427	7231	2084	1707	1467	1381
67	सीतापुर	25045	19258	6960	5233	5807	4797
68	सोनभद्र	7292	5673	1800	1449	1263	1188
69	सुल्तानपुर	16555	13854	4353	3304	3186	2184
70	उन्नाव	19218	15191	5193	4096	4378	3637
71	वाराणसी	23831	18207	6206	4655	4798	4134
	योग :	1134609	910994	278382	219279	213391	184834

पी0एस0यू0पी0-एल0 18 विधान सभा (22)-13-4-2010-813 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।